सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
(राजस्व क्षेत्र)

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या–1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)
उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या–1

एचटीटीपी://डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएजी.जीओवी.इन/एचटीएमएल/सीएजी_रिपोर्ट्स/यूपी/यूपी/इन्डेक्स.एचटीएम

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं0
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय–I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों का रुझान	1.1	1
राजस्व बकाये का विश्लेषण	1.2	3
कर निर्धारण के बकाये	1.3	3
विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के मामलें	1.4	4
लम्बित वापसी वाद	1.5	4
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभाग का प्रत्युत्तर	1.6	5
लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण	1.7	7
स्वीकृत संस्तुतियों पर सरकार/विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	1.8	8
लेखापरीक्षा योजना	1.9	10
लेखापरीक्षा का परिणाम	1.10	10
यह प्रतिवेदन	1.11	10
अध्याय–II: बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
कर प्रशासन	2.1	11
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	11
संकर्म संविदा में कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	11
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	2.4	28
कर का अनारोपण/कम आरोपण	2.5	29
अर्थदण्ड का अनारोपण	2.6	32
प्रवेश कर	2.7	35
केन्द्रीय बिक्री कर	2.8	37
ब्याज के प्रभारित किये जाने में अनियमितता	2.9	39
गलत/मिथ्या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) के दावे के मामले	2.10	41
कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा असत्य चालान पर स्वीकृत कर का लाभ दिया जाना	2.11	44

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं0
निर्धारित प्रक्रिया के कमजोर अनुश्रवण से विभाग द्वारा आरोपित राशि का न वसूल किया जाना	2.12	44
विलम्ब से जमा संकर्म संविदा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण	2.13	45
कम काटे गये संकर्म संविदा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण	2.14	46
अध्याय-III: राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	3.1	47
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	47
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	3.3	48
देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में कम दर से वृद्धि किया जाना	3.4	48
बीयर बार लाइसेंस फीस के बिना बीयर की बिक्री किया जाना	3.5	48
आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	3.6	49
गोदामो पर किराये एवं स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	3.7	50
विलम्ब से प्राप्त एम0एफ0–4 गेट पासो पर अर्थदण्ड का अनारोपण	3.8	51
वसूली प्रमाण–पत्र में अनियमितताओं का पाया जाना	3.9	52
आन्तरिक लेखापरीक्षा	3.10	53
अध्याय–IV : वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	4.1	55
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	55
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	4.3	56
परमिट में अनियमिततायें	4.4	56
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसों से अतिरिक्त कर का अनारोपण	4.5	58
महिन्द्रा मैक्सिमों वाहन की सीटिंग क्षमता कम निर्धारित किये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण	4.6	59
वाहनों के बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालन के कारण राजस्व की वसूली न होना	4.7	60
नये पंजीयन चिन्ह का आवेदन न किया जाना	4.8	60
गैर परिवहन यानो के पंजीयन का नवीनीकरण न कराया जाना	4.9	61
अधिक भार पर शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	4.10	61

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं0
तीन माह से अधिक अभ्यर्पित वाहनों के सम्बन्ध में कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना	4.11	63
जब्त वाहनों से राजस्व की वसूली में अनियमितता	4.12	63
राजस्व की वसूली किए बिना वसूली प्रमाण पत्र का वापस आना	4.13	65
आन्तरिक लेखापरीक्षा	4.14	65
अध्याय-V : स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस		
कर प्रशासन	5.1	67
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	67
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	5.3	67
भूमि के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.4	68
स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	5.5	68
भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 के तहत आवश्यक तथ्यों को छिपाये जाने से भूमि का अवमूल्यन	5.6	71
लेखपत्र का गलत वर्गीकरण	5.7	72
पट्टा विलेख के अवमूल्यन से स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.8	73
आन्तरिक लेखापरीक्षा	5.9	74
अध्याय-VI: अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ		
(अ) भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग		
कर प्रशासन	6.1	75
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	75
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	6.3	75
खनन योजना का उल्लंघन	6.4	75
दरों को संशोधित न किया जाना	6.5	83
ईंट भट्टा मालिकों से रायल्टी, अनुज्ञापत्र फीस और ब्याज की वसूली न किया जाना	6.6	85
रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	6.7	86
ईंट बनाने की मिट्टी के अवैध हटान पर खनिज मूल्य का अनारोपण	6.8	86
अपरिहार्य भाटक व ब्याज का कम वसूल किया जाना	6.9	87
अवैध खनन	6.10	88
शासनादेशों का अधिनियम/नियमों के अनुरूप न होना	6.11	89

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं0
(ब) मनोरंजन कर विभाग		
कर प्रशासन	6.12	90
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.13	91
लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	6.14	91
अनुज्ञापन शुल्क की वसूली न किया जाना	6.15	91
नोटिसों का कमजोर अनुश्रवण	6.16	92
वसूली प्रमाण–पत्रों का जारी न किया जाना	6.17	94
आंतरिक लेखापरीक्षा	6.18	94
परिशिष्टयाँ		99 - 149
शब्द एवं संक्षेपण की शब्दावली		151-154

प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र के अधीन आने वाले विभागों जिसमे वाणिज्य कर विभाग, राज्य आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, खनन विभाग एवं मनोरंजन कर विभाग सम्मिलित हैं, के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा की अर्थपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का प्रस्तुतीकरण है। फिर भी, आर्थिक, जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट को इससे अलग एवं जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट के प्रतिवेदन एवं आर्थिक क्षेत्र–गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रतिवेदन में सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामलों में वे मामले हैं जो वर्ष 2013–14 में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये ऐसे मामले, जिन्हें विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका; वर्ष 2013–14 के आगे की अवधि के मामलें भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में **'संकर्म संविदा में कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण'** विषयक एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 43 प्रस्तर सम्मिलित हैं, जिनमें कर, शुल्क ब्याज एवं शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बन्धित ₹ 488.77 करोड़ की धनराशि सन्निहित है। शासन/विभागों ने ₹ 21.97 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 11.60 लाख की वसूली कर ली गई है कुछ मुख्य आपत्तियाँ नीचे वर्णित हैं:

I. सामान्य

वर्ष 2012–13 के ₹ 1,45,903.99 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2013–14 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,68,213.75 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹ 66,582.08 करोड़ एवं करेतर राजस्व ₹ 16,449.80 करोड़ को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 83,031.88 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 85,181.87 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग ₹ 62,776.70 करोड़ और सहायक अनुदान ₹ 22,405.17 करोड़) थी। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का 49 प्रतिशत ही उगाह सकी।

(प्रस्तर 1.1.1)

दिसम्बर 2013 तक निर्गत किये गये 11,104 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 6,816.69 करोड़ की धनराशि के 34,446 प्रस्तर जून 2014 के अन्त तक लम्बित थे।

(प्रस्तर 1.6)

वर्ष 2013–14 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्री पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, खनन प्राप्तियां और मनोरंजन कर से सम्बन्धित 1,222 इकाइयों के अभिलेखों की जाँच में ₹ 2,060.92 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 5987 मामलें प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान विभाग ने 611 मामलों में ₹ 3.12 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से 15 मामलें में सन्निहित धनराशि ₹ 35.70 लाख को 2013–14 में इंगित किया गया था तथा शेष मामलें पूर्ववर्ती वर्षों के थे। वर्ष 2013–14 के दौरान 615 प्रकरणों में ₹ 1.59 करोड़ की धनराशि की वसूली की गयी जिसमें 13 मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 3.38 लाख वर्ष 2013–14 के दौरान इंगित किए गये थे एंव शेष पूर्ववर्ती वर्षो के थें।

(प्रस्तर 1.10)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

'संकर्म संविदा में कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण' विषयक एक निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- समाधान राशि के कम आरोपण के फलस्वरूप ₹ 7.05 करोड़ समाधान राशि की कम वसूली।

(प्रस्तर 2.3.7)

- कर योग्य आवर्त के गलत निर्धारण एवं कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप ₹ 41.44 लाख कर नही/कम आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 2.3.8)

- टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र नियमित प्रारुप में प्रस्तुत किये बगैर 23 संविदाकारों को ₹ 3.35 करोड़ के कर का अनियमित लाभ दिया गया।

(प्रस्तर 2.3.9)

- 69 संविदाकारों को ₹ 2.84 करोड़ के कर की अनियमित वापसी कर अदेय वित्तीय लाभ दिया।

(प्रस्तर 2.3.10)

- संकर्म संविदा पर कर का विलम्ब से जमा करने और धारा 54 (1) के प्रावधान के उल्लंघन के लिए ₹ 16.56 करोड़ का अर्थदण्ड नही लगाया गया।

(प्रस्तर 2.3.11)

- केन्द्रीय पंजीयन के अन्तर्गत पूँजीगत माल के क्रय हेतु अनियमित रूप से अधिकृत करने के फलस्वरूप 31 संविदाकारों को ₹ 1.42 करोड़ का अदेय वित्तीय लाभ हुआ।

(प्रस्तर 2.3.12.1)

- फार्म सी घोषणा पत्र के दुरूपयोग से के0बि0क0 के अन्तर्गत ₹ 95.40 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.3.12.2)

- स्थानीय क्षेत्र से बाहर की खरीद पर 17 व्यापारियों के मामले में ₹ 60.40 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

(प्रस्तर 2.3.13)

- अपंजीकृत संविदाकारों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण की पद्धति अपर्याप्त थी क्योंकि 69 कार्यालयों में से केवल पाँच वाणिज्य कर कार्यालयों में सर्वेक्षण किया गया एवं वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में इन पाँच कार्यालयों में केवल 25 अपंजीकृत संकर्म संविदाकारों का पता लगा था।

(प्रस्तर 2.3.15.3)

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय अनुसूची में दिये दरों के अनुसार सही दरों से कर नही लगाया तथा कुछ मामलों में कर नही लगाया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 9.27 करोड़ का कर न/कम आरोपित रहा।

(प्रस्तर 2.5)

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसा कि अनियमित संव्यवहार लेखों से बाहर संव्यवहार उ0प्र0 व्या0क0 और उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि। यद्यपि कि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.96 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(प्रस्तर 2.6)

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0 टी0 सी0) के गलत/झूठे दावों की खोज न करने से ₹ 22.09 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के उत्क्रमण, अर्थदण्ड के अनारोपण एवं ब्याज का मामला बना।

(प्रस्तर 2.10)

III. राज्य आबकारी

देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू0प्र0मा0) में कम दर से वृद्धि किया जाने से ₹ 1.98 करोड़ के राजस्व से शासन वंचित रहा।

(प्रस्तर 3.4)

बीयर बार लाइसेंस फीस के बिना बीयर की बिक्री किया जाने से ₹ 1.31 करोड़ के राजस्व से शासन वंचित रहा।

(प्रस्तर 3.5)

आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ₹ 26.02 लाख के ब्याज का अनारोपण।

(प्रस्तर 3.6)

विलम्ब से प्राप्त एम0एफ0–4 गेट पासों पर अर्थदण्ड ₹ 21.01 लाख को आरोपित नही किया गया।

(प्रस्तर 3.8)

IV. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

परमिट के निर्गम/नवीनीकरण/प्राधिकार में अनियमितता के कारण ₹ 5.33 करोड़ की वसूली नही हुयी।

(प्रस्तर 4.4)

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसों से अतिरिक्त कर ₹ 19.20 करोड़ का अनारोपण।

(प्रस्तर 4.5)

वाहनों के बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालन के कारण ₹ 8.35 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना।

(प्रस्तर 4.7)

वाहनों के अधिक भार के परिवहन पर शास्ति ₹ 58.09 करोड़ का अनारोपण/कम आरोपण।

(प्रस्तर 4.10)

V. स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप ₹ 5.28 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस कम आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 5.5)

लेखपत्र के गलत वर्गीकरण से स्टाम्प शुल्क ₹ 6.16 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.7)

VI. अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

बिना खनन योजना के उप खनिजों का उत्खनन करने पर ₹ 131.95 करोड़ के उत्खनित खनिज मूल्य की वसूली नही की गयी।

(प्रस्तर 6.4.1.1)

खनन योजना के नवीनीकरण के बिना उप खनिजों का उत्खनन करने पर ₹ 66.98 करोड़ के उत्खनित खनिज मूल्य की वसूली नही की गयी।

(प्रस्तर 6.4.1.2)

खनन योजना में स्वीकृत खनिज से अधिक उप खनिजों का उत्खनन करने पर ₹ 46.81 करोड़ के उत्खनित खनिज मूल्य की वसूली नही की गयी।

(प्रस्तर 6.4.1.3)

संशोधन के पूर्व की दर से अमल करने के कारण ₹ 60.38 लाख के रायल्टी का उप–खनिज पर कम आरोपण

(प्रस्तर 6.5)

अपरिहार्य भाटक एवं ब्याज ₹ 6.27 लाख को कम वसूल किया गया।

(प्रस्तर 6.9)

अनुरक्षण प्रभार ₹ 5.94 लाख को सिनेमा स्वामियों द्वारा जमा नही किया गया।

(प्रस्तर 6.16.1)

सिनेमा स्वामियों द्वारा अनुदान स्कीम की शर्तो के उल्लंघन करने पर ₹ 10.60 लाख के राजस्व की वसूली नही की गयी।

(प्रस्तर 6.16.2)

अध्याय–I
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश की शुद्ध प्राप्ति एवं राज्य सरकार को आवंटित शुल्क एवं सहायक अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आँकड़े **सारणी 1.1.1** में दर्शाये गये हैं:

सारणी 1.1.1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	33,877.60	41,355.00	52,613.43	58,098.36	66,582.08
	• करेतर राजस्व	13,601.09	11,176.21	10,145.30	12,969.98	16,449.80
	योग	**47,478.69**	**52,531.21**	**62,758.73**	**71,068.34**	**83,031.88**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के भाग की शुद्ध प्राप्ति	31,796.67	43,218.90	50,350.95	57,497.86	62,776.70[1]
	• सहायक अनुदान	17,145.59	15,433.65	17,760.02	17,337.79	22,405.17
	योग	**48,942.26**	**58,652.55**	**68,110.97**	**74,835.65**	**85,181.87**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**96,420.95**	**1,11,183.76**	**1,30,869.70**	**1,45,903.99**	**1,68,213.75**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**49**	**47**	**48**	**49**	**49**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व (₹ 83,031.88 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,68,213.75 करोड़) का 49 प्रतिशत था। 2013–14 के दौरान प्राप्तियों का शेष 51 प्रतिशत भारत सरकार से था।

1.1.2 वर्ष 2009–10 से वर्ष 2013–14 की अवधि में उगाहे गये कर राजस्व के विवरण **सारणी 1.1.2** में दिये गये हैं:

सारणी 1.1.2
उगाहे गये कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012–13 पर 2013–14 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	ब0अ0	20,741.27	26,978.34	32,000.00	38,492.18	43,936.00	(+)14.14
		वा0 प्रा0	20,825.18	24,836.52	33,107.34	34,870.16	39,645.45	(+)13.69
2.	राज्य आबकारी	ब0अ0	5,176.45	6,763.23	8,124.08	10,068.28	12,084.88	(+)20.02
		वा0 प्रा0	5,666.06	6,723.49	8,139.20	9,782.49	11,643.84	(+)19.03
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	ब0अ0	4,800.00	5,000.00	6,612.00	9,308.00	10,555.00	(+)13.40
		वा0 प्रा0	4,562.23	5,974.66	7,694.40	8,742.17	9,520.92	(+)8.91
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	ब0अ0	1,574.89	2089.90	2,329.95	3,093.90	3,713.00	(+)20.01
		वा0 प्रा0	1,674.55	2,058.58	2,380.67	2,993.96	3,442.01	(+)14.97
5	अन्य[2]	ब0अ0	1,163.39	1,472.96	1,268.12	1,094.68	1,905.00	(+)74.02
		वा0 प्रा0	1,149.58	1,761.75	1,291.80	1,709.58	2,329.86	(+)36.38
	योग	**ब0अ0**	**33,456.00**	**42,304.43**	**50,334.15**	**62,057.04**	**72,193.00**	**(+)16.33**
		वा0 प्रा0	**33,877.60**	**41,355.00**	**52,613.41**	**58,098.36**	**66,582.08**	**(+)14.60**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2013–14 के वित्त लेखों में लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–11 देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में मुख्य लेखा शीर्षक अ–कर राजस्व के अन्तर्गत–0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032–धन पर कर 0037–सीमा कर, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044– सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

[2] अन्य में निम्नलिखित प्राप्तियां शामिल है:
विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्तियां, मनोरंजन कर एवं दांव कर।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारणों को प्रतिवेदित कियाः

बिक्री, व्यापार आदि पर करः बजट अनुमान के प्राप्त न किये जाने के लिए विभाग द्वारा कारण बताया गया कि वर्ष के दौरान करों की दरों में कमी की गयी थी। यद्यपि, वास्तविक प्राप्ति पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्ति की तुलना में अधिक थी।

स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्कः बजट अनुमान के प्राप्त न किये जाने के लिए विभाग द्वारा कारण बताया गया कि जनता द्वारा विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अचल सम्पत्ति में रूचि का कम लेना था। यद्यपि, वार्षिक दर सूची में वृद्धि के कारण वास्तविक प्राप्ति पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्ति से अधिक थी।

वाहनो, माल एवं यात्रियों पर करः बजट अनुमान की प्राप्त न किये जाने के लिए विभाग द्वारा लक्ष्य के उच्च निर्धारण को कारण बताया गया। यद्यपि, वास्तविक प्राप्ति पिछले वर्ष की वास्तविक प्राप्ति की तुलना में अधिक थी।

राज्य आबकारी विभाग से अनुरोध किये जाने के बाद भी (जून और अक्टूबर 2014 के मध्य) विगत वर्ष की प्राप्ति में भिन्नता का कारण प्रस्तुत नही किया गया। (दिसम्बर 2014)।

1.1.3 वर्ष 2009–10 से वर्ष 2013–14 की अवधि में उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण **सारणी 1.1.3** में दर्शाये गये हैं:

सारणी 1.1.3
उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2012–13 पर 2013–14 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता
1	शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	ब0अ0	96.22	2,987.49	3,000.00	5,410.00	5,852.75	(+) 8.18
		वा0 प्रा0	2,339.86	2,614.11	2,008.55	4,211.69	6,414.09	(+) 52.29
2	विविध सामान्य सेवायें	ब0अ0	1,144.92	7,118.06	4,216.01	3,264.23	2,970.98	(-) 8.98
		वा0 प्रा0	8,075.13	5,120.67	4,035.23	4,494.11	3,194.28	(-) 28.92
3	ब्याज प्राप्तियां	ब0अ0	1,085.86	1,229.49	861.62	924.36	858.36	(-) 7.14
		वा0 प्रा0	603.66	689.32	789.22	1,186.41	1,619.35	(+)36.49
4	बिजली	ब0अ0	900.00	270.00	180.00	90.00	270.00	(+) 200.00
		वा0 प्रा0	170.70	91.79	76.83	72.80	1,060.81	(+)1357.16
5	अलौह, खनन तथा धातु कर्म उद्योग	ब0अ0	517.75	838.97	900.00	954.00	1,000.00	(+) 4.82
		वा0 प्रा0	604.97	653.39	593.28	722.13	912.52	(+) 26.37
6	अन्य करेतर[3] प्राप्तियां	ब0अ0	1,882.25	2,541.46	2,953.93	3,531.23	2,230.39	(-) 36.84
		वा0 प्रा0	1,806.77	2,006.93	2,642.19	2,282.84	3,248.75	(+)42.31
योग		**ब0अ0**	**5,627.00**	**14,985.47**	**12,111.56**	**14,173.82**	**13,182.48**	**(-)4.46**
		वा0 प्रा0	**13,601.09**	**11,176.21**	**10,145.30**	**12,969.98**	**16,449.80**	**(+) 26.83**

स्रोत उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

सम्बन्धित विभाग ने भिन्नता के निम्नलिखित कारणों को प्रतिवेदित कियाः

बिजलीः बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने के लिए विभाग द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर0ई0सी0), नई दिल्ली द्वारा अनुमान के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि को जारी न करने को कारण बताया गया। यद्यपि, काम के दूसरे चरण के प्रारम्भ के लिए आर0ई0सी0, नई दिल्ली से ₹ 1,059.95 करोड़ प्राप्त होने के कारण वार्षिक प्राप्ति विगत वर्ष की वार्षिक प्राप्ति से अधिक थी।

अन्य विभागों से अनुरोध किया गया (जून और अक्टूबर 2014 के मध्य), किन्तु विगत वर्ष की प्राप्ति में भिन्नता के कारण को विभागों द्वारा सूचित नही किया गया (दिसम्बर 2014)।

---

[3] अन्य में निम्नलिखित प्राप्तियां शामिल हैः
अन्य राजकोषीय सेवाये, लाभांश तथा लाभ, राज्य लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, लेखन तथा मुद्रण सामग्री, लोक निर्माण कार्य, अन्य प्रशासनिक सेवायें, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूली, चिकित्सा तथा लोक स्वस्थ्य, परिवार कल्याण, जल पूर्ति तथा सफाई, आवास, शहरी विकास, सूचना तथा प्रचार, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, अन्य सामाजिक सेवाएं, फसल कृषि, पशु पालन, डेरी विकास, मछली पालन, वानिकी तथा वन्य प्राणि, कृषि, अनुसन्धान एवं शिक्षा, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रम, भूमि सुधार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अन्य विशेष क्षेत्री कार्यक्रम, मुख्य सिचाई, मध्यम सिचाई, लघु सिचाई, आपारम्परिक ऊर्जा श्रोत, ग्रामीण तथा लघु उद्योग, उद्योग, अन्य उद्योग, नगर विमानन, सड़क तथा सेतु, सड़क परिवहन, पर्यटन, सिविल पूर्ति तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें।

1.2 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2014 तक के कुछ मुख्य राजस्व शीर्षो के बकाये की स्थिति ₹ 24,806.78 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 18,130.56 करोड़ पाँच वर्षो से अधिक के थे, जिसका विवरण **सारणी 1.2** में हैं:

सारणी 1.2
राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाये की कुल धनराशि	31 मार्च 2014 को पाँच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	24,461.64	18,072.11	₹ 24,461.64 करोड़ के बारे में विभाग ने बताया कि ₹ 1,957.95 करोड़ के भू राजस्व के बकाये की वसूली के लिए प्रमाणित मांग पत्र निर्गत किया गया, ₹ 1,152.99 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों को भेजे गये, ₹ 4,588.62 करोड़ न्यायालयों/ अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा स्थगित किये गये, ₹ 656.34 करोड़ की वसूली सरकारी तथा अर्द्धसरकारी विभाग के विरूद्ध थी, ₹ 1,627.94 करोड़ की वसूली बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित थी तथा ₹ 40.37 करोड़ ट्रान्सपोर्टरो पर बकाये थे। ₹ 14,437.43 करोड़ के शेष बकाये के मामलो मे की गयी विनिर्दिष्ट कार्यवाही विभाग के अधीन थी।
2.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	145.99	विभाग के पास ऐसे कोई आंकड़े नही है।	पाँच वर्ष से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास उपलब्ध नही थे। विभाग ने चरणबद्ध विवरण प्रस्तुत नही किया कि किसके अधीन कितनी वसूली लम्बित है।
3.	वाहनों पर कर	125.64	विभाग के पास ऐसे कोई आंकड़े नही है।	पाँच वर्ष से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास उपलब्ध नही थे। विभाग ने चरणबद्ध विवरण प्रस्तुत नही किया कि किसके अधीन कितनी वसूली लम्बित है।
4.	राज्य आबकारी	53.85	48.19	₹ 53.85 करोड़ की सम्पूर्ण मांग भू–राजस्व के बकाये की वसूली के लिए प्रमाणित मांग पत्र निर्गत किया गये थे। ₹ 53.85 करोड़ मे से ₹ 16.62 करोड़ की मांग माननीय न्यायालयों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 6.06 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित थी।
5.	मनोरंजन कर	19.66	10.26	₹ 19.66 करोड़ में से ₹ 9.98 करोड़ की मांग माननीय न्यायालयों द्वारा स्थागित की गयी थी तथा ₹ 8.66 करोड़ की मांग भू–राजस्व के बकाये की वसूली के लिये प्रमाणित मांग पत्र निर्गत किया गये थे शेष ₹ 1.02 करोड़ के समबन्ध में विभाग द्वारा विशिष्ट उत्तर नही दिया गया।
6.	अलोह उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग	विभाग के पास ऐसे कोई आंकड़े नही है।	विभाग के पास ऐसे कोई आंकड़े नही है।	विभाग के पास निदेशालय स्तर पर बकाये के विवरण उपलब्ध नही थे।
	योग	**24,806.78**	**18,130.56**	

स्रोत विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

सारणी 1.2 में देखने से प्रतीत होता है कि ₹ 18,130.56 करोड़ की वसूली पाँच वर्ष से अधिक की थी और उसे वसूल करने के लिए सार्थक प्रयास नही किये गये। ₹ 14,438.45 करोड़ विभागीय अधिकारियों के पास लम्बित थे। बट्टे खाते (₹ 1634 करोड़) में डालने हेतु सन्दर्भित मामलों का भी अनुश्रवण जहाँ से किया जाना था, नही हो रहा था।

1.3 कर निर्धारण के बकाये

वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत बिक्री, व्यापार आदि पर कर (मूल्य संवर्धित कर, प्रवेश कर, केन्द्रीय बिक्री कर तथा संकर्म संविदा पर कर) के कर निर्धारण के बकाये के सम्बन्ध में वर्ष के आरम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण के लिए योग्य हुए मामले, वर्ष के दौरान निस्तारित किये गये मामले तथा वर्ष के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या का विवरण **सारणी 1.3** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.3
कर निर्धारण के बकाये

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	2013–14 की अवधि में कर निर्धारण हेतु योग्य नये मामलें	कर निर्धारण हेतु योग्य कुल मामलें	2013–14 के दौरान निस्तारित मामलें	वर्ष के अन्त में शेष मामलें	निस्तारण की प्रतिशतता (कालम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,46,772	3,92,046	5,38,818	5,31,405	7,413	98.62

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी।

वर्ष 2013–14 में कर निर्धारण के बकाये के निस्तारण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अच्छा प्रयास किया गया।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के मामलें

वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन एवं मनोरंजन कर विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के मामलें, निस्तारित किये गये एवं उगाहे गये अतिरिक्त कर की मांग के मामले जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, **सारणी 1.4** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.4
कर का अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 को लम्बित मामलें	2013–14 में पता लगाये गये मामलें	योग	कर निर्धारण/जाँच पड़ताल पूरी होने के बाद अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त मांग आदि संग्रहीत मामलों की संख्या		31 मार्च 2014 को निस्तारण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांगी गयी धनराशि	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	10,456	6,603	17,059	7,104	0	9,955
2.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	12,834	30,529	43,363	27,571	166.33	15,792
3.	वाहनो पर कर	4,911	198	5,109	19	0.0021	5,090
4.	मनोरंजन कर	0	16	16	16	0.06	0
	योग	**28,201**	**37,346**	**65,547**	**34,710**	**166.39**	**30,837**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी।

उपर्युक्त सारणी के देखने से पता चलता है कि वर्ष के आरम्भ में लम्बित मामलों की संख्या के सापेक्ष वर्ष के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी।

1.5 लम्बित वापसी वाद

वर्ष 2013–14 के प्रारम्भ में लम्बित वापसी वादो की संख्या वर्ष के दौरान प्राप्त दावे वर्ष के दौरान वापसी की स्वीकृत और वर्ष 2013–14 के अन्त में लम्बित वादो जैसा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा बताया गया **सारणी 1.5** में दिया गया है।

सारणी 1.5
लम्बित वापसी वादो का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	बिक्री कर/मू0सं0क0	
		वादो की संख्या	धनराशि
1	वर्ष के प्रारम्भ मे लम्बित दावे	358	33.38
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	8,584	1,150.62
3	वर्ष के दौरान की गयी वापसी	8,604	1,083.45
4	वर्ष के अन्त में शेष लम्बित वाद	338	100.55

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी।

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर तक अतिरिक्त धनराशि की वापसी नही की जाती हैं, तो वापसी की वास्तविक तिथि तक एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। बिक्री कर/मू0सं0क0 के वापसी वादो के निपटाये जाने की प्रगति अच्छी है।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभाग का प्रत्युत्तर

निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सरकारी विभागो के संव्यवहारों और रखे गये महत्वपूर्ण लेखों के रखरखाव और सत्यापन तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच हेतु महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी विभागों का समयावधिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए जब स्थल पर समाधान नही हो पाता, तो निरीक्षण कार्यालयों के अध्यक्षों सहित उनके उच्चतर अधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0) निर्गत किये जाते है। नि0प्र0 के जारी होने के एक माह के अन्दर नि0प्र0 में शामिल आपत्तियों पर कमियों एवं त्रुटियों को सुधार कर कार्यालयाध्यक्षों/शासन के प्रारम्भिक उत्तर के साथ अनुपालन आख्या महालेखाकार को भेजना अपेक्षित होता हैं। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं शासन को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2013 तक जारी किये गये नि0प्र0 के विश्लेषण से पता चला कि जून 2014 के अन्त तक 11,104 निरीक्षण प्रतिवेदनो से सम्बन्धित ₹ 6,816.69 करोड़ धनराशि के 34,446 प्रस्तर लम्बित थे विगत दो वर्षो के तद्नुरूपी आंकड़ो के साथ विवरण **सारणी 1.6** में वर्णित है।

सारणी 1.6
लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

विवरण	जून–2012	जून–2013	जून–2014
निस्तारण के लिए लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	11,538	10,808	11,104
लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	28,455	30694	34,446
सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	5,234.12	6,305.36	6,816.69

स्रोतः लेखा परीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

1.6.1 30 जून 2014 को लम्बित नि0प्र0 के ब्यौरे एवं उनमें सन्निहित धनराशियों के ब्यौरे **सारणी 1.6.1** में वर्णित हैः

सारणी 1.6.1
विभागवार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	निहित राजस्व की धनराशि
1	वित्त	बिक्री व्यापार आदि पर कर	5,258	19,393	3,270.36
		मनोरंजन कर	163	360	14.30
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकरी	1,264	2,584	1,024.57
3	परिवहन	वाहनो पर कर	1,129	4,461	1,099.82
4	स्टाम्प एवं निवंधन	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	3,176	7,013	683.34
5	खनन एवं भूगर्भ	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	114	645	724.30
	योग		**11,104**	**34,446**	**6,816.69**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष 2013–14 के दौरान निर्गत 1,222 नि0प्र0 का यहाँ तक कि प्रथम उत्तर कार्यालयाध्यक्षों से नि0प्र0 के निर्गत करने के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुआ। अधिक नि0प्र0 का उत्तर प्राप्ति न होने के कारण लम्बित रहना इस तथ्य का द्योतक है, कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों ने महालेखाकार द्वारा निर्गत नि0प्र0 में इंगित कमियों, त्रुटियों तथा अनियमितताओं पर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नही की थी।

शासन को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का त्वरित तथा उपयुक्त प्रत्युत्तर हेतु एक प्रभावशाली प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) तथा नि0प्र0 के प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति, अनुश्रवण एवं शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार लेखापरीक्षा समितियों का गठन करती हैं।

वर्ष 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा समितियों की बैठकें एवं निस्तारित प्रस्तरों के विवरण **सारणी 1.6.2** में वर्णित है।

सारणी 1.6.2
विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	राजस्व शीर्ष	आयोजित बैठको की संख्या	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	13	132	0.62
2	वाहनो पर कर	28	111	1.38
योग		**41**	**243**	**2.00**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

विभागीय लेखापरीक्षा समिति के बैठको के आयोजित होने के बावजूद वाणिज्य कर विभाग तथा परिवहन विभाग में ढेर सारे लम्बित नि0प्र0 एवं प्रस्तरों के तुलना में निस्तारण की प्रगति नगण्य थी। राज्य आबकारी, स्टाम्प एवं निबंधन और मनोरंजन कर विभाग ने अनुरोध के बाद भी लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों का आयोजन नही किया।

1.6.3 लेखापरीक्षा जाँच हेतु अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना

कर राजस्व/करेतर राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा हेतु कार्यक्रम पर्याप्त अग्रिम समय में बना करके सामान्यतः लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने के एक माह पूर्व भेजा जाता हैं, जिससे विभाग लेखापरीक्षा जाँच के लिए सम्बन्धित अभिलेख तैयार रख सके।

वर्ष 2013–14 के दौरान 478 कर निर्धारण पत्रावलियों, विवरणियों, वापसियों, पंजिका और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराये गये। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण लेखापरीक्षा इन मामलों में सन्निहित धनराशि का आकंलन नही कर सका। इन मामलों का विवरण **सारणी 1.6.3** में दिया जा रहा हैं:

सारणी 1.6.3
अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरण

क्र0 सं0	कार्यालय/विभाग का नाम	लेखापरीक्षा किये जाने का वर्ष	लेखापरीक्षा न किये गये वादों की संख्या
1	वाणिज्य कर	2013–14	455
2	राज्य आबकारी	2013–14	7
3	परिवहन	2013–14	10
4	अन्य	2013–14	6
	योग		**478**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

1.6.4 आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित आलेख प्रस्तरों को महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों पर उनका ध्यान आकर्षित करने और छः सप्ताह के अन्दर उत्तर देने का अनुरोध किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रस्तरो के अन्त में विभाग/शासन द्वारा उत्तर न दिये जाने का तथ्य निश्चित रुप से दर्शाया गया है।

जुलाई 2014 और अगस्त 2014 के मध्य एक निष्पादन लेखा परीक्षा सहित 43 आलेख प्रस्तर, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव को उनके नाम से भेजा गया। 16 आलेख प्रस्तरों का उत्तर शासन/विभागों द्वारा नही भेजा गया एवं विभाग की आख्या के बिना प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों का अनुश्रवण–सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चित प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों और समीक्षाओं पर, चाहे वह लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हो या न लिये गये हो, विभाग द्वारा स्वतः कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा

प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों मे अत्यधिक विलम्ब किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की उ0प्र0. सरकार की राजस्व क्षेत्र की 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 को समाप्त होने वाले वर्षो के प्रतिवेदन जिसमें 202 प्रस्तर सम्मिलित किये गये (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) 28 जनवरी 2010 और 20 जून 2014 के मध्य राज्य विधान सभा के पटल पर रखी गयी। इन प्रस्तरों पर सम्बन्धित विभागो द्वारा की गयी कार्यवाही पर स्पष्टीकरण देर से प्राप्त हुआ वर्ष 2011–12 और 2012–13 के 105 प्रस्तरों से सम्बन्धित की गयी कार्यवाही पर व्यख्यात्मक टिप्पणियां एक माह से 10 माह तक के विलम्ब से प्राप्त हुयीं। 31 मार्च 2009, 2011, 2012 और 2013 को समाप्त होने वाले वर्षो की लेखपरीक्षा प्रतिवेदनों के 65 प्रस्तरों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां अब तक प्राप्त नही हुआ (दिसम्बर 2014)।

लोक लेखा समिति ने 2008–09 से 2011–12 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 122 चयनित प्रस्तरों पर चर्चा की गई। यद्यपि लोक लेखा समिति के 122 प्रस्तरों पर की गयी विभागीय कार्यवाही की टिप्पणी अभी तक प्राप्त नही हुयी जैसाकि **सारणी 1.6.5** में है:

सारणी 1.6.5

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही की सारांशीकृत स्थिति

वर्ष	विभाग	योग
2008–09	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी एवं स्टाम्प एवं निबंधन	35
2009–10	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, वन, सिंचाई, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	20
2010–11	राज्य आबकारी, परिवहन, और स्टाम्प एवं निबंधन	15
2011–12	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, भूगर्भ एवं भू खनन, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं वन	52
	योग	**122**

स्रोतः लेखपरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं के क्रम में वाणिज्यकर विभाग से सम्बन्धित पिछले 10 वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी समीक्षाओं तथा प्रस्तरों में उठाये गये मुख्य बिन्दुओं पर शासन/विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गयी है।

अनुवर्ती प्रस्तरों 1.7.1 से 1.7.2 मे राजस्व शीर्ष 0040 वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित और विगत 10 वर्षो के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मामलें एवं वर्ष 2003–04 से 2012–13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर चर्चा की गयी है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवदेनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों और 31 मार्च 2014 तक की उसकी स्थिति का विवरण **सारणी 1.7.1** में वर्णित है।

सारणी 1.7.1

निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान अभिवृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			अन्तिम अवशेष		
		नि0प0	प्रस्तर	धनराशि	नि0प0	प्रस्तर	धनराशि	नि0प0	प्रस्तर	धनराशि	नि0प0	प्रस्तर	धनराशि
1.	2004-05	2,039	5,938	312.73	472	1,724	64.68	165	565	10.26	2,346	7,097	367.15
2.	2005-06	2,346	7,097	367.15	423	1,530	79.4	150	336	3.43	2,619	8,291	443.12
3.	2006-07	2,619	8,291	443.12	397	1,457	72.17	0	0	0	3,016	9,748	515.29
4.	2007-08	3,016	9,748	515.29	337	1,260	46.73	394	1,006	10.33	2,959	10,002	551.69
5.	2008-09	2,959	10,002	551.69	419	1,509	1,191.18	363	1,899	52.06	3,015	9,612	1,690.81
6.	2009-10	3,015	9,612	1,690.81	683	2,711	77.32	367	1,009	36.38	3,331	11,314	1,731.75
7.	2010-11	3,331	11,314	1,731.75	927	2,648	94.73	219	835	13.99	4,039	13,127	1,812.49
8.	2011-12	4,039	13,127	1,812.49	622	2,451	132.67	116	709	12.95	4,545	14,869	1,932.21
9.	2012-13	4,545	14,869	1,932.21	624	3,589	778.39	158	862	8.57	5,011	17,596	2,702.03
10.	2013-14	5,011	17,596	2,702.03	577	2,788	709.83	90	408	6.59	5,498	19,976	3,405.27

स्रोतः लेखापरीक्षा विभाग में उपलब्ध सूचना।

सरकार ने पुराने प्रस्तरों के निस्तारण हेतु विभाग और महालेखाकार कार्यालय के मध्य लेखापरीक्षा समितियों के बैठकों का आयोजन किया। जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2004–05 के प्रारम्भ में 2,039 प्रतिवदेनों के 5,938 प्रस्तर थे, जो वर्ष 2013–14 के अन्त तक बढ़कर 5,408 प्रतिवेदन के साथ 19,976 प्रस्तर हो गये। यह प्रदर्शित करता है कि विभाग द्वारा उचित कदम न उठाये जाने के कारण लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों और प्रस्तरों में वृद्धि हुई।

1.7.2 स्वीकृत मामलों की वसूली

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में विभाग द्वारा विगत 10 वर्षो के स्वीकृत प्रस्तरों एवं वसूली की स्थिति **सारणी 1.7.2** में अंकित है।

सारणी 1.7.2
स्वीकृत मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवदेन का वर्ष	शमिल किये गये प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की धनराशि	स्वीकृत प्रस्तरों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तरों की धनराशि	वसूल की गयी धनराशि
2003-04	12	122.35	7	1.29	0.03
2004-05	8	85.02	4	0.8	0.01
2005-06	7	101.85	4	1.39	0.00
2006-07	12	15.63	7	1.26	0.03
2007-08	7	838.92	7	826.08	0.03
2008-09	4	9.23	2	0.73	0.00
2009-10	10	15.95	3	10.30	0.16
2010-11	10	85.73	4	2.28	0.07
2011-12	11	16.76	7	13.12	0.66
2012-13	17	149.94	10	18.48	0.81

स्रोत लेखापरीक्षा विभाग में उपलब्ध सूचना।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विगत 10 वर्षो में स्वीकृत मामलों मे भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी। सम्बन्धित पक्षों से स्वीकृत मामलों में बकाया धनराशि की वसूली पर कार्यवाही की जानी चाहिए। शासन/विभाग द्वारा स्वीकृत मामलों में वसूली के अनुश्रवण के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नही की गयी थी। उपयुक्त प्रक्रिया के अभाव में विभाग स्वीकृत मामलों में वसूली का अनुश्रवण नही कर सका।

स्वीकृत मामलों में सन्निहित धनराशि के त्वरित वसूली हेतु विभाग अनुश्रवण एवं कार्यन्वयन की कार्यवाही शीघ्र करे।

1.8 स्वीकृत संस्तुतियों पर सरकार/विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारूप सम्बन्धित सरकार/विभाग को सूचना के साथ उत्तर देने के अनुरोध के साथ अग्रसारित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षा पर समापन विचार गोष्ठी हुयी थी तथा इसके पश्चात शासन/विभाग के विचार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रुप देते समय प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये हैं।

वाणिज्य कर एवं स्टाम्प एवं निबंधन विभागों की विगत पांच वर्षो के प्रतिवेदन में प्रदर्शित निष्पादन लेखापरीक्षा की स्वीकृत सिफारिशों और उनकी स्थिति का विवरण **सारणी 1.8** में दिया गया है।

सारणी 1.8

स्वीकृत संस्तुतियों पर सरकार/विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही

प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	संस्तुतियों की संख्या	विभाग द्वारा स्वीकार की गई संस्तुतियों की संख्या	स्वीकृत संस्तुतियों का विवरण	स्थिति
2008–09	वाणिज्य कर विभाग में बकाये के संग्रह	3	2	बकाये एवं वसूली पर लगातार नियंत्रण रखने के लिए तन्त्र का निर्माण करना	देय धनराशि एवं एकत्रित करने हेतु लगातार अनुश्रवण के लिए नोडल अधिकारी को नामित किया गया।
				लम्बित बकाये की वसूली हेतु प्रभावी उपाय किया जाना	प्रभावी उपाय अपनाये गये है।
2009–10	व्यापार कर से मूल्य संवर्धित कर में पारगमन	17	2	वाणिज्य कर विभाग में व्यापक मानवशक्ति की समीक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये	केन्द्रीय सर्वर मे सम्पूर्ण डाटाबेस उपलब्ध है।
				अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्रों के रद्दीकरण से सम्बन्धित आदेश शीघ्रतिशीघ्र निर्गत हो जिससे अप्रयुक्त घोषणा प्रपत्रों का दुरुप्योग रोकना सुनिश्चित हो।	अप्रयुक्त घोषणा पत्र के दुरूपयोग को बचाने हेतु निरस्तीकरण के आदेश दिया गया।
2010–11	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा पत्रों का उपयोग	5	3	केन्दीय स्तर के साथ साथ नोडल अधिकारियों के स्तर पर घोषणा पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु उचित तन्त्र विकसित करना	ऐसे घोषित फार्मो के अभिरक्षा हेतु दो ताला पद्धति विकसित की गयी है। ऐसे घोषित फार्मो के लिए आनलाइन पद्धति लायी गयी है।
				आनलाइन क्रास वेरीफीकेशन हेतु टिनएक्सिस वेबसाइट पर केन्द्रीय घोषणा पत्रों के आकंड़े डालना	अगस्त 2014 तक के डाटा को अपलोड कर दिया गया है।
				वाणिज्य कर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट में सन्दिग्ध/ खतरनाक व्यापारियों के आकंड़े तैयार करके उसका प्रकाशन	विभागीय वेबसाइट में सभी व्यापारियों के डाटाबेस को अपलोड कर दिया गया है।
2011–12	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की कार्य प्रणाली	3	1	असमानता को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत विकसित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाये जाने हेतु घोषणा अधिसूचना द्वारा लायें	विभाग ने औद्योगिक विकास विभाग से ऐसा प्रावधान किये जाने हेतु एक पत्र संख्या 8341/स्टाम्प आडिट/ 2013– 14 दिनांक 9 सितम्बर 2014 द्वारा अनुरोध किया।
2012–13	वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्य प्रणाली	5	5	फार्म 38 डाउनलोड करने के पूर्व संव्यवहार का विवरण आनलाईन भरने का प्रावधान अनिवार्य करना	अब यह अनिवार्य कर दिया गया है।
				टी डी एफ हेतु एन्ट्री एवं वैधता नियंत्रण तथा आपदा प्रबन्धन के लिए प्रणाली की स्थापना	डाटा अब संचित किया गया
				बारम्बार करापवंचन करने वाले व्यापारी/ट्रान्सपोर्टरों का डाटा बेस रखने हेतु माड्यूल विकसित करना।	सुरक्षित लाग इन में डाटा बेस उपलब्ध है।
				प्रवर्तन अधिकारियों को उचित उपकरण उपलब्ध कराना जिससे कि वे वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं/आकंड़ों का उपयोग कर सकें।	आनलाइन पद्धति लागू की जा चुकी है।
				प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अभिग्रहण/सर्वेक्षण के मामलों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अंतिम आरोपित/ वसूले गये कर के सम्बन्घ में निगरानी/अनुश्रवण तन्त्र स्थापित करना।	ऐसे मामलों की निगरानी हेतु एम0 आई0सी0 रिपोर्ट की स्थापना की जा चुकी है।

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी और लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पूर्व रूझान, अन्य मापदण्डो एवं राजस्व की स्थिति के अनुसार उच्च, मध्य एवं लघु जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम के विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें कर प्रशासन व शासकीय राजस्व के महत्वपूर्ण मामले जैसे बजट अभिभाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशे, पिछले पाँच वर्षो में अर्जित राजस्व की सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की रूप रेखा, लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा विगत पाँच वर्षो के दौरान इसका प्रभाव सम्मिलित रहता है।

वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 2,608 इकाईयां लेखापरीक्षण हेतु उपलब्ध थी, जिसमें 1,472 इकाईयों की योजना की गयी और 1,222 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी जो कि लेखापरीक्षित की जाने वाली इकाईयों का 46.86 प्रतिशत था। विवरण **परिशिष्ट I** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त प्राप्तियों के कर प्रशासन क्षमता की जाँच हेतु एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी।

1.10 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2013–14 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्री पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, खनन प्राप्तियां और मनोरंजन कर से सम्बन्धित 1222 इकाइयों के अभिलेखों की जाँच में ₹ 2060.92 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 5987 मामलें प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान विभाग ने 611 मामलों में ₹ 3.12 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से 15 मामलें में सन्निहित धनराशि ₹ 35.70 लाख को 2013–14 में इंगित किया गया था तथा शेष मामलें पूर्ववर्ती वर्षों के थे। वर्ष 2013–14 के दौरान 615 प्रकरणों में ₹ 1.59 करोड़ की धनराशि की वसूली की गयी जिसमें 13 मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 3.27 लाख वर्ष 2013–14 के दौरान इंगित किए गये थे एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षो के थें।

1.11 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में '**संकर्म संविदा में कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण**' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा को लेकर 43 प्रस्तर (स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान उपर्युक्त पाये गये एवं पूर्व वर्षो के मामले जो पूर्व में सम्मिलित नही किये गये) जिसमें सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 488.77 करोड़ है।

शासन/विभागों ने ₹ 21.97 करोड़ की धनराशि की आपत्ति को स्वीकार्य किया है। जिसमें ₹ 11.60 लाख वसूल किया गया। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 2014)। इन मामलों की चर्चा अनुवर्ती अगले अध्यायों–II से VI में की गयी है।

अध्याय-II
बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्य सवंर्धित कर के कानून एवं उसके अधीन बने नियम, सरकार के स्तर पर प्रमुख सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर) उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशासित होते हैं। वाणिज्य कर विभाग का सम्पूर्ण नियंत्रण कमिश्नर वाणिज्य कर (क0वा0क0) उत्तर प्रदेश में निहित है। जिनकी सहायता 100 एडीशनल कमिश्नरों, 157 ज्वाइन्ट कमिश्नरों (ज्वा0क0), 494 डिप्टी कमिश्नरों (डि0क0) 964 असिस्टेन्ट कमिश्नरों (असि0क0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारियों (वा0क0अ0) द्वारा की जाती है। जिनकी सहायता सुसंगत कर विधियों एवं नियमों को लागू करने में सम्बद्ध कर्मचारियों द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग ने वर्ष 2013–14 में ₹ 39,645.45 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2013–14 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर से सम्बन्धित 1,647 ईकाइयों में से 576 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर का अवनिर्धारण और अन्य अनियमतताओं के ₹ 727.69 करोड़ के 2,789 मामले शामिल है, जो निम्नखिलित श्रेणियों के अन्तर्गत **सारणी 2.1** में दर्शाये गये है:

सारणी 2.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड में)

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1	**संकर्म संविदा में कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)**	**1**	**17.86**
2	कर का अवनिर्धारण	884	147.87
3	त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्र की स्वीकार्यता	21	0.59
4	खरीद/बिक्री छिपाये जाने से करापवंचन	10	0.10
5	आई0टी0सी0 की अनियमित/गलत/आधिक्य की अनुमन्यता	222	37.55
6	अन्य अनियमितताएं	1,651	523.72
	योग	**2,789**	**727.69**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष के दौरान विभाग ने 406 मामलों में ₹ 1.74 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें छः मामलों में ₹ 58,803 सन्निहित था, वर्ष 2013–14 में इंगित किये गये थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे। 406 मामलों में ₹ 58.43 लाख की वसूली की, जिसमें से छः मामले में ₹ 58,803 सन्निहित था जो वर्ष 2013–14 में इंगित किये गये थे। शेष मामलों में विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

''संकर्म संविदा में कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सन्निहित राशि ₹ 17.86 करोड़ एवं कुछ अन्य निदर्शी मामले जिनमें ₹ 54.26 करोड़ सन्निहित है, कि चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी हैं।

2.3 ''संकर्म संविदा में कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा''

प्रमुख अंश

- समाधान राशि के कम आरोपण के फलस्वरूप ₹ 7.05 करोड़ समाधान राशि की कम वसूली।

(प्रस्तर 2.3.7)

- करयोग्य आवर्त के गलत निर्धारण एवं कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप ₹ 41.44 लाख कर न/कम आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 2.3.8)

- बिना टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र नियमित प्रारूप में प्रस्तुत किये बिना 23 संविदाकारों को ₹ 3.35 करोड़ के कर का अनियमित लाभ दिया गया।

(प्रस्तर 2.3.9)

- 69 संविदाकारों को ₹ 2.84 करोड़ के कर की अनियमित वापसी कर अनुचित वित्तीय लाभ दिया।

(प्रस्तर 2.3.10)

- संकर्म संविदा पर कर का विलम्ब से जमा करने और धारा 54 (1) के प्रावधान के उल्लंघन के लिए ₹ 16.56 करोड़ का अर्थदण्ड नही लगाया गया।

(प्रस्तर 2.3.11)

- केन्द्रीय पंजीयन में पूंजिगत माल के क्रय हेतु अनियमित रूप से अधिकृत करने के फलस्वरूप 31 संविदाकारों को ₹ 1.42 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

(प्रस्तर 2.3.12.1)

- फार्म सी घोषणा पत्र के दुरूपयोग के लिये के0बि0क0 के अन्तर्गत ₹ 95.40 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण/कम आरोपण।

(प्रस्तर 2.3.12.2)

- 17 व्यापारियों के मामले में ₹ 60.40 लाख के प्रवेश कर का अनारोपण।

(प्रस्तर 2.3.13)

- अपंजीकृत संविदाकारों को चिन्हित करने के लिए सर्वेक्षण की पद्धति अपर्याप्त थी। क्योंकि 69 कार्यालयों में से केवल पाँच वाणिज्य कर कार्यालयों में सर्वेक्षण किया गया एवं वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में इन पाँच कार्यालयों में केवल 25 अपंजीकृत संकर्म संविदाकारों का पता लगा था।

(प्रस्तर 2.3.15.3)

2.3.1 प्रस्तावना

संविधान (46 वां संशोधन) अधिनियम 1982 द्वारा किये गये संशोधन द्वारा राज्यों को संकर्म संविदा के सौदों पर कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश व्यापार कर (उ0प्र0 व्या0क0) अधिनियम 1948 की धारा 2(ड) तथा उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (उ0प्र0 मू0सं0क0) अधिनियम 2008 की धारा 2(कप) के अनुसार संकर्म संविदा के अंतर्गत नकद आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के भवन निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण ढाँचा परिनिर्माण संस्थापन, ठीक–ठाक करना, सज्जीकरण सुधार उपान्तरण, मरम्मत या चालू करने के लिए निष्पादित करने हेतु कोई अनुबन्ध सम्मिलित है। उ0प्र0 व्या0क0 की धारा 2(ग) (vii) तथा उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 2(ज) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संकर्म संविदा के निष्पादन में लगा हो, एक संकर्म संविदाकार है। संविदी से तात्पर्य परियोजना का स्वामी (जिसे ग्राहक या प्रमुख कहा जाता है) या अन्य कोई जो संविदा के कार्य निष्पादन के लिए संविदाकार के साथ अनुबन्ध करता है। संकर्म संविदा पर कर 31 दिसम्बर 2007 तक उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित किया जाता था तथा 1 जनवरी 2008 से मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत कर आरोपित किया जाता है।

उ0प्र0व्या0क0 एवं उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संविदाकारों पर कर का आरोपण या तो विभिन्न दर सूची की अनूसूची में वर्णित दरों पर या

समय–समय पर शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी समाधान योजना के आधार पर किया जाता है। नियमित कर निर्धारण उ0प्र0व्या0क0 नियमावली के नियम 41(8) तथा उ0प्र0 मू0सं0क0 की धारा 28(2) के अन्तर्गत किया जाता है। उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 7–घ एवं उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 6 के अनुसार इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्ध में निहित किसी बात के होते हुए भी लेकिन इस धारा के अन्य उपबन्धों और राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए, कर निर्धारण अधिकारी उसके विक्रय आवर्त पर या तो एक मुश्त या कर के स्थान पर सहमत दर पर समाधान राशि स्वीकार करने के लिए सहमत हो सकता है, जो व्यापारी द्वारा ऐसे माल के या माल के वर्ग के सम्बन्ध में और ऐसी अवधि के लिए जिस पर सहमति हुई हो, देय हो सकती है। उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम एवं उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम दोनो में, कर के संग्रहण की प्रक्रिया को निष्पादित कराने तथा करापवंचन रोकने के उद्देश्य से, प्रत्येक व्यक्ति संविदाकार को चाहे साख द्वारा या नकद रूप में या किसी अन्य रीति से भुगतान करते समय शासन द्वारा विनिर्दिष्ट दर से कर की कटौती करेगा। यदि संविदाकार या संविदी अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसके लिए शास्ति का प्रावधान है तथा यदि कर विलम्ब से जमा होता है तो विभिन्न दरों से ब्याज भी आरोपणीय होता है।

प्रत्येक व्यापारी जिसका सकल आवर्त उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3(2)(घ) के अनुसार ₹ तीन लाख या अधिक हो तथा उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार जिसका आवर्त ₹ पाँच लाख या अधिक हो तो उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम में धारा 8 क के अन्तर्गत तथा उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम में धारा 17 के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने एवं अधिनियम में विहित दर से कर के भुगतान करने का दायी है।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, निगरानी एवं नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कर विभाग का सम्पूर्ण रूप से नियंत्रण एवं निर्देशन का दायित्व कमिश्नर वाणिज्य कर (कमि0वा0क0) उत्तर प्रदेश के पास है, जिनका मुख्यालय लखनऊ में है।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के लागू होने के पश्चात, भौगोलिक रूप से विभाग को 20 जोनों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन एक एडिशनल कमिश्नर के अधीन है। पुनः, इन जोनों को 45 सम्भागों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक सम्भाग एक ज्वाइन्ट कमिश्नर के अधीन है। इन 45 सम्भागों में कुल 436 खण्ड कार्यरत हैं एवं प्रत्येक खण्ड एक डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेन्ट कमिश्नर के अधीन है।

2.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से सम्पादित की गयी थी कि क्या

- संकर्म संविदा पर कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण के लिए अधिनियम के अन्तर्गत बनाय गये नियमों एवं प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है।
- संविदी द्वारा संकर्म संविदाकारों से स्रोत पर कर की कटौती (टी0डी0एस0) की जा रही है एवं कोषागार में समय से जमा की जा रही है तथा की गयी वापसी, प्रावधानों के अनुसार है।
- विभाग में कोई आन्तरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय–समय पर अपंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन किया जा रहा है एवं देय कर तत्परतापूर्वक एवं दक्षता पूर्वक वसूल किया जा रहा है।

2.3.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के विषय के लिए लेखापरीक्षा का मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतो से प्राप्त किया गया है:

- उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम 1948, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम 2008 एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली।
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली।
- उत्तर प्रदेश माल के स्थानीय क्षेत्र मे प्रवेश पर कर अधिनियम 2007।
- शासन/विभाग द्वारा समय–समय पर जारी विज्ञप्तियां एवं परिपत्र।

2.3.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं कार्य पद्धति

हमने अगस्त 2013 और जून 2014 के मध्य निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की। निष्पादन लेखपरीक्षा का आधार वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत संविदाकारों की कर निर्धारण पत्रावलियां है। वाणिज्य कर विभाग के पास उनके यहां पंजीकृत संविदाकारों का कोई अलग से डाटाबेस नही है। तथापि लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध 274 वाणिज्य कर कार्यालयों में पंजीकृत 1,228 संविदाकारों की सूची[1] में से, हमने 127 संविदी[2] एवं 632 संविदाकारों को आच्छादित करते हुए 759 व्यापारियों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान चिन्हित किये गये 18 अन्य संकर्म संविदाकारों से सम्बन्धित अभिलेखों की भी जाँच की गयी। इकाईयों का प्रतिदर्श चयन संविदाकारों की अधिकतम संख्या के आधार पर किया गया था। यह मामलें 14 जोनो[3] में 15 जिलों[4] के 69 वाणिज्य कर कार्यालयों[5] से सम्बन्धित थे। निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा निस्तारित मू0सं0क0 एवं उत्तर प्रदेश व्यापार कर के कर निर्धारण मामलों को लिया गया है। नमूना जाँच किये गये संविदाकारों तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर का विवरण **सारणी 2.2** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.2
संविदाकारों एवं कर का विवरण

(₹ करोड़ में))

वर्ष	संविदाकार/संविदी की कुल संख्या	संविदी की संख्या	संविदाकारों की संख्या		संविदाकारों/संविदी द्वारा जमा किया गया कुल कर	संविदी द्वारा जमा कुल कर	संविदाकारों द्वारा जमा कुल कर	
			समाधान योजना अपनाये गये	समाधान योजना नहीं अपनाये गये			समाधान योजना अपनाये गये	समाधान योजना नही अपनाये गये
2010-11	658	127	365	166	42.34	7.91	11.95	22.48
2011-12	769	127	469	173	117.50	9.54	43.00	64.96
2012-13	768	127	463	178	204.55	9.72	53.95	140.88
2013-14	777	127	388	262	132.11	3.32	42.82	85.97
योग					**496.50**	**30.49**	**151.72**	**314.29**

स्रोतः संविदाकारों/संविदी की कर निर्धारण पत्रावलियां।

[1] वर्ष 2012–13 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से एवं प्रत्यक्ष कर शाखा, सा0क्षे0उ0 (प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 डिस्काम सहित, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन, उ0प्र0 सेतु निगम, उ0प्र0 जल निगम, उ0प्र0 समाज कल्याण निगम तथा आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उ0प्र0 का कार्यालय) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची ।

[2] दुर्ग अभियन्ता (4 कार्यालय), भारतीय रेलवे (3 कार्यालय), सिंचाई विभाग (15 कार्यालय), भा0रा0रा0प्रा0 (1 कार्यालय), लो0नि0वि0 (29 कार्यालय), ग्रा0अभि0से0(2 कार्यालय), पावर कारपोरेशन का विद्युत/यात्रिकी खण्ड (17 कार्यालय), मण्डी परिषद (2 कार्यालय), नगर निगम (6 कार्यालय), उ0प्र0 आ0एवं वि0प0 (5 कार्यालय), एवं अन्य निगमों (43 कार्यालय)।

[3] जोनों के नाम (इकाइयों की संख्या)– इलाहाबाद (2), बरेली (4), गौ0बु0 नगर (8), गाजियाबाद–I (5), गाजियाबाद–II (2), गोरखपुर (3), झांसी (9), कानपुर–II (6), लखनऊ– I (8), लखनऊ–II (7), मुरादाबाद (8), मेरठ (2), सहारनपुर (4), वाराणसी–II (1)।

[4] इलाहाबाद, बलिया, बांदा, बरेली, बस्ती, गौ0बु0 नगर, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली एवं रामपुर।

[5] डि0क0 एवं असि0क0 खण्ड 12 इलाहाबाद, डि0क0 खण्ड 3 बलिया, डि0क0 खण्ड 2, असि0क0 खण्ड 1 व 2 बांदा, डि0क0 खण्ड 3, 6 व 8, असि0क0 खण्ड 3 बरेली, डि0क0 खण्ड 1 व 3, असि0क0 खण्ड 1 व 3 बस्ती, डि0क0 खण्ड 2 व 3, असि0क0 खण्ड 2 व 3 गौ0बु0 नगर, डि0क0 खण्ड 9, 11, 12 व 16, असि0क0 खण्ड 3, 4 व 16 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड 4, 5 व 6 असि0क0 खण्ड 5, 6 व 8 झांसी, डि0क0 खण्ड 16, 27 व 29, असि0क0 खण्ड 17, 24 व 27 कानपुर, डि0क0 खण्ड 10, 12, 13, 20, 21 व 22, असि0क0 खण्ड 3, 4, 12, 13, 16, 18 व 20 लखनऊ, डि0क0 एवं असि0क0 खण्ड 10 मेरठ, डि0क0 खण्ड 5 व 9, असि0क0 खण्ड 5 व 9 मुरादाबाद, डि0क0 खण्ड 4 व 7 असि0क0 खण्ड 4 व 8 मुजफ्फरनगर, डि0क0 खण्ड 10, 11 व 12, असि0क0 खण्ड 8 नोयडा, डि0क0 खण्ड एवं असि0क0 खण्ड 1 रायबरेली एवं डि0क0 खण्ड 2 व 3, असि0क0 खण्ड 1 व 2 रामपुर।

हमने विशेष सचिव, वाणिज्य कर उ0प्र0 शासन एवं कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग के साथ 5 दिसम्बर 2013 को प्रारम्भिक गोष्ठी आयोजित की, जिसमें विभाग को लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र एवं कार्यपद्धति के बारे में अवगत कराया गया था। हमने एक समापन विचार गोष्ठी शासन एवं विभाग के साथ 17 अक्टूबर 2014 को आयोजित की जिसमें विशेष सचिव, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन एवं एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर विभाग के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गयी। शासन/विभाग का उत्तर प्रासंगिक प्रस्तरों में सम्मिलित कर लिया गया है।

2.3.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिए दिये गये सहयोग हेतु वाणिज्य कर विभाग का आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

2.3.7 समाधान योजना के क्रियान्वयन में पायी गयी अनियमिततायें

2.3.7.1 उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत समाधान राशि का कम आरोपण

- उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत सिविल संकर्म संविदाकारों के लिए 9 जून 2009 को लागू की गयी समाधान योजना के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई संविदाकार वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित ठेके की धनराशि का पाँच प्रतिशत तक प्रान्त के बाहर से आयातित वस्तुओ का प्रयोग करता है, तो समाधान राशि की दर दो प्रतिशत होगी तथा यदि कोई संविदाकार पाँच प्रतिशत के ऊपर प्रान्त बाहर से आयातित वस्तुओं का प्रयोग करता है तो समाधान राशि की दर वित्तीय वर्ष के दौरान संविदाकार द्वारा निष्पादित ठेकों के विरूद्ध प्राप्त भुगतान का छः प्रतिशत होगी।

पाँच वाणिज्य कर कार्यालयों की संविदाकारों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश, प्रान्त बाहर की वस्तुओं का उपभोग विवरण एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 469 संविदाकारों में से आठ सिविल संविदाकारों नें संकर्म सविदा के निष्पादन में ₹ 14.95 करोड़ की आयातित वस्तुओं का उपभोग किया जो कि वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान निष्पादित संविदा राशि ₹ 172 करोड़ का पाँच प्रतिशत से अधिक था। चूंकि संकर्म संविदा के निष्पादन में आयातित वस्तुओं का प्रयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे संविदागत मूल्य का पाँच प्रतिशत से अधिक था अतः छः प्रतिशत की दर से ₹ 10.32 करोड़ की समाधान राशि आरोपणीय थी। तथापि, मार्च 2012 से दिसम्बर 2013 के बीच कर निर्धारण निस्तारित करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने दो प्रतिशत की दर से ₹ 3.44 करोड़ समाधान राशि आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.88 करोड़ के समाधान राशि का कम आरोपण हुआ। विवरण **परिशिष्ट–II** में दर्शाया गया है।

एक निदर्शी मामला निम्नवत है: डि0कमि0 खण्ड–9 वा0क0 गाजियाबाद के कार्यालय के एक संविदाकार ने वर्ष 2009–10 के दौरान ₹ 42.94 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया तथा ₹ तीन करोड़ (6.98 प्रतिशत) की आयातित सामग्री का उपयोग किया, जो प्राप्त भुगतान का पाँच प्रतिशत से अधिक था अतः इस मामले में छः प्रतिशत की दर से ₹ 2.58 करोड़ समाधान राशि आरोपणीय थी, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने दो प्रतिशत की दर से ₹ 85.89 लाख समाधान राशि आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.72 करोड़ की समाधान राशि कम आरोपित की गयी।

समापन विचार गोष्ठी में शासन ने बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

- उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत सिविल संकर्म संविदाकारों के लिए 9 जून 2009 को समाधान योजना लागू की गयी थी। 30 दिसम्बर

2010 से सिविल संकर्म संविदाकारों के लिए समाधान राशि की दर पुनरक्षित कर दो प्रतिशत से चार प्रतिशत कर दी गयी।

दो वाणिज्य कर कार्यालयों (डि0 कमि0 खण्ड–2 गौतमबुद्ध नगर तथा डि0 कमि0 खण्ड–20 लखनऊ) में हमने पाया कि दो संविदाकारों को 29 दिसम्बर 2010 के पश्चात अनुबन्ध दिया गया था। जिसमें ₹ 2.65 करोड़ का सकल आवर्त निहित था, जिस पर चार प्रतिशत की पुनरीक्षित दर से ₹ 10.62 लाख समाधान राशि आरोपणीय थी किन्तु मार्च 2013 एवं मार्च 2014 के बीच कर निर्धारण निस्तारित करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने पुनरीक्षण पूर्व की दर दो प्रतिशत से ₹ 5.31 लाख समाधान राशि आरोपित किया। फलस्वरूप ₹ 5.31 लाख समाधान राशि का कम आरोपण हुआ।

समापन विचार गोष्ठी में शासन ने बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

- उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत अविभाज्य सिविल संकर्म संविदाकारों के लिए 9 जून 2009 को समाधान योजना लागू की गयी थी। आपूर्ति के मामले में व्यापारी उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अपने विक्रय आवर्त पर कर के भुगतान का दायी होगा।

तीन वाणिज्य कर कार्यालयों के संविदाकारो से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 469 संविदाकारों में से तीन संविदाकारों ने समाधान योजना अपनायी और ₹ 74.83 लाख की सामग्री की आपूर्ति की। चूंकि अनुबन्ध विशुद्ध रूप से आपूर्ति के लिए था अतः समाधान योजना के अन्तर्गत कर निर्धारण का विकल्प लागू नही था। नवम्बर 2011 तथा अप्रैल 2012 के मध्य कर निर्धारण का निस्तारण करते समय सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी ने इन मामलों को गलत तरीके से समाधान योजना के अन्तर्गत निर्धारण किया। चूंकि कार्य की प्रकृति आपूर्ति की थी, अतः आपूर्ति की गयी वस्तु पर दर सूची के अनुसार कर आरोपणीय था। इसके फलस्वरूप ₹ 4.36 लाख कर कम आरोपित हुआ जैसा कि **सारणी 2.3** में वर्णित है।

सारणी 2.3
समाधान योजना के अन्तर्गत अनियमित कर निर्धारण

(₹ लाख में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	कर योग्य आवर्त	वस्तु	आरोपणीय कर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर की धनराशि	आरोपित कर (प्रतिशत)	आरोपित कर की धनराशि	कम आरोपित कर
1	असि0कमि0 खण्ड– 12 इलाहाबाद	1	2009-10 (नवम्बर 2011)	41.09	ग्रिट	4.0	1.64	2	0.82	0.82
2	डि0कमि0 खण्ड–1 बस्ती	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	22.49	स्टोन बैलास्ट	12.5	2.81	2	0.45	2.36
3	डि0कमि0 खण्ड–21 लखनऊ	1	2008-09 (जनवरी 2012)	11.25	स्टोन बैलास्ट	12.5	1.41	2	0.23	1.18
	योग	**3**		**74.83**			**5.86**		**1.50**	**4.36**

स्रोतः कर निर्धारण पत्रावलियां।

समापन विचार गोष्ठी में शासन ने बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

2.3.7.2 उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत समाधान राशि का कम आरोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 7 घ के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई व्यापारी उसके द्वारा देय कर के बदले में समाधान राशि भुगतान करने का विकल्प ले सकता है। शासन द्वारा विद्युत संविदाकारों के लिए लागू समाधान योजना संख्या शोध–समाधान, (विद्युत संविदाकार समाधान) 93–94/1042/बि0क0 दिनांक 20 अक्टूबर 1993 के अन्तर्गत, यदि कोई संविदाकार उत्तर प्रदेश व्यापार कर अवधि में, फार्म 'सी' या आयात घोषणा पत्र फार्म XXXI तथा मू0सं0क0 अवधि में आयात घोषणा पत्र फार्म XXXVIII

का प्रयोग करता है तो 31 जनवरी 2005 तक समाधान राशि की गणना तीन प्रतिशत की दर से की जायेगी तथा 1 फरवरी 2005 से विज्ञप्ति सख्या क0नि0–2–271/X दिनांक 2 फरवरी 2005 द्वारा यह पुनरीक्षित करके चार प्रतिशत कर दिया गया था। यदि संविदाकार उक्त फार्म का प्रयोग नही करता है, तो यह राशि क्रमशः एक प्रतिशत एवं दो प्रतिशत होगी।

तीन वाणिज्य कर कार्यालयों के संविदाकारों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 469 संविदाकारों में से तीन विद्युत संविदाकारों ने उ0प्र0व्या0क0 अवधि में एक फरवरी 2005 के पश्चात उनको दिये गये अनुबन्धों के निष्पादन में घोषणा पत्रों के विरूद्ध राज्य के बाहर से विद्युत सामग्रियों का आयात एवं उपभोग किया। अगस्त 2010 तथा मई 2012 के मध्य ₹ 6.93 करोड़ कर योग्य आवर्त वाले इन विद्युत संविदाकारों का कर निर्धारण का निस्तारण करते समय कर निर्धारण आधिकारी ने चार प्रतिशत की सही दर से ₹ 27.74 लाख के स्थान पर दो प्रतिशत (कर चार प्रतिशत की दर से आरोपित किया जाना था क्योंकि संविदाकारों ने आयात घोषणा पत्रों का प्रयोग किया था) तथा तीन प्रतिशत (पुनरीक्षित दर लागू की जाने योग्य थी क्योंकि अनुबन्ध एक फरवरी 2005 के पश्चात दिया गया था) की दर से ₹ 20.41 लाख समाधान राशि आरोपित किया, इसके फलस्वरूप ₹ 7.33 लाख की समाधान राशि कम आरोपित की गयी जैसा कि **सारणी 2.4** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.4
विद्युत संविदाकारों के लिये समाधान राशि का कम आरोपण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	कर योग्य आवर्त	उपयोग किये गये प्रपत्र	आरोपणीय/ कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपणीय कर की धनराशि	आरोपित कर की दर	आरोपित कर की धनराशि	कम आरोपित कर
1	डि0क0 खण्ड–3 गौतमबुद्ध नगर	1	2008–09 (फरवरी 2012)	39.53	XXXVIII	4	1.58	2	0.79	0.79
2	असि0क0 खण्ड–6 झांसी	1	2007–08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	117.58	XXXVIII	4	4.70	3	3.53	1.17
			2009–10 (मई 2012)	56.64	सी0 एवं XXXVIII	4	2.27	3	1.70	0.57
3	डि0क0 खण्ड–27 कानपुर	1	2007–08 (उ0प्र0 व्या0क0) (अगस्त 2010)	479.73	सी0 एवं XXXI	4	19.19	3	14.39	4.80
	योग	**3**		**693.48**			**27.74**		**20.41**	**7.33**

स्रोतः कर निर्धारण पत्रावलियां।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने बताया कि एक मामलें में ₹ 4.80 लाख कर आरोपित कर दिया गया है एवं शेष दो मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

2.3.8 मू0सं0क0 का कम आरोपण

2.3.8.1 आवर्त का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

- उ0प्र0 मू0सं0क0 नियमावली 2008 के नियम 9(3) के अन्तर्गत यदि संविदाकार द्वारा रखे गये लेखों में मजूदरी एवं सेवाओं का मूल्य तथा इस पर अर्जित लाभ अलग से दर्ज न हो या व्यापारी द्वारा रखे गये लेखे विश्वास योग्य न हो, या व्यापारी ने कोई लेखे रखे ही न हो, ऐसी दशा में संपत्ति के रूप में अंतरित वस्तु के मूल्य आवर्त को अवधारित करने के लिये 10 से 40 प्रतिशत की दर से धनराशि मजदूरी एवं सेवा तथा उस पर अर्जित लाभ के मद में सकल आवर्त से घटा दी जायेगी। संयत्र एवं मशीनरी

का निर्माण एवं संस्थापन के लिए घटाने की दर 10 प्रतिशत तथा सिविल कार्य जैसे भवन पुल, सड़क, बांध, बैराज, स्पिल वे एवं डाइवर्जन, सीवेज एवं ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण के लिये 30 प्रतिशत निर्धारित है।

दो वाणिज्य कर कार्यालयों के संविदाकारों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 262 संविदाकारों में से दो संविदाकारों के मामलों में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा मार्च 2011 और नवम्बर 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय वर्ष 2007–08 से 2008–09 के लिये मजदूरी एवं सेवा तथा उस पर अर्जित लाभ की त्रुटिपूर्ण दर[6] से गणना करने के कारण कर योग्य आवर्त ₹ 3.78 करोड़ के स्थान पर ₹ 1.60 करोड़ निर्धारित किया गया। जिसके कारण ₹ 2.18 करोड़ आवर्त का कम निर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 10.80 लाख कर का कम आरोपण हुआ जैसा कि **सारिणी 2.5** में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 2.5

आवर्त के त्रुटिपूर्ण अवधारण के फलस्वरूप मू0सं0क0 का कम आरोपण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	सकल आवर्त	कटौती की अनुमन्य दर (प्रतिशत में)	आवर्त जिस पर कर आरोपणीय था	आवर्त जिस पर कर आरोपित किया गया	कम अवधारित आवर्त	कम आरोपित कर
1	डि0कमि0 खण्ड–2 बाँदा	1	2007–08 (मू. स.क.) (मार्च 2011)	343.93	30	240.75	70.25	170.50	8.88
2	डि0कमि0 खण्ड–6 झाँसी	1	2008–09 (नवम्बर 2012)	196.66	30	137.66	89.69	47.97	1.92
	योग	**2**		**540.59**		**378.41**	**159.94**	**218.47**	**10.80**

स्रोतः कर निर्धारण पत्रावलियां।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि दोनों मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

- उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यापारी द्वारा उसके व्यवसाय से सम्बन्धित रखी गयी पुस्तकें, लेखे एवं अभिलेख तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच के पश्चात कर निर्धारण करेगा।

तीन वाणिज्य कर कार्यालयों की कर निर्धारण पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूने के रूप में जाँचे गये 469 संविदाकारों में से तीन संविदाकारों द्वारा आवर्त के कम अवधारण एवं गणना की त्रुटि के कारण अपना आवर्त ₹ 124.42 करोड़ के बजाय ₹ 114.92 करोड़ घोषित किया गया। क0नि0प्र0 द्वारा फरवरी 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस त्रुटि को संज्ञान में नहीं लिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.09 लाख के कर का कम आरोपण हुआ जैसा कि **सारिणी 2.6** में वर्णित है।

6

क0 सं0	कार्यालय का नाम	कटौती की अनुमन्य दर (प्रतिशत)	दर जिस पर कटौती अनुमन्य की गयी (प्रतिशत)	अधिक अनुमन्य की गयी कटौती (प्रतिशत)
1	डि0क0 खण्ड 2 बाँदा	30	79.57	49.57
2	डि0क0 खण्ड 2 झाँसी	30	54.40	24.40

सारणी 2.6
आवर्त के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	आवर्त जिस पर कर आरोपणीय था	आवर्त जिस पर कर आरोपित किया गया था	कारण	कम निर्धारित आवर्त	कम आरोपित कर
1	डि0क0 खण्ड–2 वा0क0 गौतमबुद्ध नगर	1	2010–11 (मार्च 2014)	4,338.94	3,780.25	संविदाकार द्वारा बिना औचित्यपूर्ण कारण दिये लाभ और हानि खाते की तुलना में आवर्त को कम घोषित किया गया	558.69	11.17
			2011–12 (मार्च 2014)	2,276.05	2,105.70	संविदाकार द्वारा बिना औचित्यपूर्ण कारण दिये लाभ और हानि खाते की तुलना में आवर्त को कम घोषित किया गया	170.34	3.41
2	डि0कमि0 खण्ड–11 वा0क0 गाजियाबाद	1	2009–10 (फरवरी 2013)	1,405.93	1,350.30	सर्विस टैक्स घटाने के पश्चात समाधान राशि आरोपित की गई	55.63	1.11
3	डि0कमि0 खण्ड–11 वा0क0 नोएडा	1	2009–10 (मई 2013)	4,420.76	4,255.80	गणना की त्रुटि के कारण	164.96	3.40
	योग	**3**		**12,441.68**	**11,492.05**		**949.62**	**19.09**

स्रोतः कर निर्धारण पत्रावलियां।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन द्वारा कहा गया कि सभी तीन मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

2.3.8.2 कर की गलत दर का लगाया जाना

उ0प्र0 व्यापार कर (उ0प्र0 व्या0क0) अधिनियम, 1948 की धारा 3क के अन्तर्गत शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरो की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर आरोपणीय होता है। जो वस्तुये निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नही है, उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0 मू0सं0क0) अधिनियम 2008 की धारा 4(1) के अन्तर्गत 1 जनवरी 2008 से अनुसूची–2 में शामिल वस्तुओं पर चार प्रतिशत[7] की दर से कर आरोपणीय है तथा वे वस्तुएं जो किसी भी अनुसूची में शामिल नही हैं वो अनुसूची–5 में आच्छादित है एवं 12.5 प्रतिशत[8] की दर से कर योग्य है।

कमिश्नर वाणिज्य कर के धारा 59 के अन्तर्गत दिये गये 18 जुलाई 2008 के निर्णय के अनुसार ऐसे संगठन/विभाग जो सरकारी विभागों के आदेश पर भवन निर्माण कार्य करते है वे व्यापारी की परिभाषा के अन्तर्गत आते है और उनके द्वारा सम्पादित किया गया कार्य सकर्म संविदा के अन्तर्गत आता है। उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत वे भवन निर्माण में उपयोग की गयी सामग्री पर कर के भुगतान करने के दायी हैं।

हमने छः वाणिज्य कर कार्यालयों के कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में देखा कि नमूना जाँच किये गये 262 संविदाकारों में से आठ संविदाकारों द्वारा, जो कि समाधान योजना में नही थे 2007–08 (1.4.2007 से 31.12.2007 व्यापार कर के अन्तर्गत एवं 1.1.2008 से 31.03.2008 मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत) से 2009–10 की अवधि के दौरान ₹ 1.55 करोड़ की सामग्री की आपूर्ति संविदी को की गयी, जिसके लिये उत्तर प्रदेश व्यापार कर एवं उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत चार

---

[7] साथ ही साथ शासन नें अपनी विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–1169/XI दिनांक 29–05–2009 द्वारा 1 जून 2009 से आधा प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया तथा विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–307/ XI दिनांक 19–02–2010 द्वारा 19 फरवरी 2010 से एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया।

[8] शासन नें अपनी विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–1169/XI दिनांक 29–05–2009 द्वारा 1 जून 2009 से एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया।

से 13.5 प्रतिशत की दर से ₹ 16.38 लाख का कर आरोपणीय था। कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) द्वारा मार्च 2011 से फरवरी 2013 के मध्य उनका कर निर्धारण करते समय वस्तुओं की बिक्री ₹ 1.55 करोड़ पर अनुसूची के दिये गये कर की दर के बजाय व्यापारियों द्वारा दाखिल कर विवरणियों के अनुसार कर ₹ 4.83 लाख को स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.55 लाख कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ। विवरण **परिशिष्ट–III** में दर्शाया गया है।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि सभी आठ मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

2.3.9 स्रोत पर काटे गये कर के दावों की अनियमित अनुमन्यता

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 49(1) के अन्तर्गत उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार संविदी द्वारा स्रोत पर की गयी कर की कटौती कर के राज्य सरकार को जमा कराया गया कर, व्यापारी के द्वारा किया गया कर का भुगतान माना जायेगा तथा संविदी के द्वारा फार्म XXXI में जारी कराये गये प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित व्यापारी को जमा का लाभ दिया जायेगा।

हमने 10 वाणिज्य कर कार्यालयों[9] के संविदाकारों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया कि नमूना जाँच किये गये 650 संविदाकारों में से 23 संविदाकारों द्वारा नियमों के अन्तर्गत विहित फार्म XXXI में बिना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये ₹ 3.35 करोड़ के टी0डी0एस0 समायोजन का दावा किया गया। जिसमें 20 मामलों में संविदी विभागों[10]द्वारा दिये गये विवरण संलग्न थे, दो मामलों में कोई साक्ष्य नही संलग्न थे तथा एक मामले में विहित प्रमाण पत्र के बदले में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी किया गया जमा का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा दिसम्बर 2010 से जनवरी 2014 के मध्य कर निर्धारण करते समय बिना विहित फार्म में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराये टी0डी0एस0 से आरोपित कर/समाधान राशि का समायोजन अनुमन्य कर दिया गया। अतः वांछित टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र के अभाव में ₹ 3.35 करोड़ जमा कर के दावे को अनुमन्य किया जाना अनियमित था।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुपालन में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने पर एक मामलें में व्यापारी द्वारा ₹ 24.90 लाख का टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो यह दर्शाता है कि कर निर्धारण के समय बिना प्रमाण पत्र के समायोजन अनुमन्य कर दिया गया था। शेष अन्य मामलों के सम्बन्ध में यह कहा गया कि कार्यवाही प्रचलित है।

2.3.10 कर की वापसी के द्वारा अनुचित वित्तीय लाभ

उ0प्र0 व्यापार कर (उ0प्र0व्या0क0) अधिनियम की धारा 29 एवं उ0प्र0 मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों अन्तर्गत किसी व्यापारी को, उसके द्वारा कर शुल्क अथवा अन्य देयो के मद में अधिक जमा धनराशि उसे वापसी योग्य हैं। पुनश्चः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मे0 मफत लाल इण्डस्ट्रीज लि0 बनाम यूनियन आफ इण्डिया (1996) के वाद में दिये गये न्यायिक निर्णय में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कर के भार को अन्य व्यक्ति पर अन्तरित कर देता है तो उस व्यक्ति को उस कर की वापसी, अनुचित लाभ मानी जायेगी। यह साबित करने की जिम्मेदारी व्यापारी पर है, कि कर का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति पर अन्तरित नही किया गया है।

हमने 25 वाणिज्य कर कार्यालयों के 650 संविदाकारों में से 69 संविदाकारों के मामलों में कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया कि वर्ष 2007–08 (मू0सं0क0) से 2011–12

---

[9] डि0क0 खण्ड 2 गौ0ब0 नगर, डि0क0 खण्ड 27 कानपुर, डि0क0 खण्ड 13 व 21, असि0क0 खण्ड 3, 4,12 व 18 लखनऊ, डि0क0 एवं असि0क0 खण्ड 5 मुरादाबाद।

[10] भा0रा0रा0प्रा0, उ0म0रे0, लो0नि0वि0, सिंचाई विभाग, विद्युत खण्ड, जल निगम, नगर निगम, उ0प्र0 आ0एवं वि0प0, मण्डी परिषद, एवं निजी संस्थायें।

की अवधि में क0नि0प्रा0 द्वारा जून 2010 और दिसम्बर 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय स्रोत पर की गयी कटौती का आरोपित कर में समायोजन किया गया और अधिक कर ₹ 2.84 करोड़ की वापसी की गयी। न्यायिक निर्णय के आलोक में क0नि0प्रा0 से यह अपेक्षा की गयी थी, कि व्यापारी को अधिक जमा कर की वापसी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि किसी व्यापारी को कर की वापसी की जा रही है, उसने अधिक जमा कर की राशि का भार किसी अन्य पक्ष पर अन्तरित तो नही कर दिया था और ऐसी वापसी के द्वारा कहीं अनुचित वित्तीय लाभ तो नही लिया गया। लेकिन, न तो कर निर्धारण आदेश में इस तथ्य की विवेचना की गयी और न ही कर का भार अन्तरित न करने से सम्बन्धित कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अनियमित वापसी से सम्बन्धित विवरण **परिशिष्ट–IV** में उल्लिखित है।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन द्वारा यह कहा गया कि एक मामले में ₹ 1.20 लाख की माँग आरोपित की गयी है। 20 मामलों में कार्यवाही प्रचलित है और चार मामलों में वापसी विधि अनुकूल थी क्योंकि इन व्यापारियों ने समाधान योजना का विकल्प दिया था। शासन का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि प्राक्कलन तैयार करते समय मू0सं0क0 का अवयव, वस्तु की दरों मे शामिल होता है और यदि कर का भार संविदी पर अन्तरित नहीं किया गया है तो इस तथ्य की विवेचना कर निर्धारण आदेश में साक्ष्य रूप में सम्बन्धित अभिलेखों के साथ की जानी चाहिए।

हम संस्तुति करते है कि विभाग कर निर्धारण आदेश पारित करते समय कर निर्धारण आदेश में यह विवेचना कर सकता है कि कर का भार संविदी पर अन्तरित नही किया गया है और उसके साक्ष्य के रूप में सम्बन्धित अभिलेख को कर निर्धारण पत्रावली में भी संलग्न किया जाना चाहिए।

2.3.11 अर्थदण्ड का अनारोपण

2.3.11.1 संविदी विभागों पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा–8घ (6) एवं उ0प्र0मू0स0क0 अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिये देय मूल्यवान प्रतिफल के विरूद्ध किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिये उत्तर दायी हो ऐसी संकर्म संविदा के लिये अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली धनराशि की कटौती करने में असफल रहता है या कटौती के पश्चात इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व तथा उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह 20 वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता हैं।

हमने 23 वाणिज्य कर कार्यालयों के संविदियों के कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच में देखा कि नमूना जाँच किये गये 127 संविदियों में से 41 संविदियों[11] ने वर्ष 2006–07 से 2011–12 के दौरान संविदाकारों को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 7.25 करोड़ संकर्म संविदा कर (डब्लयू0सी0टी0) की कटौती किया परन्तु उसे निर्धारित समयावधि के अन्दर शासकीय कोषागार में जमा नही किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिन से लेकर नौ माह तक की थी। क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 2010 से मई 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय न तो ₹ 14.50 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही अर्थदण्ड आरोपित न करने के सम्बन्ध में कोई कारण अथवा

[11] निगम:13, बिल्डर्स एवं निजी संविदाकार:8, लो0नि0वि0:7, आवास विकास परिषद:4, सिंचाई विभाग:2, आवास विकास समिति:1, दुर्ग अभियन्ता:1, नगर पालिका परिषद:1, जिला पंचायत:1, विद्युत वितरण विभाग:1, विकास प्राधिकरण:1, एवं उत्तर रेलवे:4।

स्पष्टीकरण अपने कर निर्धारण आदेश में अंकित किय जैसा कि **परिशिष्ट–V** में दिखाया गया है।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

2.3.11.2 संकर्म संविदाकारों पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 मू0स0क0 अधिनियम की धारा 54(1) के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी यदि सन्तुष्ट है कि व्यापारी या किसी अन्य व्यक्ति, जैसी स्थिति हो, ने नीचे दी गयी सारिणी के स्तम्भ (2) में परिभाषित कोई त्रुटि की है तो, ऐसी जाँच, जिसे वह आवश्यक समझे, करने तथा व्यापारी या उस व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त व्यापारी अथवा उस व्यक्ति को देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में **सारिणी 2.7** के स्तम्भ 3 में निर्धारित धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित करेगा।

सारिणी 2.7
अर्थदण्ड की दरों का विवरण

उप धारा सं0	त्रुटि	अर्थदण्ड की धनराशि
1	व्यापारी युक्तियुक्त कारण के बिना किसी कर अवधि के लिये देय कर को विहित या बढ़ाई गई अवधि के अन्तर्गत जमा करने में विफल हो गया हो	संदेय कर का 20 प्रतिशत
2	व्यापारी ने अपने आवर्त का विवरण छिपाया हो या ऐसे आवर्त का असत्य विवरण जानबूझ कर प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका इस अधिनियम के अधीन भुगतान न करने का दायी है।	छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना ।
4	व्यापारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के निर्धारित कर का भुगतान अनुज्ञात सयय के भीतर करने में विफल हो गया है।	निर्धारित कर का 20 प्रतिशत।
19	जहाँ यथास्थिति व्यापारी या कोई अन्य व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिथ्या या कपट पूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है ।	इनपुट टैक्स क्रेडिट धनराशि के पाँच गुना के बराबर धनराशि

स्रोतः उ0प्र0 मू0स0क0 अधिनियम 2008

हमने तीन वा0क0का0 के कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया कि नमूना जाँच किये गये 262 संविदाकारों में से चार संविदाकारों ने अधिनियम की धारा 54(1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया, इस उल्लंघन के लिये प्रावधानों के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय था। क0नि0प्रा0 ने अवधि 2007–08 (मू0सं0क0) से 2009–10 के लिये जून 2010 और मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय इन उल्लंघनों को संज्ञान में नही लिया तथा ₹ 2.06 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित करने में विफल रहे जैसा कि **सारिणी 2.8** में वर्णित है।

सारिणी 2.8
अर्थदण्ड की दरों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	कर की धनराशि	धारा जिसके अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय था	अर्थदण्ड की दर	अर्थदण्ड की धनराशि
1	डि0कमि0 खण्ड–16 वा0क0 गाजियाबाद	1	2009–10 (मार्च 2013)	235.88	54(1)(4)	कर का 20 प्रतिशत	47.18
		1	2008–09 (जून 2012)	30.33 (उत्क्रमित की गई आई0टी0सी0 की धनराशि)	54(1)(19)	आई0टी0सी0 का पाँच गुना	151.65
2	डि0कमि0 खण्ड–10 वा0क0 लखनऊ	1	2007–08 (मू0सं0क0) (जून 2010)	3.49	54(1)(1)	कर का 20 प्रतिशत	0.70
			2009–10 (मार्च 2012)	7.50	54(1)(1)	कर का 20 प्रतिशत	1.50
3	असि0कमि0 खण्ड–3 वा0क0 लखनऊ	1	2008–09 (अप्रैल 2012)	1.50	54(1)(2)	छिपाये गये कर की धनराशि का तीन गुना	4.50
	योग	**4**		**278.70**			**205.53**

स्रोतः कर निर्धारण पत्रावलियां।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने बताया कि सभी मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

हम यह अनुशंसा करते है कि विभाग अर्थदण्ड आरोपित न करने के सम्बन्ध में विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करते समय अर्थदण्ड अनारोपण के बारे मे कारण अथवा औचित्य कर निर्धारण आदेश में अंकित करने पर विचार कर सकता है।

2.3.12 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पायी गयी अनियमिततायें

2.3.12.1 केन्द्रीय पंजीयन में पूँजीगत माल की खरीद के लिये अनियमित रूप से अधिकृत किया जाना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8(3)(ख) के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी प्रान्त बाहर से फार्म 'सी' के विरुद्ध रियायती दर से पुनः विक्रय के लिये विनिर्माण या प्रस्संकरण में या दूरसंचार नेटवर्क में या खनन में या बिजली के उत्पादन या वितरण के उद्देश्य से माल खरीद सकता है।

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत कमिश्नर वाणिज्य कर (क0वा0क0) के दिनांक 12 मार्च 2008 के निर्णय के अनुसार संविदाकारों को व्यापारी के श्रेणी में माना गया न कि निर्माता के श्रेणी में, इसीलिए फार्म 'सी' के विरूद्ध पूँजीगत माल की खरीद का लाभ नही दिया जायेगा क्योंकि ऐसा खरीदा गया पूँजीगत माल न तो उसने पुनः विक्रय किया और न ही विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग किया है।

हमने 17 वाणिज्य कर कार्यालयों में संविदाकारों से सम्बन्धित अभिलेखों एवं कर निर्धारण आदेशों की जाँच के दौरान पाया कि नमूना जाँच किये गये 650 संविदाकारों में 31 संविदाकारों को विक्रय के लिए माल के निर्माण या प्रस्संकरण के लिए प्रयुक्त पूँजीगत माल जैसे कोई सयंत्र, मशीन, मशीनरी, इक्यूपमेन्ट अप्रेट्स, टूल, अप्लायंस या विद्युत संस्थापन को खरीदने के लिये केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में अधिकृत किया गया था। केन्दीय पंजीयन में त्रुटिपूर्ण ढंग से अधिकृत किये जाने के आधार पर संविदाकारों ने वर्ष 2007–08 (उ0प्र0 व्या0क0) से वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 18.63 करोड़ के पूँजीगत माल की खरीद की तथा रियायती दर से केन्द्रीय बिक्री कर का भुगतान किया। पुनश्चः हमने पाया कि संविदाकारों द्वारा न तो इन वस्तुओं का पुनः विक्रय किया गया और न ही विक्रयार्थ माल के विनिर्माण में प्रयोग किया गया, जैसा कि केन्द्रीय बिक्री कर अधि0 की धारा 8(3)(ख) में विहित है। यह दर्शाता है कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में पूँजीगत माल की खरीद के लिये अधिकृत किया जाना के0बि0क0 अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध था। क0नि0प्रा0 ने वर्ष फरवरी 2011 तथा मार्च 2014 के दौरान कर निर्धारण करते समय इस त्रुटि को संज्ञान में नही लिया। क0नि0प्रा0 के स्तर पर इस त्रुटि के फलस्वरूप व्यापारियों को ₹ 1.42 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। जैसा कि **परिशिष्ट–VI** में वर्णित है।

एक निदर्शी मामला इस प्रकार है: डि0कमि0 खण्ड–7 वा0क0 मुजफ्फर नगर के एक सिविल संविदाकार ने वर्ष 2008–09 एवं 2010–11 में फार्म सी के विरूद्ध ₹ 1.70 करोड़ का प्लांट एवं मशीनरी जैसे जे0सी0बी0, पेवर फिनिशर, एक्सकेवेटर, लोडर आदि की खरीद की। केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र की जाँच से पता चला कि संविदाकार को क0नि0प्रा0 द्वारा प्लांट एवं मशीनरी को खरीदने के त्रुटिपूर्वक ढंग से अधिकृत किया गया था। प्लांट एवं मशीनरी को रियायती दर पर खरीदे हेतु त्रुटिपूर्वक ढंग से अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप संविदाकार को ₹ 18.74 लाख का अनुचित लाभ हुआ।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि लेखापरीक्षा की आपत्ति के अनुपालन में एक व्यापारी के मामलें में दो वर्षो के लिए ₹ 5.51 लाख का अर्थदण्ड

आरोपित कर दिया है साथ ही साथ वसूली प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है तथा डि0कमि0 खण्ड–7 वा0क0 मुजफ्फर नगर के एक व्यापारी के मामलें में असहमति व्यक्त करते हुए पुनः पत्र व्यवहार करने का आश्वासन दिया। शेष मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रचलित है।

2.3.12.2 अर्थदण्ड का अनारोपण/कम आरोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फार्म सी में घोषणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नही है अथवा प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग, उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु करता है, जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो व्यापारी के0बि0क0 अधि0 की धारा 10 के अन्तर्गत अभियोजन का पात्र होगा। फिर भी, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 10 ए के अन्तर्गत ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता हैं।

- आठ वाणिज्य कर कार्यालयों में संविदाकारों से सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावलियों एवं केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्रो की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 650 संविदाकारों में से आठ संविदाकारों ने वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान फार्म सी में घोषणा के आधार पर ₹ 4.53 करोड़ का माल के0बि0क0 की रियायती दर से खरीदा। ये वस्तुयें उनके के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से अच्छादित नही थी। क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2011 एवं मई 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय फार्म सी के अनियमित प्रयोग को संज्ञान में नही लिया। इसके फलस्वरूप ₹ 83.31 लाख का अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–VII** में वर्णित है।

एक निदर्शी मामला निम्नवत हैः डि0कमि0 खण्ड–27 वा0क0 कानपुर के एक संविदाकार ने प्रान्त बाहर से फार्म सी के आधार पर रियायती कर की दर पर ₹ 1.26 करोड़ की चेसिस खरीदी। यह वस्तु उसके केन्दीय पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नही थी। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण करते समय इसे संज्ञान में नही लिया और फार्म सी के अनियमित प्रयोग पर ₹ 25.42 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नही किया।

- डि0कमि0 खण्ड–9 वा0क0 गाजियाबाद कार्यालय के व्यापारी से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं कर निर्धारण आदेश की जाँच के दौरान हमने पाया कि एक संविदाकार ने फार्म सी के आधार पर ₹ 85.38 लाख का पूँजीगत माल (एसफाल्ट कम्पेटेटर, कम्प्रेसर, ड्रम मिक्स प्लांट, मशीन, टार ब्रायलर, वेट मिक्स पेवर आदि) खरीदा जिसका न तो पुनः विक्रय किया अथवा न ही विनिर्माण में प्रयोग किया गया जैसा कि केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र में अधिकृत किया गया था। इस अनियमितता के लिए क0नि0प्रा0 ने मार्च 2013 में कर निर्धारण करते समय ₹ 85.38 लाख की खरीद पर 20.25 प्रतिशत की दर से ₹ 17.29 लाख अर्थदण्ड आरोपित करने के स्थान पर ₹ 69.30 लाख की पूँजीगत माल की खरीद पर 7.5 प्रतिशत की दर से ₹ 5.20 लाख अर्थदण्ड आरोपित किया। इसके फलस्वरूप ₹ 12.09 लाख कम अर्थदण्ड आरोपित हुआ।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि एक व्यापारी के मामले में ₹ 40.52 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है तथा शेष आठ मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

हम अनुशंसा करते है कि अर्थदण्ड का अनारोपण सम्बन्धी अधिकार का प्रयोग करते समय विभाग कर निर्धारण आदेश में अर्थदण्ड न आरोपित करने के कारणों या औचित्य का उल्लेख करने पर विचार कर सकते हैं।

2.3.13 प्रवेश कर का अनारोपण

उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा–4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित कर की दरो की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

कर निर्धारण आदेश खरीद सूची एवं फार्म **XXXVIII** (आयात घोषणा प्रपत्र) का उपभोग विवरण की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 759 व्यापारियों में से बारह वाणिज्य कर कार्यालयों से सम्बन्धित 17 व्यापारियों नें वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान ₹ 47.39 करोड़ के मूल्य का माल स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीदा। क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2012 एवं फरवरी 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस बात की जाँच नहीं की, कि वस्तु स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीदी गयी थी, जिस पर प्रवेश कर आरोपणीय था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 60.40 लाख का प्रवेश कर आरोपित नहीं हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–VIII** में दर्शाया गया है।

एक निदर्शी मामला निम्नवत है: डि0कमि0 खण्ड–12 वा0क0, इलाहाबाद के एक व्यापारी ने वर्ष 2009–10 के दौरान जैसा कि आयात घोषणा पत्र के उपभोग विवरण से स्पष्ट है, स्थानीय क्षेत्र के बाहर से ₹ 24.93 करोड़ स्टील स्ट्रक्चर एम0एस0 पाइप व केबिल की खरीद की। स्टील स्ट्रक्चर एवं एम0एस0 पाइप की खरीद पर एक प्रतिशत की दर से तथा केबिल की खरीद पर दो प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था। क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय आयात घोषणा पत्र के उपभोग विवरण की जाँच नही की जिसकी वजह से ₹ 28.82 लाख प्रवेश कर आरोपित नहीं किया।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि सभी मामलों में प्रवेश कर को आरोपित करने की कार्यवाही प्रचलित है।

2.3.14 ब्याज का न/कम प्रभारित करना

उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 8(1) एवं उ0प्र0 मूल्य सवर्धित कर अधिनियम की धारा 33(2) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा देय स्वीकृत कर को निर्धारित समयावधि के अन्दर सरकारी कोषागार में जमा करना होगा ऐसा करने में असफल रहने पर पर देय धनराशि पर ऐसी धनराशि को जमा किये जाने के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि के अगले दिन से लेकर धनराशि के जमा किये जाने की तिथि तक 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से (उ0प्र0 व्यापार कर अवधि में 14 प्रतिशत प्रति वर्ष) ब्याज देय होगा।

सात वा0क0का0 के व्यापारियों के कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँच किये गये 759 व्यापारियों में से सात व्यापारियों ने वर्ष 2007–08 से 2010–11 के मध्य अपने स्वीकृत कर ₹ 1.55 करोड़ को एक माह 10 दिनों से लेकर पाँच वर्ष 22 दिनों तक विलम्ब से जमा किया था। विलम्ब से जमा स्वीकृत कर पर जमा की तिथि तक ₹ 11.96 लाख ब्याज आकृष्ट होता था। क0 नि0प्रा0 द्वारा कर निर्धारण आदेश (जून 2010 से फरवरी 2013) पारित करते हुये ब्याज नहीं/कम प्रभारित किया गया। विवरण **परिशिष्ट–IX** में दर्शित है।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि एक मामले में ब्याज की धनराशि ₹ 27,000 आरोपित कर दिया गया है तथा वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया तथा शेष मामलों में कार्यवाही प्रचलित है।

2.3.15 आन्तरिक नियंत्रण प्रंणाली

2.3.15.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियन्त्रण प्रंणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा यह वैधानिक प्रावधानों, नियमों एवं विभागीय निर्देशो के व्यवस्थित रूप से लागू कराने में तर्कपूर्ण आश्वासनो के उपलब्ध कराने के लिये सामान्यत: सभी नियंत्रणों पर नियंत्रण माना जाता है। आन्तरिक नियंत्रण तुरन्त एवं प्रभावी सेवाओं तथा करापवंचन एवं अन्य अनियमितताओं के विरूद्ध उचित सुरक्षा के लिये वित्तीय एवं प्रबन्ध की विश्वसनीय प्रणाली को सृजन करने में भी मदद करता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा कमिश्नर वाणिज्य कर के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में 13 लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं 91 वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों के स्वीकृत पद के विरूद्ध 24 वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों को तैनात किया गया है जैसा कि **सारणी 2.9** में वर्णित है।

सारणी 2.9

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में कर्मचारियों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृति पद		कार्यरत पद		रिक्त पद		कमी का प्रतिशत	
	लेखा परीक्षा अधिकारी	वरिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक	लेखा परीक्षा अधिकारी	वरिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक	लेखा परीक्षा अधिकारी	वरिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक	लेखा परीक्षा अधिकारी	वरिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक
2010-11	13	91	0	40	13	51	100	56
2011-12	13	91	0	34	13	57	100	63
2012-13	13	91	0	24	13	67	100	74
2013-14	13	91	0	31	13	60	100	66

स्रोतः कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा उपलबध करायें गये आंकड़े।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि लेखापरीक्षा अधिकारियों के सभी 13 पद खाली पड़े हुये हैं साथ ही साथ वरिष्ठ लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों पदों पर 56 से 74 प्रतिशत तक की कमी है।

आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजना का विवरण जैसे लेखपरीक्षा हेतु आयोजित इकाईयां, इकाइयां जिनकी लेखापरीक्षा की गयी तथा कमी **सारणी 2.10** में दर्शायी गयी है।

सारणी 2.10

आन्तरिक लेखापरीक्षा का विवरण

वर्ष	लेखापरीक्षा आयोजना के अनुसार लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां	लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा न की गयी इकाईयों की संख्या	कमी की प्रतिशतता
2010-11	647	524	123	19
2011-12	667	379	288	43
2012-13	667	220	447	67
2013-14	667	172	495	74

स्रोतः कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा आंकड़े प्रस्तुत।

यह दर्शाता हे कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की लेखापरीक्षा आयोजना यर्थाथ नहीं है क्योंकि वर्ष 2010–11 से 2013–14 के मध्य 19 से 74 प्रतिशत तक की कमी रही तथा विभाग आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में कर्मचारियों के तैनाती के प्रति उदासीन था।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि कमी का मुख्य कारण घटती हुई मानव शक्ति, नये लेखापरीक्षकों को प्रशिक्षण एवं समय–समय पर उनको अन्य कार्यों को सौंपा जाना था।

हम अनुशंसा करते है कि विभाग प्रभावी ढंग से आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाने तथा वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना यर्थाथ रूप से तैयार करने पर विचार कर सकता है।

2.3.15.2 कर लेखापरीक्षा शाखा द्वारा बिल्डरों/संविदाकारों की कर लेखापरीक्षा

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 44(1) प्रावधानित करती है कि व्यापारी या व्यापरियों के वर्ग द्वारा दाखिल किये गये विवरणियों की शुद्धता का परीक्षण करने के उद्देश्य से तथा व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों सहित विभिन्न दावों की स्वीकार्यता जॉंचने हेतु उतनी संख्या के व्यापरियों, जितना विहित की जाये की कर लेखापरीक्षा की जायेगी। उ0प्र0मू0सं0क0 नियमावली का नियम 43 कर लेखापरीक्षा किये जाने वाले विभागीय अधिकारी की श्रेणी एवं व्यापारी का चयन किये जाने की विधि का निर्धारण करता है। अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व एवं व्यापरियों का चयन किये जाने की विधि वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय 4 एवं 5 में वर्णित है।

कर लेखापरीक्षा से सम्बन्धित प्रावधानों एवं आदेशों के प्रभाव/प्रयोग की जॉंच करने के लिये हमने 69 वाणिज्य कर कार्यालयों से 759 संविदाकारों की सूचना संकलित की

और पाया कि 43 वाणिज्य कर कार्यालयों[12] में 330 संविदाकारों का टर्नओवर पाँच करोड़ से अधिक था। लेकिन कोई भी वाद कर लेखापरीक्षा हेतु चयनित नही किया गया था।

यह दर्शाता है कि कर लेखापरीक्षा का सकर्म संविदाकारों के क्रय विक्रय एवं स्वीकृति कर की उनको बही खातों एवं सम्बन्धित दस्तावेज से जाँच कर करापवंचन को रोके जाने का उद्देश्य पूरा नही हुआ था।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि संवेदनशील वस्तुओं के व्यापारियों को चिन्हित करने के लिये कर लेखापरीक्षा के लिये रिस्क प्रोफाइलिंग पैरामीटर निर्धारित है तथा संविदाकारों के मामले, संवेदनशील श्रेणी में नही आते हैं। हम शासन के उत्तर से सहमत नही है, क्योंकि संविदाकार के मामले में भी रिस्क प्रोफाइलिंग फैक्टर निहित होते हैं।

2.3.15.3 अपंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 17 में प्रावधानित है कि इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यापारी विहित पंजीयन प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

हमने 69 वा0क0 कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया कि अपंजीकृत व्यापारियों की पहचान के लिये पाँच वा0क0का0 (डि0कमि0 एवं असि0 कमि0 खण्ड 3 बरेली, डि0कमि0 खण्ड 4, 5 एवं 6 झॉसी) द्वारा किये गये सर्वेक्षण में वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान केवल 25 मामले चिन्हित किये जा सके थे। विभाग में सचल दल एवं विशेष अनुसंधान शाखा कार्यरत होने के बावजूद शेष 64 वा0क0का0 में कोई भी अपंजीकृत व्यापरियों को नहीं चिन्हित किया जा सका। इससे यह प्रदर्शित होता है कि विभाग का सर्वेक्षण तन्त्र बहुत कमजोर था।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान शासन ने कहा कि इस सम्बन्ध में 20 सितम्बर 2013 को ई–पंजीयन के लिये परिपत्र जारी किया गया है साथ ही साथ सचल दल वि0अनु0शा0 तथा खण्ड में तैनात वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा भी अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीकृत करने के लिये सर्वेक्षण किया जाता है। हम विभाग के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि विभाग के प्रयासों के बावजूद भी कुछ ही अपंजीकृत व्यापारियों का पंजीकरण हेतु पहचान की जा सकी। जहॉ तक उक्त परिपत्र का सम्बन्ध है यह वर्ष 2013–14 में जारी हुआ है।

हम अनुशंसा करते है कि विभाग अपंजीकृत संविदाकारों को पहचानने तथा राजस्व के हित में उनको कर की परिधि में लाने के लिये बाजार का सर्वेक्षण कराये जाने पर विचार कर सकता है।

2.3.15.4 विवरणियों एवं राजस्व के अनुश्रवण के लिये अलग से डाटाबेस का न होना

उ0प्र0 मू0सं0क0 नियमावली 2008 के नियम 32(1) के अनुसार मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापारी फार्म VII (छः) (सरकारी विभाग के पंजीयन के लिये लागू) में अन्य मामलों में फार्म VII (अन्य मामलों में पंजीयन के लिये लागू) में पूर्ण रूपेण भरा हुआ एक प्रार्थना पत्र उस क्षेत्र के पंजीयन प्राधिकारी जहाँ उसका मुख्य व्यवसाय स्थल है, के समक्ष प्रस्तुत करेगा। फार्म VII के क्रम सं0 16 एवं फार्म VII (छः) के क्रम संख्या 11 व्यापार की प्रकृति की सूचना से सम्बन्धित है, में संकर्म संविदा का एक अलग खाना दिया गया है। पुनश्चः नियम 32

---

[12] डि0क0 एवं असि0क0 खण्ड 12 इलाहाबाद, डि0क0 खण्ड 3 बलिया, डि0क0 खण्ड 2 बांदा, डि0क0 खण्ड 3, 6 व 8, असि0क0 खण्ड 3 बरेली, डि0क0 खण्ड 1 बस्ती, डि0क0 खण्ड 2 व 3, असि0क0 खण्ड 3 गौ0बु0 नगर, डि0क0 खण्ड 9, 11, 12 व 16, असि0क0 खण्ड 3 व 16 गाजियाबाद, डि0क0 खण्ड 5 व 6 झांसी, डि0क0 खण्ड 16 व 27, असि0क0 खण्ड 17 कानपुर, डि0क0 खण्ड 10, 12, 13, 20, 21 व 22, असि0क0 खण्ड 3, 18 व 20 लखनऊ, डि0क0 खण्ड 10 मेरठ, डि0क0 खण्ड 5 व 9 मुरादाबाद, डि0क0 खण्ड 4 व 7 असि0क0 खण्ड 8 मुजफ्फरनगर, डि0क0 खण्ड 10, 11 व 12, असि0क0 खण्ड 8 नोयडा, डि0क0 खण्ड 3 रामपुर।

के उपनियम 10 के अन्तर्गत फार्म XI में पंजीयन प्रमाण पत्र जिसमें करदाता पहचान संख्या (टिन) होगी, जारी करेगा। इस प्रमाण पत्र के क्रम सं0–1 में व्यवसाय की प्रकृति का उल्लेख है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि विभाग के पास पूर्ण रूप से आनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत टिन के साथ आनलाइन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रारम्भिक विचार गोष्ठी के दौरान विभाग से संकर्म संविदाकारों की संख्या एवं उनसे वसूल राजस्व का समग्र आंकड़ा उपलब्ध कराने के लिये कहा गया था लेकिन उन्होने उत्तर दिया कि विभाग के पास संविदाकारों एवं उनसे राजस्व वसूली का कोई भी डाटाबेस अलग से नही है। आगे हमने देखा कि विभिन्न वाणिज्य कर कार्यालयों में संकर्म संविदाकारों से सम्बन्धित विवरणी एवं कर पर नियंत्रण के लिये अलग से कोई रजिस्टर नहीं रखा जा रहा था जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि समस्त संविदाकार अपनी विवरणी समय से प्रस्तुत कर रहे थे एवं कर का भुगतान समय से कर रहे थे।

समापन विचार गोष्ठी के दौरान विभाग ने कहा कि ई–पंजीयन का परिपत्र दिनांक 20 सितम्बर 2013 को जारी किया जा चुका है आनलाइन पंजीयन व्यवस्था के अन्तर्गत संकर्म संविदाकारों और उनके विवरणी की स्थिति विकल्प आधारित डाटाबेस से देखा जा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि समीक्षा द्वारा आच्छादित अवधि के दौरान कोई भी डाटाबेस नहीं था।

हम अनुशंसा करते है कि विभाग संविदाकारों/संविदी का एक अलग से डाटाबेस रखने पर विचार कर सकते हैं जिसमें पंजीयन की तिथि, विवरणी भरने की तिथि, समाधान योजना का विकल्प अपनाने तथा टी0डीएस0 कटौती के साथ साथ दावों की सूचना हो।

2.3.16 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमनें निम्न बिन्दुओं का अवलोकन किया:

- कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुपालन न करने के कारण समाधान राशि का कम आरोपण, कर का कम आरोपण, प्रवेश कर का अनारोपण, ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण आदि के मामले पाये गये।
- संकर्म संविदाकारों को कर की अनियमित वापसी द्वारा अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया था।
- संकर्म संविदाकारों को केन्द्रीय पंजीयन के अन्तर्गत पूँजीगत माल को खरीदने के लिये अनियमित रूप से अधिकृत किया गया था।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा जो सक्षम कार्यशैली सुनिश्चित करने तथा राजस्व के रिसाव को रोकने का एक प्रबन्धकीय तन्त्र है, को उचित महत्व नही दिया गया जैसे लेखापरीक्षा अधिकारी के समस्त पद एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक के आधे से अधिक पद खाली पड़े हुये थे।
- अपंजीकृत संविदाकारों को पता लगाने हेतु सर्वेक्षण का तरीका अपर्याप्त था क्योंकि केवल पाँच वाणिज्य कर कार्यालयों में सर्वेक्षण किया गया था तथा इन पाँच कार्यालयों में वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि में केवल 25 अपंजीकृत संविदाकारों का पता चला था।

2.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमारी 576 वाणिज्य कर विभाग के 2,19,667 में से 75,388 कर निर्धारण आदेशों की जाँच में अधिनियमों/नियमों को अमल में ना लाये जाने, कर/अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण, अनियमित करमुक्ति, कर की त्रुटिपूर्ण दर लगाये जाने आदि के प्रकरण सहित अनेक मामले प्रकाश में आये जो कि इस अध्याय में आगे दिये गये प्रस्तरों में उल्लिखित हैं। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित हैं।

कर निर्धारण प्राधिकारियों के स्तर पर ऐसी त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं अपितु लेखापरीक्षा होने तक ये प्रकाश में नहीं आती हैं।

2.5 कर का अनारोपण/कम आरोपण

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय दरों की अनुसूची में उल्लिखित कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में माल के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण कर की न्यूनतर दरें लागू की गयीं एवं कुछ मामलों में कोई कर आरोपित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.27 करोड़ के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ जैसा कि उत्तरवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है:

2.5.1 उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0 मू0सं0क0) अधिनियम 2008 की धारा 4(1) के अन्तर्गत अनुसूची–I में शामिल वस्तुएं कर मुक्त हैं, अनुसूची–II में शामिल वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से, अनुसूची–III में शामिल वस्तुएं एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं तथा वे वस्तुएं जो अनूसूची–IV में शामिल हैं, शासन द्वारा समय–समय पर विज्ञापित दरों के अनुसार कर योग्य हैं। 1 जनवरी 2008 से वस्तुएं जो उपरोक्त किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं हैं, वो अनुसूची–V में शामिल हैं एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। एक प्रतिशत का अतिरिक्त कर भी दिनांक 1 जून 2009 से आरोपणीय है।

2.5.1.1 कर की गलत दर लगाये जाने से कर का अनारोपण/कम आरोपण

हमने 50 वाणिज्य कर कार्यालयों (वा0क0का0) में व्यापारियों से सम्बन्धित क0नि0आ0 एवं पत्रावलियों में पाया (जून 2012 एवं मार्च 2014 के मध्य) कि 65 व्यापारियों द्वारा ₹ 100.56 करोड़ मूल्य के माल की 2007–08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2011–12 के मध्य बिक्री पर अनुसूची में दिये गये कर की दर के बजाय उनका कर निर्धारण नवम्बर 2009 से मार्च 2013 के मध्य करते समय सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) द्वारा उनके द्वारा दाखिल कर विवरणियों के अनुसार कर को स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरुप ₹ 8.11 करोड़ का अनारोपण/कम आरोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–X** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2012 एवं मई 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में बताया कि डि0कमि0 खण्ड–1 एवं 4 गाजियाबाद तथा डि0कमि0 खण्ड–10 कानपुर नें ₹ 43.96 लाख मू0 सं0 कर आरोपित कर दिया एवं शेष मामलें मे कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2.5.1.2 टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत क0नि0प्रा0 को व्यापारी के व्यापार और अन्य सुसंगत अभिलेखों से सम्बन्धित उसके द्वारा रखे जाने वाले खाते लेखे और अभिलेखों की जाँच करके क0नि0आ0 द्वारा कर निर्धारण को अंतिम रुप दिया जाना चाहिए।

हमने सात वा0क0का0 के अभिलेखों के व्यापार और लाभ हानि खाता, वार्षिक बैलेन्स शीट, वर्तमान और पिछले वर्षो का कर निर्धारण आदेश आदि की जाँच में पाया (सितम्बर 2012 और नवम्बर 2013 के मध्य) कि सात व्यापारियों के मामले में वर्ष 2007–08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2009–10 की अवधि मे क0नि0प्रा0 को प्रस्तुत अभिलेखों में इन व्यापारियों ने ₹ 5.11 करोड़ की बिक्री को टर्नओवर के रूप में दर्शाया। इन व्यापारियों की सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावलियों में छूटे हुए टर्नओवर का विवरण उपलब्ध था, से स्पष्ट था एवं क0नि0प्रा0 द्वारा कर निर्धारण करते समय इन विवरणों की जाँच की जानी चाहिए थी। परन्तु क0नि0प्रा0 द्वारा जनवरी 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय संज्ञान में नहीं लिया गया। इसके

परिणामस्वरूप ₹ 38.18 लाख का कर कम आरोपित किया जैसा कि **परिशिष्ट–XI** में दर्शाया गया है।

हमने मामलो को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2012 और जनवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2.5.1.3 ट्रान्सपोर्टेशन तथा पम्पिंग चार्जेज को टर्नओवर में शामिल न किये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा–2(कघ) के अन्तर्गत किसी माल के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में किसी व्यापारी को संदेय धनराशि से है जो व्यापार में सामान्य रूप से प्रचलित व्यवहार के अनुसार नकद छूट के रूप में किसी अनुज्ञात धनराशि को घटा करके, उसमें ऐसी धनराशि को सम्मिलित करके आये, जो माल के सम्बन्ध में ऐसे माल के परिदान के समय या उसके पूर्व व्यापारी द्वारा, किसी बात के लिये प्रभारित की गयी है, उन दशाओं के सिवाय जिसमें जावक भाड़ा या परिदान का खर्चा या संस्थापन का खर्च अलग से प्रभारित किया जाता है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्णीत किया है (टी टी रिवीजन सं0 2003 का 1463 दिनांक 17.01.2011) कि “जहॉ पर आपूर्ति संविदा के अन्तर्गत एफ0ओ0आर0 (फ्री आन रेल) गन्तव्य स्थान के लिए होती है, वहॉं माल का स्वामित्व, गन्तव्य स्टेशन पर माल की सुपुर्दगी तक आपूर्तिकर्ता के पास रहता है वहाँ पर व्यापारी द्वारा फ्रेट तथा बीमा चार्जेज किया गया व्यय बिक्री मूल्य का भाग होता है।”

हमने डि0क0 खण्ड–8 गाजियाबाद कार्यालय के एक व्यापारी के वर्ष 2008–09 से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (अक्टूबर 2013) कि क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2012 में कर निर्धारण करते समय ₹ 23.45 करोड़ के मूल्य का रेडी–मिक्स कंक्रीट की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। क0नि0प्रा0 ने एफ0ओ0आर0 आधार पर प्राप्त ₹ 1.93 करोड़ ट्रान्सपोर्टेशन तथा पम्पिंग चार्जेज जो टर्नओवर का भाग था, पर कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.18 लाख का कम कर आरोपित हुआ।

हमने मामलें को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2012)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2.5.2 निरसित व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित फार्म–3घ पर मू0सं0क0 अवधि में अनियमित रूप से छूट दिये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा–4(1)(घ) के अन्तर्गत, 1 जनवरी 2008 से जो वस्तुएं अनुसूची–I, अनुसूची–II, अनुसूची–III तथा अनुसूची–IV में वर्गीकृत नहीं है, वे अनुसूची–V में 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम की धारा–3 जी में उल्लिखित किसी कम्पनी/कारपोरेशन या उपक्रम को माल की बिक्री के सम्बन्ध में एक घोषणा पत्र फार्म 3 घ निर्धारित है। दिनांक 1 जनवरी 2008 से उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम 1948 को निरसित किये जाने के पश्चात् मू0सं0क0 अवधि में की गयी खरीद या बिक्री पर निरसित उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों से कर की छूट अनुमन्य नही है।

हमने ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर झॉसी के कार्यालय से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (सितम्बर 2013) कि एक व्यापारी ने 2008–09 के मू0सं0क0 अवधि में ₹ 1.33 करोड़ मूल्य के रेलवे स्लीपर की बिक्री किया जिस पर उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र 3घ जो विधिक नहीं नहीं था, पर रियायती दर चार प्रतिशत की दर से कर जमा किया। क0नि0प्रा0 ने मई 2012 में कर निर्धारण करते समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि फार्म 3घ मू0सं0क0 अवधि के लिए विधिक नहीं था तथा 12.5 प्रतिशत की दर के बजाय चार प्रतिशत की दर से

कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.31 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमनें मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2.5.3 उत्तर प्रदेश व्यापार कर

2.5.3.1 व्यापार कर की गलत दर लगाये जाने से कर का कम आरोपण

उ0प्र0 व्यापार कर (उ0प्र0व्या0क0) अधिनियम 1948 की धारा 3–क के अन्तर्गत, शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दरों की अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत वस्तुओं पर कर अरोपणीय होता है। जो वस्तुएं निर्धारित दरों की अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है उन पर 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है।

हमने दो वाणिज्य कर कार्यालयों (वा0क0का0) के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (अक्टूबर 2012 एवं जून 2013 के मध्य) कि दो व्यापारियों द्वारा ₹ 1.49 करोड़ मूल्य के माल की 2005–06 से 2007–08 (1.1.2007 से 31.12.2007) की अवधि के मध्य बिक्री पर व्यापार कर अनुसूची में दिये गये कर की दर के बजाय मार्च 2009 से फरवरी 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा दाखिल कर विवरणियों के अनुसार कर को स्वीकार किया गया। इसके परिणामस्वरुप ₹ 25.93 लाख के व्यापार कर का कम आरोपण हुआ जैसा कि **सारणी 2.11** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.11
व्यापार कर की गलत दर लगाये जाने से कर का कम आरोपण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग टर्नओवर	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	डि0कमि0 खण्ड–6 लखनऊ	1	2007-08 (फरवरी 2013)	गुटखा[13]	121.34	32.5/12.5	24.27
2	डि0कमि0 खण्ड–16 लखनऊ	1	2005-06 (मार्च 2009)	सेनेट्री नैपकीन	15.16	16/10	0.91
			2006-07 (अक्टूबर 2009)		12.45	16/10	0.75
	योग	**2**			**148.95**		**25.93**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलो को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2012 और सितम्बर 2013 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2.5.3..2 राज्य विकास कर का अनारोपण

उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की धारा 3(ज) प्रभावी दिनांक 1 मई 2005 के अन्तर्गत ₹ 50 लाख से अधिक समेकित वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के कर योग्य टर्नओवर पर एक प्रतिशत की दर से राज्य विकास कर (रा0वि0क0) आरोपणीय होगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत देय कर के अतिरिक्त रा0वि0क0 वसूल किया जायेगा।

हमने डि0कमि0 खण्ड–28 कानपुर के व्यापारी के कर निर्धारण आदेश एवं व्यापारियों से सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच में पाया (दिसम्बर 2013) कि दो व्यापारियों का वर्ष 2005–06 और 2006–07 की अवधि का समेकित वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 लाख से अधिक था परन्तु क0नि0प्रा0 ने मई 2012 तथा जून 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 16.48 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर पर ₹ 16.48 लाख का रा0वि0क0 आरोपित नहीं किया। क0नि0अ0 के स्तर पर इस चूक के परिणामस्वरूप उस स्तर तक रा0वि0क0 अनारोपित रहा।

---

13 दिनांक 30/05/2007 कर की दर 32.5 प्रतिशत।

हमने मामलो को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (फरवरी 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2.6 अर्थदण्ड का अनारोपण

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसा कि अनियमित संव्यवहार लेखों से बाहर संव्यवहार उ0प्र0 व्या0क0 और उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि। यद्यपि कि अधिनियम में अर्थदण्ड के आरोपण किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.96 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ जैसा कि अग्रेतर प्रस्तरों में उल्लिखित है:

2.6.1 उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर

2.6.1.1 विलम्ब से कर जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा–54 (1) 1 (क) के अन्तर्गत, यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी या अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने टर्नओवर का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है या इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कर को जमा करने में असफल रहा है तो वह व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि यदि उसके द्वारा कोई कर देय हो तो वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में ऐसे शुद्ध देय कर का 20 प्रतिशत के अर्थदण्ड अदा करे।

हमने 44 वा0क0का0 में व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (दिसम्बर 2012 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कि 69 व्यापरियों ने वर्ष 2007–08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2011–12 के लिए ₹ 24.76 करोड़ के अपने स्वीकृत कर को समय से जमा नहीं किया था। 75 मामलें जोकि 69 व्यापारियों से सम्बन्धित थे, में से सिर्फ 12 व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर ब्याज सहित जमा किया तथा शेष व्यापरियों द्वारा अपना स्वीकृत कर बिना ब्याज के जमा किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिन से तीन वर्ष और 11 महीने तक की थी। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय देय कर के अतिरिक्त ₹ 4.95 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि **परिशिष्ट–XII** में दर्शाया गया है।

हमने मामलो को विभाग एवं शासन प्रतिवेदित किये (फरवरी 2013 एवं अप्रैल 2013 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में बताया कि डि0कमि0 खण्ड–3 कानपुर ने ₹ 58,000/– का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया एवं शेष मामलें में कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.6.1.2 टर्नओवर के छिपाये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम की धारा–54(1)(2) के अन्तर्गत जहाँ पर व्यापारी ने अपने टर्नओवर का विवरण छिपाया हो या ऐसे टर्नओवर का असत्य विवरण जानबूझकर प्रस्तुत किया हो या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या कर संदाय का अपवंचन किया हो जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, तो क0नि0प्रा0 व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वह कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड का भुगतान करे।

हमने 42 वा0क0का0 के अभिलेखों में व्यापारियों का अंतिम क0नि0अ0, स्वीकृत कर जो व्यापारियों द्वारा जमा कर दिया गया है और अपीलीय प्राधिकारियों का आदेश में पाया (जनवरी 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) कि 61 व्यापारियों ने वर्ष 2007–08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2011–12 के मध्य ₹ 13.46 करोड़ खरीद और बिक्री के टर्नओवर को छिपाया था। क0नि0प्रा0 ने मई 2010 एवं मार्च 2013 के मध्य उनका कर निर्धारण करते समय इस छिपाये गये टर्नओवर पर ₹ 66.19 लाख कर आरोपित किया।

यद्यपि 23 मामले में अपीलीय प्राधिकारियों[14] ने (अक्टूबर 2010 और जुलाई 2013 के मध्य) व्यापारियों द्वारा छिपाये गये टर्नओवर/देय कर का अपवंचन की पुष्टि की एवं शेष मामलें में व्यापारियों द्वारा इसे स्वयं स्वीकार करते हुए छिपाये गये टर्नओवर पर देय कर जमा कर दिया गया परन्तु सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने ₹ 1.98 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि **परिशिष्ट–XIII** में दर्शाया गया है।

हमने मामलो को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मार्च 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में बताया कि असि0कमि0 गुलावटी नें ₹ 1.80 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया। शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.6.1.3 गलत घोषणा पत्र दाखिल करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54 (1)(11)(i) के अनुसार (सपठित के0बि0क0 अधिनियम की धारा–9) यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन विहित मिथ्या या गलत प्रमाण पत्र जारी करता हो या प्रदान करता हो, जिसके कारण विक्रय या क्रय पर कर उद्ग्रहणीय नही रह जाता है, तो वह ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करें।

हमने ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पो0स0) वाणिज्य कर नोयडा के कार्यालय से सम्बन्धित व्यापारी के कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (नवम्बर 2013) कि एक व्यापारी (भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नोयडा) ने वर्ष 2008–09 में ₹ 14.73 करोड़ के सीमेंट तथा स्टील की बिक्री दस्तावेज हस्तांतरण के माध्यम से किया जिस पर कर मुक्ति का दावा किया। क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण (जून 2012 में) करते हुए इस बिक्री को दस्तावेज हस्तांतरण के रूप में नहीं पाया तथा इस प्रकार की बिक्री को कर मुक्त नहीं किया। फिर भी गलत घोषणा के लिए ₹ 7.37 करोड़ अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (जनवरी 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2.6.1.4 मिथ्या बिक्री पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54 (1)(11) (ii) के अनुसार यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन विहित माल का वास्तविक विक्रय किये बिना कर बीजक या विक्रय बीजक जारी करता है तो वह ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करें।

हमने डिप्टी कमिश्नर खण्ड–8, बरेली के कार्यालय के व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (जनवरी 2013) कि एक व्यापारी ने वर्ष 2008–09 की अवधि में ₹ 46.37 लाख के माल का वास्तविक विक्रय किये बिना विक्रय बीजक जारी किया। क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2009–10 का कर निर्धारण आदेश पारित किया किन्तु वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण आदेश पारित नहीं किया जो क0नि0प्रा0 के स्तर पर एक चूक थी। यद्यपि क0नि0प्रा0 ने फरवरी 2012 में धारा–8 के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए कर आरोपित किया लेकिन वास्तविक विक्रय के बिना, विक्रय बीजक जारी किये जाने पर व्यापारी पर ₹ 23.18 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

हमने मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मार्च 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

---

[14] असि0कमि0 खण्ड–3 आगरा, डि0कमि0 खण्ड–14 आगरा, डि0कमि0 खण्ड–15 आगरा, डि0कमि0खण्ड–4 अलीगढ़ डि0कमि0 खण्ड–1 बदायू, असि0कमि0 खण्ड–2 बांदा, असि0कमि0 खण्ड–2 बुलन्दशहर डि0कमि0–3 चन्दौली, डि0कमि0 खण्ड–12 गोरखपुर, असि0कमि0 गुलावटी, डि0कमि0 खण्ड–1 झांसी डि0कमि0 खण्ड–2 लखीमपुरखीरी, व0क0अ0 खण्ड–2 मऊ, डि0कमि0 खण्ड–1 मिर्जापुर, डि0कमि0 खण्ड–2 सम्भल डि0कमि0 खण्ड–2 सीतापुर

2.6.1.5 मिथ्या खरीद पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(11)(iv) के अनुसार, यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन विहित माल का वास्तविक क्रय किये बिना कर बीजक या विक्रय बीजक प्राप्त करता है, तो वह ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है, कि वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करें।

हमने तीन वा0क0का0 के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (सितम्बर 2013 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कि चार व्यापारियों ने वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान ₹ 62.89 लाख के माल का वास्तविक क्रय किये बिना कर बीजक प्राप्त किया। क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2012 एवं सितम्बर 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय कर आरोपित किया लेकिन वास्तविक क्रय किये बिना क्रय बीजक प्राप्त किये जाने पर व्यापारी पर ₹ 31.44 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जैसा कि **सारणी 2.12** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.12
मिथ्या खरीद पर अर्थदण्ड का अनारोपण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वास्तविक क्रय किये बिना कर /विक्रय बीजक की धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	असि0 कमि0 खण्ड–1 हाथरस	1	2008-09 (जून 2012)	35.21	17.60
		1	2008-09 (जून 2012)	16.58	8.29
2	डिप्टी कमि0 खण्ड–4 मेरठ	1	2008-09 (सितम्बर 2012)	6.13	3.07
			2009-10 (मार्च 2013)	2.04	1.02
3	डिप्टी कमि0 खण्ड–1 मुरादाबाद	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	2.93	1.47
योग		**4**		**62.89**	**31.44**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलो को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2.6.2 व्यापार कर के अधीन टर्नओवर के छिपाये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम की धारा–15 क (1)(ग) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 इस बात से संतुष्ट है कि व्यापारी ने अपना टर्नओवर छिपाया है अथवा जानबूझकर अपने टर्नओवर के सम्बन्ध में गलत विवरण प्रस्तुत किया है, तो वह ऐसे व्यापारी को कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार बचाये गये कर के 50 प्रतिशत से कम नही किन्तु 200 प्रतिशत से अनधिक की धनराशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित कर सकता है।

हमने डि0कमि0 खण्ड–9 लखनऊ वा0क0का0 में व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (फरवरी 2013) कि एक व्यापारी ने वर्ष 2001–02 (मूल कर निर्धारण आदेश जनवरी 2004 में पारित कर दिया गया था परन्तु पुनरावेदन के विभिन्न स्तर पर होने के कारण इसका अन्तिम कर निर्धारण आदेश अगस्त 2011 में पारित किया गया) के दौरान ₹ 1.06 करोड़ विक्रय टर्नओवर को छिपाया था, जिस पर क0नि0प्रा0 द्वारा अगस्त 2011 में ₹ 21.23 लाख का कर आरोपित किया गया परन्तु क0नि0प्रा0 ने ₹ 10.62 लाख का न्यूनतम अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं किया गया।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2013)। विभाग ने उत्तर में बताया कि ₹ 10.62 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है।

2.7 प्रवेश कर

2.7.1 प्रवेश कर का अनारोपण

उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

हमने 22 वा0क0का0 के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (जनवरी 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) कि वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान 31 व्यापारियों ने ₹ 106.11 करोड़ के मूल्य का माल स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीदा। क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस मामले की जाँच नहीं किया कि माल स्थानीय क्षेत्र के बाहर से खरीदा गया था जिस पर प्रवेश कर आरोपणीय था, परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ के प्रवेश कर का अनारोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–XIV** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मार्च 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य)। विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पो0स0) I, वाराणसी द्वारा प्रवेश कर के रूप में ₹ 77,000 आरोपित कर दिया गया है। शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.7.2 निर्माता द्वारा माल की कीमत में मू0सं0क0 को शामिल न किये जाने के फलस्वरूप प्रवेश कर का कम वसूल किया जाना

उ0प्र0 माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर अधिनियम 2007 की धारा 12 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय, स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतन विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा। पुनश्चः विनिर्माता ऐसे माल की सुपुर्दगी क्रेता को तब तक नहीं करेगा जब तक देय कर का भुगतान क्रेता द्वारा नहीं कर दिया जाता। विनिर्माता इस प्रकार प्राप्त कर को ऐसी रीति तथा ऐसे समय के भीतर जैसाकि निर्धारित किया जाय, जमा करेगा। यदि विनिर्माता कर को जमा करने में असफल रहता है, वहॉ वह कर के भुगतान कर दायी होगा, जिसे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

हमने आठ वा0क0का0 के व्यापारियों से सबन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (मई 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) कि 12 विनिर्माताओं ने वर्ष 2008–09 एवं 2010–11 की अवधि में ₹ 418.99 करोड़ (मू0सं0क0 सहित) के माल को बेचा तथा स्थानीय क्षेत्र के बाहर क्रेताओं को सुपुर्दगी में दिया जिस पर प्रवेश कर वसूलनीय था लेकिन विनिर्माताओं द्वारा माल के मूल्य पर कर नही वसूल किया गया। क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय इस पक्ष पर विचार न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 29.41 लाख के प्रवेश कर की कम वसूली हुयी जैसा कि **परिशिष्ट–XV** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग तथा शसन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

2.7.3 प्रथम क्रेता के स्तर पर माल की कीमत में मू0सं0क0 को शामिल न किये जाने के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

उ0प्र0 माल के प्रवेश पर अधिनियम 2007 की धारा 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों की अनुसूची के अनुसार, माल के मूल्य पर प्रवेश कर आरोपणीय है। पुनश्चः उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम की धारा–2(एच) में यथा

परिभाषित माल की कीमत निर्धारित है, जिसमें क्रेता को माल की सुपुर्दगी के समय के अन्य खर्चे जैसे पैकिंग मैटीरियल, फ्रेट चार्जेज तथा इक्साइज ड्यूटी इत्यादि के अतिरिक्त प्रभारित कर भी शामिल है।

हमने डि0क0 खण्ड–8 वा0क0 कानपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया (अप्रैल 2013) कि वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 के दौरान एक व्यापारी ने ₹ 175.21 करोड़ गुटखा की खरीद विनिर्माता से किया। व्यापारी ने माल की सुपुर्दगी लेते समय ₹ 7.75 करोड़ का प्रवेश कर विनिर्माता को भुगतान किया जिसमें गुटखा की मूल कीमत में मू0सं0क0 को शामिल नहीं किया गया। विनिर्माता द्वारा चार्ज किया गया मू0सं0क0 माल की कीमत का भाग था जिस पर अधिनियम की धारा–2(एच) में माल की कीमत में मू0सं0क0 को शामिल करके प्रवेश कर आरोपणीय था। क0नि0प्रा0 ने अक्टूबर 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य कर निर्धारण करते समय माल की कीमत मू0सं0क0 सहित ₹ 175.21 करोड़ पर प्रवेश कर का आरोपण अपेक्षित था। हमने देखा कि क0नि0प्रा0 ने इस पक्ष पर विचार नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ। जैसा कि **सारणी 2.13** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.13

माल की कीमत में मू0सं0क0 शामिल न किये जाने के फलस्वरूप प्रवेश कर का कम आरोपण

(₹ लाख में)

क्र0 स0	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	माल की कीमत बिना मू0सं0क0 के	आरोपणीय कर की दर (प्रति0 में)	मू0सं0क0	माल की कीमत मू0सं0क0 सहित	आरोपणीय प्रवेश कर	आरोपित प्रवेश कर	कम वसूल की गयी प्रवेश कर की धनराशि
1	डि0 कमि0 खण्ड–8, कानपुर	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	गुटखा	5,116.05	5	639.51	5,755.56	287.78	255.80	31.98
			2009-10 (अप्रैल 2012)	गुटखा	10,381.22	5	1,384.16	11,765.38	588.27	519.06	69.21
योग					**15,497.27**		**2,023.67**	**17,520.94**	**876.05**	**774.86**	**101.19**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

2.7.4 प्रवेश कर वसूल न किया जाना तथा अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा 12 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, राज्य के भीतर किसी विनिर्माता से किसी स्थानीय क्षेत्र में लाने का इरादा रखता हो, वह विनिर्माता से माल का परिदान प्राप्त करते समय, स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान विनिर्माता को करेगा और विनिर्माता इस प्रकार भुगतान किये गये कर को प्राप्त करेगा। विनिर्माता ऐसे माल की सुपुर्दगी क्रेता को तब तक नहीं करेगा जब तक देय कर का भुगतान क्रेता द्वारा नहीं कर दिया जाता। पुनश्चः विनिर्माता यदि इस प्रकार कटौती करने में असफल रहता है या कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो क0नि0प्रा0 उ0 प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा–34(8) के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार कटौती योग्य धनराशि या काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

हमने पाँच वा0क0का0 के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (अगस्त 2013 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कि पाँच विनिर्माताओं ने

वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान ₹ 10.89 करोड़ का माल बेचा तथा स्थानीय क्षेत्र के बाहर क्रेताओं को सुपुर्दगी में दिया। जिस पर प्रवेश कर वसूलनीय था लेकिन विनिर्माताओं द्वारा माल के मूल्य पर ₹ 10.89 लाख प्रवेश कर नही वसूल किया। इसके अतिरिक्त एक मामले में (सारणी सं0 2.14 के क्रम सं0 3) एक व्यापारी ने माल की बिक्री पर ₹ 2.60 लाख का प्रवेश कर वसूल किया लेकिन 147 दिन विलम्ब से शासकीय कोषागार में जमा किया। क0नि0प्रा0 ने अप्रैल 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 10.89 लाख प्रवेश कर की वसूली करने में असफल रहने तथा ₹ 2.60 लाख प्रवेश कर को विलम्ब से जमा पर ₹ 23.12 लाख अर्थदण्ड के आरोपण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही नही किया जैसा कि **सारणी 2.14** में दर्शाया गया हैः।

सारणी 2.14

प्रवेश कर वसूल न किया जाना तथा अर्थदण्ड का अनारोपण

(₹ लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	करयोग्य टर्नओवर	वसूलनीय /वसूल की गयी प्रवेश कर की दर (प्रतिशत में)	वसूल न की गयी प्रवेश कर की धनराशि/ विलम्बित जमा	विलम्ब की अवधि दिनों में	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि0 कमि0 खण्ड–12 आगरा	1	2009-10 (फरवरी 2013)	लोहे की पत्ती (कमानी की पत्ती)	193.41	1/0	1.93	कर नही काटा गया	अपीली प्राधिकरण द्वारा अर्थदण्ड को समाप्त किया गया
2	डि0कमि0 खण्ड–17 गाजियाबाद	1	2009-10 (मार्च 2013)	स्टील कास्टींग	95.75	1/0	0.96	कर नही काटा गया	1.92
3	डि0कमि0 खण्ड–18 गाजियाबाद	1	2008-09 (जून 2012)	-	-	-	2.60	147	5.21
4	डि0कमि0 खण्ड–10 कानपुर	1	2008-09 (जून 2012)	कम्प्यूटर पेपर	645.17	1(5-4)/0	6.45	कर नही काटा गया	12.90
5	डि0कमि0 खण्ड–9 नोएडा	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	लोहे का बार	154.56	1/0	1.55	कर नही काटा गया	3.09
	योग	**5**			**1,088.89**		**13.49**		**23.12**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग तथा शसन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

2.8 केन्द्रीय बिक्री कर

2.8.1 केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 7(3) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो दूसरे राज्य से कर की रियायती दर से माल खरीदने के लिए अभिप्रेत हो, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिए आवेदन करेगा। पंजीयन प्राधिकारी, आवेदनकर्ता का पंजीयन करेगा, एवं विहित प्रारूप में उसे पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, जिसमें उस वर्ग या वर्गो के माल को निविदिष्ट करेगा जो उसके द्वारा पुनः विक्रय के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या दूरसंचार नेटवर्क या खनन में या बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के लिए उत्पादन या वितरण में उपयोग में लाये जाने के लिए आशयित है। पुनश्चः कमिश्नर वाणिज्य कर (क0वा0क0) ने सभी कर निर्धारण अधिकारियों को परिपत्र सं0–17 दिनांक 4 दिसम्बर 1992 द्वारा यह निर्देशित किया था

कि निर्माताओ/व्यापारियों को भवन निर्माण के लिए सीमेंट एवं अन्य भवन निर्माण सामग्रियों की फार्म 'सी' से खरीद की सुविधा प्रदान नही की जायेगी।

हमने ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्पो0स0) वा0क0 गौतमबुद्ध नगर के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया (मई 2013) कि एक व्यापारी (एन0टी0पी0सी0लि0 गौतमबुद्धनगर) को फरवरी 1984 में ऊर्जा के उत्पादन के लिए कच्चा माल की खरीद हेतु केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र (के0प0प्र0प0) प्रदान किया गया था। के0प0प्र0प0 में सीमेन्ट और आयरन एवं स्टील की खरीद भी अनुमन्य थी जिसका विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग नहीं होता है। व्यापारी ने वर्ष 2007–08 एवं 2009–10 के दौरान कारखाने कें निर्माण में प्रयुक्त होने के लिए ₹ 27.78 करोड़ की सीमेंट एवं ₹ 6.10 करोड़ की आयरन एवं स्टील की खरीद की जो कि उसके के0प0प्र0प0 में त्रुटिपूर्ण तरीके से शामिल था। व्यापारी द्वारा इस खरीद पर के0बि0क0 की रियायती दर (2007–08 एवं 2008–09 में 31 मई 2008 तक के लिए तीन प्रतिशत एवं दिनांक 1 जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से) का दावा किया। चूंकि व्यापारी का व्यापार विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण का था और उक्त के उत्पादन के लिए सीमेंट एवं आयरन स्टील कच्चा माल/प्रसंस्करण सामग्री नहीं है। निर्माताओं के लिए फार्म 'सी' की सुविधा सिर्फ उन माल को क्रय करने के लिए है जिनका उपयोग उस माल के विनिर्माण व प्रसंस्करण में किया जाय जो बेचने के उद्देश्य से हो। क0नि0प्रा0 द्वारा के0प0प्र0प0 में सीमेंट व आयरन एवं स्टील की खरीद के लिए अधिकृत किया जाना अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध होने के साथ ही साथ कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेशों के विरूद्ध भी था। क0नि0प्रा0 में वर्ष 2007–08 से 2009–10 के लिए क0नि0आ0 पारित करते समय इस त्रुटि को संज्ञान में नहीं लिया। क0नि0प्रा0 की इस त्रुटि के परिणामस्वरूप व्यापारी को ₹ 2.98 करोड़ का अनुचित लाभ मिला जैसा कि **सारणी 2.15** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.15

केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र की अनियमित स्वीकृति (के0प0प्र0प0)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	वस्तु का नाम	फार्म से अच्छादित माल का मूल्य	आरोपणीय कर की दर *(प्रतिशत)*	आरोपित कर की दर *(प्रतिशत)*	कम आरोपित कर
1.	ज्वा0 कमि0 (कार्पो0सं0) गौतमबुद्ध नगर	1	2007-08 (मार्च 2010)	सीमेन्ट	467.86	12.0	3	42.11
				आयरन एवं स्टील	300.92	4.0	3	3.01
			2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	सीमेन्ट	37.40	12.5	3	3.55
			2008-09 (अप्रैल 2012)	सीमेन्ट	282.51	12.5	3	26.84
				आयरन एवं स्टील	285.02	4.0	3	2.85
				सीमेन्ट	1,023.22	12.5	2	107.44
				आयरन एवं स्टील	24.44	4.0	2	0.49
			2009-10 (अप्रैल 2013)	सीमेन्ट	967.30	13.5	2	111.24
योग		**1**			**3,388.67**			**297.53**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2.8.2 केन्द्रीय बिक्री कर का कम आरोपण

केन्द्रीय बिक्री कर (के0वि0क0) अधिनियम, 1956 के की धारा 8(2) के अन्तर्गत फार्म 'सी' के घोषण पत्रो से अनाच्छादित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर (घोषित वस्तुओं के अलावा) राज्य में ऐसी वस्तु की खरीद या बिक्री पर आरोपणीय कर की दर जो कि उस राज्य की बिक्री कर में लागू हो, आरोपणीय होती है।

हमने 10 वा0क0का0 के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (दिसम्बर 2010 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि 11 व्यापारियों ने वर्ष 2007–08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2009–10 की अवधि में ₹ 8.07 करोड़ की अन्तर प्रान्तीय बिक्री बिना फार्म 'सी' के की। क0नि0प्रा0 ने फरवरी 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय के0बि0क0 के अन्तर्गत उस दर से आरोपण न करते हुए कम दर से कर का आरोपण किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.37 लाख की राशि का के0बि0क0 कम आरोपित हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-XVI** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जनवरी 2012 एवं मई 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2.8.3 केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण

केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) अधिनियम की धारा 10 एवं 10 ए के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यापारी फार्म 'सी' की घोषणा के आधार पर प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर कोई माल खरीद सकता है। यदि ऐसा माल के0बि0क0 अधिनियम के अन्तर्गत उसको जारी पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं है अथवा प्रान्त बाहर से कर की रियायती दर पर खरीदे गये माल का प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु करता है जिस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो व्यापारी अभियोजन योग्य होता है।यदि क0नि0प्रा0 उचित समझे तो अभियोजन के स्थान पर ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक का अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

हमने आठ वा0क0का0 के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धाण आदेश एवं पत्रावलियों कि जाँच में पाया (जून 2012 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) की वर्ष 2004–05 से 2009–10 के दौरान आठ व्यापारियों ने फार्म 'सी' कि घोषणा के आधार पर ₹ 1.77 करोड़ का माल के0बि0क0 की रियायती दर पर खरीदा जो कि उनके पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित नहीं था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2008 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र और उपभोग किये गये फार्म 'सी' के विवरण की जाँच नही की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.01 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं हुआ। जैसा की विवरण **परिशिष्ट-XVII** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2012 एवं फरवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2.9 ब्याज के प्रभारित किये जाने में अनियमितता

क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों पर ध्यान नहीं दिया जैसा कि ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना, कम ब्याज का माँग किया जाना, बैक गारन्टी के नगदीकरण पर ब्याज का प्रभारित न किया जाने का संव्यवहार उ0प्र0 व्या0क0 और उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल संव्यवहार आदि। यद्यपि कि अधिनियम में ब्याज के प्रभारित किये जाने हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, फिर भी सम्बन्धित क0नि0प्रा0 ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 76.94 लाख के ब्याज प्रभारित नहीं हुआ जैसा कि अग्रेतर प्रस्तरों में उल्लिखित है।

2.9.1 ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 33(2) एवं उ0प्र0 व्या0क0 की धारा 8(1) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए। स्वीकृत रूप में देय कर यदि व्यापारी द्वारा देय तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अंतिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक प्रतिमाह सवा प्रतिशत (11 अगस्त 2004 तक दो प्रतिशत

प्रतिमाह और उसके पश्चात 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष उ0प्र0 व्या0क0 के समय) की दर से साधारण ब्याज देय होता है।

हमने नौ वा0क0का0 के व्यापारियों द्वारा दाखिल क0नि0 पत्रावली एवं विवरणी की जाँच में पाया (नवम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के मध्य) कि 13 व्यापारियों द्वारा वर्ष 2002–03 से 2010–11 के दौरान स्वीकृत कर ₹ 1.13 करोड़ तीन माह 12 दिन से चार वर्ष तीन माह तक विलम्ब से जमा किया। स्वीकृत कर विलम्ब से जमा किये जाने के कारण विलम्ब की तिथि तक ₹ 30.32 लाख का ब्याज आकर्षित होता है। क0नि0प्रा0 ने जनवरी 2011 एवं फरवरी 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय इसको संज्ञान में नही लिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 30.32 लाख का ब्याज कम/न प्रभारित किया गया जैसा की **परिशिष्ट-XVIII** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मार्च 2013 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में बाताया कि ज्वा0कमि0 (कार्पो0सं0) मेरठ और डि0कमि0 खण्ड–1 वाराणसी में ₹ 2.45 लाख के ब्याज को प्रभारित किया एवं शेष मामलो में कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.9.2 वसूली प्रमाण पत्र में ब्याज की कम मांग के फलस्वरूप ब्याज का कम आरोपण

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 33(2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए। स्वीकृत रूप में देय कर यदि व्यापारी द्वारा देय तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अंतिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक प्रतिमाह सवा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज आकर्षित होता है।

हमने ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पो0स0) वाणिज्य कर, बरेली के कार्यालय के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (सितम्बर 2013) कि क0नि0प्रा0 ने दो व्यापारियों के वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 की अवधि का जून 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय स्वीकृत बिक्री पर कर आरोपित किया। जबकि, व्यापारी ने कर को समय से जमा नहीं किया तथा इस विफलता पर क0नि0प्रा0 ने ₹ 17.34 लाख के स्वीकृत की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किया लेकिन तीन वर्ष आठ माह से तीन वर्ष नौ माह की विलम्बित अवधि के लिए ₹ 9.83 लाख ब्याज की मांग वसूली प्रमाण पत्र में नहीं की। जैसा कि **सारणी 2.16** मे दर्शाया गया है।

सारणी 2.16

वसूली प्रमाण पत्र में ब्याज की कम मांग के फलस्वरूप कम ब्याज का प्रभारित किया जाना

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारी की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	कर की धनराशि	कर की देय तिथि	वसूली प्रमाण पत्र में ब्याज प्रभारित की तिथि	विलम्ब की अवधि दिनों में	प्रभारणीय ब्याज
1.	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पो0स0) वाणिज्य कर, बरेली	1	2008-09 (जून– 2012)	13.57	1 अक्टूबर 2008	21 जुलाई 2012	1,389	7.75
		1	2009-10 (मार्च– 2013)	3.77	1 अक्टूबर 2009	3 जून 2013	1,341	2.08
	योग	**2**		**17.34**				**9.83**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमनें मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.9.3 बैंक गारण्टी के नकदीकरण पर ब्याज का प्रभारित न किया जाना

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 33(2) एवं उ0प्र0 व्या0 कर अधिनियम की धारा 8(1) के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे व्यापारी से जिस पर कर के भुगतान का दायित्व है अपेक्षा

की जाती है कि वह देय तिथि की समाप्ति के पूर्व कर की धनराशि कोषागार में जमा करें ऐसा न करने पर निर्धारित अन्तिम तिथि के ठीक अगले दिन से जमा की तिथि तक जमा न की गई धनराशि पर सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज (उ0प्र0व्या0क0 अधिनियम की अवधि में 14 प्रतिशत वार्षिक) देय होता है।

मा0 उच्च न्यायालय में अधिसूचित वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर आरोपित करने के उ0प्र0 सरकार की विधायी सक्षमता को चुनौती दी गयी। मा0 उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2007 एवं मई 2010 के मध्य मामले की प्रारम्भिक सुनवायी पर व्यापारियों को विवादित प्रवेश कर बैंक गारण्टी(बै0ग0)/सावधि जमा रसीद के रूप में जमा करने का आदेश दिया। मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश (दिसम्बर 2011) में उ0प्र0 सरकार के द्वारा उक्त प्रवेश कर आरोपित करने की सक्षमता को सही ठहराया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के क्रम में सम्बन्धित मामलों में प्रवेश कर आरोपणीय/देय था। अतः जहाँ विवादित प्रवेश कर बैंक गारण्टी/सावधि जमा रसीद के रूप में जमा की गयी थी उन मामलों में क0नि0प्रा0 द्वारा उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा–9(4) के अन्तर्गत आदेश पारित करना अपेक्षित था।

हमने तीन वा0क0का0 की जाँच में पाया (फरवरी 2013 एवं अक्टूबर 2013 के मध्य) कि मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के पश्चात क0नि0प्रा0 ने तीन व्यापारियों के मामले में बैंक गारण्टी का नकदीकरण कराया। यद्यपि स्वीकृत कर ₹ 77.85 लाख दो वर्ष 10 माह से तीन वर्ष चार माह तक के विलम्ब के पश्चात शासकीय कोषागार में जमा किया गया फिर भी क0नि0प्रा0 शासकीय खाते में विलम्ब से जमा स्वीकृत कर पर ₹ 36.79 लाख का ब्याज प्रभारित नही किया जैसा कि **सारणी–2.17** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.17
बैंक गारण्टी के नकदीकरण पर ब्याज का प्रभारित न किया जाना

(₹ लाख में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	विलम्ब से जमा धनराशि	जमा की देय तिथि	बैक गारन्टी नगदी करण का दिनांक	विलम्ब की अवधि दिनों में	ब्याज की दर प्रतिवर्ष (प्रतिशत में)	कुल आरोपणीय ब्याज
1	डि0कमि0 खण्ड–7 इलाहाबाद	1	2008-09 (जून 2012)	25.00	27 जनवरी 2012	1अप्रैल 2009 से 27 जनवरी 2012	1,032	15	10.60
2	डि0कमि0 खण्ड–2 गाजियाबाद	1	2008-09 (मई 2012)	16.85	17 जनवरी 2012	1 अक्टूबर 2009 से 17 जनवरी 2012	1,218	15	8.44
3	डि0कमि0 खण्ड–5 गोरखपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	36.00	1अक्टूबर 2008	1 अक्टूबर 2008 से 14 जनवरी 2012	1,200	15	17.75
	योग	**3**		**77.85**					**36.79**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2.10 गलत/मिथ्या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) के दावे के मामले

2.10.1 क0नि0प्रा0 द्वारा संज्ञान में न लिये जाने वाले गलत/मिथ्या आई0टी0सी0 के दावे के मामले

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 13 सपठित उ0प्र0 मू0सं0क0 नियमावली 2008 के नियम 24 के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा टैक्स इनवाइस के विरूद्ध पंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीद पर दिये गये कर या अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर नकद जमा धनराशि पर उनके द्वारा की गई खरीद या बिक्री पर संदत या

संदेय कर की सीमा तक आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य है। अधिनियम की धारा 14(2) के अन्तर्गत यदि किसी माल के सम्बन्ध में गलत तरीके से आई0टी0सी0 का दावा किया है तो आई0टी0सी0 का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक अनुमन्य नहीं है, उत्क्रमित किया जाएगा। सपठित उ0प्र0 मू0सं0क0 नियमावली के नियम 21, 22, 23 एवं 25 में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में, दावाकृत आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किए जाने का प्रावधान है। मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 54(1)(19) के अन्तर्गत यदि क0नि0प्रा0 संतुष्ट है कि जहाँ, यथास्थिति, कोई व्यापारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति आई0टी0सी0 के रूप में मिथ्या या कपटपूर्ण तरीके से धनराशि का दावा करता है, वह निर्देशित कर सकता है कि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति, उसके द्वारा देयकर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, अर्थदण्ड के रूप में आई0टी0सी0 की धनराशि के पाँच गुने के बराबर धनराशि का भुगतान करेगा। उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में जिस दिनांक को धनराशि जमा की गई हो को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित इनपुट टैक्स क्रेडिट को जमा करने का दायी होगा।

हमने 15 वा0क0का0 में व्यापारियों से सम्बन्धित क0नि0आ0 एवं पत्रावलियों कि जाँच में पाया (अप्रैल 2012 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कि 15 व्यापारियों के मामले में वर्ष 2008–09 से 2010–11 में ₹ 1.94 करोड़ की आई0टी0सी0 का पूरा दावा किया था। क0नि0प्रा0 ने नवम्बर 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0 का प्रति सत्यापन नहीं किया और ₹ 1.94 करोड़ की मिथ्या एवं कपटपूर्ण आई0टी0सी0 को अनुमन्य की। यह आई0टी0सी0 का दावा मिथ्या/कपटपूर्ण आधार पर जैसे कि छूट, प्रोत्साहन, कटौती, क्रेडिट नोट, क्षतिग्रस्त माल, स्टाक अन्तरण, फर्जी खरीद, विगत वर्ष से लायी गयी गलत आई0टी0सी0, प्रयोग के अधिकार पर आई0टी0सी0 का दावा, पूँजीगत माल पर आई0टी0सी0 एवं आई0टी0सी0 के सम्बन्ध में प्रस्तुत झूटा विवरण जो कि अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के विपरीत थी। इस प्रकार मिथ्या दावा ₹ 12.41 करोड़ (आर0आई0टी0सी0 ₹ 194.00 लाख ब्याज ₹ 82.58 लाख एवं अर्थदण्ड ₹ 964.03 लाख) की उत्क्रमित आई0टी0सी0, अनारोपित अर्थदण्ड और प्रभारित न किया गया ब्याज आकर्षित होता है जैसा कि **परिशिष्ट–XIX** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (फरवरी 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 2014)।

2.10.2 क0नि0प्रा0 द्वारा संज्ञान में लिये जाने वाले मामले पर अर्थदण्ड का अनारोपण

हमने 17 वा0क0का0 के व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (जनवरी 2013 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कि 28 व्यापारियों के मामलें में वर्ष 2007–08 (1.1.2008 से 31.3.2008) से 2010–11 में क0नि0प्रा0 ने मार्च 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय व्यापारियों द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0 के प्रति सत्यापन में पाया गया कि व्यापारियों ने कपटपूर्ण तरीके से ₹ 1.72 करोड़ की आई0टी0सी0 का दावा किया था। यद्यपि क0नि0प्रा0 द्वारा आई0टी0सी0 उत्क्रमित कर दी गई थी लेकिन ₹ 8.62 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नही किया जैसा कि **परिशिष्ट–XX** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में बताया कि डि0कमि0 नजीबाबाद द्वारा ₹ 25.85 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया एवं शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.10.3 विशेष आर्थिक जोन को बिक्री पर गैर–अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्याज सहित उत्क्रमित न किया जाना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवंर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा–13(7) के अन्तर्गत, किसी माल के क्रय के सम्बन्ध किसी व्यापारी को इन्पुट टैक्स क्रेडिट की किसी सुविधा की अनुमति नहीं दी जायेगी, जहाँ अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना (सं0क0नि0–2–2027/ग्यारह–9(15)/08–यू0पी0अधि–5–2008 आदेश–(26) –2008) के अधीन व्यापारी द्वारा ऐसे माल का विक्रय किया जाना कर के भुगतान से मुक्त हों। पुनश्चः अधिनियम की धारा–14(2) के अन्तर्गत् यदि व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में आई0टी0सी0 का गलत दावा किया है तो ऐसी आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं है तथा उत्क्रमित होगी जो 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

हमने दो वा0क0का0 के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (अगस्त 2013) कि तीन व्यापारियों ने वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 के दौरान विशेष अर्थिक जोन को प्रान्तीय खरीद ₹ 4.24 करोड़ के माल का विक्रय किया गया एवं उक्त विक्रय में लगे माल पर ₹ 20.59 लाख आई0टी0सी0 का दावा किया गया है जोकि उक्त पर अनुमन्य नहीं थी। क0नि0प्रा0 से अप्रैल 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय यह अपेक्षित था कि इस गैर अनुमन्य आई0टी0सी को उत्क्रमित करते तथा कर को ब्याज सहित जमा करने का आदेश देते। हमने देखा कि सभी तीन मामलों में क0नि0प्रा0 ने न तो ₹ 20.59 लाख आई0टी0सी0 उत्क्रमित की तथा विलम्ब की अवधि तीन वर्ष चार माह तथा नौ दिन से लेकर चार वर्ष चार माह तथा 25 दिन तक होने के बावजूद न ही ₹ 11.11 लाख ब्याज प्रभारित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.71 लाख की आर0आई0टी0सी0 एवं ब्याज (आर0आई0टी0सी0 ₹ 20.60 लाख, ₹ 11.11 लाख) कम अरोपित हुआ जैसा कि **सारणी 2.18** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.18
विशेष आर्थिक जोन (वि0आ0जो0) को बिक्री पर गैर–अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्याज सहित उत्क्रमित न किया जाना

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापरियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	प्रान्तीय खरीद की कुल धनराशि जिसका उपयोग वि0आ0जो0 को विक्रय में किया गया	क0 नि0 अ0 द्वारा उत्क्रमित न की गयी आई0टी0सी0 की राशि जो कि वि0आ0जो0 को प्रान्तीय खरीद के माल की विक्रय में किया गया	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	प्रभारणीय ब्याज (15 प्रतिशत प्रति वर्ष)
1.	डि0कमि0 खण्ड–7 गाजियाबाद	1	2009-10 (जून 2012)	235.51	10.32	1,240	5.26
		1	2008-09 (अप्रैल 2012)	70.00	3.91	1,605	2.58
			2009-10 (मार्च 2013)	107.45	5.33	1,240	2.71
2.	डि0कमि0 खण्ड–6 नोएडा	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	3.12	0.27	1,589	0.17
			2009-10 (फरवरी 2013)	7.38	0.77	1,224	0.39
	योग	**3**		**423.46**	**20.60**		**11.11**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 एवं नवम्बर 2013 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ। (दिसम्बर 2014)।

2.10.4 स्टाक अन्तरण पर गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 का कम उत्क्रमित किया जाना तथा ब्याज का प्रभारित न किया जाना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवंर्धित कर अधिनियम की धारा–13 (संशोधित प्रभावी दिनांक 28.02. 2009) के अन्तर्गत् राज्य के भीतर से क्रय किये गये कर योग्य माल का प्रान्त बाहर पारेषण या अन्तरण तथा विनिर्माण में प्रयोग से निर्मित माल का पारेषण या अन्तरण की

दशा में आई0टी0सी0 की आंशिक धनराशि जो क्रय मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक है, की सीमा तक आई0टी0सी0 की धनराशि अनुमन्य है। पुनश्चः अधिनियम की धारा 14(2) के अन्तर्गत् यदि व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में आई0टी0सी0 का गलत दावा किया है तो ऐसी आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं होगी इसके साथ 15 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

हमने सात वाणिज्य कर कार्यालयों में व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (मई 2013 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य) कि सात व्यापारियों द्वारा वर्ष 2008–09 व 2009–10 के दौरान आई0टी0सी0 का ₹ 48.03 लाख का गलत दावा किया जो कि स्टाक अन्तरण पर अनुमन्य नही था। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा मार्च 2012 एवं जुलाई 2012 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय यह अपेक्षित था कि इस गैर अनुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित करे तथा व्यापारी को ब्याज सहित भुगतान के लिए निर्देशित करें। इसके परिणामस्वरूप ₹ 74.35 लाख (आर0आई0टी0सी0 ₹ 48.03 लाख और ब्याज ₹ 26.32 लाख) आई0टी0सी0 कम उत्क्रमित हुआ एवं देय ब्याज अनारोपित रहा जैसा कि **परिशिष्ट– XXI** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.11 कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा असत्य चालान पर स्वीकृत कर का लाभ दिया जाना

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम 2008 की धारा 33(2) के अन्तर्गत कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यापारी को देय तिथि की समाप्ति से पहले ऐसी कर की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कर देना चाहिए। स्वीकृत रूप में देय कर यदि व्यापारी द्वारा देय तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो असंदत्त धनराशि पर निर्धारित अंतिम दिनांक के ठीक अगले दिनांक से ऐसी धनराशि के भुगतान के दिनांक तक सवा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज आकर्षित होता है।

हमने ज्वा0कमि0 (कार्पो0सं0) वा0क0 फैजाबाद के व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (अगस्त 2013) कि एक व्यापारी अपने स्वीकृत कर के दायित्व के प्रति दिनांक 29 अप्रैल 2009 का ₹ 2.15 लाख के असत्य चालान को प्रस्तुत किया। कर निर्धारण प्राधिकारी ने (मार्च 2013) कर निर्धारण करते समय दिनांक 29 अप्रैल 2009 के ₹ 2.15 लाख के असत्य चालान का लाभ प्रदान किया जिस पर कोई चालान संख्या अंकित नही थी। अग्रेतर इस बात की पुष्टी फैजाबाद के कोषागार के अभिलेखों की परस्पर जाँच में पाया गया कि यह धनराशि कोषागार में जमा नही की गयी। पुनश्चः क0नि0प्रा0 ने कर निर्धारण आदेश पारित करते समय यह निर्देश खाता पालक को दिया कि इसका सत्यापन डी0सी0आर0 (दैनिक संग्रह रजिस्टर) से करा लिया जाय परन्तु यह निर्देश नही दिया कि इसका सत्यापन सम्बन्धित कोषागार से भी कराया जाय। इसके परिणामस्वरूप जो धनराशि कोषागार में जमा नही की गयी थी उसका लाभ व्यापरी द्वारा गलत तरीके से लिया गया एवं विभाग द्वारा भी अनुमन्य किया गया। इस प्रकार क0नि0प्रा0 द्वारा गलत चालान पर स्वीकृत कर का लाभ व्यापारी को दिया गया जो कि व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर ₹ 2.15 लाख जमा नही किया गया।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.12 निर्धारित प्रक्रिया के कमजोर अनुश्रवण से विभाग द्वारा आरोपित राशि का न वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा–33 के अर्न्तगत् कर अथवा शुल्क अथवा अर्थदण्ड अथवा इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य राशि का भुगतान

करने वाले व्यापारी अथवा अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना स्वीकृत कर निर्धारित समय के भीतर जमा करेगा। इस अधिनियम के अधीन भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य किसी राशि के सम्बन्ध में, कर निर्धारण प्राधिकारी कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर के साथ देय धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुये एक प्रमाण–पत्र अग्रेसित कर सकता है। कलेक्टर उक्त प्रमाण–पत्र के प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि की वसूली करने की कार्यवाही इस प्रकार करेगा मानों वह राशि भू–राजस्व का बकाया हो।

हमने 103 वाणिज्य कर कार्यालयों[15] के व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावलियो की जाँच में पाया (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान 929 मामलें जो 700 व्यापारियों से सम्बन्धित थे, के वर्ष 2008–09 से 2012–13 के वादों पर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत ₹ 58.55 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित किया गया। परन्तु उक्त मे से 832 मामलों में ₹ 4.85 करोड़ अर्थदण्ड की वसूली की कोई कार्यवाही नही की गयी एवं 97 मामलों में ₹ 53.65 करोड़ अर्थदण्ड के वसूली प्रमाण पत्र तो जारी किये गये परन्तु वसूली नहीं हुई थी एवं वसूली की अद्यतन स्थिति से सम्बन्धित जानकारी कर निर्धारण अधिकारी के पास नहीं थी। शेष धनराशि ₹ पाँच लाख पर विभाग को कोई जानकारी नही है। इस प्रकार विभाग द्वारा आरोपित राशि का न वसूल किया जाना निर्धारित प्रक्रिया के कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ (दिसम्बर 2014)।

2.13 विलम्ब से जमा संकर्म संविदा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम की धारा–8 डी (6) एवं उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरूद्ध किसी दायित्व निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में असफल रहता है या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व तथा और कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

हमने 24 वा0क0का0 में व्यापारियों से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों एवं पत्रावलियों की जाँच में पाया (फरवरी 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि 28 व्यापारियों ने वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान संविदाकारों को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 4.37 करोड़ के सकर्म संविदा कर की कटौती की परन्तु उसे निर्धारित समयावधि के अन्दर शासकीय कोषागार में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिन से आठ महीना और 10 दिन तक की थी। कर निर्धारण प्राधिकारी ने मई 2010 एवं मार्च 2013 के मध्य कर निर्धारण करते समय ₹ 8.74 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया, जैसा कि **परिशिष्ट– XXII** में दर्शाया गया है।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मार्च 2013 एवं अप्रैल 2014 के मध्य)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ (दिसम्बर 2014)।

---

[15] आगरा(2), अलीगढ़(3), इलाहाबाद(4), अम्बेडकर नगर(1), आजमगढ़ (4) बहराईच (3), बाराबंकी(1), बरौत (1), बस्ती(1), भदोई(1), बुलन्दशहर (4), छ0श0म0 नगर(1), चन्दौली(3), डिबाई(1), देवरियां(3), एटा(1), इटावा(5), फैजाबाद(2), फिरोजाबाद(3), गौतमबुद्धनगर(1), गाजियाबाद(4), गाजीपुर(3), गोरखपुर(3), गोण्डा(2), हरदोई (2), जैनपुर(5) कानपुर(4), लखीपुरखीरी(1), ललितपुर(1), लखनऊ(7) महाराजगंज(1), मथुरा(2), मऊ(2), मिर्जापुर(5), मुरादाबाद(2), नोयडा(5) सहारनपुर(1), संतकबीर नगर(1), सिद्धार्थनगर(1), सोनभद्र(3) और वाराणसी (3)।

2.14 कम काटे गये संकर्म संविदा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0 व्या0क0 अधिनियम की धारा–8 डी (6) एवं उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम की धारा 34(8) के अन्तर्गत, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के विरूद्ध किसी दायित्व निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो ऐसी सकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि में से चार प्रतिशत की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में असफल रहता है या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह की समाप्ति के पूर्व तथा और कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

हमने असि0कमि0 खण्ड–1 नजीबाबाद के व्यापारी से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया (मार्च 2013) कि वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान दो व्यापारी द्वारा संविदाकार को ₹ 28.64 करोड़ का भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 73.05 लाख के कर की कटौती की गयी। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्रोत पर चार प्रतिशत की दर से ₹ 1.15 करोड़ के कर की कटौती करके जमा किया जाना अपेक्षित था। क0नि0प्रा0 ने मार्च 2010 एवं अक्टूबर 2011 के मध्य कर निर्धारण करते समय स्रोत पर की गयी कर की कम कटौती ₹ 41.52 लाख पर ध्यान नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 41.52 लाख के कर के कम आरोपण के साथ साथ ₹ 83.04 लाख के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ जैसा कि **सारणी 2.19** में दर्शाया गया है।

सारणी 2.19

कम काटे गये संकर्म संविदा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह एवं वर्ष)	भुगतान किया गया	स्रोत पर कर की जाने वाली कटौती /स्रोत पर की गयी कटौती	स्रोत पर कर की कटौती न किया जाना	अर्थदण्ड का अनारोपण
1	असि0कमि0 खण्ड–1 नजीबाबाद	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	769.25	30.77 / 16.60	14.17	28.34
		1	2007-08 (मार्च 2010)	2,094.94	83.80 / 56.45	27.35	54.70
योग		**2**		**2,864.19**	**114.56 / 73.05**	**41.52**	**83.04**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ (दिसम्बर 2014)।

अध्याय–III
राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं शुल्क का आरोपण उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा का विनिर्माण अल्कोहल से होता है। आसवनियो में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर आबकारी राजस्व का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अलावा लाइसेन्स फीस भी आबकारी राजस्व का भाग होता है।

राज्य आबकारी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (राज्य आबकारी) होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ0आ0) विभाग का प्रमुख होता है। आबकारी विभाग आगरा, गोरखपुर लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी जोन में विभाजित है जिसका प्रभार संयुक्त आबकारी आयुक्त को है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जनपदो में सहायक आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में आबकारी निरीक्षको की नियुक्ति होती है जो कि आबकारी अभिकर एवं सम्बन्धित राजस्व का आरोपण एवं उद्ग्रहण सम्बन्धी रख–रखाव एवं विनियमन करते हैं।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी विभाग ने वर्ष 2013–14 में ₹ 11,643.84 करोड़ के राजस्व की वसूली की। राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित कुल 320 इकाईयों में से 150 इकाईयो की नमूना जाँच में पाया गया कि शीरे से अल्कोहल के कम उत्पादन, आबकारी राजस्व/अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज/प्रशमन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण एवं अन्य अनियमित्ताओं के ₹ 493.22 करोड़ 448 प्रकरणों में शामिल है। जो निम्न लिखित श्रेणियों के अन्तर्गत **सारणी 3.1** में दर्शाये गये हैं :

सारणी 3.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

			(₹ करोड़ में)
क्रम संख्या	**श्रेणियाँ**	**मामलों की संख्या**	**धनराशि**
1	आबकारी अभिकर का न/कम वसूली	35	221.15
2	लाइसेन्स फीस/ ब्याज की वसूली न किया जाना	162	219.55
3	अन्य अनियमिततायें	251	52.52
	योग	**448**	**493.22**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

वर्ष 2013–14 दौरान विभाग ने 61 मामलों में ₹ 22.22 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। जिनमें से दो मामलों में ₹ 57,888 सन्निहित था जिसे वर्ष 2013–14 में इंगित किया गया था शेष पूर्व वर्षो के थे। 66 मामलों में ₹ 25.53 लाख की वसूली वर्ष के दौरान की गयी जिसमें से दो मामलों में ₹ 57,888 सन्निहित था, वर्ष 2013–14 में इंगित किये गये थे। शेष प्रकरणो में विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 3.98 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है।

3.3 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

राज्य आबकारी विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में अनुज्ञापन शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण, प्रशमन शुल्क/ब्याज एवं किराये का अनारोपण आदि के मामले प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता हैं, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ

3.4 देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में कम दर से वृद्धि किया जाना

आबकारी नीति के अनुसार वर्ष 2012–13 मे न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण पिछले वर्ष की न्यूनतम प्रत्याभूत की मात्रा मे छः प्रतिशत की वृद्धि करके किया जाना था। दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्त वृद्धि के अनुसार किया जाना था। बेसिक लाइसेन्स फीस एम0जी0क्यू0 के अनुसार देय है और लाइसेन्स फीस का समायोजन आसवनी स्तर पर पहले से ही भुगतान की गई आबकारी अभिकर से किया जाता है।

हमने 71 जिला आबकारी कार्यालयों के उपभोग पंजिका, 12 ग प्रपत्र (व्यवस्थित दुकानों का विवरण) एवं अन्य अभिलेखो की जाँच की एवं उसमें से छः जि0अ0का0 में पाया (जुलाई 2013 व जनवरी 2014 के मध्य) कि विगत वर्ष के एम0जी0क्यू0 में छः प्रतिशत की वृद्धि के स्थान पर 5.3 प्रतिशत की औसत वृद्धि (न्यूनतम 4.47 प्रतिशत एवं अधिकतम 5.90 प्रतिशत) की गयी। इसके फलस्वरूप 2012–13 में एम0जी0क्यू0 में 1,09,346 बी0एल0 का कम निर्धारण हुआ और शासन को बेसिक लाइसेन्स फीस के रूप में ₹ 24.06 लाख एवं लाइसेन्स फीस के रूप में ₹ 1.74 करोड़ की प्राप्ति से वंचित होना पड़ा जैसा कि **परिशिष्ट XXIII** में वर्णित किया गया।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 एवं अप्रैल 2014 के मध्य)। शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि देशी मदिरा के एम0जी0क्यू0 का निर्धारण आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। लेकिन तथ्य यह है, कि विभाग ने सम्बन्धित वर्ष के आबकारी नीति के अनुसार एम0 जी0 क्यू0 में छः प्रतिशत की वृद्धि जो कि जि0 आ0 आ0 द्वारा किया जाना आवश्यक था न करके 5.3 प्रतिशत की औसत वृद्धि की।

3.5 बीयर बार लाइसेंस फीस के बिना बीयर की बिक्री किया जाना

विदेशी मदिरा का तात्पर्य माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, बोदका और मदिरा से हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मदिरा (बीयर और वाइन को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002 में परिभाषित हैं। बीयर उक्त परिभाषा में शामिल नहीं हैं। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के नियम 647 एवं 648 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक तथा फुटकर बिक्री) (तेरहवां संशोधन) नियमावली 2002 में कहा गया है कि होटल, डाक बंगला या जलपान गृहों के परिसरों में बीयर की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र–7(ख) में बीयर बार लाइसेंस आवश्यक है। नियम 10 के अनुसार लाइसेंस प्रपत्र एफ0एल0–6 सम्मिश्र, चार व पाँच सितारा होटलों द्वारा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए और एफ0एल0–6 लाइसेंस उपरोक्त के अतिरिक्त होटलों के लिए निर्गत किये जाते हैं। जलपान गृहों द्वारा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए एफ0एल0–7 लाइसेंस आवश्यक हैं। एफ0 एल0–6

सम्मिश्र और एफ0एल0–7 के अन्तर्गत केवल ड्राफ्ट बीयर की बिक्री अनुमन्य हैं न कि बोतल में भरी बीयर की।

हमने 71 जिला आबकारी कार्यालयों के बार लाइसेंसों, उपभोग विवरण एवं राजस्व प्राप्ति रजिस्टर की जाँच की एवं उसमें से आगरा, बस्ती, गाजियाबाद, जलौन, झॉसी और सोनभद्र के छः जि0आ0का0 में पाया (अप्रैल 2013 और मार्च 2014 के मध्य) कि अप्रैल 2011 से मार्च 2013 के मध्य कुल 87 होटल/जलपान गृह बार के लाइसेंस एफ0एल0–6, एफ0एल0–6ए सम्मिश्र और एफ0एल0–7 श्रेणी के लाइसेंस व्यवस्थित या नवीनीकृत किये गये, जहाँ कि बोतल में बीयर का उपभोग दर्शाया गया था। इन होटलों/जलपान गृहों को आवश्यक बीयर की फुटकर बिक्री का लाइसेंस एफ0एल0–7ख निर्गत नहीं किया गया था। एफ0एल0–7ख के लाइसेंस जारी न करने के फलस्वरूप शासन ₹ 1.31 करोड़ के लाइसेन्स शुल्क से वंचित रहा।

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2013 एवं अप्रैल 2014 के मध्य)। शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि विदेशी मदिरा की परिभाषा के लिए, विज्ञप्ति सं0 8272–ई/XIII-656–79 दिनांक 20 दिसम्बर 1980 को संज्ञान में लिया जाता हैं, जिसमें विदेशी मदिरा की परिभाषा में बीयर शामिल हैं। शासन का उत्तर, उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री का अनुज्ञापन का व्यवस्थापन (बीयर और वाइन को छोड़कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002 के अनुसार नहीं हैं जहाँ विदेशी मदिरा की परिभाषा में बीयर शामिल नहीं हैं।

3.6 आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के प्रावधानों के अर्न्तगत जहाँ कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है, वहाँ जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूलनीय होता है।

3.6.1 हमने 71 जिला आबकारी कार्यालयों के बकाया रजिस्टर एवं जी 6 (रजिस्टर जिसमें आबकारी विभाग की सभी प्राप्तियों का रखरखाव आबकारी कार्यालयो में किया जाता है) की जाँच की एवं उसमें से तीन जि0आ0का0 में कुल 17 मामलों में से 11 मामलो मे पाया (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) कि अप्रैल 1981 से अप्रैल 2013 की अवधि का आबकारी राजस्व ₹ 21.18 लाख फरवरी 2011 एवं फरवरी 2014 के मध्य जमा किया गया अर्थात तीन माह से 349 माह के विलम्ब से जमा किया गया। फिर भी विलम्बित भुगतान पर विभाग द्वारा ब्याज की धनराशि ₹ 7.12 लाख आरोपित नही की गयी, जैसा कि **सारणी 3.2** में दिया गया है।

सारणी 3.2
आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

(₹ लाख में)

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	दुकानो की संख्या	भुगतान की देय तिथि	भुगतान की अवधि	धनराशि	विलम्बित अवधि माहों में	ब्याज की धनराशि
1	जिला आबकारी कार्यालय बस्ती	1	अप्रैल 2006	मई 2012 से मई 2013	2.00	29 से 84	2.17
2	जिला आबकारी कार्यालय गाजीपुर	3	जनवरी 2012 से जनवरी 2013	मई 2012 से मई 2013	17.01	3 से 6	1.00
3	जिला आबकारी कार्यालय गोरखपुर	7	अप्रैल 1981 से अप्रैल 2013	फरवरी 2011 से फरवरी 2014	2.17	4 से 349	3.95
योग		**11**			**21.18**		**7.12**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2013 व अप्रैल 2014 के मध्य)। शासन ने बस्ती और गोरखपुर की आपत्तियों को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2014) कि बस्ती में बाकीदार से ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है एवं गोरखपुर के मामलो में मॉग पत्र भेज दिये गये है। क्रम सं0 2

के सम्बन्ध में उत्तर दिया कि उक्त धनराशि जमा प्रतिभूति से समायोजित कर लिया गया है। अतः ब्याज आरोपणीय नहीं है। हम उत्तर के इस भाग से सहमत नहीं है क्योकि जमा प्रतिभूति राजस्व नहीं होता है एवं राजस्व का भुगतान किया हुआ तभी माना जाता है जब ऐसी धनराशि का समायोजन हो जाये।

3.6.2 उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनो का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार तीन कार्य दिवस के अन्दर सम्पूर्ण अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा। वर्ष 2012–13 के सम्बन्ध में अनुज्ञापन शुल्क के अन्तर की राशि जमा करने का आदेश मार्च 2012 में निर्गत किया गया था।

हमने 71 जिला आबकारी कार्यालयों के भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के दुकानो के व्यवस्थापन पत्रावली, जी–12 विवरण (व्यवस्थित दुकानो का विवरण) एवं जी–6 रजिस्टर की जाँच की एवं उसमें से तीन जि0आ0का0 में कुल 674 प्रकरणों में से 224 मामलों में पाया (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) कि आबकारी अनुज्ञापन शुल्क ₹ 1.41 करोड़ जो कि मार्च 2012 की अवधि से सम्बन्धित था, को नवम्बर 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य जमा किया गया, जोकि आठ से 11 माह विलम्ब से जमा हुए थे। इस प्रकार विलम्बित जमा पर ब्याज की धनराशि ₹ 18.90 लाख विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया जैसा कि **सारणी 3.3** में दर्शाया गया है।

सरणी 3.3
आबकारी राजस्व के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

(₹ लाख में)

क0सं0	कार्यालय का नाम	प्रकरणो की संख्या	जमा की देय अवधि	जमा की अवधि	धनराशि	विलम्बित अवधि माहो में	ब्याज की धनराशि
1	जिला आबकारी कार्यालय गौतमबुद्ध नगर	112	मार्च 2012	जनवरी 2013	66.33	9	8.95
2	जिला आबकारी कार्यालय गाजियाबाद	70	मार्च 2012	जनवरी 2013	45.96	9	6.21
3	जिला आबकारी कार्यालय लखनऊ	62	मार्च 2012	नवम्बर 2012 से मार्च 2013	28.55	8 से 11	3.74
	योग	**244**			**140.84**		**18.90**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2013 से अप्रैल 2014)। शासन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि अनुज्ञापन शुल्क के अन्तर की राशि आबकारी मुख्यालय के पत्र दिनांक 16 नवम्बर 2012 के अनुसार जमा किया गया है और अन्तरीय अनुज्ञापन शुल्क नवम्बर 2012 में निर्देश जारी होने के तीन माह के अन्दर जमा किये गये है। जबकि वास्तविकता यह है कि अनुज्ञापन शुल्क के अन्तर की राशि जमा करने का पत्र मार्च 2012 में निर्गत किया गया था।

3.7 गोदामो पर किराये एवं स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा व्यावसायिक सम्पत्तियो के किराये की दरें द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है, जिसे सर्किल रेट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा बंधित गोदामो के लाइसेन्सो का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 के नियम 5(2) एवं (3) के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किराये का भुगतान करने पर जिले के मुख्यालय पर स्थित आबकारी विभाग के गोदाम भवन मे लाइसेंसधारी को बंधित गोदाम चलाने की अनुमति दी जायेगी।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसूची एक खा के अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत एक वर्ष से अनधिक अवधि की पट्टा पर हस्तांतरण विलेख के समान देय सम्पूर्ण राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

हमने जिला आबकारी कार्यालयों आगरा, बस्ती, गोण्डा, हमीरपुर और रायबरेली के लेखापरीक्षा में पाया (अक्टूबर 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों को किराये पर विभागीय गोदाम पट्टे पर दिया गया। हमने निम्नलिखित अनियमिततायें इन प्रकरणो में पायीः

3.7.1 वर्ष 2009–10 से 2013–14 के मध्य जिला आबकारी कार्यालयों बस्ती, गोण्डा, हमीरपुर और रायबरेली के 21 प्रकरणो में देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों से गोदामो को दिये गये पट्टे पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प शुल्क (सम्पत्ति मूल्यॉकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत अनुमोदित सर्किल रेट के अनुसार सही किराया प्रभार्य नहीं किया गया, जिससे कि ₹ 20.66 लाख किराया (अनुमोदित सर्किल रेट के अनुसार सही किराया ₹ 28.73 लाख, विभाग द्वारा आरोपित किराया ₹ 8.07 लाख) एवं ₹ 1.15 लाख के स्टाम्प शुल्क (स्टाम्प शुल्क आरोपित शून्य, स्टाम्प शुल्क आरोपणीय ₹ 1.15 लाख एवं स्टाम्प शुल्क कम आरोपित ₹ 1.15 लाख) की कम वसूली की गयी।

3.7.2 वर्ष 2013–14 में जिला आबकारी कार्यालय, आगरा के दो प्रकरणों में हमने देखा कि ₹ 100 एवं ₹ 200 के स्टाम्प पत्र पर ₹ 26.79 लाख का किरायानामा निष्पादित किया गया जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (भा0स्टा0अधि0) के अनुसूची एक खा के अनुच्छेद 35 के विरूद्व था। इस प्रकार, इन प्रकरणों में ₹ 1.07 लाख का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया।

जनपद के जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा किरायेनामे पर सही किराया आरोपित करने एवं अनुबन्ध पर उचित स्टाम्प शुल्क के भुगतान को सुनिश्चत करने का प्रयास नहीं किया गया। परिणामस्वरूप शासन ₹ 20.66 लाख कम किराया एवं ₹ 2.22 लाख स्टाम्प शुल्क के राजस्व से वंचित रहा।

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2013 व अप्रैल 2014 के मध्य)। शासन ने ₹ 20.28 लाख की हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2014) एवं उसमे से ₹ 5.99 लाख वसूल कर लिया गया है। जनपद हमीरपुर के प्रकरण में जिसमे आपत्ति ₹ 2.59 की है, स्वीकार नहीं किया और कहा कि किराया जिलाधिकारी द्वारा अगस्त 2006 में निर्धारित किया गया था एवं तद्नुसार किराया आरोपित किया गया है। हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि अन्य सभी प्रकरणों में विभाग द्वारा अनुमोदित सर्किल रेट के अनुसार किराया आरोपित किया गया है परन्तु जनपद हमीरपुर के मामले मे उसे लागू नहीं किया गया।

3.8 विलम्ब से प्राप्त एम0एफ0–4 गेट पासों पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 के नियम–27 में प्रावधानित है, कि प्रभारी अधिकारी या नियम–26 के अधीन नियंत्रक द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी आसवनी की प्रयोगशाला की सहायता से प्रेषित मात्रा की प्राप्ति पर तुरन्त शीरे की मात्रा एवं गुणवत्ता निर्धारित करेगा और सत्यापन के परिणामों और उसके द्वारा की गयी नमूना जाँचो को चीनी मिल से प्रेषित माल सहित दो प्रतियों में प्राप्त गेट पास फार्म एम0एफ0–4 के पृष्ठ भाग पर अंकित करेगा। आसवनी गेट पास की एक प्रति स्वयं रखेगा और दूसरी प्रति प्रभारी अधिकारी द्वारा चीनी मिल के प्राप्तकर्ता को इस प्रकार भेजेगा कि आसवनी के गेट पर प्रेषित माल के पहुॅचने के एक सप्ताह के अन्दर पहुॅच जाये।

चीनी मिल में आबकारी विभाग के कर्मचारी द्वारा एम0एफ0–4 गेट पास वापसी प्राप्ति का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा, कि अधिकृत आसवनी द्वारा शीरे की प्राप्ति की गयी है, और एम0एफ0–4 गेट पास में मात्रा एवं गुणवत्ता को अंकित कर दिया गया है। शीरा नियंत्रण अधिनियम, की धारा–11 के अन्तर्गत किसी नियम या बनाये गये आदेश या निर्गत दिशा–निर्देश के उल्लंघन पर कैद या अर्थदण्ड आरोपणीय होगा, जिसको दो हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है, और सतत उल्लंघन पर अतिरिक्त

अर्थदण्ड भी देय होगा, जिसको सतत उल्लघंन के दौरान सौ रूपये प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है।

हमने जून 2013 एवं सितम्बर 2013 के मध्य पाँच चीनी मिलो के लेखापरीक्षा में 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान आसवनियो को निर्गत एम0एफ0–4 (गेटपास वह है जिसके द्वारा शीरा चीनी मिल से आसवानी को प्रेषित किया जाता है) गेट पासो का निरीक्षण किया। हमने देखा कि 5,627 एम0एफ0–4 गेट पासो, में से 603 एम0एफ0 4 गेट पास (10.72 प्रतिशत) इन चीनी मिलो में सम्बन्धित आसवनियों से एक दिन से 80 दिनों के विलम्ब से वापस प्राप्त हुए थे, जो कि निर्धारित सात दिन की सीमा से अधिक अवधि के थे। आसवनियाँ इन गेट पासों की समय से वापसी के लिए उत्तरदायी थी, फिर भी आसवनियाँ द्वारा इन गेट पासों की समय से वापसी नहीं की गयी। चीनी मिल के विभागीय अधिकारियो द्वारा आसवनियों द्वारा चीनी मिल को विलम्ब से वापस किये गये गेटपासों को संज्ञान में नहीं लिया गया और न ही अर्थदण्ड आरोपित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जो कि ₹ 21.01 लाख थी। जिसे **सारणी 3.4** में दर्शाया गया है।

सारणी 3.4
अर्थ दण्ड का अनारोपण

(₹ में)

क्र0 सं0	चीनी मिल का नाम	अवधि	चीनी मिल द्वारा जारी कुल एम0एफ0 गेट पासों की संख्या	विलम्ब से प्राप्त एम0एफ0 गेट पासों की संख्या	विलम्ब के दिनों की संख्या	अर्थदण्ड प्रति प्रकरण ₹ 2000 की दर से	अर्थदण्ड प्रति प्रकरण प्रत्येक अतिरिक्त दिनो का ₹ 100 की दर से	अर्थदण्ड की कुल धनराशि
1	इण्यिा पोटास लि0 सुगर, जरवल रोड बहराइच	2010–11 एवं 2012–13	774	89	1–32	1,78,000	1,27,600	3,05,600
2	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 गजरौला अमरोहा, जे0पी0 नगर	2009–10 से 2011–12	2,131	214	1.–27	4,28,00	1,13,300	5,41,300
3	त्रिवेणी इन्जिरियरिंग एण्ड इण्डस्टीज लि0 चॉदपुर अमरोहा, जे0पी0 नगर	2010–11	1,678	95	5–14	1,90,000	95,100	2,85,100
4	रूद्र विकास किसान सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर रामपुर	2008–09	188	97	9–80	1,94,000	3,10,000	5,04,000
5	किसान सहकारी चीनी लि0 सुल्तानपुर (अवध)	2010–11 एवं 2012–13	856	108	4–57	2,16,000	2,48,900	4,64,900
	योग		**5,,627**	**603**	**1–80**	**12,06,000**	**8,94,900**	**21,00,900**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 एवं दिसम्बर 2013)। शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया और अवगत कराया (नवम्बर 2014) कि वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है।

3.9 वसूली प्रमाण–पत्र में अनियमितताओं का पाया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 के धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार सभी आबकारी राजस्व जिसमें ऐसी सभी धनराशियॉ सम्मिलित होंगी जो आबकारी राजस्व से सम्बन्धित किसी समझौते के एवज में किसी व्यक्ति द्वारा शासन को देय होती है, कि वसूली भूराजस्व की बकाया की भॉति या सार्वजनिक मॉग द्वारा वसूली तत्समय प्रभावी कानून द्वारा विहित हो, ऐसे व्यक्ति अथवा उसके जमानत से की जायेगी, जो मुख्यतः इसके लिये उत्तरदायी होगा

उक्त अधिनियम की धारा 38 क के अन्तर्गत जहाँ कोई भी आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है, उक्त आबकारी राजस्व पर देय तिथि से भुगतान तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है। वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत करते समय वसूली प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि तक देय ब्याज एवं मूलधन वसूल करने की तिथि तक ब्याज की दर को इंगित किया जाना चाहिए। दो निदर्शी प्रकरणों की चर्चा आगे के प्रस्तरो में की गयी है।

3.9.1 दण्डक ब्याज को सम्मिलित किये बिना वसूली प्रमाण–पत्र का जारी किया जाना

हमने जिला आबकारी कार्यालय बुलन्दशहर में देखा कि ₹ 4.48 लाख का एक वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया गया परन्तु उस पर देय ब्याज का उल्लेख नही था। फलस्वरूप मूलधन के साथ ब्याज की वसूली नहीं हो सकी। विलम्बित भुगतान पर देय ब्याज की राशि ₹ 8.51 लाख का एक दूसरा वसूली प्रमाण–पत्र जुलाई 2008 में जारी किया गया। छः वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी विभाग द्वारा ब्याज की वसूली नहीं की जा सकी।

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2013 से अप्रैल 2014)। शासन ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि धनराशि की वसूली के लिए प्रयास किया जा रहा है।

3.9.2 प्रारम्भिक अभिलेख के सत्यापन न करने के फलस्वरूप हानि

हमने जून 2013 में जिला आबकारी कार्यालय औरैया के अभिलेखो में देखा कि वर्ष 1991–92 के देशी मदिरा की दुकान के अनुज्ञापन शुल्क ₹ 22.68 लाख की वसूली के लिए वर्ष 1991 से 1998 तक में लगातार चार वसूली प्रमाण–पत्र जारी की गयी। विभाग अपने अनुज्ञापी के पते से अनभिज्ञ था जो कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि, वसूली प्रमाण पत्रो को समय–समय पर जनपद इलाहाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और औरैया को जारी की गयी थी। विभाग ने अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन में शिथिलता बरती, जैसे कि हैसियत प्रमाण–पत्र नकली पाया गया, पता गलत लिखा पाया गया, और चल/अचल सम्पत्तियाँ अभिलेखों पर नहीं पायी गयी। फलस्वरूप विभाग द्वारा 25 जनवरी 2012 को ब्याज सहित मूलधन रू0 90.36 लाख के वसूली के लिए पाँचवी वसूली प्रमाण–पत्र जारी की गयी, जिसकी वसूली आज तक (दिसम्बर 2014) नहीं हुयी।

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जून 2013 से अप्रैल 2014)। शासन ने उत्तर मे कहा (अक्टूबर 2014) कि उक्त धनराशि के वसूली के लिए प्रयास किया जा रहा है।

3.10 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संगठन को विश्वस्त बनाता है कि निर्धारित प्रणालियां तर्कसंगत तरीके से कार्य कर रही हैं।

विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में एक वित्त नियन्त्रक, एक वरिष्ठ वित्त लेखाधिकारी, एक वित्त लेखाधिकारी, दो सहायक लेखाधिकारी, छः वरिष्ठ लेखा परीक्षक, पाँच लेखाकार एवं छः लेखा परीक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष एक वित्त नियंत्रक, एक वित्त लेखाधिकारी, एक सहायक लेखाधिकारी, एक वरिष्ठ लेखा परीक्षक, तीन लेखाकार एवं चार लेखा परीक्षक ही कार्यरत हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु कुल 140 इकाईयॉं आयोजित थीं, किन्तु आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा केवल 109 इकाईयों की ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा वर्ष के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा में उठायी गई आपत्ति, उसमें निहित धनराशि एवं निस्तारण का विवरण **सारणी 3.5** में दर्शाया गया है।

सारणी 3.5
आन्तरिक लेखापरीक्षा

(₹ लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम अवशेष	
	प्रकरणो की संख्या	सन्निहित धनराशि	प्रकरणो की संख्या	सन्निहित धनराशि	प्रकरणो की संख्या	सन्निहित धनराशि	प्रकरणो की संख्या	सन्निहित धनराशि
2009–10	152	190.42	219	1,880.7	61	47.59	310	2,023.53
2010–11	310	2,023.53	176	204.13	126	117.03	360	2,110.63
2011–12	360	2,110.63	136	70.22	199	352.35	297	1,828.50
2012–13	297	1,828.50	140	58.75	244	266.75	193	1,620.50
2013–14	193	1,620.50	101	46.13	70	37.52	224	1,629.11

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के विरूद्व विभाग द्वारा अनुपालन कम किया गया।

हम संस्तुति करते है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को मजबूत किया जाय और यर्थाथ रूप में एक वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार किया जाय। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठाये गये प्रकरणो में वसूली की समुचित व त्वरित कार्यवाही की जाये।

अध्याय–IV
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग की प्राप्तियों का विनियमन मोटर यान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम) तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली) के प्रावधानों के अन्तर्गत होता है।

शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते है। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन एवं पर्यवेक्षण परिवहन आयुक्त (प0आ0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाता है जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में छः उप परिवहन आयुक्तों (उ0प0आ0) 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0आ0) तथा 72 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0आ0) (प्रशासन) द्वारा की जाती है। सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण का सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन किया जाता है तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों से सम्बन्धित करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन किया जाता है। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासन सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रशासित किया जाता है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग ने वर्ष 2013–14 में ₹ 3,442.01 करोड़ के राजस्व की वसूली की। परिवहन विभाग से सम्बन्धित 72 इकाईयों के वर्ष 2013–14 के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर के अनिर्धारण/अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के ₹ 45 करोड़ के 809 मामलें प्रकाश में आये जो **सारणी 4.1** में दर्शायी निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

सारणी 4.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

			(₹ करोड़ में)
क्र0सं0	**श्रेणी**	**मामलों की संख्या**	**धनराशि**
1.	**अनारोपण/कम वसूली**		
	• यात्रीकर/ अतिरिक्त कर	56	14.62
	• मार्ग कर	51	1.14
	• माल कर	10	2.55
2.	**अन्य अनियमिततायें**	692	26.69
	योग	**809**	**45.00**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

वर्ष के दौरान विभाग ने 45 मामलों में ₹ 85.06 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से पाँच मामलें में सन्निहित धनराशि ₹ 33.69 लाख को 2013–14 में इंगित किया गया था तथा शेष मामलें पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित थे। वर्ष 2013–14 के दौरान 43 प्रकरणों में ₹ 45.94 लाख की धनराशि की वसूली की गयी जिसमें तीन मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 71,588 वर्ष 2013–14 के दौरान इंगित किए गये थे एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षो के थें। अवशेष प्रकरणों में स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के सम्बन्ध में विभाग का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

कुछ निदर्शी मामलें जिनमें ₹ 35.58 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, की चर्चा निम्न प्रस्तरों में की गयी है।

4.3 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

परिवहन विभाग कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में अतिरिक्त कर, कर, परमिट शुल्क, स्वास्थता शुल्क, पंजीयन शुल्क के कम आरोपण/अनारोपण के मामलें तथा अर्थदण्डों के कम आरोपण/अनारोपण के मामलें, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में इंगित किया है, प्रकाश में आयें। ये मामले उदाहरणात्मक है तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित है। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती है, परन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल बनी रहती है अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृत्ति से भविष्य में बचा जा सके।

4.4 परमिट में अनियमिततायें

4.4.1 स्कूल बसों से परमिट शुल्क का वसूल न किया जाना

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 27/2000 के सन्दर्भ में वर्ष 2010 में यथासंशोधित उ0प्र0मो0या0क0अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी शिक्षण संस्था अपने छात्रों के परिवहन हेतु बिना समुचित परमिट के वाहनों का प्रयोग नहीं करेगी। अग्रेतर उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 (31 दिसम्बर 2010 को यथा संशोधित) का नियम 125, नये परमिट के निर्गमन, उसके नवीनीकरण तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु ₹ 3,750 तथा प्रार्थना पत्र शुल्क ₹ 1,000/– प्रावधानित करता है।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय मेरठ एवं 10 सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[1] की वाहन से सम्बन्धित पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर एवं वाहनों के डाटाबेस की जाँच के दौरान हमने पाया (जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य) कि जून 2012 से फरवरी 2014 की अवधि में 762 स्कूल वाहन परिक्षेत्रों में बिना परमिट के संचालित हो रहे थे। इसके फलस्वरूप ₹ 36.20 लाख की परमिट शुल्क एवं प्रार्थना पत्र शुल्क की वसूली नहीं हुयी।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से मई 2014) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4.4.2 परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर प्रशमन शुल्क का अनारोपण

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72 मंजिली वाहनों के परमिट स्वीकृत करने हेतु विभिन्न शर्ते निर्धारित करता है। उपरोक्त अधिनियम की उप धारा 2 (iii) विनिर्दिष्ट करता है कि ऐसे परमिटों को जारी करने के पश्चात किसी मार्ग या क्षेत्र के सम्बन्ध में सामान्यतः या विनिर्दिष्ट दिनों और अवसरों पर प्रावधानित किये गये दैनिक ट्रिपों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या प्रस्तुत करेगा। पुनश्चः उ0प्र0 मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 यथा संशोधित दिनांक 28 अप्रैल 1999 के नियम 17 के अनुसार मंजिली वाहनों का संचालक अधिनियम लागू होने के सात दिनों के अन्दर अथवा वाहनों के स्वामित्व में होने के, जैसा भी प्रकरण हो, कराधान अधिकारी को एक समय सारणी प्रस्तुत करेगा जिसमें मंजिली वाहनों के आगमन एवं प्रस्थान का समय एवं प्रत्येक त्रैमास में की जाने वाली एकल यात्राओं का विवरण और ऐसे दूसरे विवरण जो उसके व्यवसाय से सम्बन्धित है जिसे कराधान अधिकारी समय–समय पर आवश्यकतानुसार आदेशित करें। अधिसूचना संख्या 1452/30–04–10–172/89 दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार परमिट शर्तो के उल्लंघन पर ₹ 4,000 प्रति प्रकरण शास्ति आरोपणीय होती है।

हमने पाँच सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[2] और 10 सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[3] के मंजिली वाहनों के मार्ग पत्रावली की जाँच में पाया (जून 2013 और

---

[1] स0स0प0का0: अम्बेदकरनगर, चित्रकूट, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, कुशीनगर, मथुरा, सन्त कबीर नगर और सिद्धार्थनगर

[2] अलीगढ, बरेली, बस्ती, झाँसी एवं लखनऊ

फरवरी 2014 के मध्य) कि 1,788 मंजिली वाहन परमिट से आच्छादित थे और अप्रैल 2012 से जनवरी 2014 की अवधि में संचालित हो रहे थे लेकिन किसी भी वाहन स्वामी द्वारा वाहनों के आगमन एवं प्रस्थान की समय सारणी जो कि उक्त प्रावधानों के अनुसार वांछित थी, प्रस्तुत नहीं की गयी। आगे हमने पाया कि हमीरपुर में विभाग द्वारा समय से समय सारणी प्रस्तुत न करने वाले वाहन स्वामियों को नोटिस निर्गत किया गया परन्तु दूसरे परिवहन कार्यालयों द्वारा समय सारणी प्रस्तुत न करने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसके कारण प्रशमन शुल्क के रूप में ₹ 71.52 लाख की वसूली नहीं की जा सकी।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 से मई 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4.4.3 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की वसूली न होना

मोटर यान नियमावली, 1989 (मो0या0 नियमावली) के नियम 86 से 90 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर संचालन हेतु कोई माल वाहन राष्ट्रीय परमिट हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0अ0) की धारा 81 के अनुसार परमिट पाँच वर्षों के लिए वैध होता है। यद्यपि, मोटर यान नियमावली के नियम 87(3) के अनुसार राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार एक वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रीय परमिट के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र ऐसे परमिट के समाप्ति के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस प्रावधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र हेतु समेकित फीस ₹ 16,500 वार्षिक के साथ प्राधिकार पत्र के प्रार्थना पत्र हेतु ₹ 1,000 को शासन के खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश के अनुसार सम्बन्धित आधिकारी प्राधिकार पत्र के समाप्ति के 15 दिनों के भीतर परमिट धारक को नोटिस निर्गत करेंगे कि वह स्पष्ट करें कि प्राधिकार पत्र नवीनीकरण न कराये जाने पर क्यों न उसका परमिट निरस्त कर दिया जाये। निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्राप्त नही होने पर परमिट को निरस्त कर दिया जायेगा।

हमने जून 2013 और मार्च 2014 के दौरान 11 सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[4] के वाहनों की पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर, रसीद बुकों और रोकड़ पुस्तिकाओं की जाँच में पाया कि मई 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित 38,723 वाहनों में से 1,973 माल वाहन परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण कराये, संचालित हो रहे थे। फलस्वरूप समेकित तथा प्रार्थना पत्र शुल्क के रूप में ₹ 3.45 करोड़ की धनराशि की वसूली नही की जा सकी एवं इन वाहनों का अनाधिकृत संचालन भी होता रहा।

प्राधिकार–पत्र की वैधता समाप्ति की तिथि, अदा किया गया कर तथा राष्ट्रीय परमिट से युक्त वाहनों के अन्य विवरणों जैसी समस्त सूचनायें यथा पंजीयन प्रमाण–पत्र, परमिट एवं कर आदि के विवरणों के रखे जाने हेतु प्रकल्पित वाहन साफ्टवेयर में उपलब्ध भी था, बावजूद इसके विभाग द्वारा इन प्रकरणों का पता नहीं लगाया जा सका। विभाग द्वारा परमिट धारको को नोटिस निर्गत करने तथा परमिट के निरस्तीकरण की कोई कार्यवाही भी प्रारम्भ नहीं की गयी, जैसा कि परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश में विनिर्दिष्ट था।

हमने मामलों को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से मई 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

---

[3] बदायूँ, चित्रकूट, हमीरपुर, हरदोई, जे.पी.नगर, जालौन, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, रामपुर एवं सिद्धार्थनगर

[4] आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बांदा, बस्ती, गाजियाबाद, झॉसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी

4.4.4 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसों से परमिट फीस का वसूल न किया जाना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0अ0) की धारा 66 प्रावधानित करती है कि बिना वैध परमिट के कोई मोटर यान का प्रयोग एक परिवहन यान के रूप में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगा या प्रयोग की अनुमति नही देगा। मोटर यान अधिनियम की धारा 81 के अनुसार अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की वैधता पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। उ0प्र0 मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 अधिसूचना संख्या 2653/40–4–10–4(2)/2010 दिनांक 31 दिसम्बर 2010 द्वारा यथा संशोधित, के नियम 125 के प्रावधानों के अनुसार नये परमिट के निर्गमन और उसके नवीनीकरण के लिए ₹ 6,000 और आवेदन शुल्क के रूप में ₹ 1,000 निर्धारित है।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ के वाहनों की पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर और वाहनों के डाटाबेस की जाँच के दौरान हमने पाया (जून 2013) कि अप्रैल 2012 से मई 2013 की अवधि में आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मथुरा एवं वाराणसी जनपदों में 1,140 बसें बिना परमिट के संचालित हो रही थी। परिवहन अधिकारियों द्वारा इसको संज्ञान में नही लिया गया जिसके फलस्वरूप परमिट शुल्क के रूप मे ₹ 68.40 लाख एवं आवेदन शुल्क के रूप में ₹ 11.40 लाख वसूल नहीं किया जा सका।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 और नवम्बर 2013) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4.5 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसों से अतिरिक्त कर का अनारोपण

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम), 1997 (यथा संशोधित 28 अक्टूबर 2009) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य परिवहन निगम का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश के किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक धारा 6 की उप धारा (1) के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाली मंजिली वाहनों के अतिरिक्त कर की दर **सारणी 4.2** में दी गयी है।

सारणी 4.2

उ0प्र0रा0स0प0नि0 की मंजिली वाहनों के अतिरिक्त कर की दर

क्र0सं0	वाहन का विवरण	प्रति सीट कर की दर (₹ में)		
		मासिक	त्रैमासिक	वार्षिक
1	जिनकी आयु दो वर्ष से अनधिक	600	1,800	6,500
2	जिनकी आयु दो वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से अनधिक	500	1,500	5,400
3	जिनकी आयु चार वर्ष से अधिक किन्तु छः वर्ष से अनधिक	400	1,200	4,800
4	जिनकी आयु छः वर्ष से अधिक पुरानी	150	450	1,600

स्रोतः उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम (उ0प्र0मो0या0क0अधिनयम), 1997 (यथा संशोधित 28 अक्टूबर 2009)।

नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत संचालित राज्य परिवहन निगम के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त रहेंगे।

उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा लखनऊ एवं इलाहाबाद के सम्भागीय परिवहन कार्यालयों को प्रेषित मार्ग एवं कर पत्रावली एवं चालान की जाँच में हमने पाया (मार्च 2013 और मार्च 2014 के मध्य) कि 248 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसें नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र से बाहर अक्टूबर 2009 से फरवरी 2014 की अवधि में संचालित हो रही थी एवं इस प्रकार अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 19.20 करोड़ के भुगतान के दायी थे, लेकिन परिवहन अधिकारियों ने इन वाहनों से अतिरिक्त कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की, परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 19.20 करोड़ अनारोपित रहा। विवरण **सारणी 4.3** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.3
जे0एन0एन0आर0यू0एम0 की बसों से अतिरिक्त कर का अनारोपण

(₹लाख में)

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	वाहनों की कुल संख्या	नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित वाहनों की संख्या	आरोपणीय अतिरिक्त कर	अवधि
1.	स0 प0 का0 इलाहाबाद	130	110	971.15	11/2009 से 02/2014
2.	स0 प0 का0 लखनऊ	260	138	948.46	10/2009 से 06/2013
	योग	**390**	**248**	**1,919.61**	

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2013 से अप्रैल 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4.6 महिन्द्रा मैक्सिमों वाहन की सीटिंग क्षमता कम निर्धारित किये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित 28 अक्टूबर 2009) की धारा 4 की उप धारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवहन यान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक उससे सम्बन्धित अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निर्धारित कर का भुगतान न कर दिया गया हो। मोटर कैब (तीन पहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब पर 8 नवम्बर 2010 से ₹ 660 प्रति सीट प्रति तिमाही कर निर्धारित था। परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2010 के द्वारा 1,090 किलोग्राम लदान रहित कर्ब भार के सभी वाहन (बेसिक मॉडल) के लिए आठ सीट अनुमन्य की गयी थी।

हमने दो सम्भागीय परिवहन कार्यालयों और तीन सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के यात्री कर पंजिका, वाहनों की पत्रावलियां और वाहनों के डाटाबेस की जाँच किया और पाया (जुलाई 2013 से फरवरी 2014 के मध्य) कि जून 2011 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान 1,090 किलोग्राम या अधिक लदान रहित भार वाले 399 महिन्द्रा मैक्सिमों वाहनों (बेसिक मॉडल) के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का उल्लंघन करते हुए कुल आठ सीटो के बजाय सात सीटो पर ही कर निर्धारित कर वसूला गया। वाहन सम्बन्धी विवरण विक्रय पत्र में अंकित रहता है जिसको पंजीकरण के समय स0स0प0का0/स0प0का0 में प्रस्तुत करना होता है। इसको संम्बन्धित स0स0प0अ0/स0प0अ0 नही पकड़ पाये जिसके फलस्वरूप ₹ 11.50 लाख का कर कम वसूला गया। विवरण **सारणी 4.4** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.4
महिन्द्रा मैक्सिमों वाहन की सीटिगं क्षमता कम निर्धारित किये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण

(₹ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	वाहनों की सख्या (1,090 कि0ग्रा0 से अधिक लदान रहित भार)	अवधि	7 + 1 सीट क्षमता के आधार पर आरोपणीय कर प्रति त्रैमास	6 + 1 सीट क्षमता के आधार पर आरोपित कर प्रति त्रैमास	कर का अन्तर
1	बलरामपुर	स0स0प0का0	102	06/2011 से 11/2013	23,33,100	19,99,800	3,33,300
2	बांदा	स0प0का0	29	07/2011 से 12/2013	87,01,00	7,45,800	1,24,300
3	फैजाबाद	स0प0का0	82	04/2012 से 11/2013	14,76,860	12,65,880	2,10,980
4	जौनपुर	स0स0प0का0	58	10/2011 से 11/2013	16,41,640	14,07,120	2,34,520
5	लखीमपुर खीरी	स0स0प0का0	128	08/2011 से 06/2013	17,30,960	14,83,680	2,47,280
		योग	**399**		**80,52,660**	**69,02,280**	**11,50,380**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से मार्च 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4.7 वाहनों के बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालन के कारण राजस्व की वसूली न होना

केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम (के0मो0या0), 1988 की धारा 56 एवं उक्त अधिनियम के अधीन निर्गत केन्द्रीय मोटर यान (के0मो0या0) नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसे स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी न कर दिया जाय। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण करना आवश्यक है। तिपहिया, हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए निर्धारित जाँच फीस क्रमशः ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के वाहनों पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ₹ 100 का नवीनीकरण शुल्क भी आरोपणीय है। विलम्ब की स्थिति में निर्धारित फीस के समतुल्य अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित वाहन पर मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अन्तर्गत अधिसूचना सं0 1452/30–4–10–172/89 दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार ₹ 4,000 शमन शुल्क आरोपणीय होता है।

हमने 13 सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[5] एवं 29 सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[6] के कर पंजिका, वाहनों के पत्रावलियों, वाहनों के डाटाबेस, रसीद बुकें एवं रोकड़ बहियों का परीक्षण किया और पाया (अप्रैल 2012 और फरवरी 2014 के मध्य) कि अप्रैल 2012 और फरवरी 2014 के मध्य 6,267 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित थे और उनसे केवल देय कर वसूल किया गया। विभाग के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि देयकर स्वीकार करने के समय वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र था या नहीं। ऐसे वाहनो का संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता है। ऐसे वाहनो पर ₹ 1.14 करोड़ का स्वस्थता शुल्क तथा ₹ 7.21 करोड़ शास्ति के रूप में आरोपणीय था क्योकि वे बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे थे।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2012 और मई 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4.8 नये पंजीयन चिन्ह का आवेदन न किया जाना

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 47 (1) तथा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 81 के प्रावधानों के अन्तर्गत जब एक राज्य में पंजीकृत कोई मोटर यान दूसरे राज्य में 12 महीने से अधिक अवधि तक रखा जाता है, तब वाहन स्वामी उस राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर पंजीयन अधिकारी को नया पंजीयन चिन्ह प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा तथा उस प्राधिकारी को पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। भारी, मध्यम, हल्के यान तथा गैर परिवहन यान के लिए पंजीयन चिन्ह आवंटन के लिए देय शुल्क क्रमश ₹ 600, ₹ 400, ₹ 300 तथा ₹ 200 है।

सम्भागीय परिवहन कार्यालयों इलाहाबाद, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ एवं सहारनपुर तथा सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयो जालौन एवं रामपुर के वाहनों के डाटाबेस एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया (जून 2013 से मार्च 2014) कि अप्रैल 2009 से फरवरी 2013 की अवधि के दौरान अन्य राज्यों में पंजीकृत 1,514 वाहन उत्तर प्रदेश (उ0प्र0) में लाये गये एवं पंजीकृत कराये गये तथा एक वर्ष से अधिक अवधि से उत्तर प्रदेश में संचालित थे। यद्यपि वाहनों के स्वामी एक वर्ष से अधिक अवधि से उत्तर प्रदेश में कर जमा कर रहे थे फिर भी उन्होने नये पंजीयन चिन्ह आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। प्रर्वतन शाखा द्वारा इन वाहनों को खोजने

---

[5] स0प0का0.: आगरा, आजमगढ, बांदा, बस्ती, फैजाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी

[6] स0स0प0का0.: अम्बेदकरनगर, औरैया, बदायूँ, बागपत, बाराबंकी, बुलन्दशहर, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरूखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, जे0पी0नगर, जालौन, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, महराजगंज, मैनपुरी, महोबा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ, रायबरेली, रामपुर, सन्त कबीर नगर, सन्त रविदास नगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, एवं सुल्तानपुर

की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इस प्रकार शासन को ₹ 8.17 लाख के राजस्व से वंचित होना पडा।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से जून 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4.9 गैर परिवहन यानो के पंजीयन का नवीनीकरण न कराया जाना

मोटर यान (मो0या0) अधिनियम, 1988 की धारा 39 के अन्तर्गत प्रत्येक यान का पंजीयन होना आवश्यक है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 41 (7) प्राविधानित करता है कि गैर परिवहन यान का पंजीयन 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है तथा पंजीयन का नवीनीकरण अनुवर्ती पाँच वर्षो के लिए किया जाता है। मोटर यान अधिनियम की धारा 55 (1) के अनुसार यदि मोटर यान नष्ट हो गया है या प्रयोग से स्थायी रूप से अयोग्य हो गया है तो वाहन स्वामी चौदह दिनों के भीतर अथवा यथा शीघ्र, जैसा हो सके, रजिष्ट्रीकरण प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता क्षेत्र मे वह निवास करता है या व्यापार स्थल हो, जैसा मामला हो, जहाँ सामान्यतया यान रखा जाता है, को तथ्यों की सूचना देगा, और उस प्राधिकारी को रजिष्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का अग्रसारण करेगा। जहॉ इसके स्वस्थता की जाँच भी होगी और इसके लिए यान के पुर्नपंजीयन के समय इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत होगा जिसके लिए ₹ 200 स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और ₹ 100 प्रमाण पत्र निर्गमन के लिए आरोपणीय है। अधिनियम की धारा 177 के अधीन गैर परिवहन हल्के मोटर यान के लिए ₹ 200 पुर्नपंजीयन शुल्क तथा विलम्ब की दशा में ₹ 100 शास्ति भी आरोपणीय है। मोटर यान अधिनियम की धारा 192 के अनुसार यदि यान धारा 39 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए प्रयोग में लाये जाते है तो वह प्रथम अपराध के अर्थदण्ड, जो ₹ 5,000 तक विस्तारित हो सकेगा, किन्तु ₹ 2,000 से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा।

ग्यारह परिवहन कार्यालयों (इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ एवं सहारनपुर के छः स0प0का0 एवं एटा, हमीरपुर, हरदोई, सन्त रविदास नगर एवं सिद्धार्थनगर के पाँच स0स0प0का0) से सम्बन्धित वाहनों की पत्रावलियों, वाहनों के डाटाबेस, रसीद बही और रोकड़ बही की जाँच के दौरान हमने पाया (जून 2013 से मार्च 2014) कि 4,604 गैर परिवहन हल्के मोटर यान अप्रैल 1994 से जनवरी 1999 की अवधि में 15 वर्षो के लिए पंजीकृत किए गये थे। उपरोक्त यानों का पंजीयन अप्रैल 2009 से जनवरी 2014 के दौरान समाप्त हो गया था लेकिन वाहनों का पुनः पंजीयन नहीं कराया गया जिसके परिणामस्वरूप पुर्नपंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और प्रमाण पत्र शुल्क के रूप में ₹ 27.62 लाख की वसूली नहीं हो पायी।

हमने मामलें को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से अप्रैल 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4.10 अधिक भार पर शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण

4.10.1 अधिक भार परिवहित करने वाले यान

मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0अधिनियम) की धारा 113, भार एवं प्रयोग की सीमा, जो कि परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित किए गये है जो राज्य में संचालित वाहनों के परमिट निर्गत करने के सम्बन्ध में संचालन हेतु शर्ते निर्धारित करता है। धारा 113 (3) (ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पंजीयन प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट सकल यान भार से अधिक लदान वाली मोटर यान या ट्रेलर को न चलवायेगा या चलने देगा।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जो कोई अनुमन्य भार से अधिक (सकल यान भार–लदान रहित भार) के किसी मोटरयान को चलायेगा या मोटरयान का उपयोग करायेगा या किये जाने देगा, वह न्यूनतम दो हजार रूपये एवं अतिरिक्त प्रतिटन अधिक भार के लिए एक हजार रूपये अर्थदण्ड से

दण्डनीय होगा। इसके साथ–साथ अधिक भार उतरवाने हेतु देय प्रभार का दायी भी होगा।

स0प0का0 इलाहाबाद और मिर्जापुर तथा स0स0प0का0 सीतापुर की अभियोजन पुस्तिकाओं, अपराध एवं जब्ती रजिस्टरों और सम्बन्धित जिला खान कार्यालयों द्वारा उप खनिजों के परिवहन हेतु वाहनों को निर्गत पारगमन प्रपत्र (प्रारूप–सी/एम.एम.–11) की जाँच के दौरान, हमने 312 में से 289 मामलों की नमूना जाँच की तथा पाया (नवम्बर 2013 से मार्च 2014) कि दिसम्बर 2012 से फरवरी 2014 के दौरान विभिन्न श्रेणी के वाहनों द्वारा उप खनिजों का परिवहन किया गया था। इन सभी मामलों में वाहनों के पंजीयन प्रमाण–पत्र में दी गयी अनुमन्य भार से अधिक भार का परिवहन किया गया जैसा कि निर्गत प्रारूप–सी/एम.एम.–11 से प्रमाणित था। अतः ये सभी वाहन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के अन्तर्गत कार्यवाही के योग्य थे।

हमने सम्बन्धित स0प0का0/स0स0प0का0 की अभियोजन पुस्तिका, अपराध/जब्ती पंजीकाओं की जाँच के बाद पाया कि उक्त वाहन अधिक भार के परिवहन तथा अधिक भार को उतरवाने के प्रभार देय होने के रूप में अंकित नहीं थे। स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने इन वाहनों को रोकने और अनुमन्य भार से अधिक भार उतरवाने के लिए दण्डित करने की कार्यवाही नहीं की गयी। इसके लिये जिला खान कार्यालयों एवं सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में परस्पर समन्वय का कोई तन्त्र नही है।

अधिक भार लदे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता है। इन वाहनों पर ₹ 51.26 लाख की शास्ति आरोपणीय थी, जिसका विवरण **सारणी 4.5** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.5
अधिक भार परिवहन करने वाले वाहन

(₹लाख मे)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वाहनों की संख्या	परिवहित खनिज	अवधि जिसमें ओवरलोड वाहन संचालित था	वाहन द्वारा ढोया गया भार (टन में)	पंजीयन पत्र के अनुसार अनुमन्य ढोया जाने वाला भार (टन में)	अधिक भार (टन में)	शास्ति की धनराशि
1	इलाहाबाद	121	बालू/गिट्टी	09/2013 से 02/2014	20 से 40.80	9 से 21	3 से 31	22.88
2	मिर्जापुर	116	गिट्टी/बोल्डर/पटिया/बालू	12/2012 से 11/2013	10.2 से 58	10 से 21	1 से 41	25.55
3	सीतापुर	52	बालू	08/2013 से 11/2013	16 से 24	15 से 16	1 से 10	2.83
	योग	**289**		**12/2012 से 02/2014**	**10.2 से 58**	**9 से 21**	**1 से 41**	**51.26**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (फरवरी 2014 से अप्रैल 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4.10.2 अधिक भार की गलत गणना

सम्भागीय परिवहन कार्यालयों आजमगढ, झाँसी व मिर्जापुर तथा सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों फतेहपुर एवं जालौन की अभियोजन पुस्तिकाओं, अपराध/जब्ती पंजिकाओं और सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया (जुलाई 2013 से जनवरी 2014) कि जनवरी 2013 से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान 71 प्रकरणों में वाहनों द्वारा उप खनिजों का परिवहन किया गया और 1,523 टन के ओवर लोड होने के कारण प्रशमित किए गये। परन्तु जाँच में हमने पाया कि ओवर लोड की वास्तविक मात्रा 2,206 टन थी जिसकी गणना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा निर्गत शासकीय आदेश सं0 1844/एम–5 दिनांक 16 फरवरी 2004 (एक घनमीटर मोरम/बालू और गिट्टी/बोल्डर भार में क्रमशः दो टन एवं 1.7 टन के बराबर होता है) के अनुसार की गयी है। फलस्वरूप 683 टन ओवर लोड पर ₹ 6.83 लाख शास्ति का कम आरोपण हुआ। जिसका विवरण **सारणी 4.6** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.6
अधिक भार की गलत गणना

(₹ मे)

क्र0सं0	जनपद का नाम	वाहनों की संख्या	अवधि जिसमें ओवरलोडेड वाहन संचालित थे	अधिक भार (टन में) की मात्रा जिस पर शास्ति आंगणित नही की गयी	शास्ति की धनराशि
1	आजमगढ	20	04/2013 से 06/2013	127	1,27,000
2	फतेहपुर	11	07/2013 से 11/2013	145	1,45,000
3	जालौन	8	04/2013 से 05/2013	122	1,22,000
4	झाँसी	8	04/2013 से 06/2013	116	1,16,000
5	मिर्जापुर	24	01/2013 से 11/2013	173	1,73,000
	योग	**71**	**01/2013 से 11/2013**	**683**	**6,83,000**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2014 से जून 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4.11 तीन माह से अधिक अभ्यर्पित वाहनों के सम्बन्ध में कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22 (2009 में संशोधित) में व्यवस्था है कि जब परिवहन यान स्वामी को अपने मोटरयान को एक माह या अधिक अवधि के लिए प्रयोग नहीं करना हो, तो कराधान अधिकारी को मोटर वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र व परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अभ्यर्पित करेगा। कराधान अधिकारी एक कैलेन्डर वर्ष में, तीन कैलेन्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की सूचना स्वीकार नहीं करेगा। तथापि, यदि स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अभ्यर्पण स्वीकार कर सकेगा। यदि फिर भी ऐसा कोई वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेन्डर माह से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित बना रहता है, तो अभ्यर्पण रद्द माना जायेगा और वाहन स्वामी यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। पुनश्चः, उप नियम (4) में निहित प्रावधानों के अधीन समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके वाहन का समर्पण पूर्व में स्वीकार किया गया है, किसी भी कैलेन्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा चाहे कराधान अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित प्रमाण पत्र वापस किए गये हों अथवा नहीं।

हमने सम्भागीय परिवहन कार्यालय सहारनपुर एवं दस सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[7] के अभ्यर्पण पंजिका, वाहनों की पत्रावलियों, यात्री कर पंजिका और मालकर पंजिका की जाँच में पाया (मई 2013 से फरवरी 2014 के मध्य) कि 145 वाहन दिसम्बर 2009 से सितम्बर 2013 की अवधि के दौरान तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित थे। इस तथ्य के बावजूद भी कि तीन माह से अधिक समर्पण की अवधि को सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा अवधि में विस्तार स्वीकार नहीं किया गया, कराधान अधिकारियों द्वारा देय कर/अतिरिक्त कर की वूसली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप ₹ 84.16 लाख के राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 से मई 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4.12 जब्त वाहनों से राजस्व की वसूली में अनियमितता

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत, विभाग के प्रर्वतन शाखा द्वारा जब्त किए गये वाहन पर देय धनराशि तथा उन पर लगाये गये प्रशमन शुल्क के भुगतान के वाहन स्वामी दायी होगें तथा उन्हे अवमुक्त करायेंगें। यदि वाहन

[7] औरैया, बदायूँ, बुलन्दशहर, जालौन, काशीराम नगर, महोबा, मैनपुरी, पीलीभीत, श्रावस्ती एवं सोनभद्र

स्वामी देय राशि के भुगतान हेतु उपस्थित नहीं होते है, तो ऐसे वाहनो को जब्त किए जाने की तिथि के 45 दिनों के बाद नीलाम कर दिया जायेगा तथा वसूल की गयी धनराशि को कर, अतिरिक्त कर, अर्थदण्ड तथा ऐसे नीलामी में हुए व्यय के प्रति समायोजित कर दिया जायेगा। अतिशेष धनराशि, यदि कोई हो, वाहन स्वामी को वापस कर दी जायेगी।

4.12.1 जब्त वाहनों की नीलामी की कार्यवाही न होने के कारण राजस्व की क्षति

सात स0स0प0का0/स0प0का0[8] के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया (मई 2013 से जनवरी 2014 के मध्य) कि अगस्त 2002 से अक्टूबर 2012 के दौरान उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय धनराशि ₹ 46.45 लाख जमा नहीं किए जाने के कारण प्रर्वतन शाखा द्वारा 56 वाहन जब्त किए गये थे एवं बकायेदार 45 दिनों के निर्धारित अवधि के अन्दर देय धनराशि जमा करने में विफल रहे थे। जब्ती की तिथि से नौ माह से 11 वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा उक्त अधिनियम के तहत नीलामी की कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार सम्भागीय परिवहन अधिकारियों/सहायक संम्भागीय परिवहन अधिकारियों के स्तर पर कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण जब्त वाहनो से देय ₹ 46.45 लाख की वसूली नहीं की जा सकी।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 से मई 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4.12.2 जब्त वाहनो की नीलामी से कम राजस्व का वसूल किया जाना

हमने तीन सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय/सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच में पाया (जून 2013 और जुलाई 2013) कि सितम्बर 2008 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि ₹ 43.81 लाख जमा न किए जाने के कारण प्रर्वतन शाखा द्वारा 117 वाहन जब्त किए गये थे। बकायेदार निर्धारित अवधि 45 दिनों के अन्दर देय धनराशि जमा करने में विफल रहे। विभाग ने जब्त वाहनों की नीलामी सितम्बर 2012 से नवम्बर 2012 के मध्य सम्पन्न किया और देय धनराशि ₹ 43.81 लाख के सापेक्ष ₹ 8.51 लाख की वसूली की जा सकी। इस प्रकार ₹ 35.27 लाख की कम वसूली की गयी फिर भी सम्बन्धित कार्यालयों ने शेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया, जिसका विवरण **सारणी 4.7** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.7
राजस्व की कम वसूली

(₹ मे)

क्र0सं0	इकाई का नाम	वाहनों की कुल संख्या	वाहनों की जब्ती अवधि	नीलामी की तिथि	देय धनराशि	वसूल की गयी धनराशि	कम वसूल किया गया कर
1	स0प0का0 झाँसी	99	09/2008 से 03/2011	05.11.2012	22,44,304	4,52,000	15,92,304
2	स0प0का0 लखनऊ	11	....	22.09.2012 एवं 28.09.2012	20,76,563	2,56,500	18,20,063
3	स0स0प0का0 मुजफ्फरनगर	7	08/2009 से 03/2012	08.10.2012	2,60,249	1,46,000	1,14,249
	योग	**117**	**09/2008 से 03/2012**	**22.09.2012 से 05.11.2012**	**43,81,116**	**8,54,500**	**35,26,616**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से दिसम्बर 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

[8] स0प0का0: गोण्डा, स0स0प0का0: औरैया, बुलन्दशहर, हरदोई, हाथरस, लखीमपुरखीरी और पीलीभीत

4.13 राजस्व की वसूली किए बिना वसूली प्रमाण पत्र का वापस आना

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया, भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होगा। पुनश्च कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के बकाये के लिए जिसमें पूर्ववर्ती वर्षो के कर, अतिरिक्त कर या शास्ति भी शामिल रहेगें, वाहन स्वामियों या संचालको को निर्धारित प्रारूप में माँग पत्र जारी करेगा।

यदि देयों का भुगतान वाहन के जब्त या रोके जाने की तिथि से 45 दिन के अन्दर नहीं होता तो धारा 22 कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह इन वाहनों को जब्त एवं रोक कर, इनसे देयों की वसूली नीलामी द्वारा करे।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय झॉसी और सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों मुजफ्फरनगर, रायबरेली और सोनभद्र के कर पंजिका, बकाया पंजिका, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत पंजिका और वाहनों की पत्रावलियो की जाँच के दौरान हमने पाया (जून 2013 और अगस्त 2013 के मध्य) कि मई 1997 से नवम्बर 2012 की अवधि के दौरान 170 प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्रों (व0प्र0पत्रों) को जारी किया गया था जिसमें ₹ 46.48 लाख कर/अतिरिक्त कर के रूप में बकाया था। अवशेष देयों की वसूली नहीं हो सकी। वसूली प्रमाण पत्र बिना वसूली हुए गलत पता/मृत्यु/सम्पत्ति का न होना/बकायेदार के पिता का नाम अंकित न होना, की टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया। जिसके कारण धनराशि ₹ 46.48 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हो पायी। जैसा विवरण **सारणी 4.8** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.8
वसूली प्रमाण पत्र की वापसी

(₹ मे)

क्र0सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	वाहनों की संख्या	वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने की अवधि	धनराशि	अभियुक्ति
1	झॉसी	स0प0का0	14	01/2010 से 11/2012	8,04,890	गलत पता/बकायेदार की मृत्यु के कारण वसूली प्रमाण पत्र वापस
2	मुजफ्फरनगर	स0स0प0का0	18	05/1997 से 08/2009	5,72,438	सम्पत्ति के न होने/संयुक्त जाँच के कारण वसूली प्रमाण पत्र वापस
3	रायबरेली	स0स0प0का0	40	08/2009 से 05/2012	12,96,550	गलत पता के कारण वसूली प्रमाण पत्र वापस
4	सोनभद्र	स0स0प0का0	98	06/2010 से 03/2012	19,74,339	सम्पत्ति न होने/बकायेदार के पिता का नाम अंकित न होने के कारण वसूली प्रमाण पत्र वापस
योग			**170**		**46,48,217**	

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से अक्टूबर 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4.14 आन्तरिक लेखापरीक्षा

किसी संगठन की आन्तरिक नियंत्रण क्रिया विधि में आन्तरिक लेखपरीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे सामान्यतः सभी नियंत्रको के नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को सुनिश्चित करता है कि निर्धारित तन्त्र भलीभॉति कार्य कर रहा है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा वित नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आ0ले0प0शा0 में एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं छः लेखापरीक्षकों के पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं तीन लेखा परीक्षक को पदस्थ किया गया है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजना जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाईयों की संख्या, लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 4.9** में दर्शाया गया है।

सारणी 4.9

आन्तरिक लेखापरीक्षा

वर्ष	आ0ले0प0 हेतु उपलब्ध कुल इकाईयों की संख्या	आ0ले0प0 हेतु आयोजित इकाईयों की सं0	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2009–10	131	37	30	07	18.92
2010–11	101	32	18	14	43.75
2011–12	101	36	22	14	38.88
2012–13	101	40	19	21	52.50
2013–14	101	31	22	09	29.03

स्रोतः विभाग से प्राप्त सूचना।

उपरोक्त सारणी यह प्रदर्शित करती है कि आ0ले0प0शा0 की लेखापरीक्षा आयोजना तार्किक नहीं है क्योकि वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान कमी 18.92 प्रतिशत से 52.50 प्रतिशत के मध्य थी। विभाग द्वारा मानव–शक्ति की कमी, आ0ले0प0शा0 को अतिरिक्त कार्य आवंटन और अतिरिक्त पद का सृजन न किया जाना एवं स्वीकृत पद के सापेक्ष स्टाफ की कमी का होना मुख्य कारण बताया गया है। हम विभाग द्वारा बताये गये कारणों से सहमत नहीं है क्येाकि लेखापरीक्षा आयोजना स्टाफ की उपलब्धता के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए।

आ0ले0प0शा0 द्वारा सम्पादित की गयी आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं वर्ष के दौरान उठाई गयी और निस्तारित की गयी आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि **सारणी 4.10** में दर्शायी गयी है।

सारणी 4.10

अनिस्तारित प्रस्तरों और धनराशि का विवरण

(₹लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम अवशेष	
	प्रकरणो की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणो की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणो की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणो की सं0	सन्निहित धनराशि
2009–10	4,185	1,990	244	154	0	0	4,429	2,144
2010–11	4,429	2,144	153	139	0	0	4,582	2,283
2011–12	4,582	2,283	204	81	0	0	4,786	2,364
2012–13	4,786	2,364	137	73	12	13	4,911	2,424
2013–14	4,911	2,424	198	54	19	21	5,090	2,457

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाये गये प्रकरणों के विरूद्ध विभाग द्वारा किया गया अनुपालन अत्यन्त कम है।

हम संस्तुति करते है कि आ0ले0प0शा0 को मजबूत किया जाय और वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना को तार्किक रूप से तैयार किया जाय। आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाये गये प्रकरणों की त्वरित वसूली हेतु विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही की जाय।

अध्याय-V
स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

5.1 कर प्रशासन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (भा0 स्टा0 अधिनियम) 1899, भारतीय निबन्धन अधिनियम, 1908 (भा0 नि0 अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है, में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस से प्राप्तियाँ विनियमित की जाती हैं। विलेखों के निष्पादन पर उपरोक्त अधिनियम के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है। उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर सूची के अनुसार विलेखों का मूल्यांकन किया जाता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक (निबन्धन) (म0नि0नि0), स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं तथा विभाग के निबन्धन कार्य के कार्यान्वयन पर समग्र अधीक्षण तथा नियंत्रण का संचालन करते हैं। उनकी सहायता जिला स्तर पर 96 सहायक महानिरीक्षक (स0म0) तथा तहसील स्तर पर 354 उप निबन्धक (उ0नि0) द्वारा की जाती हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग ने वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 9,520.92 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2013–14 में विभाग के 424 इकाईयों में से 369 इकाइयों की नमूना जाँच में ₹ 322.61 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं के 1,676 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आतें हैं जैसाकि **सारणी 5.1** में दर्शाया गया है।

सारणी 5.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ मे)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	236	6.72
2.	विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	553	30.82
3.	अन्य अनियमिततायें	887	285.07
	योग	**1,676**	**322.61**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं।

वर्ष के दौरान विभाग ने विगत वर्ष के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 77 मामलों में ₹ 16.57 लाख की अनियमितता को स्वीकार किया। विगत वर्षो में इंगित किये गये 78 मामलों में ₹ 17.26 लाख की वसूली की गयी। वर्ष 2013–14 की टिप्पणियों पर विभाग का उत्तर अप्राप्त है।

कुछ निदर्शी मामलें जिसमें ₹ 12.77 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गयी है।

5.3 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

उप निबन्धकों के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में सम्पत्ति के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण, विलेख पत्र के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण के मामले प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियॉ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता हैं, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

5.4 भूमि के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 143 में प्रावधान है कि जहाँ हस्तान्तरणीय अधिकारों के साथ एक भूमिधर अपने खाते व उसके भाग का कृषि, बागवानी या पशुपालन के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करता है, तो परगने का प्रभारी स्वयं या प्रार्थना पत्र पर और ऐसी जाँच करने के पश्चात जो नियत की जाये, उस आशय की घोषणा कर सकता है। पुनश्चः, मुख्य सचिव ने अपने पत्र दिनांक 11 जून 2010 द्वारा जो सभी आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को सम्बोधित था, इस बात पर जोर दिया कि अगर भूमि पूरी तरह या आंशिक रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती है, तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी स्वतः प्रेरणा से उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 143 के अधीन सम्पूर्ण भूमि को आबादी घोषित करें। इस अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत यदि भूमि अकृषि घोषित की जाती है तो स्टाम्प शुल्क के आरोपण के उद्देश्य से उसका मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिए।

हमनें उप निबन्धक द्वितीय हापुड़ के बही एक खण्ड, विक्रय विलेख और दर सूची की जाँच मे पाया (मार्च 2014) कि 54,997.40 वर्ग मीटर भूमि का कृषि दर पर ₹ 3.56 करोड़ से मूल्यांकित करते हुए चार विक्रय विलेख जनवरी 2014 एवं मार्च 2014 की अवधि में पंजीकृत हुए थे, जिस पर ₹ 24.70 स्टाम्प शुल्क अदा किया गया था। जाँच में हमने पाया कि इन चार विलेखों के पंजीकृत होने से पूर्व ही आराजी संख्या 338, 340, 342, 385 एवं 644 दिनांक 28.12.2009 और 22.04.2013 को उ0प्र0 ज0उ0 और भू0 सु0 अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषि भूमि घोषित की जा चुकी थी। अतएव सम्पत्तियों का मूल्यांकन आवासीय दर से ₹ 11.22 करोड़ किया जाना था और स्टाम्प शुल्क ₹ 78.34 लाख आरोपणीय था। सम्बन्धित उप निबन्धक द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन में इन पहलुओं को ध्यान मे नही रखा। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 53.64 लाख के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ। विवरण **सारणी 5.2** में दर्शाया गया है।

सारणी 5.2

भूमि के अवमूल्यंन से स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

(₹ में)

क्र0 सं0	लेखपत्र संख्या/ पंजीयन तिथि	धारा 143 के अन्तर्गत भूमि को अकृषि घोषित करने का दिनांक	आराजी संख्या	विक्रीत रकबा व0मी0 में	लेखपत्र के अनुसार मूल्य	लागू बाजार दर व0मी0 मे	आरोपणीय बाजारु मूल्य	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपित स्टाम्प शुल्क	अन्तर
1	1608/ 10 मार्च 2014	28 जनवरी 2009	338,340,342	40,470.0	2,31,59,000	2,000	8,09,40,000	56,65,800	16,21,500	40,44,300
2	1609/10 मार्च 2014	28 जनवरी 2009	385	10,120.0	82,46,000	2,000	2,02,40,000	14,16,800	5,77,500	8,39,300
3	118/ 6 जनवरी 2014	22 अप्रैल 2013	644	2,203.0	20,75,000	2,500	55,10,000	3,75,700	1,35,500	2,40,200
4	119/6 जनवरी 2014	22 अप्रैल 2013	644	2,203.7	20,75,000	2,500	55,10,000	3,75,700	1,35,500	2,40,200
	योग			**54,996.7**	**3,55,55,000**		**11,22,00,000**	**78,34,000**	**24,70,000**	**53,64,000**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

मामला विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2014 और मई 2014)। विभाग ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए मामलों को स्टाम्प कलेक्टर को सन्दर्भित कर दिया गया।

5.5 स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अनुसूची–एक खा के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति

का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के अनुसार किसी जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि की बाजार दरे पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है। अग्रेतर महानिरीक्षक निबन्धन ने जून 2003 मे जारी दिशा निर्देश द्वारा स्पष्ट किया है कि स्टाम्प शुल्क के आरोपण के लिए एक ही आराजी को विभिन्न उद्देश्यों लिए बॉटा नही जाना चाहिए यथा एक को कृषि और दूसरे को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए। उसी दिशा निर्देश में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि अगर सम्पत्ति आवासीय सम्पत्तियों से घिरी हुई है तो उन सम्पत्तियों को नजदीक की आवासीय सम्पत्ति की प्रकृति के जैसा मूल्यांकित किया जाना चाहिए।

5.5.1 आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन

5.5.1.1 हमने 72 उपनिबन्धक कार्यालयों के बही एक, खण्ड एवं निबन्धित विलेखों की जाँच में पाया (अप्रैल 2013 और मार्च 2014 के मध्य) कि 97 विलेखों में 2.93 लाख वर्ग मीटर भूमि का निबन्धन कृषि दर पर ₹ 13.52 करोड़ से मूल्यांकित करते हुए मार्च 2012 से जनवरी 2014 की अवधि में पंजीकृत हुऐ थे, जिस पर ₹ 86.48 लाख स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस अदा किया गया था। हमने पाया कि उसी आराजी का हिस्सा पूर्व में अथवा उसी दिन आवासीय दर पर बेचा गया और इस प्रकार प्रश्नगत भूखण्ड का मूल्यांकन भी आवासीय दर से किया जाना चाहिए था। आवासीय दर पर उनका सही मूल्यांकन ₹ 92.12 करोड़ होता है। जिस पर ₹ 5.21 करोड़ स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस के रूप में आरोपणीय था, जबकि ₹ 86.48 लाख स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस के रूप में केवल आरोपित किया गया। इस प्रकार सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप ₹ 4.35 करोड़ स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस के रूप में कम आरोपित हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-XXIV** में विवरण दिया गया है।

हमने मामला विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2013 और जून 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि 91 मामलों में सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित किया जा चुका है। इन 91 मामलों में से 13 मामलों में विभाग ने ₹ 12.37 लाख आरोपित कर दिया है और नौ मामलों में ₹ 4.90 लाख की वसूली की गयी। छः मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नही किया। विभाग के उत्तर से हम सहमत नही है क्योकि इसी प्रकार के 91 प्रकरण में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया है।

5.5.1.2 हमने मोहम्मदी, पुरवा, सिराथु, मंझनपुर और महसी के पाँच उप निबन्धक कार्यालयों के बही एक, खण्ड एवं निबन्धित विलेखों की जाँच में पाया (मई 2013 और अगस्त 2013 के मध्य) कि नौ विलेखों में 24,882 वर्ग मीटर भूमि का निबन्धन कृषि दर पर ₹ 53.55 लाख से मूल्यांकित करते हुए जून 2012 से फरवरी 2013 की अवधि में पंजीकृत किये गये थे जिस पर ₹ 2.65 लाख स्टाम्प शुल्क और ₹ 67,890 निबंधन फीस अदा किया गया था। जबकि सम्पतियां, आवासीय सम्पत्तियों से घिरी हुई थी। अतः इनका मूल्याकन भी आवासीय दर से किया जाना चाहिए था। आवासीय दर पर उनका सही मूल्यांकन ₹ 7.21 करोड़ होता है। जिस पर ₹ 39.76 लाख स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस के रूप में आरोपणीय था परन्तु केवल ₹ 3.33 लाख स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस के रूप में आरोपित किया गया। इस प्रकार सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप ₹ 36.43 लाख़ स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस के रूप कम आरोपित हुआ।

हमने मामला विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 और दिसम्बर 2013 मध्य)। विभाग ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि नौ मामलें, सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित किया जा चुका है। इन नौ मामलों में से दो मामलों में विभाग ने ₹ 1.77 लाख आरोपित किया और ₹ 7,940 की वसूली की गयी।

5.5.2 सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन

आयुक्त स्टाम्प के अक्टूबर 2008 जारी निर्देश के अनुसार किसी सम्पत्ति का मूल्याकंन विलेख के निष्पादन तिथि के समय उसकी वास्तविक स्थिति के अनुरूप किया जाना चाहिए।

हमनें केराकत, मड़ियांहूँ एवं बिलारी के तीन उपनिबन्धक कार्यालयों के बही एक, खण्ड एवं निबन्धित विलेखो की जाँच मे पाया (मई 2013 और सितम्बर 2013 के मध्य) कि 13,934.66 वर्ग मीटर गैर कृषि भूमि का कम दर (वाणिज्य भूमि का आवासीय एवं आवासीय भूमि का कृषि दर पर मूल्यांकन) पर ₹ 88.10 लाख से मूल्यांकित करते हुए चार विक्रय विलेख मार्च 2012 से नवम्बर 2012 की अवधि में पंजीकृत किये गये थे, जिस पर ₹ 6.35 लाख स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस अदा किया गया था। हमने पाया कि दो मामलों में चौहद्दी में स्थित भूखण्ड ऊँचे दर पर बेचे गए और दो मामलों में भूखण्ड आवासीय घोषित थे। इनका सही मूल्यांकन ₹ 5.41 करोड़ आंकलित किया गया। सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के फलस्वरूप ₹ 28.33 लाख स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस कम आरोपित हुआ। विवरण **सारणी 5.3** में दर्शाया गया है।

सारणी 5.3
सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन

(₹ मे)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विक्रीत क्षेत्रफल वर्ग मी0 में	विलेख के अनुसार मूल्य	प्रति वर्ग मी0 लागू भूमि का दर	आरोपणीय मूल्य	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	आरोपित स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	अन्तर
1	जौनपुर	उ0नि0 मडियाहूँ	688.66	51,65,000	12,500	86,09,000	6,12,630	3,71,550	2,41,080
2	जौनपुर	उ0नि0 केराकत	9,750.00	2,05,000	1,800	1,75,50,000	8,87,500	12,300	8,75,200
3	मुरादाबाद	उ0नि0 बिलारी	1,870.00	18,40,000	8,000	1,49,60,000	10,47,200	1,29,000	9,18,200
4	मुरादाबाद	उ0नि0 बिलारी	1,626.00	16,00,000	8,000	1,30,08,000	9,20,560	1,22,000	7,98,560
	योग		**13,934.66**	**88,10,000**		**5,41,27,000**	**34,67,890**	**6,34,850**	**28,33,040**

स्रोत लेखा परीक्षा की जांच के आधार पर उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 और जुलाई 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि ये चारो मामलों में सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिए कलक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया गया है। दो मामलों में विभाग ने ₹ 2.55 लाख आरोपित किए, जिसमें से ₹ 14,400 वसूल कर लिए गए।

5.5.3 शैक्षणिक संस्था की भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन किया जाना

हमने खैरागढ़, हरदोई (सदर), लालगंज अझारा तथा रानीगंज के चार उप निबन्धक कार्यालयों के बही एक, खण्ड एवं निबन्धित विलेखों की जाँच में पाया (जून 2013 से सितम्बर 2013 के मध्य) कि छः विलेखों में 27,169 वर्ग मीटर भूमि का निबन्धन कृषि दर पर ₹ 50.68 लाख से मूल्यांकित करते हुए फरवरी 2012 से फरवरी 2013 की अवधि में पंजीकृत किये गये थे, जिस पर ₹ 3.67 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस अदा किया गया था। हमने पाया कि भूखण्डो का विक्रय शैक्षणिक उद्देश्यों हेतु किया गया था न कि कृषि उद्देश्य के लिये, जैसाकि विलेखों मे व्यक्त किया गया था। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि का मूल्यांकन आयुक्त स्टाम्प के निर्देश दिनांक 16 अगस्त 1999 के अनुसार आवासीय दर से सम्पत्ति की सम्भाव्यता के अनुसार किया जाना था। आवासीय दर पर उनका सही मूल्यांकन ₹ 4.82 करोड़ होता है। जिस पर ₹ 31.61 लाख स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस के रूप में आरोपणीय था, जबकि केवल ₹ 3.67 लाख स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस के रूप में आरोपित किया गया। इस

प्रकार सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप ₹ 27.94 लाख स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस के रूप में कम आरोपित हुआ।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 एवं मई 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि पाँच मामलों को सम्पत्ति के उचित मूल्यांकन के लिये कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया गया। प्रतापगढ़ के एक प्रकरण में विभाग ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार नही किया एवं बताया कि भविष्य में भूमि का प्रयोग शिक्षा एवं क्रीड़ा स्थल के लिये किया जायेगा और यह भी बताया कि सम्पत्ति का मूल्यांकन भविष्य के उपयोग एवं सम्भाव्यता के आधार पर नही किया जा सकता। विभागीय उत्तर तथ्यों पर आधारित नही है, क्योंकि प्रश्नगत दस्तावेज मे स्पष्ट रुप से व्यक्त किया गया है कि भूमि शिक्षा एवं क्रीड़ा स्थल के लिये है और किसी भविष्य शब्द का प्रयोग नही किया गया है। अग्रेतर, विभाग का उत्तर विरोधाभासी है, क्योंकि ऐसे ही पाँच प्रकरणों मे विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया है।

5.6 भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 के तहत आवश्यक तथ्यों को छिपाये जाने से भूमि का अवमूल्यन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार सभी तथ्य एवं परिस्थितियां, जो विलेख में शुल्क की प्रभार्यता या उस प्रभार्य शुल्क की राशि को प्रभावित करती हों, को पूर्णतया एवं सत्यता पूर्वक व्यक्त किये जायेंगे। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो सरकार को गलत आशय के साथ:

- किसी ऐसे विलेख का निष्पादन करे जिसमे वे सब तथ्य एवं परिस्थितियां जिनका भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 द्वारा उस विलेख में व्यक्त किया जाना अपेक्षित है, पूर्णतया एवं सत्यतापूर्वक व्यक्त न किया गया हो या
- किसी विलेख मे जिसकी तैयारी के लिये वह नियुक्त किया गया हो या उससे सम्बद्ध हो, उन तथ्यों एवं परिस्थितियों को पूर्णतया और सत्यता पूर्वक उसमे व्यक्त करने मे उपेक्षा करे या व्यक्त न करे, या
- इस अधिनियम के अधीन शुल्क या दण्ड से सरकार को वंचित करने के प्रयत्न मे कोई और कार्य करे,

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनो से दण्डनीय होगा।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 64 ख के अन्तर्गत जहाँ कोई व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम के अधीन शुल्क अदा करने का दायित्व हो, किसी विलेख के सम्बन्द्ध मे भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 64 के अधीन किसी अपराध के लिये दण्डित किया गया हो, तो मजिस्ट्रेट उस दण्ड के अतिरिक्त जो उस अपराध के लिये आरोपित किया जाय, उस व्यक्ति से शुल्क एवं दण्ड यदि कोई हो, की राशि जो इस अधिनियम के अधीन यदि विलेख के लिये देय है, को वसूली का निर्देश भी देगा और वह उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी, जैसेकि वह मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित जुर्माना हो।

हमने उप निबन्धक गंगापुर वाराणसी कार्यालय के बही एक, विक्रय विलेख एवं दर सूची की जाँच में पाया (अगस्त 2013) कि तीन विलेखों में 11,320 वर्ग मीटर भूमि का निबन्धन अगस्त 2012 से जून 2013 की अवधि में हुआ। जिसमे सम्पत्ति की मालियत को प्रभावित करने वाले तथ्यों को प्रदर्शित नही किया गया है। इसी प्रकार, भूमि की प्रकृति, विक्रीत भूमि की चहार दिवारी इत्यादि जैसे तथ्यों को छिपाने से लेखापरीक्षा भूमि की वास्तविक प्रकृति/प्रास्थित का निश्चय नही कर सका। इन विलेखों मे भूमि का मूल्यांकन ₹ 46 लाख कृषि दर से किया गया, जबकि आवासीय दर से सही मालियत ₹ 4.54 करोड़ थी। इस प्रकार ₹ 22.48 लाख का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था, किन्तु ₹ 2.11 लाख का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की

धारा 27 के उल्लंघन के परिणामस्वरुप भूमि के अवमूल्यन से ₹ 20.37 लाख का स्टाम्प शुल्क कम प्राप्त हुआ।

हमने प्रकरण को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 से मई 2014)। विभाग ने उत्तर मे बताया कि (अक्टूबर 2014) सभी मामलें उचित मूल्यांकन के लिए कलक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिये गये हैं।

5.7 लेखपत्र का गलत वर्गीकरण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (भा0 स्टा0 अधि0) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुसची में उल्लिखित प्रत्येक विलेख पर स्टाम्प शुल्क निर्धारित दर से प्रभार्य होगा। किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क, उस हस्तान्तरण विलेख में अभिलिखित संव्यवहार की वास्तविक प्रकृति या विषय वस्तु पर निर्भर करता है न कि विलेख में निष्पादक द्वारा दिये गये विवरण या नामावली पर। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) कें अनुसूची–एक खा के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत किसी हस्तान्तरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 यथा संशोधित जुलाई 2013 के अनुसार किसी जिले में स्थित विभिन्न श्रेणियों की भूमि की बाजार दरे पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है।

हमने उप निबन्धक, चतुर्थ गाजियाबाद कार्यालय की बहियों, लेखपत्रो एवं दर सूची की जाचँ मे पाया (दिसम्बर 2013) कि नौं[1] कम्पनियों ने एक कन्सौर्टियम अनुबन्ध 28 मई 2005 को उप निबन्धक पंचम नई दिल्ली कार्यालय मे निष्पादित किया था। यह कन्सौर्टियम अनुबन्ध गाजियाबाद में इन्द्रापुरम हैबीटेट सेण्टर नाम से एक सामाजिक–सांस्कृतिक–सह–मनोरंजक–सह–व्यवसायिक परिसर के निर्माण, विकास, अनुरक्षण एवं प्रचालन की भू–सम्पत्ति की परियोजना थी। यह परियोजना 5.08 हैक्टैयर क्षेत्रफल पर निर्माण की थी, जोकि एन0एच0 24 बाई पास पर स्थित प्लाट सं0 16 इन्द्रापुरम पर थी, जिसके लिये कन्सौर्टियम ने 3 फरवरी 2006 को 90 वर्ष की अवधि का एक पट्टा विलेख निष्पादित किया।

हमने पाया कि कर्न्सौटियम के सदस्यों द्वारा 25 जुलाई 2013 को एक अनुपूरक कन्सौर्टियम अनुबन्ध निष्पादित किया गया, जिसके माध्यम से तीन सदस्यों द्वारा दूसरे सदस्यों[2] को 39.36 प्रतिशत अंश अंतरित किया गया तथा ₹ 1,000/– का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 10,000/– का निबन्धन शुल्क अदा किया गया था। दस्तावेज के लिखत की जाँच मे पाया गया कि इस दस्तावेज को अनुपूरक कनसौंर्टियम अनुबन्ध के रुप मे गलत वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि इस दस्तावेज के माध्यम से 19,994.88 वर्ग मीटर भूमि का अन्तरण किया गया था। इस प्रकार, इस दस्तावेज को हस्तांतरण विलेख मानते हुये इसका मूल्यांकन ₹ 87.98 करोड़ किया जाना चाहिये था। ₹ 6.16 करोड़ स्टाम्प शुल्क के रुप में प्रभार्य था, जबकि इस पर मात्र ₹ 1,000 का स्टाम्प शुल्क

---

[1] (1) मेसर्स इन्द्रापुरम हैबीटेट सेण्टर प्राइवेट लिमटेड (आई एच सी पी एल) (पूर्व मे शोमैन क्लब्स एवं इन्न प्राइवेट लि0) (2) ए इ जेड इन्फाटेक प्राइवेट लि0 (ए आइ पी एल) (पूर्व मे एरेन्स कोलमेट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लि0) (3) एस एम टावर्स प्राइवेट लि0 (4) मेसर्स एमटेक्स फैबट्रेड प्राइवेट लि0 (5) मेसर्स माधवन टाइ अप प्राइवेट लि0 (6) मेसर्स एरेन्स डेवलपर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लि0 (7) मेसर्स एरेन्स आर इण्टरटेनमेण्ट प्राइवेट लि0 (8) वाटिका लैण्ड बेस लि0 (9) आर एस अवतार सिंह एण्ड कम्पनी।

[2] मेसर्स इन्द्रापुरम हैबीटेट सेण्टर प्राइवेट लिमटेड से मेसर्स माधवन टाइ अप प्राइवेट लि0 (एमटीपीएल){(18.36 प्रतिशत हिस्सा अन्तरित)(अन्य मूल सदस्य के पक्ष में)}, मेसर्स इन्द्रापुरम हैबीटेट सेण्टर प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स एलुवियन बिल्डान प्राईवेट लि0 {(10 प्रतिशत हिस्सा अन्तरित)(अन्य सदस्य के पक्ष में)} मेसर्स इन्द्रापुरम हैबीटेट सेण्टर प्राइवेट लिमटेड से मेसर्स एलन बिल्डान प्राईवेट लि0 {(10.886 प्रतिशत हिस्सा अन्तरित)(अन्य सदस्य के पक्ष में)} एवं मेसर्स एरेन्स डेवलपर्स एण्ड इन्जीनियर्स प्राईवेट लि0 से मेसर्स एलन बिल्डान प्राईवेट लि0 {(0.062 प्रतिशत हिस्सा अन्तरित)(अन्य सदस्य के पक्ष में)} एवं मेसर्स एरेन्स आर इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लि0 से {(0.052 प्रतिशत हिस्सा अन्तरित)(अन्य सदस्य के पक्ष में)}।

आरोपित किया गया। इसके परिणाम स्वरुप ₹ 6.16 करोड़ स्टाम्प शुल्क कम प्राप्त हुआ।

हमने प्रकरण को शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (जनवरी 2014 एवं अप्रैल 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर मे बताया (अक्टूबर 2014) कि मामलें को सही मूल्यांकन के लिये कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित कर दिया गया है।

5.8 पट्टा विलेख के अवमूल्यन से स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भा0 स्टा0 अधिनियम के अनुसूची 1 खा के अनुच्छेद 35 के प्रावधानो के अन्तर्गत जहाँ पट्टा 30 वर्ष से अधिक अवधि के लिये या शाश्वत के लिये तात्पर्य हो या किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो, स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र की भांति देय है।

भा0 स्टा0 अधिनियम की धारा 2(16) विभिन्न प्रकार के पट्टों को परिभाषित करता है। पट्टा से तात्पर्य किसी अचल सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, किसी निश्चित अथवा अनिश्चित अवधि के लिये किसी प्रतिफल के भुगतान अथवा भुगतान की प्रतिज्ञा पर अन्तरण से है। भा0 स्टा0 अधिनियम की अनुसूची 1 खा के अनुच्छेद 35 का स्पष्टीकरण (2) यह व्याख्या करता है कि जहाँ पट्टा मे यह व्यवस्था हो कि पट्टाग्रहीता किसी निश्चित अवधि के पट्टे के उपरान्त, अनिश्चित अवधि के लिये पट्टा अधिकार धारण करेगा, तो ऐसी स्थिति मे इस अनुच्छेद के लिए पट्टे को निश्चित अवधि का नही माना जायेगा।

5.8.1 नब्बे वर्षों के पट्टा विलेख को तीस वर्षों का माना जाना

हमने उप निबन्धक, कार्यालय सैफई इटावा के पट्टा अनुबन्धों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच मे पाया (जनवरी 2014) कि 31 अक्टूबर 2012 को 10,680 वर्ग मीटर की एक भूमि का एक 90 वर्ष का पट्टा विलेख (पट्टा अवधि 30 वर्षों का जिसमें प्रत्येक 30 वर्षों पर पट्टे को दो बार बढ़ाये जाने का प्राविधान था) मेसर्स मदर डेरी फ्रूट एवं वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष मे निष्पादित किया गया। पट्टाग्रहीता द्वारा ₹ 38.62 लाख के मूल्य पर ₹ 1.93 लाख का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया था। चूंकि पट्टा 30 वर्ष से अधिक अवधि का था, अतः विलेख का मूल्यांकन विक्रय विलेख की भांति ₹ 9.40 करोड़ किया जाना अपेक्षित था, जिस पर ₹ 46.99 लाख का स्टाम्प शुल्क आरोपणीय था। इस प्रकार सरकार को ₹ 45.06 लाख के स्टाम्प शुल्क से वंचित होना पड़ा।

प्रकरण शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2014 एवं जून 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर मे बताया (अक्टूबर 2014) कि सम्पत्ति के सही मूल्यांकन के लिये मामले पर वाद दायर कर दिया गया है।

5.8.2 शाश्वत पट्टा को बीस वर्षीय पट्टा मानना

हमने उपनिबन्धक द्वितीय मथुरा कार्यालय के पट्टा अनुबन्धों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया (फरवरी 2014) कि 220.26 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्रफल सहित 1,443.43 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड शिवम् पब्लिक स्कूल के पक्ष में एक पट्टा विलेख के रूप में 23 अक्टूबर 2013 को अनिश्चित अवधि के लिए निष्पादित हुआ। पटटा ग्रहीता ने ₹ 20,000 की मालियत पर ₹ 800 स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 100 निबन्धन फीस अदा किया। चूंकि पट्टा विलेख अनिश्चित अवधि का था, अतः विलेख को विक्रय विलेख की भाँति ₹ 92.22 लाख की मालियत पर ₹ 6.56 लाख स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपणीय था। इस प्रकार शासन को ₹ 6.55 लाख के स्टाम्प शुल्क से वंचित होना पड़ा।

प्रकरण शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2014 और जुलाई 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर मे बताया (अक्टूबर 2014) कि सम्पत्ति के सही मूल्यांकन के लिये मामले पर वाद दायर कर दिया गया है।

5.8.3 पट्टा विलेख का निबन्धन न होना

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के पट्टों का पंजियन वर्षानुवर्ष हो अथवा एक वर्ष से अधिक का अभिप्रेत हो, अनिवार्य है। भा0 स्टा0 अधिनियम के अनुसूची एक खा के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के अन्तर्गत, 20 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्षो से अनधिक अवधि के पट्टों पर स्टाम्प शुल्क प्रतिफल के लिये हस्तान्तरण की भॉति कुल औसत वार्षिक आरक्षित किराये की राशि के छः गुने पर प्रभार्य है।

भा0 स्टा0 अधिनियम की धारा 2(16) विभिन्न प्रकार के पट्टों को परिभाषित करता है। पट्टा से तात्पर्य किसी अचल सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, किसी निश्चित अथवा अनिश्चित अवधि के लिये किसी प्रतिफल के भुगतान अथवा भुगतान की प्रतिज्ञा पर अन्तरण से है।

हमने उप निबन्धक कुण्डा के पट्टा अनुबन्ध से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया (सितम्बर 2013) कि नगर पंचायत कुण्डा द्वारा अप्रैल 1989 से मार्च 2013 के दौरान 100 दुकानों का 30 वर्ष की अवधि के लिये ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर पटटे पर दिया गया एवं न तो उसको उपनिबन्धक कार्यालय मे प्रस्तुत किया गया और न ही उसे निबन्धित कराया गया। रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार कथित विलेखों का पंजीयन अनिवार्य था, लेकिन विभाग ऐसे पटटो के बारे मे अनभिज्ञ था। ₹ 62.42 लाख की मालियत पर ₹ 6.79 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 1.23 लाख निबन्धन फीस आरोपणीय था। इन मामलों में पट्टा गृहीताओं ने केवल ₹ 10,000 का स्टाम्प शुल्क अदा किया और कोई निबन्धन फीस अदा नही किया गया। इस प्रकार से सरकार ₹ 7.92 लाख के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस से वंचित रहा एवं पाँच प्रकरण छोड़ कर शेष प्रकरण कालबाधित होने के कारण वसूली सम्भव नही है।

प्रकरण शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2013 से जून 2014)। विभाग ने उत्तर मे बताया (अक्टूबर 2014) कि पट्टा विलेखों के सही मूल्यांकन के लिये मामलों पर वाद दायर कर दिया गया है।

5.9 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा सगंठन के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है और सामन्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संगठन को विश्वस्त बनाता है कि निर्धारित प्रणालियां तर्कसंगत तरीके से कार्य कर रही हैं।

यहाँ एक तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ है जो महानिरीक्षक (निबन्धन) के पूर्ण देखरेख में आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य करती है। तकनीकी लेखापरीक्षा के लिए दो अतिरिक्त महानिरीक्षक (निबन्धन) तथा आठ सहायक महानिरीक्षक (निबन्धन) तैनात किए गए है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजना जैसे कि लेखापरीक्षा के लिए आयोजित इकाईयों की संख्या, लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 5.4** में दर्शाया गया है।

सारणी 5.4
आन्तरिक लेखापरीक्षा

वर्ष	उपलब्ध कुल इकाईयों की संख्या	आयोजित इकाईयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी	कमी का प्रतिशत
2009–10	493	331	299	32	9.67
2010–11	496	237	228	09	3.80
2011–12	496	250	243	07	2.80
2012–13	503	280	267	13	4.64
2013–14	504	309	307	02	0.65

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

यह दर्शाता है, कि विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आयोजना अपने लक्ष्य को धीरे धीरे प्राप्त कर रही है। अनुरोध के बावजूद भी विभाग द्वारा वर्ष के दौरान उठायी गयी आपत्तियों और निस्तारित आपत्तियों की संख्या तथा उनमें सन्निहित धनराशि का विवरण उपलब्ध नही कराया गया।

अध्याय-VI
अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियाँ

(अ) भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग

6.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन से प्राप्तियों का आरोपण एवं उदग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 से अधिनियमित होता है। शासन स्तर पर प्रमुख सचिव भू–तत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक प्रमुख हैं। भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन, निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग ने वर्ष 2013–14 में ₹ 912.52 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2013–14 में भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग से सम्बन्धित 36 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹ 471.38 करोड़ के रायल्टी, शास्ति एवं ब्याज का कम/न वसूल किये जाने एवं अन्य अनियमितताओं के 208 मामलें प्रकाश में आये जैसाकि **सारणी 6.1** में दर्शाये गयें है।

सारणी 6.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

			(₹ करोड़ में)
क0 सं0	**श्रेणी**	**मामलों की संख्या**	**धनराशि**
1.	खनन योजना का उल्लंघन	1	259.36
2.	रायल्टी की वसूली न किया जाना	41	5.65
3.	पट्टा विलेख निबन्धित न कराये जाने से राजस्व की वसूली का न होना	7	39.24
4.	अर्थदण्ड का अनारोपण	25	15.09
5.	खनिजों के मूल्य का न वसूला जाना	45	119.70
6.	अभिवहन शुल्क का अनारोपण	2	0.47
7.	अन्य अनियमिततायें	87	31.88
	योग	**208**	**471.39**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं।

वर्ष के दौरान विभाग ने न तो कोई मामला स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया।

कुछ निदर्शी मामले जिसमें ₹ 364.25 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, की चर्चा निम्न प्रस्तरों में की गयी हैं।

6.3 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में रायल्टी एवं ब्याज की वसूली नहीं/कम किए जाने, आवेदन शुल्क एवं दण्ड का अनारोपण, अवैध खनन पर खनिज मूल्य का न/कम आरोपण, अप्राधिकृत विदोहन, शासकीय आदेशों का अधिनियमों/नियमों में अनुरूपता न होना, आदि के प्रकरण प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक है तथा हमारे द्वारा किए गये नमूना जाँच पर आधारित है। इस प्रकार की त्रुटियां प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती है परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती है अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती है। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6.4 खनन योजना का उल्लंघन

खनिज गैर नवीकरणीय तथा बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं। उनका दोहन दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों और यर्थाथ आयोजना द्वारा निर्देशित है। खनिजों का दोहन एवं विकास

अर्थव्यवस्था के विकास एवं आस पास के रहने वाले निवासियों के उत्थान से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब यह पर्यावरण और सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है तो संरक्षण एवं विकास के मध्य सद्भाव और सन्तुलन बनाये रखा जाता है।

पत्थर एवं बालू के पट्टों के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म द्वारा पूर्व अनुमोदित खनन योजना अथवा खनन पट्टों के संचालन के दौरान संशोधित खनन योजना, जिनमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्योरा होगा, के अनुरूप होना आवश्यक है। खनन योजना खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, और उसके अधीन बनाई गयी खनिज परिहार नियमावली, 1960 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा पंजीकृत एक मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है।

राज्य में खनन से प्राप्तियों का आरोपण और संग्रह खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 से नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव भू–तत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक प्रमुख हैं। भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन, निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है।

उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में से केवल 10 जिलों[1] में पत्थर एवं बालू दोनों प्रकार के खनिजों के पट्टे हैं। हमनें इन दस जिलों में से आठ[2] जिलों को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया। विभाग द्वारा खनन योजना के अनुमोदन एवं इसके कार्यान्वयन में अधिनियम व नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था, यह देखने के लिये हमने खनन पट्टों का परीक्षण किया। लेखापरीक्षा माह जुलाई 2014 में आयोजित किया गया था और लेखा परीक्षित अवधि 2011–12 से 2013–14 थी। स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये प्रकरणों को भी इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। प्रारम्भिक विचार गोष्ठी एवं समापन विचार गोष्ठी विभाग के साथ क्रमशः 8 जुलाई 2014 व 2 सितम्बर 2014 को आयोजित की गयी। हमनें संचालित 1,319 खनन पट्टों (1,270 पत्थर के पट्टे व 49 बालू के पट्टे) में से 239 पट्टों की नमूना जाँच की और हमारे निष्कर्षों का विवरण अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

6.4.1 अनाधिकृत उत्खनन

6.4.1.1 बिना खनन योजना के उप खनिजों का उत्खनन

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 यथा संशोधित के नियम 34(2) के अनुसार स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप एवं बालू अथवा मौरम अथवा बजरी अथवा बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली जुली अवस्था में हो और नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्योरा होगा, की जायेगी। नियम 34(3) के अनुसार उपनियम 2 मे अभिदिष्ट खनन योजना खनिज परिहार नियमावली 1960 के उपबन्धों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो से मान्यता प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा तैयार की जायेगी।

खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 22–क में प्रावधान है कि खनन संक्रियाएँ विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए और खनन पट्टा संचालन के दौरान स्वीकृत खनन योजना में संशोधन हेतु पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित है।

खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब कभी कोई व्यक्ति विधिसम्मत प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी

---

[1] आगरा, इलाहाबाद, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

[2] बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

भूमि से हटायेगा, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे उठाये गये खनिज या जहाँ ऐसा खनिज पूर्व में ही हटाया गया है, रायल्टी के साथ खनिज मूल्य वसूल कर सकती है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21(2) के अन्तर्गत रायल्टी खनिमुख मूल्य का अधिकतम 20 प्रतिशत की दर से निर्धारित है।

- **पत्थर के पट्टे**

हमने पाँच जिला खान कार्यालयों के खनन पट्टा पत्रावलियों और खनन योजनाओं की नमूना जाँच में पाया (जुलाई 2013 से जुलाई 2014 के दौरान) कि 195 प्रकरणों में से 40 प्रकरणों में पट्टेदारों ने जनवरी 2005 से मार्च 2014 के दौरान 9.64 लाख घनमीटर उप खनिजों का बिना खनन योजना के उत्खनन किया जिस पर पट्टेदारों ने ₹ 8.12 करोड़ रायल्टी के रूप मे भुगतान किया। इस प्रकार पट्टेदारों द्वारा खनिज का उत्खनन अनाधिकृत था और खनिज मूल्य ₹ 40.61 करोड़ की धनराशि पट्टेदारों से वसूली योग्य थी। यद्यपि पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के उपखनिज का उत्खनन किया गया तथापि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) और ख0प0 नियमावली के नियम 22–क के प्रावधानों के उल्लंघन कर जिला खान अधिकारियों द्वारा एम0एम0–11 प्रपत्र निर्गत करते हुए उपखनिज का उत्खनन अनुमन्य किया गया। परिणामस्वरूप **परिशिष्ट XXV** के अनुसार खनिज मूल्य का ₹ 40.61 करोड़ अनारोपित रहा।

- **बालू के पट्टे**

हमने सात जिला खान कार्यालयों के खनन पट्टा पत्रावलियों और खनन योजनाओं की नमूना जाँच में पाया (जुलाई 2014) कि सभी 44 प्रकरणों में पट्टेदारों ने अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान 24.46 लाख घनमीटर बालू/मोरम का बिना खनन योजना के उत्खनन किया जिस पर पट्टेदारों ने ₹ 18.27 करोड़ रायल्टी के रूप मे भुगतान किया। इस प्रकार पट्टेदारों द्वारा खनिज का उत्खनन अनाधिकृत था और खनिज मूल्य ₹ 91.34 करोड़ की धनराशि पट्टेदारों से वसूली योग्य थी। यद्यपि पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के उपखनिज का उत्खनन किया गया तथापि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) और ख0प0 नियमावली के नियम 22–क के प्रावधानों के उल्लंघन कर जिला खान अधिकारियों द्वारा एम0एम0–11 प्रपत्र निर्गत करते हुए उपखनिज का उत्खनन अनुमन्य किया गया। परिणामस्वरूप **परिशिष्ट XXVI** के अनुसार खनिज मूल्य का ₹ 91.34 करोड़ अनारोपित रहा।

हमने मामलें को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2014)। विभाग ने बिना खनन योजना के उप खनिजों के उत्खनन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुये बताया (सितम्बर 2014) कि उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 के नियम 34(2) के उल्लंघन के कारण पट्टेदारों द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा। विभाग ने आगे बताया कि खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम का अनुच्छेद 21(5) उन प्रकरणों में लागू नहीं है जहाँ किसी पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के खनन संक्रिया की गयी है। बिना खनन योजना के खनन संक्रिया करने वाले पट्टेदारों पर शास्ति के आरोपण सम्बन्धी उपबन्धों को नियमावली में शामिल करने हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि बिना अनुमोदित खनन योजना के खनन संक्रिया वैध प्राधिकार के बिना है और इसलिये खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम के अनुच्छेद 21(5) के अन्तर्गत खुदाई किये गये खनिज का मूल्य वसूली योग्य है।

6.4.1.2 खनन योजना के नवीकरण के बिना खनिजों का उत्खनन

हमने छः जिला खान अधिकारियों के कार्यालय के खनन पट्टा पत्रावली और खनन योजनाओं की जाँच में पाया (जुलाई 2014) कि कुल 195 प्रकरणों में से 39 प्रकरणों में

पट्टेदारों ने अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के मध्य 15.59 लाख घनमीटर गिट्टी/मोरम का खनन योजना के नवीनीकरण के बिना उत्खनन किया जिस पर पट्टेदारों ने ₹ 13.40 करोड़ रायल्टी के रूप मे भुगतान किया। इस प्रकार पट्टेदारों द्वारा खनिज का उत्खनन अनाधिकृत था और खनिज मूल्य ₹ 66.98 करोड़ की धनराशि पट्टेदारों से वसूली योग्य था। यद्यपि पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के नवीनीकरण के उपखनिज का उत्खनन किया गया तथापि उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) और ख0प0 नियमावली के नियम 22–क के प्रावधानों के उल्लंघन कर जिला खान अधिकारियों द्वारा एम0एम0–11 प्रपत्र निर्गत करते हुए उपखनिज का उत्खनन अनुमन्य किया गया। परिणामस्वरूप **परिशिष्ट XXVII** के अनुसार खनिज मूल्य का ₹ 66.98 करोड़ अनारोपित रहा।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2014)। विभाग ने बिना खनन योजना के नवीनीकरण के बिना उप खनिजों के उत्खनन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुये बताया (सितम्बर 2014) कि उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 के नियम 34(2) के उल्लंघन के कारण पट्टेदारों द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा। विभाग ने आगे बताया कि खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम का अनुच्छेद 21(5) उन प्रकरणों में लागू नहीं है जहाँ किसी पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के खनन संक्रिया की गयी है। बिना खनन योजना के खनन संक्रिया करने वाले पट्टेदारों पर शास्ति के आरोपण सम्बन्धी उपबन्धों को नियमावली में शामिल करने हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि बिना अनुमोदित खनन योजना के खनन संक्रिया वैध प्राधिकार के बिना है और इसलिये खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम के अनुच्छेद 21(5) के अन्तर्गत खुदाई किये गये खनिज का मूल्य वसूली योग्य है।

6.4.1.3 अतिरिक्त उत्खनन

हमने छः जिला खान कार्यालयों के खनन पट्टा पत्रावलियों और खनन योजनाओं की जाँच में पाया (जुलाई 2013 से जुलाई 2014 के दौरान) कि कुल 195 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों में पट्टेदारों ने फरवरी 2010 से मार्च 2014 के मध्य 9.06 लाख घनमीटर गिट्टी/बोल्डर/ग्रेनाइट ब्लाक/ग्रेनाइट खण्डा/पटिया का स्वीकृत खनन योजना में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा का उत्खनन किया। इस प्रकार पट्टेदारों द्वारा खनिज का उत्खनन अनाधिकृत था और खनिज मूल्य ₹ 46.81 करोड़ की धनराशि पट्टेदारों से वसूली योग्य था। इस अवधि में नियमित रूप से अतिरिक्त उत्खनन प्रदर्शित करने वाले अभिलेख उपलब्ध होने के बावजूद जिला खान अधिकारियों द्वारा पट्टेदारों के विरुद्ध खनन योजना के सापेक्ष खनिजों के अतिरिक्त उत्खनन के लिये न तो कोई कार्यवाही की गयी और न ही **परिशिष्ट XXVIII** के विवरण के अनुसार अतिरिक्त उत्खनित खनिज का मूल्य ₹ 46.81 करोड़ वसूल करने की कार्यवाही की गयी।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2014)। विभाग ने खनन योजना के उल्लघंन के प्रकरण के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुये बताया (सितम्बर 2014) कि उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 के नियम 34(2) के उल्लंघन के कारण पट्टेदारों द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा। विभाग ने आगे बताया कि खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम का अनुच्छेद 21(5) उन प्रकरणों में लागू नहीं है जहाँ किसी पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के खनन संक्रिया की गयी है। बिना खनन योजना के खनन संक्रिया करने वाले पट्टेदारों पर शास्ति के आरोपण सम्बन्धी उपबन्धों को नियमावली में शामिल करने हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि बिना अनुमोदित खनन योजना के खनन संक्रिया वैध प्राधिकार के बिना है और इसलिये खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम के अनुच्छेद 21(5) के अन्तर्गत खुदाई किये गये खनिज का मूल्य वसूली योग्य है।

6.4.1.4 अवैध उत्खनन

हमने जिला खान कार्यालय झांसी के खनन पट्टा पत्रावली की जाँच में पाया (जुलाई 2013) कि एक पट्टेदार ने प्रथम खनन योजना जनवरी 2004 एवं द्वितीय खनन योजना 2010 में प्रस्तुत की। प्रथम खनन योजना में खनन योग्य संरक्षित खनिज 2,05,056 घन मीटर होना बताया गया था और द्वितीय खनन योजना में उसी खान में खनन योग्य संरक्षित खनिज 90,104 घन मीटर दर्शाया गया था। यह इंगित करता है कि पट्टेदार द्वारा जनवरी 2004 से फरवरी 2010 के मध्य 1,11,952 घन मीटर गिट्टी का खनन किया गया जिसमें से 88,265 घन मीटर गिट्टी वैध रूप में उत्खनित की गयी जिसके लिये विभाग द्वारा एम0एम0–11 परिवहन पास के 5,580 पर्ण निर्गत किये गये। इस प्रकार पट्टेदार ने बिना एम0एम0–11 पर्ण के और बिना रायल्टी जमा किये 26,687 घन मीटर (1,14,952–88,265) गिट्टी उत्खनित किया।

खनन योग्य संरक्षित खनिज की मात्रा का उल्लेख दोनो ही खनन योजनाओं में किया गया था और सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के पास वही खनन योजनायें तथा उस अवधि के दौरान वास्तविक उत्खनित मात्रा के साथ उपलब्ध थीं। परन्तु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी ने दोनो खनन योजनाओं का परस्पर मिलान नहीं किया जिससे यह अवैध खनन लेखापरीक्षा तक प्रकाश में नहीं आया। इस प्रकार पट्टेदार द्वारा खनिजों का उत्खनन अनाधिकृत था और पट्टेदार से ₹ 68 प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी ₹ 18.15 लाख और उत्खनित खनिज का खनिज मूल्य ₹ 90.74 लाख वसूली योग्य था। जिला खान अधिकारी ने विधिसम्मत कार्यवाही का आश्वासन दिया।

हमने मामले को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 से जनवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ (दिसम्बर 2014)।

6.4.2 त्रैमासिक विवरणियाँ (एम0एम0–12) का प्रस्तुत न किया जाना

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 73(1) के अन्तर्गत पट्टेदारों को जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0–12 में पूर्ववर्ती त्रैमास के लिये जिला खान अधिकारी को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा। यह खनन योजना में प्रदर्शित अनुमन्य मात्रा के विरुद्ध उत्खनन की गयी मात्रा की तुलना कर नियंत्रण करने का मुख्य साधन है। नियम 73(2) के अनुसार जब कभी कोई खनिज परिहार धारक उपनियम (1) में निर्धारित समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह ₹ 2,000 शास्ति के लिये उत्तरदायी होगा जैसा कि अधिसूचना सं0 7338/86–2011–183/2011 लखनऊ दिनांक 1 दिसम्बर 2011 द्वारा संशोधित किया गया।

हमने बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, महोबा, मिर्जापुर एवं सोनभद्र के जिला खान कार्यालयों के पट्टा धारकों की पत्रावलियों की जाँच में पाया (जुलाई 2014) कि जनवरी 2012 से मार्च 2014 के दौरान 66 पट्टा धारकों द्वारा 467 त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी। विभाग ने इन दोषियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की और शास्ति के ₹ 9.34 लाख वसूल नहीं किये।

पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत एम0एम0–12 में त्रैमास के दौरान खनिजों की उत्खनित मात्रा अंकित होती है। यह खनन योजना में प्रदर्शित अनुमन्य मात्रा के विरुद्ध उत्खनित की गयी मात्रा जिसके लिये एम0एम0–11 निर्गत किये गये हैं, की तुलना कर नियंत्रण करने का मुख्य हथियार है और इस प्रकार प्रभावी निगरानी के लिये महत्वपूर्ण है।

इसके अभाव में पट्टेदार द्वारा त्रैमास के दौरान खुदाई की वास्तविक एवं परिवहित मात्रा से विभाग अनजान रहा।

हमने मामले को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2014)। विभाग ने हमारे आपत्तियों को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को जिन पट्टेदारों ने नियम 73(2) के अन्तर्गत त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये, से शास्ति वसूलने के लिये पत्र भेज दिया गया है।

6.4.3 पर्यावरण अधिनियम का अनुपालन नही किया जाना

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अनुसार जो भी इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों या दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने में या पालन करने में विफल रहता है, वह ऐसे प्रत्येक विफलता या उल्लंघन के सम्बन्ध में एक अवधि तक कारावास जो पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने की धनराशि जो एक लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है या दोनो से दण्डनीय होगा और यदि इस तरह की विफलता या उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने जो पांच हजार रुपये प्रतिदिन, नयी विफलता या उल्लंघन के लिये दोष सिद्ध होने के बाद इस प्रकार की विफलता या उल्लंघन जारी रहने के दौरान के लिये हो सकता है। खनन योजना न केवल नियोजित और वैज्ञानिक खनन के लिये बल्कि पर्यावरण के संरक्षण के लिये भी आवश्यक है। आदेश सं0 1483(1)/14–2–08–65/2008–टी0 सी0 दिनांक 4 जून 2008 के द्वारा शासन ने खनन पट्टे में वृक्षारोपण की शर्त जोड़ने के निर्देश दिये गये हैं। इस शर्त के अनुसार खनन पट्टाधारक एक एकड़ अथवा अधिक क्षेत्र में खनन कार्य कर रहा है वह अपने खर्च पर प्रति एकड़ 200 वृक्ष लगायेगा।

हमने बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर एवं सोनभद्र के आठ जिला खान कार्यालयों के पट्टाधारकों की पत्रावली की जाँच में पाया (जुलाई 2014) कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 के मध्य 1,270 पट्टाधारकों द्वारा पत्थर/गिट्टी/बोल्डर/ग्रेनाइट आदि का खनन किया गया। पट्टे की शर्त के अनुसार वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य था। 1,270 पट्टाधारकों में से केवल 26 पट्टाधारकों द्वारा वृक्षारोपण कार्य किये जाने के अभिलेखीय साक्ष्य मिले और शेष 1,244 पट्टाधारको के प्रकरण में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अभिलेखों में नहीं मिले। जिला खान अधिकारियों ने पट्टाधारकों द्वारा वृक्षारोपण करना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने न तो इन खनन संक्रियाओं को बन्द कराया और न ही आवश्यक शास्ति का आरोपण किया। उल्लंधन के लिये न्यूनतम एक लाख रुपये प्रति पट्टाधारक पर जुमाने से ₹ 12.44 करोड़ भी आरोपित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के उल्लंघन के दौरान अतिरिक्त जुर्माना जो ₹ 5,000 प्रति दिन तक हो सकता है, भी आरोपणीय है।

हमने मामले को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2014)। विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के बारे में वन विभाग द्वारा आदेश निर्गत किया जाता है। खनन क्षेत्रों के पास वृक्षारोपण के लिये उचित स्थान उपलब्ध न होने के कारण वृक्षारोपण सम्भव नहीं है। खान तथा खनिज (विनियम तथा विकास) अधिनियम 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 और उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 में वृक्षारोपण न करने के लिये ₹ एक लाख आरोपित करने हेतु प्रावधान नहीं है। हम सहमत नहीं है क्योंकि शासन ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुपालन के लिये खनन पट्टों में वृक्षारोपण के लिये शासनादेश सं0 1483(1)/14–2–08–65/2008–टी0सी0–3 दिनांक 4 जून 2008 को निर्गत किया है।

6.4.4 खनन योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं निगरानी करने के लिये तंत्र का अभाव

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) के अनुसार स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप और बालू अथवा मौरम अथवा बजरी अथवा बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली जुली अवस्था में हो और नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें निदेशक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्योरा होगा, की जायेगी।

आदेश दिनांक 14 सितम्बर 1964 जो कि वर्तमान में लागू है, के अनुसार निदेशक भू–तत्व एवं खनिकर्म, जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग का स्वयं या अपने वरिष्ठ भू वैज्ञानिक द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण करेगा और शासन को त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करेगा। निदेशक भू–तत्व एवं खनिकर्म ने दिनांक 17 जून 2009 को एक कार्यालय आदेश जारी किया कि नियम 34, 35, 36, 37 एवं 38 के अनुपालन में एक त्रैमास में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक पट्टे का कम से कम एक स्थल निरीक्षण करेगा जिस में निम्नलिखित तथ्यों को देखना आवश्यक होगा

- पट्टे का क्षेत्र का सीमांकन उचित है कि नहीं।
- स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप की खनन संक्रिया अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप है या नहीं।
- खनन संक्रियायें दक्ष श्रमिक की तरह की जा रहीं है।
- खनन संक्रिया में सुरक्षा मानक उपलब्ध हैं अथवा नहीं।

इन बिन्दुओं को समावेश करते हुये एक आख्या तैयार करके पट्टाधारक की पत्रावली में रखी जानी चाहिये और इस प्रकार के निरीक्षणों की एक संकलित सूचना निदेशालय में प्रतिवर्ष प्रस्तुत करनी आवश्यक है।

हमने बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर और सोनभद्र के आठ जिला खान कार्यालयों के पट्टाधारकों की पत्रावली की जाँच में पाया (जुलाई 2014) कि उक्त आदेशों में निर्धारित त्रैमासिक निरीक्षण के सम्बन्ध में किसी अभिलेख का रखरखाव इन कार्यालयों में नहीं किया गया था। इस प्रकार लेखापरीक्षा यह पता लगाने में असमर्थ रही कि नियमों के अनुपालन में निरीक्षण किये गये हैं अथवा नहीं।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2014)। विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि जिला खान अधिकारियों और खनन निरीक्षकों द्वारा समय समय पर अपेक्षित निरीक्षण किये जाते है और यदि कोई कमी पायी जाती है तो तद्नुसार सुधार के लिये निर्देश दिये जाते है। फिर भी उक्त इकाइयों की लेखापरीक्षा के दौरान तथ्य यही रहा कि इस प्रकार के निर्देशों के सम्बन्ध में अभिलेखों में हमे कुछ नही मिला।

6.4.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह संगठन को सुनिश्चित करता है कि निर्धारित तन्त्र भली भांति कार्य कर रहा हैं।

विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की संगठनात्कम ढाँचा और इसके लिये नियुक्त कर्मचारियों का विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा किस वर्ष से स्थापित है, यह भी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजना का विवरण जैसे कि लेखापरीक्षा के लिये आयोजित इकाइयों की संख्या, लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 6.2** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.2
आन्तरिक लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा आयोजना)

वर्ष	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कुल इकाइयों की संख्या	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाइयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2009–10	31	31	28	3	9.68
2010–11	31	31	26	5	16.13
2011–12	31	31	29	2	6.45
2012–13	31	30	12	18	60.00
2013–14	31	30	14	16	53.33

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना।

यह प्रदर्शित करता है कि लेखापरीक्षा की योजना यथार्थवादी नहीं है क्योंकि वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान कमी 6.45 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत तक हुयी। कमी के कारणों को विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा और उठाई गयी आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि और वर्ष के दौरान निस्तारण **सारणी 6.3** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.3
आन्तरिक लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा आपत्तियाँ)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम अवशेष	
	प्रकरणों की सं०	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं०	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं०	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं०	सन्निहित धनराशि
2009–10	1,187	45.69	93	8.72	118	3.27	1,162	51.14
2010–11	1,157	51.15	65	5.15	6	0.87	1,216	55.43
2011–12	1,216	55.43	82	10.87	5	2.55	1,293	63.75
2012–13	1,293	63.75	41	4.44	8	3.16	1,326	65.03
2013–14	1,326	65.03	38	7.39	0	0.62	1,364	71.80

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना।

वर्ष 2013–14 में विभाग द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर ₹ 62.00 लाख की वसूली की गयी थी। यह प्रदर्शित करता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों के विरुद्ध विभाग द्वारा किया गया निस्तारण बहुत कम है।

जब हमने पूछा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान खनन योजना में अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी की गयी है अथवा नहीं तो विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि सिफारिश के अनुसार, उचित कार्यवाही प्रक्रिया में थी।

6.4.6 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्नलिखित देखा–

- उप खनिजों का दोहन खनन योजना के अनुसार नहीं किया गया। 195 पट्टों की जाँच के दौरान हमने पाया कि 40 प्रकरणों में पट्टेदारों द्वारा खनन योजना स्वीकृत कराये बिना खनिजों का उत्खनन किया गया, 39 प्रकरणों में पट्टेदारों द्वारा खनन योजना नवीनीकृत कराये बिना खनिजों का उत्खनन किया गया और 18 प्रकरणों में पट्टेदारों द्वारा खनन योजना में स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में खनिजों का उत्खनन किया गया।
- दो लगातार खनन योजनाओं में दर्शाये गये खनन योग्य संरक्षित खनिज की मात्रा के साथ दोनो खनन योजनाओं के मध्य वास्तविक खुदाई की मात्रा सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के पास उपलब्ध थी। दो लगातार खनन योजनाओं में खनन योग्य संरक्षित खनिज की मात्रा का अंतर उस मात्रा से अधिक था जिस मात्रा के लिये रायल्टी का भुगतान किया गया था। लेकिन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी ने तथ्यों की जाँच पड़ताल नहीं की जिससे अनाधिकृत खुदाई का लेखापरीक्षा तक पता नहीं चल पाया।

- अनापत्ति प्रमाणपत्र में उल्लिखित वृक्षारोपण की शर्त का पालन नहीं किया गया जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 1,270 पट्टाधारकों मे से केवल 26 पट्टाधारकों द्वारा वृक्षारोपण किया जाना अभिलेखों में उपलब्ध है।
- पट्टों के त्रैमासिक निरीक्षण के सम्बन्ध में अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जिससे लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि निरीक्षण किये गये हैं।

हम निम्नलिखित संस्तुति करते हैं–

- **उप खनिजों के उत्खनन की अनुमति केवल खनन योजना के अनुमोदन के पश्चात ही दी जानी चाहिये और खनिजों का दोहन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही किये जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिये।**
- **दो खनन योजनाओं के मध्य अनाधिकृत रूप से उत्खनित मात्रा ज्ञात करने के लिये दो खनन योजनाओं में उल्लिखित खनन योग्य संरक्षित खनिज के अन्तर की तुलना उस मात्रा से की जानी चाहिये जिस मात्रा की रायल्टी जमा की गयी है।**
- **वरिष्ठ भू वैज्ञानिक, जिला खान अधिकारी और खनन निरीक्षक द्वारा पट्टों के त्रैमासिक निरीक्षण सम्बन्धी अभिलेख और उनकी आख्या का रख रखाव किया जाना चाहिये। निष्कर्षों की एक रिपोर्ट निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म को भी प्रस्तुत की जाानी चाहिये।**
- **आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ किया जाना चाहिये और इसके द्वारा इंगित की गयी अनियमितताओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये।**

6.5 दरों को संशोधित न किया जाना

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21 के अनुसार रायल्टी समय समय पर संशोधित दर के आधार पर देय होगी। राज्य सरकार द्वारा रायल्टी और अपरिहार्य भाटक की दरों में दिनांक 2 नवम्बर 2012 को जारी शासनादेश सं0 2974/86–2012–200/77 टी0सी0।। लखनऊ द्वारा दिनांक 2 नवम्बर 2012 से संशोधन कर दिया गया है।

6.5.1 ईंट बनाने की मिट्टी पर रायल्टी का कम आरोपण

ईंट बनाने की मिट्टी के लिये दिनांक 2 नवम्बर 2012 से प्रभावी रायल्टी की दर ₹ 18 प्रति हजार से ₹ 27 प्रति हजार संशोधित कर दिया गया था।

हमने इलाहाबाद और हरदोई के जिला खान कार्यालयों की ईंट भट्टा पत्रावली की जाँच के दौरान देखा (अक्टूबर 2013 और मार्च 2014 के मध्य) कि विभाग ने दिसम्बर 2012 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान 88 प्रकरणों में संशोधित दर से रायल्टी का आरोपण नहीं किया और ईंट भट्टा मालिकों द्वारा ₹ 49.25 लाख रायल्टी संशोधित दर पर जमा करने के बजाय संशोधन–पूर्व की दर पर ₹ 32.83 लाख की रायल्टी जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप **सारणी 6.4** में प्रदर्शित ₹ 16.42 लाख कम रायल्टी आरोपित हुयी।

सारणी 6.4

ईंट बनाने की मिट्टी पर रायल्टी का कम आरोपण

(₹ में)

क0सं0	इकाई का नाम	ईंट भट्टों की संख्या	वर्ष	देय रायल्टी	अदा रायल्टी	रायल्टी का अन्तर	जमा की अवधि
1	जि0खा0का0 इलाहाबाद	65	2012–13	35,32,950	23,55,300	11,77,650	01/2013 से 02/2014
2	जि0खा0का0 हरदोई	23	2012–13	13,91,850	9,27,900	4,63,950	12/2012 से 09/2013
		88		**49,24,800**	**32,83,200**	**16,41,600**	

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

हमने मामले को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2013 से अप्रैल 2014 तक)। विभाग ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2014) कि जिलाधिकारी को रायल्टी की वसूली करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये है।

6.5.2 बालू पट्टे पर अपरिहार्य भाटक और स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 72(2) के अधीन बालू के पट्टे के लिये खनन क्षेत्र तीन वर्ष की अवधि के लिये अधिसूचित किया जा सकता है। खा0 खा0 अधिनियम की धारा 9–क (1) के अनुसार खनन पट्टे का प्रत्येक पट्टेदार पट्टे में सम्मिलित सभी क्षेत्र के लिये निर्धारित तिथियों में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित दरों पर प्रति वर्ष सम्पूर्ण वर्ष के लिये अग्रिम रूप में अपरिहार्य भाटक अदा करेगा। बालू के पट्टे के लिये अपरिहार्य भाटक की दर संशोधित कर 2 नवम्बर 2012 से ₹ 16,000 प्रति एकड़ से ₹ 32,000 प्रति एकड़ हो गयी है।

हमने जिला खान कार्यालय, जालौन के बालू के पट्टे की पत्रावली की जाँच के दौरान पाया (अगस्त 2013) कि बालू का एक खनन पट्टा एक पट्टेदार के पक्ष में 18 अप्रैल 2013 को तीन वर्ष की अवधि (18 अप्रैल 2013 से 17 अप्रैल 2016 तक) के लिये प्रदान किया गया। जिला खान अधिकरी जालौन द्वारा हस्ताक्षरित पट्टा विलेख में हमने देखा कि अपरिहार्य भाटक ₹ 16,000 प्रति एकड़ की दर से लिया जाना निश्चित किया गया था जबकि शासन द्वारा अपरिहार्य भाटक की दरों में संशोधन 2 नवम्बर 2012 से प्रभावी करते हुए ₹ 32,000 प्रति एकड़ की दर निर्धारित की गयी थी। अपरिहार्य भाटक को संशोधन–पूर्व की दर पर लिये जाने से विभाग उस पर लिया जाने योग्य ₹ 27.00 लाख के राजस्व से वंचित रहा और पट्टेदार को उस राशि का अनुचित लाभ प्रदान किया गया। विवरण **सारणी 6.5** में दिया गया है।

सारणी 6.5

बालू पट्टों पर अपरिहार्य भाटक और स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

			(₹ लाख में)
विवरण	**विभाग द्वारा आरोपणीय अपरिहार्य भाटक / स्टाम्प शुल्क**	**विभाग द्वारा आरोपित अपरिहार्य भाटक / स्टाम्प शुल्क**	**अपरिहार्य भाटक / स्टाम्प शुल्क का अन्तर**
प्रथम वर्ष	16.00	8.00	8.00
द्वितीय वर्ष	17.60	8.80	8.80
तृतीय वर्ष	19.36	9.68	9.68
स्टाम्प शुल्क	1.06	0.54	0.52
योग	**54.02**	**27.02**	**27.00**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

हमने मामले को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 से फरवरी 2014 तक)। विभाग ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2014) कि जिलाधिकारी जालौन को लेखापरीक्षा में उल्लिखित धनराशि की वसूली करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये है।

6.5.3 रायल्टी का कम आरोपण

हमने गौतम बुद्ध नगर और मिर्जापुर के जिला खान कार्यालयों की पट्टा पत्रावलियों, अनुज्ञा–पत्र पत्रावलियों और एम0एम0–11 निर्गम रजिस्टर की जाँच में पाया कि विभाग ने 2 नवम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक विभिन्न पट्टा धारकों और अनुज्ञा–पत्र धारको को 92,253.50 घन मीटर उप खनिजों के लिये एम0एम0–11 प्रपत्र निर्गत किया। विभाग ने 2 नवम्बर 2012 से विभिन्न पट्टा धारकों और अनुज्ञा–पत्र धारको को 110 प्रकरणों में एम0एम0–11 प्रपत्र निर्गत किये और संशोधित दर पर रायल्टी ₹ 50.61 लाख के बजाय संशोधन पूर्व की दर पर रायल्टी ₹ 33.65 लाख आरोपित किया। परिणामस्वरूप ₹ 16.96 लाख रायल्टी की कम वसूली हुयी। विवरण **सारणी 6.6** में दिया गया है।

सारणी 6.6
रायल्टी का कम आरोपण

(₹ में)

क0 सं0	इकाई का नाम	प्रकरणों की सं0	खनिज का नाम	अवधि	खनिज की मात्रा	रायल्टी की पूर्व दर	रायल्टी की नई दर	अदा रायल्टी	देय रायल्टी	रायल्टी में कमी
1.	जि0खा0का0 मिर्जापुर	58	गिट्टी	02.11.12 से 12.11.12	45,174.50	48	72	21,68,376	32,52,564	10,84,188
2.	जि0खा0का0 मिर्जापुर	13	पटिया	03.11.12 से 09.11.12	615.50	270	405	1,66,185	2,49,278	83,093
3.	जि0खा0का0 मिर्जापुर	26	बोल्डर	03.11.12 से 12.11.12	9,863.50	45	68	4,43,858	6,70,718	2,26,861
4.	जि0खा0का0 गौतम बुद्ध नगर	7	मिट्टी	07.11.12 से 31.12.12	16,800.00	9	14	1,51,200	2,35,200	84,000
5.	जि0खा0का0 गौतम बुद्ध नगर	6	सा0 बालू(1)	07.11.12 से 01.01.13	19,800.00	22	33	4,35,600	6,53,400	2,17,800
योग		**110**			**92,253.50**			**33,65,219**	**50,61,160**	**16,95,941**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2013 से अप्रैल 2014)। विभाग ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2014) कि पट्टेदारों के प्रकरणों में उल्लिखित धनराशि को वसूल करने के निर्देश जारी कर दिये गये है। खनन अनुज्ञापत्र के प्रकरणों में विभाग ने बताया कि अनुज्ञापत्र धारकों से रायल्टी अग्रिम में जमा करा ली गयी थी और अनुज्ञापत्र धारकों से रायल्टी का अन्तर वसूल नहीं किया जा सकता। हमने पाया कि एम0एम0–11 निर्गत करते समय दरें संशोधित हो चुकी थीं और सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों को बढ़ी हुयी दरों के कारण अन्तर की धनराशि वसूल कर लेनी चाहिये थी लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे।

6.6 ईंट भट्टा मालिकों से रायल्टी, अनुज्ञापत्र फीस और ब्याज की वसूली न किया जाना

दिसम्बर 2004 में जारी की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0एस0) में ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा ₹ 2,000 प्रति ईंट भट्ठा प्रार्थना–पत्र शुल्क अदा कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद ईंट भट्ठा क्षेत्रों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित दरों पर रायल्टी की धनराशि एकमुश्त अदा करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त ओ0टी0एस0एस0 में प्रावधान है कि यदि ईंट भट्ठा स्वामी रायल्टी की एकीकृत धनराशि अदा करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी ऐसे व्यवसाय को बन्द करा देगा और बकाया रायल्टी/अर्थदण्ड की वसूली के लिए ओ0टी0एस0एस0 के प्रस्तर 3 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ करेगा। इसके अतिरिक्त किराया, रायल्टी फीस या अन्य देय रकम पर ओ0टी0एस0एस0 के प्रस्तर 1(5) के अनुसार निर्धारित दर से ब्याज भी प्रभारित किया जा सकता है। 2 नवम्बर 2012 की अधिसूचना के अनुसार रायल्टी की नई दर ₹ 27 प्रति हजार ईंट है।

हमने 14 जिला खान कार्यालयों में ईंट भट्ठा पंजिका और ईंट भट्ठा स्वामियों की पत्रावलियों में अनुरक्षित अन्य संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया (मई 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) कि अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान 412 ईंट भटठे (श्रेणीं अ : 313, श्रेणीं बः 99) संचालित थे। यद्यपि यह योजना में निर्दिष्ट था फिर भी 2012–13 की अवधि के लिये इन ईंट भट्ठा स्वामियों ने कोई रायल्टी और अनुज्ञापत्र शुल्क नहीं अदा किया। सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों द्वारा न तो उनके व्यवसाय को रोकने की कार्यवाही शुरू नहीं की गयी और न ही देय रायल्टी ₹ 302.13 लाख, अनुज्ञापत्र शुल्क ₹ 8.24 लाख एवं ₹ 76.83 लाख ब्याज वसूल किया गया जैसाकि **परिशिष्ट XXIX** में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 से मई 2014)। विभाग ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2014) कि जिलाधिकारी को बकायेदारों से रायल्टी, अनुज्ञापत्र शुल्क और ब्याज की वसूली करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये है।

6.7 रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 58 (2) के अनुसार 30 दिवसों की नोटिस अवधि के बीत जाने पर किसी किराया, रायल्टी या सीमांकन शुल्क और राज्य सरकार के अन्य देयों के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज आरोपित की जायेगी। शासन ने ईंट भट्टा मालिकों से रायल्टी और उस पर देय ब्याज के आरोपण के लिये समय समय पर एक मुश्त समाधान योजना जारी की है।

हमने चार जिला खान कार्यालयों में ईंट भट्ठा पंजिका और ईंट भट्ठा स्वामियों की पत्रावलियों में अनुरक्षित अन्य संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया (जुलाई 2013 और मार्च 2014 के मध्य) कि 2010–11 से 2013–14 की अवधि के दौरान 194 प्रकरणों में औसत 203 दिनों के विलम्ब से ₹ 93.96 लाख की रायल्टी जमा की गयी। विलम्ब से भुगतान का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध होने के बावजूद विभाग ने विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के आरोपण और वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप ब्याज के ₹ 6.51 लाख की वसूली नहीं हुई जैसाकि **सारणी 6.7** में दिया गया है।

सारणी 6.7

रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

(₹ में)

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	देय और जमा धनराशि	आरोपणीय ब्याज	विलम्ब की अवधि दिनों में
1	जि0 खा0 का0 इलाहाबाद	2012–13	32	11,70,000	1,42,404	55 से 405
		2013–14	03	1,57,950	6,064	50 से 65
2	जि0 खा0 का0 बागपत	2010–11	23	12,55,500	71,064	1 से 259
		2011–12	62	34,37,000	1,89,323	4 से 302
3	जि0 खा0 का0 मथुरा	2012–13	19	9,80,300	89,575	84 से 205
4	जि0 खा0 का0 मिर्जापुर	2012–13	55	23,95,550	1,52,187	56 से 222
योग			**194**	**93,96,300**	**6,50,617**	**1 से 405**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 और मई 2014 के मध्य) विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकारते हुए बताया (सितम्बर 2014) कि जिलाधिकारी के माध्यम से बकायेदारों से ब्याज की वसूली के लिये निर्देश दिये गये है।

6.8 ईंट बनाने की मिट्टी के अवैध हटान पर खनिज मूल्य का अनारोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 एवं 57 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन अनुज्ञापत्र या खनन पट्टे में किये गये निर्बन्धनों और शर्तो के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन क्रिया संचालित नहीं करेगा। खान एवं खनिज (विनिमय एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा–21 (1) और (5) प्रावधानित करता है कि किसी अवैध खनन के लिये उस अवधि के लिए जब ऐसे व्यक्ति द्वारा विधि सम्मत प्राधिकार के बिना भूमि अधिग्रहीत की गयी हो, खनिज मूल्य के साथ किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, भी देय होगा। आगे उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली का नियम 57 आपराधिक कार्यवाही जिसमें छः माह तक बढ़ायी जा सकने वाली साधारण सजा या अधिकतम ₹ पचीस हजार तक के दण्ड या दोनों सजायें आकृष्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रावधान करता है।

हमने 11 जिला खान कार्यालयों[3] में ईंट भट्ठा स्वामियों की माँग, संग्रहण और अनुज्ञापन पंजिका की जाँच में पाया (जून 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि के दौरान 1,454 ईंट भट्ठे (श्रेणी–अ : 1,304 एवं श्रेणी ब : 150) अनुज्ञापन स्वीकृति हेतु अपेक्षित शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र और मिट्टी खनन हेतु खनन अनुज्ञापन प्राप्त किये बिना संचालित थे। यद्यपि ईंट भट्ठा स्वामियों ने रायल्टी की समेकित राशि के रूप में ₹ 13.98 करोड़ का भुगतान किया परन्तु बिना खनन अनुज्ञापत्र के ईंट बनाने की मिट्टी का उत्खनन अवैध था। इस तथ्य के बावजूद कि खनन संक्रियायें की जा रही थी, विभाग ने उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के अनुसार व्यवसाय को रोकने या अर्थदण्ड आरोपित करने की कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार, पर्यावरण के हानिकारक प्रभाव के अतिरिक्त रायल्टी का पाँच गुना खनिज मूल्य ₹ 69.89 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 और मई 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर दिया कि खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21 (5) के प्रावधान उन प्रकरणों में लागू नहीं है जिनमें रायल्टी जमा करने के बाद खनन किया गया है। विभाग के उत्तर तथ्यों पर आधारित नही है क्योंकि खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21 (5) के अधीन खनन मूल्य आरोपणीय है।

6.9 अपरिहार्य भाटक व ब्याज का कम वसूल किया जाना

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 58 (1) एवं (2) प्रावधानित करता है कि पट्टाधारक से किसी धनराशि की वसूली हेतु नोटिस दी जायेगी, और यदि नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर, पट्टाधारक ऐसी धनराशि का भुगतान करने मे असफल रहता है तो उसे भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियमावली का उपनियम (2) प्रावधानित करता है कि नोटिस की अवधि समाप्ति के बाद 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी वसूल किया जा सकता है। पट्टा विलेख प्रपत्र (एम एम–6) की सामान्य शर्तो के अनुसार, पट्टा विलेख की किन्ही शर्त के उल्लघंन के प्रकरण मे पट्टा निरस्त और जमा प्रतिभूति राजसात की जा सकती है।

हमने तीन जि0खा0का0 के पट्टा धारको द्वारा प्रस्तुत पट्टा विवरणियों में पाया (अगस्त 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि 10 प्रकरणों में पट्टा धारको ने नियमो के अनुसार ₹ 201.22 लाख के स्थान पर ₹ 177.91 लाख का अपरिहार्य भाटक जमा किया। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने अपरिहार्य भाटक एवं रायल्टी के कम भुगतान/भुगतान को संज्ञान नहीं लिया और ब्याज के साथ उक्त की वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप अपरिहार्य भाटक के ₹ 23.31 लाख के साथ ₹ 6.27 के ब्याज की कम वसूली हुई जैसाकि **सारणी 6.8** में दिया गया है।

सारणी 6.8

अपरिहार्य भाटक व ब्याज का कम वसूल किया जाना

(₹ मे)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	पटटा धारको की सं0	अवधि	देय धनराशि	जमा धनराशि	अवशेष धनराशि	जमा धनराशि पर देय ब्याज	ब्याज के मामलो मे विलम्बित दिन
1	जि0खा0का0 अलीगढ़	1	01.12.11 से 01.04.13	7,21,416	5,15,298	2,06,118	45,174	7 से 355 दिन
2	जि0खा0का0 जालौन	5	17.02.09 से 24.04.13	1,82,80,380	1,69,28,880	13,51,500	5,81,320	70 से 880 दिन
3	जि0खा0का0 मिर्जापुर	4	01.07.09 से 31.10.13	11,20,000	3,46,901	7,73,099	0	0
योग		**10**		**2,01,21,796**	**1,77,91,079**	**23,30,717**	**6,26,494**	

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणाम से प्राप्त सूचना के अनुसार।

[3] बागपत, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, हरदोई, कानपुर नगर, कौशाम्बी, मुरादाबाद, लखनऊ, रामपुर एवं सहारनपुर।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 तथा अप्रैल 2014 के मध्य)। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2014) कि और कहा कि धनराशि वसूलने के निर्देश कलेक्टर के माध्यम से जारी किये जा चुके हैं।

6.10 अवैध खनन

6.10.1 अवैध खनन पर रायल्टी, खनिज मूल्य एवं अर्थदण्ड का न/कम आरोपण

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 एवं 57 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन अनुज्ञापत्र या खनन पट्टे में किये गये निर्बन्धनों और शर्तो के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन क्रिया संचालित नहीं करेगा। खान एवं खनिज (विनिमय एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा–21 (1) एवं (5) प्रावधानित करता है कि किसी अवैध खनन के लिये उस अवधि के लिए जब ऐसे व्यक्ति द्वारा विधि सम्मत प्राधिकार के बिना भूमि अधिग्रहीत की गयी हो, खनिज मूल्य, किराया, रायल्टी अथवा कर, जैसा भी प्रकरण हो, भी देय होगा। आगे उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली का नियम 57 यथा संशोधित 1 दिसम्बर 2011 आपराधिक कार्यवाही जिसमें छः माह तक बढ़ायी जा सकने वाली साधारण सजा या अधिकतम पच्चीस हजार रूपये तक के अर्थदण्ड या दोनों आकृष्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रावधान करता है।

हमनें तेरह जिला खान कार्यालयों[4] की अवैध खनन पत्रावलियों एवं पंजिकाओ में जाँच में पाया (मई 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि अक्टूबर 2008 एवं सितम्बर 2013 के मध्य 130 प्रकरणों में 7.90 लाख घनमीटर के उप खनिज को बिना विधि सम्मत प्राधिकार के उत्खनित एवं परिवहित किया गया। बिना खनन अनुज्ञा/पट्टा के खनिजों की खुदाई न केवल अवैध थी बल्कि पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव डाला। लेखापरीक्षा मे पाया कि अवैध खनन के ये प्रकरण विभाग के संज्ञान में थे तथापि एक से छ वर्ष व्यतीत होने के बावजूद विभाग ने दूसरी नोटिस, माँगपत्र और वसूली प्रमाणपत्र निर्गत करने जैसे कोई प्रयास नहीं किये थे। विभाग ने अवैध खनन की गयी खनिज की निश्चित दर से रायल्टी एवं खनिज मूल्य एवं अर्थदण्ड के आरोपण उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप रायल्टी, खनिज मूल्य एवं अर्थदण्ड ₹ 15.93 करोड़ का न/कम आरोपण हुआ।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013 से मई 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 2014)।

6.10.2 वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने मे अनियमिततायें

हमने जिला खान कार्यालय उन्नाव की अवैध खनन पत्रावलियो की जाँच मे पाया (जुलाई 2013) कि अप्रैल 2010 से जुलाई 2012 के मध्य कुल छः प्रकरणो मे 98,847 घनमीटर मिट्टी का अवैध खनन व परिवहन बिना किसी विधि सम्मत प्राधिकार के किया गया। मिट्टी के इस अवैध खनन पर रायल्टी, मिट्टी की कीमत एवं अर्थदण्ड के आरोपण की धनराशि ₹ 54.88 लाख को आकर्षित किया (रायल्टी का ₹ 8.90 लाख, मिट्टी की कीमत का ₹ 44.48 एवं अर्थदण्ड ₹ 1.50 लाख)। लेकिन विभाग ने ₹ 54.88 लाख के स्थान पर ₹ 45.98 लाख का वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किया। परिणास्वरुप ₹ 8.90 लाख का रायल्टी, मिट्टी की कीमत एवं अर्थदण्ड का कम आरोपण हुआ।

[4] अलीगढ़, चित्रकूट, गौतमबुद्ध नगर, जालौन, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य)। विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि खनिज मूल्य हमेशा खनिज की रायल्टी का पॉच गुणा नहीं होता। विभाग का उत्तर तथ्यो पर आधारित नहीं है क्योकि उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 के नियम 21(2) के अनुसार खनिज का मूल्य कम से कम रायल्टी का पॉच गुणा निश्चित है।

6.10.3 खनिज मूल्य की अनियमित छूट

हमने जिला खान कार्यालय गाजियाबाद की अवैध खनन पत्रावलियों एवं पंजिकाओ की जाँच मे पाया (जून 2013) कि नवम्बर 2011 से जनवरी 2012 के मध्य एक अनुज्ञा धारक द्वारा 48,930 घनमीटर सामान्य मिट्टी का खनन बिना विधि सम्मत प्राधिकार के किया गया। यह अवैध खनन ₹ 4.40 लाख की रायल्टी, ₹ 22.02 लाख का खनिज मूल्य और ₹ 25,000 का अर्थदण्ड की देयता को आकर्षित करता था तथा इसका आरोपण जिलाधिकारी, गाजियाबाद और इसके पश्चात आयुक्त मेरठ द्वारा भी किया गया।

पट्टा धारक द्वारा योजित समीक्षा याचिका का निस्तारण करते समय शासन ने माना कि अनुमोदित मात्रा से अधिक खनिज का खनन किया गया था। इसके बावजूद खनिज मूल्य की धनराशि ₹ 22.02 लाख का दावा छोड़ दिया गया और पट्टा धारक को अवैध खनन के लिये रायल्टी और अर्थदण्ड जमा करने हेतु आदेशित किया गया। यह खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के प्रावधानो का उल्लंघन था।

मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य)। विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के प्रावधानो के अनुसार खनिज मूल्य की वसूली करना आवश्यक नहीं है और इसीलिये शासन ने तद्नुसार दावा छोड़ दिया। विभाग का उत्तर तथ्यो पर आधारित नहीं है क्योकि उक्त अधिनियम की धारा 21(5) स्पष्टतया निर्दिष्ट करता है कि रायल्टी और अर्थदण्ड के साथ साथ खनिज मूल्य भी वसूलनीय है।

6.11 शासनादेशों का अधिनियम/नियमों के अनुरूप न होना

अधिनियम की धारा 4 (1–क) एवम् धारा 21 (1) से (5) के साथ पठित उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 का नियम 70(1) में प्रावधान है कि खनन पट्टा या अनुज्ञा का धारक या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपखनिज को किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पास फार्म एम0एम0 11 में निर्गत करें। नियम 70 (2) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी उपखनिज को उपनियम (2) के अन्तर्गत जारी फार्म एम0एम0 11 के बिना, (रेलवे को छोड़कर) किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से प्रदेश के अन्दर नहीं ले जायेगा। नियम 70(6) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो इन नियम के किसी प्रावधान का प्रतिषेध करता हुआ पाया जाता है, तो दोष सिद्धि पर, कारावास जिसे छ माह तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थदण्ड ₹ 25,000/– जो कि शासनादेश संख्या 7338/86–2011–183/2011 लखनऊ दिनांक 1 दिसम्बर 2011 द्वारा संशोधित किया गया, या दोनों दण्ड का भागी होगा। शासनादेश संख्या 594/77–5–2001–2002/77 टी0सी0–1 लखनऊ दिनांक 02 फरवरी 2001 और शासनादेश संख्या 4951(1)/77–5–/2006–506/05 लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर 2006 में अधिशासी अधिकारी को, ऐसे प्रकरणों में जहाँ कार्यदायी संस्था को उप खनिजो की आपूर्ति बिना एम0एम0 11 के की गयी है, रायल्टी वसूलने या रायल्टी भुगतान के साक्ष्य के रूप में चालान की प्रति प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

हमने दस जिला खान कार्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया (जुलाई 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) कि कार्यदायी संस्थाओं ने 221 निर्माण कार्यों को ठेकेदारों के माध्यम से करवाया। इन सभी प्रकरणों में ठेकेदारों ने उनके द्वारा प्रयुक्त उपखनिजों के बिल के साथ एम0एम0 11 फार्म प्रस्तुत नहीं किया, इसलिये कार्यदायी संस्थाओं ने शासनादेश दिनांक 2 फरवरी 2001 व शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर 2006 के अनुसार उनके बिल से रायल्टी की कटौती कर ली और रायल्टी के बदले ₹ 2.67 करोड़ जमा किया।

हमने देखा कि उक्त शासनादेश खान अधिनियम और उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के अनुरूप नहीं थे क्योंकि इन शासनादेशों के अनुसार कार्यदायी संस्थायें, बिना एम0 एम0 11 के आपूर्ति किये गये खनिजों के मामलों में रायल्टी या रायल्टी के साक्ष्य के रूप में कोषागार चालान की प्रति प्राप्त करने के लिये अधिकृत थे। खान अधिनियम की धारा 21(5) और 21(1) के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली तथा अर्थदण्ड का आरोपण अनिवार्य है। चूँकि खनिज मूल्य की वसूली एवम् अर्थदण्ड के आरोपण के बारे में शासनादेश चुप है, अतः ये आरोपित/वसूल नहीं किये जा रहे हैं। दृष्टान्त के रुप में 10 जिला खान कार्यालयों के प्रस्तुत प्रकरण में ही अवैध परिवहन के प्रकरण में ₹ 13.37 करोड़ खनिज मूल्य के अतिरिक्त ₹ 55.25 लाख अर्थदण्ड आरोपणीय था, जैसा कि **परिशिष्ट XXX** दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 तथा अप्रैल 2014 के मध्य)। विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि कार्यदायी संस्थाओं ने शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की है। खान अधिनियम और उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के साथ शासनादेशो की असंगतता की हमारी विशेष आपत्ति पर विभाग ने उत्तर नहीं दिया। कथित शासनादेश खनिज मूल्य व अर्थदण्ड की वसूली के प्रावधान के बिना निर्गत किये गये, जिस पर खान अधिनियम की धारा 21 का मुख्य जोर है। उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के प्रावधान कि बिना वैध एम0 एम0 11 के खनिजों के परिवहन करने पर व्यक्ति पर शास्ति और/या दण्ड आरोपित किया जायेगा, को शासनादेश में ध्यान नहीं दिया गया। खान अधिनियम और उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के साथ शासनादेशों की असंगतता ने एक कमी छोड़ दी जिसके द्वारा उपखनिजों के अवैध परिवहन एवं अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों के अवैध खनन को स्वीकृति प्रदान की गयी क्योंकि खनिजों के इस अवैध परिवहन में कोई अवरोध नहीं है।

हम संस्तुति करते है कि शासन इन शासनादेशों को, खान अधिनियम और उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के अनुरूप करने हेतु संशोधित करें।

(ब) मनोरंजन कर विभाग

6.12 कर प्रशासन

उ0प्र0 मनोरंजन एवं दावंकर अधिनियम 1979 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत मनोरंजन कर का आरोपण एवं वसूली होती है। मनोरंजन में प्रवेश के लिये अदायगी यह समय समय पर निर्धारित दर पर यह आरोपणीय होता है।

मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उ0प्र0 द्वारा शासन स्तर पर नीतियों का निर्धारण, अनुश्रवण व नियंत्रण किया जाता है। आयुक्त मनोरंजन कर उ0प्र0 लखनऊ पर मनोरंजन कर का आरोपण एवं वसूली के समग्र नियंत्रण की जिम्मेदारी है। जिसमें सहयोग एक अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त (1), उपायुक्त (3) एवं सहायक आयुक्त (1) द्वारा की जाती है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी नियंत्रण अधिकारी है, जिनका सहयोग तीन उपायुक्त मनोरंजन कर, 13 सहायक आयुक्त मनोरंजन कर एवं 59 जिला मनोरंजन कर अधिकारी मनोरंजन कर निरीक्षकों के माध्यम से करते हैं।

6.13 लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग ने वर्ष 2013–14 मे ₹ 469.78 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2013–14 मे मनोरंजन कर विभाग से सम्बंधित 19 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹ 1.01 करोड़ के कर के अनारोपण/कम–आरोपण एवं ब्याज एवं अन्य अनियमितताओं के 57 प्रकरण प्रकाश में आये जैसाकि **सारणी 6.9** में दर्शाये गयें है।

सारणी 6.9
लेखापरीक्षा के परिणाम

			(₹करोड़ में)
क्र0सं0	**श्रेणी**	**मामलों की संख्या**	**धनराशि**
1.	ब्याज का अनारोपण	2	0.01
2.	कर की वसूली न किया जाना	10	0.22
3	अन्य अनियमिततायें	45	0.78
योग		**57**	**1.01**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनायें

वर्ष के दौरान विभाग ने 22 मामलों में ₹ 13.82 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से दो मामलें में सन्निहित धनराशि ₹ 84,035 को 2013–14 में इंगित किया गया था तथा शेष मामलें पूर्ववर्ती वर्षों के थे। वर्ष 2013–14 के दौरान 22 प्रकरणों में ₹ 11.59 लाख की धनराशि की वसूली की गयी जिसमें दो मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 1.39 लाख वर्ष 2013–14 के दौरान इंगित किए गये थे एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षो के थें। अवशेष प्रकरणों में स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के सम्बन्ध में विभाग का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों में निहित धनराशि ₹ 7.22 लाख का वर्णन निम्न प्रस्तरों में किया गया है।

6.14 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

मनोरंजन कर कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में लाइसेंस फीस की वसूली न किया जाना, अनुरक्षण शुल्क का जमा न किया जाना, राजस्व का अनारोपण आदि के प्रकरण प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक है तथा हमारे द्वारा किए गये नमूना जाँच पर आधारित है। इस प्रकार की अधिकतर त्रुटियां प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती है परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती है अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती है। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6.15 अनुज्ञापन शुल्क की वसूली न किया जाना

उ0प्र0 सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 (1956 का उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3) की धारा–4, उ0प्र0 सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली 1988 के नियम–12, 16 व 18 एवं उ0प्र0 सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम 18(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राधिकारी निम्न कालम–I में बताये गये जनसंख्या वाले स्थानीय क्षेत्र में ₹ 25,000 की प्रतिभूति के अतिरिक्त कालम II या III के में निर्दिष्ट दर पर जैसाकि **सारणी 6.10** में दिया गया है, एक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये, शुल्क के भुगतान पर, एक बार में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि से अनधिक के लिये वीडियो लाइब्रेरी/टेलीविजन सिग्नल रिसीवर की एजेन्सी (टेलीविजन सिग्नल रिसीवर की एजेन्सी का तात्पर्य ऐसे किसी मनोरंजन स्थल, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है जहाँ टेलीविजन सिग्नल रिसीवर के बेचने, किराये पर देने, वितरण करने या विनिमय करने या किसी रुप में परिचालन का व्यवसाय होता हो) हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत या नवीनीकृत कर सकता है।

उ0प्र0 मनोरंजन एवं दावंकर अधिनियम 1979 की धारा–24 के अनुसार कोई भी व्यक्ति धारा–5 का उल्लघंन करते हुए मनोंरजन करता है तो ₹ 5,000 से अनधिक अर्थदण्ड के साथ साधारण कारावास जिसको तीन माह तक बढ़ाया जा सकता हैं अथवा बिना उसके दण्डनीय होगा ।

सारणी 6.10

अनुज्ञापन शुल्क की दर

कॉलम– I (स्थानीय क्षेत्र)	कॉलम – II (वीडियो लाइब्रेरी हेतु अनुज्ञापन शुल्क)	कॉलम – III (टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेंसी हेतु अनुज्ञापन शुल्क)
(क) नगर निगम नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा	पाँच हजार रूपये	दस हजार रूपये
(ख) नगर परिषद	तीन हजार रूपये	छः हजार पाँच सौ रूपये
(ग) टाउन एरिया/अन्य स्थान	एक हजार पाँच सौ रूपये	तीन हजार रूपये

स्रोत : उ0प्र0 सिनेमा (विडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली 2011 में उपलब्ध सूचना।

हमने मनोरंजन कर कार्यालय गोण्डा, हरदोई व मैनपुरी के अनुज्ञापन शुल्क पंजिका की जाँच के दौरान पाया (जून 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि अप्रैल 2012 एवं मार्च 2014 की अवधि के मध्य सम्बन्धित जिलों में संचालित 49 टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेंसियों से नियमानुसार कोई भी अनुज्ञापन शुल्क की वसूली नहीं की गयी थी। इस प्रकार शासन को ₹ 4.02 लाख के अनुज्ञापन शुल्क, ₹ 3.20 लाख के अर्थदण्ड एवं ₹ 12.50 लाख प्रतिभूति के प्राप्ति से वंचित होना पड़ा जैसाकि **सारणी 6.11** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.11

अनुज्ञापन शुल्क की वसूली न किया जाना

(₹ में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	इकाई का नाम	अवधि	टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एन्जेंसी की सं0	प्रतिभूति की धनराशि	अनुज्ञापी के क्षेत्र का नाम जहाँ स्थित है	अनुज्ञापन शुल्क की दर	देय अनुज्ञापन शुल्क	जून 2014 तक विलम्बित माह की सं0	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि	कुल धनराशि
1.	गोण्डा	जिला मनोरंजन कर कार्यालय	2012–13	13	3,25,000	नगर पालिका	6,500	84,500	27	65,000	1,49,500
			2013–14			नगर पालिका	6,500	84,500	15	65,000	1,49,500
			2012–13	2	50,000	अन्य क्षेत्र	3,000	6,000	27	10,000	16,000
			2013–14			अन्य क्षेत्र	3,000	6,000	15	10,000	16,000
2.	हरदोई	जिला मनोरंजन कर कार्यालय	2013–14	9	2,25,000	नगर पालिका	6,500	58,500	15	45,000	1,03,500
3.	मैनपुरी	जिला मनोरंजन कर कार्यालय	2012–13	25	6,25,000	नगर पालिका	6,500	1,62,500	27	1,25,000	2,87,500
		योग		**49**	**12,25,000**			**4,02,000**		**3,20,000**	**7,22,000**

स्रोत : लेखापरीक्षा में उपलब्ध सूचना के आधार पर

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013 से जून 2014)। विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर–2014) कि गोण्डा के प्रकरण में वसूली प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये तथा ₹ 48,500 की वसूली की गयी ।

6.16 नोटिसों का कमजोर अनुश्रवण

6.16.1 अनुरक्षण प्रभार का जमा न किया जाना

उ0प्र0 मनोरंजन कर एवं दावंकर अधिनियम 1979 की धारा 3ए(1) के अन्तर्गत सिनेमा मालिकों को, सिनेमा हाल में प्रवेश करने वाले दर्शकों से क्रमशः ₹ 3/– प्रति सीट रखरखाव प्रभार के अतिरिक्त 60 पैसा वातानुकूलन एवं 25 पैसा वायुप्रशीतन सुविधा हेतु अतिरिक्त प्रभार के रूप में संग्रह करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। यह सुविधा उ0प्र0 मनोरंजन एवं दावंकर (संशोधन) अधिसूचना 2009 अधिनियम द्वारा 16 जून 2009 से वापस ले ली गई। अगर इस तरह वसूल की गयी धनराशि सिनेमा परिसर के रखरखाव में पूर्णरूपेण व्यय न की गयी हो, तो इस धनराशि को मनोरंजन के प्रवेश हेतु अतिरिक्त भुगतान मान लिया जाय और उस पर मनोरंजन कर देय होगा। विफलता की स्थिति में प्रथम तीन माह हेतु डेढ़ प्रतिशत एवं इसके पश्चात दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज सिनेमा हाल मालिकों से वसूलनीय होगा।

जिला मनोरंजन कर अधिकारी बलरामपुर कार्यालय के सिनेमा अनुरक्षण प्रभार पंजिका की जाँच में पाया गया (जुलाई 2013) कि चार सिनेमा हाल मालिको ने एक अप्रैल 2009 से 15 जून 2009 के मध्य ₹ 2.72 लाख अनुरक्षण प्रभार के रूप में वसूल किये थे, किन्तु किये गये व्यय का विवरण जमा नहीं किया गया था। जि0म0क0अ0 ने दो

वर्ष पाँच महीने की विलम्बित अवधि के पश्चात् 26 सितम्बर 2012 को नोटिस निर्गत की तथा देय कर एवं ब्याज के जमा हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया। लेकिन पुनः नौ माह व्यतीत होने के पश्चात् न तो बकायेदारो ने उक्त धनराशि जमा की और न ही विभाग ने धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया। फलस्वरूप शासकीय खाते में ₹ 5.94 लाख रूपये जमा नहीं किये जा सके थे जैसा कि **सारणी 6.12** में दिया है ।

सारणी 6.12
अनुरक्षण प्रभार का जमा न किया जाना

(₹ में)

क0 स0	अनुज्ञापी का नाम	अनुरक्षण शुल्क की प्राप्त धनराशि (01.04.2009 से 15.06.2009)	विलम्बित अवधि (जुलाई 2009 से जून 2014)	देय ब्याज का प्रतिशत (प्रथम तीन माह 1.5 प्रतिशत व आगे 2 प्रतिशत)	देय ब्याज	कुल देय धनराशि
1	मन मंदिर टाकीज	91,719	60	118.5	1,08,687	2,00,406
2	कुँवर टाकीज	46,980	60	118.5	55,671	1,02,651
3	प्रतिभा टाकीज	57,472	60	118.5	68,104	1,25,576
4	टीटू सिनेमा	75,642	60	118.5	89,636	1,65,278
	योग	**2,71,813**			**3,22,098**	**5,93,911**

स्रोत : लेखापरीक्षा में उपलब्ध सूचना के आधार पर

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 एवं जून 2014), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

6.16.2 अनुदान स्कीम की शर्तो के उल्लंघन पर राजस्व की वसूली न किया जाना

उ0प्र0 मनोरंजन एवं दावंकर अधिनियम 1979 की धारा 3(1)के अन्तर्गत, सिनेमा हाल मालिको को प्रवेश हेतु भुगतान करने वाले व्यक्ति से मनोरंजन कर निर्धारित तरीके से संग्रहित कर शासकीय खाते में जमा करने हेतु अधिकृत किया गया था। विफलता की स्थिति में प्रथम तीन माह हेतु डेढ़ प्रतिशत एवं इसके पश्चात दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज सिनेमा हाल मालिकों से वसूलनीय होगा।

11 अगस्त 2000 के शासनादेश सं0 1409/11–का0नी0–6–2000–तीस–ई0बी0–6 (15)/85 के तहत् प्रदेश सरकार द्वारा नये सिनेमा हाल के लिये शुरू होने के दिनांक से प्रथम पाँच वर्षों में मनोरंजन कर में 100 प्रतिशत अनुदान हेतु प्रोत्साहन नीति लायी गयी थी। शासनादेश की शर्त सं0 11 के अनुसार अगर सिनेमा मालिक पाँच वर्षो हेतु मनोरंजन कर अनुदान सुविधा को प्राप्त करता है, तो सम्बन्धित सिनेमा मालिक आगे पाँच वर्षों के लिये सिनेमा के संचालन हेतु बाध्य होगा, विफलता की स्थिति में पहले से ही अनुदानित कर, देय के दिनांक से भू–राजस्व के बकाये की भॉति वसूलनीय होगा।

हमने कार्यालय जिला मनोरंजन कर अधिकारी, मैनपुरी के सिनेमा के लाइसेंस पत्रावली की जॉच के दौरान देखा (जून 2013) कि गंगा पैलेस सिनेमा हाल द्वारा 16 अक्टूबर 2005 से 15 सितम्बर 2010 के मध्य में ₹ 3.99 लाख मनोरंजन कर में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त करते हुए सिनेमा के संचालन किया गया था। उपरोक्त छूट अवधि के पश्चात् कथित् शासनादेश की शर्त सं0 11 का उल्लंघन करते हुये 27 अक्टूबर 2011 से सिनेमा हाल का संचालन स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। उपर्युक्त शर्त के अनुसार तथा विभाग एवं सिनेमा मालिक के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था, कि छूट की धनराशि आगे के पाँच वर्षों में सिनेमा के संचालन न होने के प्रकरण में कोषागार में जमा की जायेगी, लेकिन ₹ 10.60 लाख की धनराशि अभी तक कोषागार में जमा नहीं की गयी थी जैसा कि **परिशिष्ट XXXI** में दर्शाया गया है। विभाग द्वारा 19 माह व्यतीत होने के पश्चात् उक्त धनराशि की वसूली हेतु मात्र एक नोटिस निर्गत की गयी थी। विभाग द्वारा उक्त धनराशि की वसूली हेतु कोई भी वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया था।

विभाग द्वारा दोनों प्रकरणों में एक साल सात माह से दो वर्ष पाँच माह व्यतीत होने के पश्चात् केवल एक नोटिस निर्गत किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग द्वारा तीन से पाँच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी द्वितीय नोटिस, माँगपत्र एवं वसूली प्रमाण–पत्र जारी करने जैसे कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जिला स्तर के साथ–साथ मुख्यालय स्तर पर भी कमजोर अनुश्रवण रहा।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 एवं जून 2014), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014) ।

6.17 वसूली प्रमाण–पत्रों का जारी न किया जाना

मनोरंजन एवं दावंकर अधिनियम 1979 (यथा संशोधित) की धारा 34 के अंतर्गत इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत कर के बकाये के कारण कोई भी देय धनराशि तत्समय किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार के पास उपलब्ध वसूली के किसी अन्य तरीके पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होगा। परन्तु ऐसे वसूली के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही थी।

हमने जिला मनोरंजन कर कार्यालय बलरामपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, ललितपुर, महाराजगंज एवं मैनपुरी के बकाये की पत्रावलियों की जाँच में पाया (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) कि विभाग द्वारा 24 प्रकरणों में बकायेदारों से अप्रैल 2012 से फरवरी 2014 की अवधि का देय मनोरंजन कर ₹ 5.69 लाख की वसूली होनी थी, जिसको विभाग द्वारा वसूल नहीं किया गया था। किसी भी कर का बकाया भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होता है, जिसके लिये वसूली प्रमाण–पत्र (आर0सी0) निर्गत किये जाने चाहिये था परन्तु अभिलेखों में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने को कोई साक्ष्य नहीं पाया गया।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013 एवं जून 2014)। विभाग ने 10 प्रकरणों का उत्तर दिया (नवम्बर 2014) और ₹ 4.51 लाख की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा ₹ 4.02 लाख वसूल किया।

6.18 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह संगठन को सुनिश्चित करता है कि निर्धारित तन्त्र भली भांति कार्य कर रहा हैं।

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना 1974 में की गयी थी। इसको वित्त नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आ0ले0प0इ0 में एक वित्त नियंत्रक एक वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं एक लेखापरीक्षक के स्वीकृत पद के सापेक्ष एक वित्त नियंत्रक एवं दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक कार्यरत है। आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजना का जैसेकि लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 6.13** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.13
आन्तरिक लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा आयोजना)

वर्ष	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कुल इकाइयों की संख्या	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाइयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2009–10	73	37	16	21	56.76
2010–11	73	27	22	5	18.52
2011–12	76	35	32	3	8.57
2012–13	76	36	27	9	25.00
2013–14	76	32	20	12	37.50

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार।

उपरोक्त यह दर्शाता है, कि आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई की लेखापरीक्षा आयोजना यर्थाथवादी नहीं है, जैसे स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्टाफ में कमी नहीं थी। उपरोक्त दर्शाता है कि वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान योजनाबद्व इकाईयों एवं लेखापरीक्षित इकाइयों के मध्य 8.57 प्रतिशत से 56.76 प्रतिशत के मध्य कमियाँ हैं। विभाग द्वारा कमियों के सम्बंध में कोई भी कारण नहीं बताया गया।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा और उठाई गयी आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि और वर्ष के दौरान निस्तारण **सारणी 6.14** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.14
आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई (लेखापरीक्षा आपत्तियाँ)

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम अवशेष	
	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि
2009–10	435	843.44	66	12.91	26	46.40	475	809.95
2010–11	475	809.95	78	67.52	46	36.30	507	841.17
2011–12	507	841.17	104	92.16	62	18.17	549	915.16
2012–13	549	915.16	104	50.07	61	58.00	592	907.23
2013–14	592	907.23	62	105.62	21	17.77	633	995.08

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त की गयी सूचना।

विभाग ने वर्ष 2013–14 के दोरान आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई के 21 प्रकरणों में ₹ 17.77 लाख की वसूली की गयी थी। यह प्रदर्शित करता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा उठाये गये प्रकरणों के सापेक्ष विभाग द्वारा किया गया अनुपालन बहुत कम है।

हम संस्तुति करते है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को मजबूत किया जाय और वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना को तार्किक रूप से तैयार किया जाय। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठाये गये प्रकरणों की त्वरित वसूली हेतु विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही की जाय।

विनीता मिश्रा

लखनऊ

23 फरवरी 2015

(विनीता मिश्रा)
महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

26 फरवरी 2015

(शशि कांत शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट -I

लेखापरीक्षा योजना
(सन्दर्भित प्रस्तर सं0 1.9)

क्र0 स0	विभाग का नाम	कुल योजित इकाईयों की संख्या	कुल लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी
1	वाणिज्य कर	790	576	214
2	राज्य आबकारी	173	150	23
3	परिवहन	72	72	0
4	मनोरंजन कर	24	19	5
5	स्टाम्प एवं निबन्धन	376	369	7
6	खनन एवं भूगर्भ	37	36	1
योग		**1,472**	**1,222**	**250**

परिशिष्ट-II

उ0प्र0 मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत समाधान राशि का कम आरोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.7.1 प्रथम बुलेट)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वित्तीय वर्ष की कर योग्य संविदा की राशि	उपभोग की गयी आयातित सामग्री वित्तीय वर्ष की कर योग्य संविदा की राशि की प्रतिशतता	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर की धनराशि	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की धनराशि	कम आरोपित कर
1	डि0कमि0 खण्ड–2 वा0 क0 गौ0 बु0 नगर	1	2010-11 (दिसम्बर 2012)	2599.96	386.03 14.85	6	156.00	2	52.00	104.00
2	डि0कमि0 खण्ड–9 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2009-10 (मार्च 2013)	4294.29	300.00 6.98	6	257.66	2	85.89	171.77
		1	2009-10 (फरवरी 2013)	1016.46	57.49 5.65	6	60.99	2	20.33	40.66
		1	2009-10 (अप्रैल 2013)	1129.18	70.47 6.24	6	67.75	2	22.58	45.17
		1	2009-10 (मार्च 2013)	51.38	34.98 68.07	6	3.08	2	1.03	2.06
3	डि0कमि0 खण्ड–6 वा0 क0 झांसी	1	2010-11 (अगस्त 2012)	965.95	51.75 5.35	6	57.96	2	19.32	38.63
4	असि0कमि0 खण्ड–6 वा0 क0 झांसी	1	2008-09 (मार्च 2012)	38.76	2.13 5.49	6	2.33	2	0.78	1.55
5	डि0कमि0 खण्ड–10 वा0 क0 मेरठ	1	2008-09 (मार्च 2012)	2085.02	111.48 5.35	6	125.10	2	41.70	83.40
			2010-11 (दिसम्बर 2013)	5018.79	480.43 9.57	6	301.13	2	100.38	200.75
	योग	**8**		**17199.79**	**1494.76**		**1031.99**		**344.00**	**687.99**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षो के आधार पर उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-III

कर की गलत दर का लगाया जाना

(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.8.2)

(₹ लाख मे)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कर योग्य आवर्त	वस्तु	आरोपणीय कर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर की धनराशि	आरोपित कर (प्रतिशत)	आरोपित कर की धनराशि	कम आरोपित कर
1	डि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 इलाहाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	10.98	स्टोन बैलास्ट	12.5	1.37	4	0.44	0.93
2	डि0कमि0 खण्ड–2 वा0 क0 बांदा	1	2008-09 (मई 2012)	5.35	स्टोन बैलास्ट	12.5	0.67	4	0.21	0.45
		1	2008-09 (सितम्बर 2011)	5.60	स्टोन	12.5	0.70	4	0.22	0.48
3	डि0कमि0 खण्ड–8 वा0 क0 बरेली	1	2009-10 (फरवरी 2013)	26.99	आर0एम0 सी0	13.5	3.64	5	1.35	2.29
		1	2008-09 (मार्च 2012)	8.94	स्टोन बैलास्ट	12.5	1.12	4	0.36	0.76
4	असि0कमि0 खण्ड–13 वा0 क0 लखनऊ	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2012)	36.43	इलेक्ट्रिक गुड्स	10.0	3.64	4	1.46	2.19
5	असि0कमि0 खण्ड–8 वा0 क0 मुजफ्फर नगर	1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	19.80	स्टोन	12.5	2.48	4	0.79	1.68
6	असि0कमि0 खण्ड–4 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2012)	13.08	सीमेन्ट	12.5	1.64	0	0	1.64
				28.10	स्टेनलेस स्टील	4.0	1.12	0	0	1.12
	योग	**8**		**155.27**			**16.38**		**4.83**	**11.55**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षो के आधार पर उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-IV

कर की वापसी द्वारा अनुचित वित्तीय लाभ

(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.10)

(₹ लाख में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	प्राप्त कुल भुगतान	स्रोत पर कर की कटौती	आरोपित समाधान राशि	वापस की गयी टी0डी0एस0 धनराशि
1	डि0कमि0 खण्ड–3 वा0 क0 बलिया	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	236.96	7.90	4.74	3.16
		1	2010-11(अगस्त 2013)	107.31	3.45	2.15	1.30
		1	2009-10 (जुलाई 2012)	282.70	11.38	7.45	3.93
		1	2008-09 (मार्च 2012)	117.97	4.73	2.36	2.37
		1	2009-10 (दिसम्बर 2013)	180.59	7.21	4.23	2.98
		1	2009-10 (मार्च 2013)	107.00	2.96	2.14	0.82
		1	2009-10 (दिसम्बर 2010)	208.10	9.35	4.56	4.79
2	डि0कमि0 खण्ड–2 वा0 क0 बांदा	1	2008-09 (दिसम्बर 2010)	116.71	4.60	0.46	4.14
3	डि0कमि0 खण्ड–3 वा0 क0 बरेली	1	2008-09 (फरवरी 2012)	214.65	8.59	4.29	4.30
			2009-10 (मार्च 2013)	42.85	1.71	0.86	0.85
4	असि0कमि0 खण्ड–3 वा0 क0 बरेली	1	2008-09 (जून 2012)	3.61	0.14	0.07	0.07
		1	2008-09 (जून 2012)	7.50	0.28	0.15	0.13
			2009-10 (मई 2013)	3.90	0.15	0.08	0.07
5	डि0कमि0 खण्ड–6 वा0 क0 बरेली	1	2007-08 (मू0सं0क0) (मई 2012)	71.73	2.84	1.44	1.40
			2008-09 (जून 2012)	102.75	4.07	2.06	2.01
			2009-10 (मई 2013)	35.42	1.3	0.71	0.59
		1	2009-10 (जनवरी 2013)	42.96	1.72	1.00	0.72
		1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	61.63	2.31	1.23	1.08
			2008-09 (जून 2012)	30.66	1.23	0.61	0.62
			2009-10 (मई 2013)	8.89	0.36	0.18	0.18
		1	2009-10 (मई 2013)	59.20	2.14	1.18	0.96
6	डि0कमि0 खण्ड–8 वा0 क0 बरेली	1	2008-09 (जून 2012)	116.95	4.99	2.64	2.35
		1	2008-09 (मई 2012)	117.82	4.67	2.38	2.29
		1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	41.30	1.49	0.83	0.66
		1	2008-09 (फरवरी 2012)	121.04	4.84	2.42	2.42
7	असि0कमि0 खण्ड–4 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	37.93	1.52	0.88	0.64
8	डि0कमि0 खण्ड–9 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2009-10 (फरवरी 2013)	1016.46	25.63	20.47	5.16
9	डि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	1082.22	43.29	21.65	21.64
10	डि0कमि0 खण्ड–16 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2012)	634.71	25.39	12.69	12.70
		1	2008-09 (फरवरी 2012)	519.90	18.41	10.40	8.01
		1	2008-09 (मार्च 2012)	344.19	13.51	9.82	3.69
		1	2008-09 (मार्च 2012)	464.53	20.63	11.07	9.56
11	डि0कमि0 खण्ड–4 वा0 क0 झांसी	1	2009-10 (फरवरी 2012)	416.78	15.36	8.34	7.02
			2011-12 (दिसम्बर 2012)	108.41	4.86	2.17	2.69
		1	2008-09 (मार्च 2012)	163.77	6.91	3.36	3.55
12	डि0कमि0 खण्ड–5 वा0 क0 झांसी	1	2009-10 (फरवरी 2013)	182.56	6.20	3.72	2.48
13	डि0कमि0 खण्ड–10 वा0 क0 लखनऊ	1	2008-09 (जून 2011)	747.12	18.50	16.14	2.36

(₹ लाख में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	प्राप्त कुल भुगतान	स्रोत पर कर की कटौती	आरोपित समाधान राशि	वापस की गयी टी0डी0एस0 धनराशि
14	डि0कमि0 खण्ड–21 वा0 क0 लखनऊ	1	2008-09 (फरवरी 2012)	232.39	9.30	5.11	4.19
			2009-10 (अप्रैल 2012)	70.74	1.98	1.58	0.40
		1	2008-09 (जनवरी 2012)	489.51	15.80	9.75	6.05
			2009-10 (फरवरी 2012)	608.73	14.54	12.74	1.80
			2010-11 (अप्रैल 2012)	43.63	2.70	1.48	1.22
		1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	61.95	2.06	1.32	0.74
		1	2008-09 (मार्च 2011)	115.57	4.62	2.51	2.11
15	डि0कमि0 खण्ड–10 वा0 क0 मेरठ	1	2009-10 (जनवरी 2012)	98.74	3.95	1.66	2.29
		1	2009-10 (अप्रैल 2013)	46.16	2.13	1.04	1.09
		1	2010-11 (फरवरी 2013)	738.05	18.60	15.16	3.44
16	असि0कमि0 खण्ड–10 वा0 क0 मेरठ	1	2008-09 (मार्च 2012)	53.61	1.72	1.23	0.49
		1	2008-09 (जून 2012)	10.00	0.40	0	0.40
		1	2008-09 (मार्च 2012)	26.87	1.07	0.62	0.45
		1	2008-09 (जनवरी 2012)	46.14	1.84	0.93	0.91
		1	2008-09 (फरवरी 2012)	73.48	2.94	1.65	1.29
		1	2009-10 (मई 2013)	37.61	1.50	0.75	0.75
17	डि0कमि0 खण्ड–5 वा0 क0 मुरादाबाद	1	2008-09 (जून 2012)	891.67	35.60	18.55	17.05
			2009-10 (फरवरी 2013)	1943.93	50.84	40.99	9.85
		1	2008-09 (जून 2010)	274.81	10.99	5.64	5.35
			2009-10 (जनवरी 2012)	214.36	8.57	4.30	4.27
18	डि0कमि0 खण्ड–9 वा0 क0 मुरादाबाद	1	2008-09 (जून 2012)	397.19	15.27	8.76	6.51
		1	2008-09 (जनवरी 2011)	2054.29	70.40	44.84	25.56
		1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	123.33	4.39	2.64	1.75
		1	2009-10 (अप्रैल 2012)	199.00	6.44	4.49	1.95
		1	2009-10 (अप्रैल 2012)	241.30	9.65	5.07	4.58
19	डि0कमि0 खण्ड–4 वा0 क0 मुजफ्फर नगर	1	2009-10 (सितम्बर 2012)	522.75	18.19	10.65	7.54
20	असि0कमि0 खण्ड–4 वा0 क0 मुजफ्फर नगर	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	71.70	2.87	1.59	1.28
		1	2008-09 (मई 2012)	69.90	2.80	1.49	1.31
21	डि0कमि0 खण्ड–7 वा0 क0 मुजफ्फर नगर	1	2009-10 (फरवरी 2012)	145.11	7.86	5.42	2.44
		1	2007-08(मू0सं0क0) (जुलाई 2011)	33.97	3.70	3.21	0.49
		1	2007-08(मू0सं0क0) (मार्च 2011)	32.27	1.26	0.65	0.61
		1	2009-10 (दिसम्बर 2011)	136.54	4.91	2.97	1.94
22	असि0कमि0 खण्ड–8 वा0 क0 नोएडा	1	2009-10 (मार्च 2012)	107.48	4.30	2.15	2.15
		1	2008-09 (नवम्बर 2011)	109.52	4.38	2.19	2.19
23	डि0कमि0 खण्ड–2 वा0 क0 रामपुर	1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	107.47	3.74	2.53	1.21
		1	2008-09 (मई 2012)	62.94	2.52	1.40	1.12
		1	2008-09 (मार्च 2012)	63.94	2.59	1.28	1.31
		1	2008-09 (जुलाई 2011)	115.52	5.11	2.43	2.68
		1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	37.04	2.02	0.74	1.28
		1	2008-09 (अप्रैल 2011)	97.13	3.67	2.22	1.45
		1	2008-09 (जुलाई 2011)	70.29	2.49	1.48	1.01
24	डि0कमि0 खण्ड–3 वा0 क0 रामपुर	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	644.51	25.67	13.04	12.63
			2009-10 (सितम्बर 2012)	439.06	11.61	8.90	2.71
25	असि0कमि0 खण्ड–1 वा0 क0 रामपुर	1	2009-10 (फरवरी 2013)	235.37	6.42	4.34	2.08
		1	2008-09 (अप्रैल 2012)	212.12	8.49	4.70	3.79
			2009-10 (जून 2012)	296.75	11.63	6.55	5.08
	योग	**69**		**20863.22**	**728.15**	**443.67**	**284.48**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षो के आधार पर उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-V
संविदी विभागो पर अर्थदण्ड का अनारोपण
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.11.1)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	असि0कमि0 खण्ड–1 वा0 क0 बांदा	1	2007-08 (मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	10.31	46	20.62
			2008-09 (फरवरी 2012)	7.64	22 से 37	15.28
		1	2008-09 (फरवरी 2012)	0.76	13	1.52
		1	2007-08 (मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	7.01	36	14.02
		1	2006-07 (जनवरी 2011)	3.72	30	7.44
		1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	7.86	41	15.72
		1	2008-09 (फरवरी 2012)	9.00	7 से 17	18.00
2	डि0कमि0 खण्ड–2 वा0 क0 बांदा	1	2008-09 (फरवरी 2012)	4.20	15 से 59	8.40
			2009-10 (फरवरी 2013)	0.71	30	1.42
3	असि0कमि0 खण्ड–3 वा0 क0 बरेली	1	2008-09 (जून 2012)	7.81	5 से 11	15.62
4	डि0कमि0 खण्ड–2 वा0 क0 गौ0 बु0 नगर	1	2011-12 (मई 2013)	3.37	120 से 270	6.74
5	डि0कमि0 खण्ड–3 वा0 क0 गौ0 बु0 नगर	1	2009-10 (फरवरी 2013)	5.05	8	10.10
6	डि0कमि0 खण्ड–16 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2012)	5.36	71	10.72
		1	2009-10 (सितम्बर 2012)	74.62	5 से 36	149.24
7	असि0कमि0 खण्ड–16 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (अक्टूबर 2012)	4.26	72	8.52
		1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	0.96	80	1.92
8	असि0कमि0 खण्ड–5 वा0 क0 झांसी	1	2008-09 (मई 2012)	0.59	9 से 20	1.18
9	असि0कमि0 खण्ड–8 वा0 क0 झांसी	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	0.23	14	0.46
		1	2008-09 (जून 2012)	2.20	8 से 56	4.40
10	डि0कमि0 खण्ड–16 वा0 क0 कानपुर	1	2009-10 (मार्च 2013)	4.60	8 से 69	9.20
		1	2009-10 (मार्च 2013)	4.72	9	9.44
11	असि0कमि0 खण्ड–17 वा0 क0 कानपुर	1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	4.33	45 से 119	8.66
		1	2008-09 (जुलाई 2012)	3.64	40 से 100	7.28
12	असि0कमि0 खण्ड–3 वा0 क0 लखनऊ	1	2009-10 (मार्च 2011)	37.76	20	75.52
13	डि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 लखनऊ	1	2009-10 (जनवरी 2013)	5.87	11	11.74
14	असि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 लखनऊ	1	2008-09 (जनवरी 2012)	7.09	9	14.18
		1	2009-10 (फरवरी 2013)	40.53	6 से 92	81.06
15	डि0कमि0 खण्ड–20 वा0 क0 लखनऊ	1	2009-10 (मार्च 2013)	14.45	5 से 15	28.90
16	असि0कमि0 खण्ड–20 वा0 क0 लखनऊ	1	2009-10 (मई 2012)	141.92	10 से 20	283.84
		1	2008-09 (मार्च 2012)	145.28	7 से 28	290.56

						(₹ लाख में)
क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड
		1	2007-08 (मू0सं0क0) (नवम्बर 2010)	24.08	15 से 20	48.16
		1	2009-10 (दिसम्बर 2011)	47.73	90 से 164	95.46
		1	2008-09 (फरवरी 2013)	1.20	47	2.40
17	डि0कमि0 खण्ड–21 वा0 क0 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2013)	0.88	19 से 20	1.76
18	डि0कमि0 खण्ड–22 वा0 क0 लखनऊ	1	2009-10 (जनवरी 2013)	9.33	9 से 71	18.66
19	असि0कमि0 खण्ड–10 वा0 क0 मेरठ	1	2008-09 (मार्च 2012)	3.71	5 से 9	7.42
		1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	3.23	10	6.46
20	असि0कमि0 खण्ड–9 वा0 क0 मुरादाबाद	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	13.60	10	27.20
		1	2009-10 (मार्च 2013)	6.82	7 से 11	13.64
21	असि0कमि0 खण्ड–8 वा0 क0 मुजफ्फर नगर	1	2009-10 (अप्रैल 2013)	13.72	6 से 180	27.44
		1	2008-09 (मई 2012)	15.34	9 से 100	30.68
22	डि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 नोएडा	1	2008-09 (मई 2012)	19.04	21	38.08
23	असि0कमि0 खण्ड–1 वा0 क0 रामपुर	1	2009-10 (फरवरी 2013)	0.35	9	0.70
	योग	**41**		**724.88**		**1449.76**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षो के आधार पर उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–VI
केन्द्रीय पंजीयन में पूंजीगत माल की खरीद के लिये अनियमित रूप से अधिकृत किया जाना
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.12.1)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	खरीद मूल्य	कर के अन्तर की दर (प्रतिशत)	राजस्व हानि
1	असि0कमि0 खण्ड–2 वा0 क0 बांदा	1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	जे0सी0बी0	18.24	11.5	2.10
2	डि0कमि0 खण्ड–6 वा0 क0 बरेली	1	2008-09 (मार्च 2012)	मशीनरी	0.77	2	0.02
				रोड़रोलर, प्लान्ट मशीनरी, काम्पैक्टर	25.57	10.5	2.68
			2009-10 (दिसम्बर 2011)	काम्पैक्टर	24.84	10.5	2.61
3	डि0कमि0 खण्ड–3 वा0 क0 बस्ती	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	जे0सी0बी0	18.85	10.5	1.98
4	डि0कमि0 खण्ड–3 वा0 क0 गौ0 बु0 नगर	1	2008-09 (फरवरी 2012)	वे ब्रिज	3.80	9.5	0.36
		1	2009-10 (जनवरी 2014)	डी0जी0 सेट	3.35	11.5	0.38
		1	2010-11 (जनवरी 2014)	कंक्रीट मिक्सर, जनरेटिंग सेट	9.25	11.5	1.06
5	डि0कमि0 खण्ड–11 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (जून 2012)	कंक्रीट मिक्सर,	44.66	2	0.89
6	डि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (जून 2012)	बाब कैट मशीन, प्लान्ट	38.00	2	0.76
				जे0सी0बी0	18.18	10.5	1.91
		1	2008-09 (मई 2012)	जे0सी0बी0, मशीन	17.87	10.5	1.88
			2009-10 (अप्रैल 2013)	जे0सी0बी0 मशीन, वोल्वो रोलर	43.22	11.5	4.97
		1	2008-09 (मार्च 2012)	कंक्रीट पम्प	25.49	2	0.51
7	डि0कमि0 खण्ड–4 वा0 क0 झांसी	1	2008-09 (फरवरी 2012)	मोटर व्हीकल	46.03	8	3.68
				वाक बिहाइन्ड रोलर	6.75	2	0.13
				वाक बिहाइन्ड रोलर	13.25	10.5	1.39
			2009-10 (फरवरी 2012)	हाईड्रोलिक क्रेन	196.58	5	9.83
				हाईड्रोलिक क्रेन	9.84	10.5	1.03
8	डि0कमि0 खण्ड–16 वा0 क0 कानपुर	1	2008-09 (दिसम्बर 2012)	जनरेटर सेट	43.31	2	0.87
		1	2009-10 (मार्च 2013)	जनरेटर सेट	3.96	11.5	0.46
9	डि0कमि0 खण्ड–27 वा0 क0 कानपुर	1	2007-08 (उ0प्र0व्या0क0) (मार्च 2011)	जे0सी0बी0, पेवर, स्पेयर पार्ट	29.04	5	1.45
			2008-09 (अगस्त 2012)	प्लान्ट एवं मशीनरी	2.63	2	0.05
				प्लान्ट एवं मशीनरी	10.2	10.5	1.07
		1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	जे0सी0बी0	35.92	10.5	3.70
				चेचिस, मोटर व्हीकल	56.58	11.5	6.51
		1	2008-09 (मार्च 2012)	कंक्रीट मिक्सर मशीन	4.93	2	0.10
		1	2008-09 (अप्रैल 2012)	जे0सी0बी0	17.96	10.5	1.89

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	खरीद मूल्य	कर के अन्तर की दर (प्रतिशत)	राजस्व हानि
			2009-10 (फरवरी 2013)	जे0सी0बी0	13.78	11.5	1.58
10	डि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 लखनऊ	1	2007-08 (मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	स्वायल कम्पैक्टर, जे0सी0बी0	58.40	1	0.58
			2008-09 (नवम्बर 2011)	ट्रांजिट मिक्सर, टैंडम रोलर	110.32	1	1.10
				जे0सी0बी0	37.62	2	0.75
				जे0सी0बी0, जेन सेट	126.23	10.5	13.25
			2009-10 (जनवरी 2013)	एक्सवेटर, डी0जी0सेट, स्पेयर पार्टस	48.14	10.5	5.05
				पेवर, हाईडोलिक, वेट मिक्स प्लान्ट, इंजन	99.43	11.5	11.43
		1	2008-09 (जून 2011)	क्रेन, कंक्रीट मशीन, बार कटिंग मशीन	31.76	2	0.64
				जे0सी0बी0	19.65	10.5	2.06
		1	2009-10 (नवम्बर 2012)	जे0सी0बी0	18.31	10.5	1.92
		1	2008-09 (जून 2012)	कंक्रीट पम्प	24.21	2	0.48
				बैचिंग प्लान्ट, कंक्रीट पम्प	27.29	10.5	2.87
		1	2009-10 (जनवरी 2013)	मशीनरी पार्ट	17.00	11.5	1.96
11	डि0कमि0 खण्ड–13 वा0 क0 लखनऊ	1	2009-10 (मार्च 2013)	जे0सी0बी0	17.98	10.5	1.89
				रोलर, पेवर	40.30	11.5	4.63
		1	2008-09 (मार्च 2012)	हाईड्रोलिक लोडर	18.25	10.5	1.92
12	डि0कमि0 खण्ड–20 वा0 क0 लखनऊ	1	2008-09 (मई 2012)	जे0सी0बी0 मशीन	18.40	2	0.37
13	डि0कमि0 खण्ड–22 वा0 क0 लखनऊ	1	2007-08(मू0सं0क0) (फरवरी 2011)	हाईड्रोलिक एक्सवेटर	46.70	4	1.87
				टिपर	24.68	8	1.97
				हाईड्रोलिक एक्सवेटर, मशीनरी पार्ट	48.34	10.5	5.08
			2009-10 (फरवरी 2013)	जनरेटर सेट, अर्थमूविंग पार्टस	6.42	10.5	0.67
				जनरेटर सेट, अर्थमूविंग पार्टस	9.49	11.5	1.09
14	डि0कमि0 खण्ड–5 वा0 क0 मुरादाबाद	1	2009-10 (जुलाई 2012)	वेट मिक्स, पेवर फिनिशर	15.46	10.5	1.62
				जनरेटर सेट,	4.63	11.5	0.53
15	डि0कमि0 खण्ड–9 वा0 क0 मुरादाबाद	1	2008-09 (जून 2012)	लोडर	15.80	10.5	1.66
16	डि0कमि0 खण्ड–7 वा0 क0 मुजफ्फर नगर	1	2008-09 (जून 2013)	जे0सी0बी0, पेवर फिनिशर	85.94	10.5	9.02
			2010-11 (मार्च 2014)	जे0सी0बी0, हाइड्रा	84.53	11.5	9.72
17	डि0कमि0 खण्ड–11 वा0 क0 नोएडा	1	2009-10 (मई 2013)	कंक्रीट पम्प	16.70	11.5	1.92
		1	2008-09 (फरवरी 2012)	डीजल इंजन एसेसरीज	8.39	2	0.17
	योग	**31**			**1863.22**		**142.07**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-VII

अर्थदण्ड का अनारोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.12.2 प्रथम बुलेट)

(₹ लाख मे)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	खरीदी गयी वस्तु का नाम	खरीद मूल्य	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय अर्थदण्ड की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि0कमि0 खण्ड–9 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2009-10 (मार्च 2013)	जनरेटर सेट	2.78	13.5	20.25	0.56
2	डि0कमि0 खण्ड–16 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2009-10 (नवम्बर 2012)	बाब कैट मशीन, एयर कंडिशनर	17.44	13.5	20.25	3.53
3	डि0कमि0 खण्ड–6 वा0 क0 झांसी	1	2008-09 (जून 2012)	चेचिस, क्रेसर पार्ट्स	134.11	12.5	18.75	25.15
			2009-10 (जनवरी 2013)	डोर	1.75	13.5	20.25	0.35
4	डि0कमि0 खण्ड–27 वा0 क0 कानपुर	1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	चेचिस	125.54	13.5	20.25	25.42
5	डि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2013)	सेफ्टी आइटम	53.40	12.5	18.75	10.01
6	डि0कमि0 खण्ड–13 वा0 क0 लखनऊ	1	2008-09 (फरवरी 2012)	कंक्रीट पम्प, मिक्सिगं प्लान्ट	36.69	4.0	6.00	2.20
7	डि0कमि0 खण्ड–10 वा0 क0 मेरठ	1	2009-10 (मई 2013)	कंक्रीट मशीन, डी0जी0सेट मशीनरी एण्ड एक्यूपमेन्ट	59.74	13.5	20.25	12.10
8	डि0कमि0 खण्ड–9 वा0 क0 मुरादाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2011)	जे0सी0बी0, रोड रोलर	21.27	12.5	18.75	3.99
	योग	**8**			**452.72**			**83.31**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षो के आधार पर उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-VIII
प्रवेश कर का अनारोपण
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.13)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	कर योग्य आवर्त	कर की दर (प्रतिशत)	कर की धनराशि जो आरोपित नही की गयी
1	डि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 इलाहाबाद	1	2009-10 (फरवरी 2013)	स्टील स्ट्रक्चर एवं एम0एस0 पाइप	2105.41	1	21.05
				केबिल	388.29	2	7.77
2	असि0कमि0 खण्ड–4 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (जनवरी 2012)	सीमेन्ट	13.08	2	0.26
3	डि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (जून 2012)	मशीनरी	30.93	2	0.62
		1	2008-09 (मई 2012)	मशीनरी	17.87	2	0.36
		1	2008-09 (मार्च 2012)	मशीनरी	25.49	2	0.51
4	डि0कमि0 खण्ड–16 वा0 क0 कानपुर	1	2008-09 (मई 2012)	केबिल	217.02	2	4.34
5	डि0कमि0 खण्ड–27 वा0 क0 कानपुर	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	मशीनरी	17.96	2	0.36
		1	2008-09 (जून 2012)	डी0जी0 सेट	23.55	2	0.47
				स्टील स्ट्रक्चर	104.27	1	1.04
			2009-10 (फरवरी 2013)	स्टील स्ट्रक्चर	83.84	1	0.84
		1	2009-10 (फरवरी 2013)	स्टील स्ट्रक्चर	14.72	1	0.15
6	असि0कमि0 खण्ड–4 वा0 क0 लखनऊ	1	2008-09 (फरवरी 2013)	स्टील बार	18.79	1	0.19
7	डि0कमि0 खण्ड–12 लखनऊ	1	2008-09 (मई 2012)	मशीनरी	30.85	2	0.62
8	असि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	मशीनरी	265.71	2	5.31
		1	2008-09 (मार्च 2012)	मशीनरी	27.83	2	0.56
9	डि0कमि0 खण्ड–20 वा0 क0 लखनऊ	1	2009-10 (फरवरी 2013)	केबिल	224.83	2	4.50
10	असि0कमि0 खण्ड–20 वा0 क0 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	एम0एस0 बार	117.84	1	1.18
			2009-10 (मई 2012)	एम0एस0 बार	619.02	1	6.19
			2010-11 (मई 2012)	एम0एस0 बार	336.68	1	3.37
11	डि0कमि0 खण्ड–5 वा0 क0 मुरादाबाद	1	2009-10 (जुलाई 2012)	मशीनरी	15.46	2	0.31
12	डि0कमि0 खण्ड–9 वा0 क0 मुरादाबाद	1	2009-10 (जुलाई 2012)	मोटर व्हीकल	39.59	1	0.40
	योग	**17**			**4739.03**		**60.40**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षो के आधार पर उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट-IX

ब्याज का न/कम प्रभारित करना

(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.3.14)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की सं0	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	विलम्ब से जमा की गयी धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनो में)	ब्याज की दर (प्रतिशत)	देय ब्याज	जमा किया गया ब्याज	वसूली गयी ब्याज की धनराशि
1	डि0कमि0 खण्ड–3 वा0 क0 बलियां	1	2007-08 (उ0प्र0 व्या0क0) (जून 2010)	0.50	996	14 एवं 15	0.20	0	0.20
				0.16	1084	14 एवं 15	0.08	0	0.08
2	डि0कमि0 खण्ड–2 वा0 क0 बांदा	1	2009-10 (फरवरी 2013)	1.81	1278	15	0.95	0	0.95
3	डि0कमि0 खण्ड–16 वा0 क0 कानपुर	1	2008-09 (मई 2012)	1.50	1337	15	0.83	0	0.83
4	डि0कमि0 खण्ड–10 वा0 क0 लखनऊ	1	2009-10 (मार्च 2012)	24.78	40 से 161	15	1.04	0	1.04
			2010-11 (जुलाई 2012)	36.83	59 से 294	15	1.87	1.17	0.70
5	डि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 लखनऊ	1	2007-08 (उ0प्र0 व्या0क0) (मई 2012)	18.09	594	14 एवं 15	4.35	0	4.35
6	डि0कमि0 खण्ड–13 वा0 क0 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2012)	6.95	87	15	0.25	0	0.25
			2008-09 (मार्च 2012)	56.77	65	15	1.52	0	1.52
7	डि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 नोएडा	1	2007-08 (उ0प्र0 मू0सं0क0) (मार्च 2012)	7.22	1848	15	5.50	3.46	2.04
	योग	**7**		**154.61**			**16.59**	**4.63**	**11.96**

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षो के आधार पर उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट -X

कर की गलत दर लगाये जाने से कर का अनारोपण/कम आरोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.5.1.1)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1	डि0कमि0 खण्ड–18 आगरा	1	2010-11 (मार्च-2013)	सेनेट्री गुड्स (V)	190.52	13.5/5	16.19
2	असि0कमि0 खण्ड–2 अलीगढ़	1	2009-10 (मार्च-2013)	आटो पार्टस (V)	1.51	12.5/4	0.13
					6.95	13.5/4.5	0.63
					0.38	13.5/5	0.03
3	डि0कमि0 खण्ड–10 इलाहाबाद	1	2007-08[1] (डीम्ड)	सेट टाप बाक्स (V)	9.52	12.5/4	0.81
			2008-09[2] (डीम्ड)		24.66	12.5/4	2.10
			2009-10 (जुलाई–2012)		7.96	12.5/4	0.68
					44.88	13.5/4.5	4.04
					5.84	13.5/5	0.50
			2010-11 (जून 2012)		57.04	13.5/5	4.85
4	असि0कमि0 खण्ड–4 आजमगढ़	1	2008-09[3] (दिसम्बर 2012)	पाइप (V)	2.11	12.5/4	0.18
		1	2008-09[4] (अप्रैल–2012)	हार्डवेयर गुड्स (V)	2.69	12.5/4	0.23
5	डि0कमि0 खण्ड–2 बलिया	1	2010-11 (मार्च-2013)	मशीनरी व उसके पार्टस (V)	75.17	13.5/5	6.39
6	डि0कमि0 खण्ड–2 बारबंक्की	1	2008-09 (फरवरी– 2012)	मशीनरी एवं पार्ट्स (V)	6.32	12.5/4	0.54
7	असि0कमि0गुलावटी बुलन्दशहर	1	2008-09(फरवरी 2013)	टाफी (V)	19.51	12.5/4	1.66
8	डि0कमि0 खण्ड–2 चन्दौली	1	2008-09 (मार्च–2013)	टायर ट्यूब फ्लैप (V)	14.30	12.5/4	1.22
9	डि0कमि0 खण्ड–3 फतेहपुर	1	2009-10 (सितम्बर–2012)	टाफी (V)	0.96	13.5/4.5	0.09
					0.31	13.5/5	0.03
			2011-12 (फरवरी–2013)		5.27	13.5/5	0.45
10	डि0कमि0 खण्ड–1 गाजियाबाद	1	2009-10 (फरवरी–2013)	कैरियर (साइकिल एसेसरी) (V)	7.28	12.54	0.62
					35.09	13.5/4.5	3.16
					9.84	13.55	0.84
11	डि0कमि0 खण्ड–4 गाजियाबाद	1	2008-09[3] (अप्रैल–2012)	फ्रूट जूस (V)	48.41	12.5/4	4.12
12	असि0कमि0 खण्ड–1 गाजीपुर	1	2008-09 (दिसम्बर–2011)	टाफी (V)	35.86	12.5/4	3.05
13	डि0कमि0 खण्ड–2 गोरखपुर	1	2008-09[5] (डीम्ड)	मशीनरी एवं पार्ट्स(V)	84.77	12.5/4	7.20
14	असि0कमि0 खण्ड–1 हरदोई	1	2010-11(मार्च-2013)	ट्रैक्टर टायर एवं ट्यूब (II)	56.67	4+3/4+1	1.13
15	असि0कमि0 खण्ड–1 हाथरस	1	2008-09 (मार्च-2013)	कोटा स्टोन (V)	12.37	12.5/4	1.05
16	डि0कमि0 खण्ड–2 जौनपुर	1	2008-09[3] (फरवरी-2012)	सफल मटर (V)	8.33	12.5/4	0.71
17	डि0कमि0 खण्ड–7 झांसी	1	2008-09 (जून-2012)	स्टोन मार्बल और इलेक्ट्रिकल गुड्स (V)	104.53	12.5/0	13.06
				केबिल, पी0वी0सी0 पाइप लकड़ी का बोर्ड	50.70	4/0	2.04

---

[1] कर निर्धारण की तिथि पता नही हैं।
[2] कर निर्धारण की तिथि पता नही हैं।
[3] विज्ञप्ति संख्या 2758 दिनांक 29.09.2008 द्वारा दिनांक 30/09/2008 से 15/01/2009 तक विलोपित किया गया
[4] विज्ञप्ति संख्या 2758 दिनांक 29.09.2008 द्वारा दिनांक 30/09/2008 से 15/01/2009 तक विलोपित किया गया
[5] कर निर्धारण की तिथि पता नही हैं।

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
				आदि (II)			
18	असि0कमि0 खण्ड–7 झांसी	1	2007-08 (दिसम्बर-2011)	टेम्पो पार्टस (V)	2.23	12.5/4	0.19
			2009-10 (फरवरी-2013)	टेम्पो पार्टस (V)	0.84	12.5/4	0.07
					5.50	13.5/4.5	0.50
					0.17	13.5/5	0.01
19	ज्वा0कमि0 (कार्पो0स0) II कानपुर	1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	कार (V)	426.83	14.5/13.5	4.27
20	डि0कमि0 खण्ड–2 कानपुर	1	2007-08 (01.01.08 to31.03.08) (फरवरी–2011)	सी0एफ0एम0 मीटर (V)	0.48	12.5/4	0.04
			2008-09 (जून-2012)	सी0एफ0एम0 मीटर (V)	2.47	12.5/4	0.21
21	डि0कमि0 खण्ड–3 कानपुर जौनपुर	1	2008-09 (फरवरी 2012)	डेक्सट्रीन (V)	147.33	12.5/4	12.52
22	डि0कमि0 खण्ड–7 (वा0कर) कानपुर	1	2008-09 (जनवरी–2012)	एडहेसिव/वाटर प्रूफिगं कम्पाउन्ड को केमिकल माना गया है (V)	2170.55	12.5/4	184.5
			2009-10 (अप्रैल–2012)		343.32	12.5/4	29.18
					1653.37	13.5/4.5	148.8
					289.27	13.5/5	24.59
23	डि0कमि0 खण्ड–10 कानपुर	1	2008-09 (मार्च-2013)	सरजिकल मेडिकल डिवाइस	11.28	12.5/4	0.96
		1	2008-09 (मार्च-2012)	कम्पाउन्ड एसेन्सियल आयल (V)	227.13	12.5/4	19.31
			2009-10 (दिसम्बर-2012)		187.19	13.5/5	15.91
24	डि0कमि0 खण्ड–12 कानपुर	1	2008-09 (जून-2012)	स्वीच गेयर (V)	14.24	12.5/4	1.21
25	डि0कमि0 खण्ड–15 कानपुर	1	2009-10 (अक्टूबर-2012)	इलेक्ट्रिकल गुड्स (V)	52.82	4/0	2.11
					52.82	12.5/0	6.60
26	डि0कमि0 खण्ड–17 कानपुर	1	2009-10 (मार्च 2013)	इलेक्ट्रिक गुड्स (V)	20.76	12.5/4	1.76
					41.98	13.5/4.5	3.78
					12.20	13.5/5	1.04
		1	2009-10 (मार्च 2013)	जनरेटर ट्राली (V)	10.00	12.5/4	0.85
					9.67	13.5/4.5	0.87
					0.45	13.5/5	0.04
		1	2009-10 (मार्च 2013)	लान्ड्री सोप (V)	45.65	12.5/4	3.88
					123.69	13.5/4.5	11.13
					7.35	13.5/5	0.62
27	डि0कमि0 खण्ड–20 कानपुर	1	2008-09 (मई-2012)	फैक्स मशीन को कम्प्यूटर पैरीफल माना गया है (V)	10.85	12.5/4	0.82
28	असि0कमि0 खण्ड–20 कानपुर	1	2008-09 (मार्च-2012)	फोटो कापी मशीन एवं एम0एफ0डी0 प्रिन्टर मशीन एवं फैक्स को कम्प्यूटर पैरीफल माना गया है (V)	10.54	12.5/4	0.90
			2009-10 (फरवरी-2013)		0.07	12.5/4	0.01
					3.10	13.5/4.5	0.28
29	डि0कमि0 खण्ड–24 कानपुर	1	2008-09 (अप्रैल-2012)	माप करने वाली मशीन/कटिंग टूल्स को बढ़ई के प्रयोग में की जाने वाली टूल्स में माना गया है। (V)	60.56	12.5/4	5.14
		1	2010-11(जुलाई 2012)	लकड़ी के रेलवे स्क्रैप को आयरन स्क्रैप माना गया	51.13	13.5/5	4.86

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
				है (V)			
		1	2009-10 (मार्च-2013)	हैन्ड टूल्स (V)	33.71	12.5/4	2.87
					101.98	13.5/4.5	9.18
					24.17	13.5/5	2.05
		1	2008-09 (अप्रैल-2013)	डायगोनिस्टक किट[6] (V)	35.51	12.5/4	3.02
30	डि0कमि0 खण्ड–28 कानपुर	1	2009-10 (मार्च-2013)	मोटर टायर ट्यूब (V)	324.25	15.5/13.5	6.49
31	डि0कमि0 खण्ड–30 कानपुर	1	2008-09 (अप्रैल 2011)	आयुर्वेद प्रोडक्ट, आयल, शेविंग क्रीम, पाउडर क्रीम (V)	10.30	12.5/4	0.88
			2009-10 (फरवरी 2013)		1.46	12.5/4	0.12
					28.17	13.5/4.5	2.54
					4.16	13.5/5	0.35
			2010-11 (फरवरी 2013)		9.51	13.5/5	0.81
32	ज्वा0कमि0 (कार्पो स0)–1 लखनऊ	1	2008-09 (मई 2012)	यू0पी0एस0 (V) (01.10.08-15.01.09)[7]	69.93	12.5/4	5.94
		1	2008-09 (मई 2012)	इलेक्ट्रनिक टयूनर (V)	759.68	12.5/4	64.57
			2009-10 (मार्च 2013)		33.08	12.5/4	2.81
					146.33	13.5/4.5	13.17
					11.46	13.5/5	0.97
33	डि0कमि0 खण्ड–1 लखनऊ	1	2008-09 (जून-2012)	मोडम (V)	8.83	12.5/4	0.75
34	डि0कमि0 खण्ड–2 लखनऊ	1	2008-09 (जनवरी-2013)	चिकित्सा उपकरण डिवाइस[8] (V)	40.03	12.5/4	3.40
		1	2008-09 (जून-2012)	फ्लैक्स को प्रिन्टेड मैटेरियल माना गया है (V)	123.38	12.5/4	10.49
			2009-10 (मार्च-2013)		0.96	12.5/4	0.08
					72.27	13.5/4.5	6.50
					33.41	13.5/5	2.84
35	डि0कमि0 खण्ड–4 लखनऊ	1	2009-10 (मार्च-2013)	चाय व मिल्क प्रीमिक्स (बनी हुई चाय) (V)	4.37	12.5/4	0.37
					19.26	13.5/4.5	1.73
					3.38	13.5/5	0.29
		1	2009-10 (अक्टूबर-2012)	रेगुलेटर रेक्टीफायर, बल्ब, गैस (V)	5.76	12.5/4	0.49
					13.96	13.5/4.5	1.26
36	असि0कमि0 खण्ड–5 लखनऊ	1	2009-10 (अक्टूबर-2011)	मशीनरी (V)	6.58	12.54	0.56
37	डि0कमि0 खण्ड–8 लखनऊ	1	2008-09 (फरवरी-2012)	मिनिरल तारपीन का तेल (V)	64.31	12.5/4	5.47
			2009-10 (फरवरी 2013)		8.05	12.5/4	0.68
					11.85	13.5/4.5	1.07
		1	2008-09 (अप्रैल–2012)	डिश टी0वी0 (V)	46.78	12.5/4	3.98
		1	2009-10 (फरवरी-2013)	सीमेन्ट(V)	17.96	15.5/12.5	0.54
					17.74	15.5/13.5	0.36
38	डि0कमि0 खण्ड–20 लखनऊ	1	2007-08 (नवम्बर–2009)	कन्ट्रक्सन केमिकल (प्लास्टिसाईजर एवं बोन्डिंग एजेन्ट) (V)	61.79	12.5/4	5.25
			2008-09 (जनवरी–2012)		429.16	12.5/4	36.48
39	डि0कमि0 खण्ड–2 मऊ	1	2008-09 (सितम्बर–2011)	बिस्कुट (V)	2.17	12.5/4	0.18
				ट्रैक्टर एसेसरीज (V)	0.59	12.5/0	0.07

[6] विज्ञप्ति संख्या 2758 दिनांक 29.09.2008 द्वारा दिनांक 30/09/2008 से 15/01/2009 तक विलोपित किया गया

[7] विज्ञप्ति संख्या 2758 दिनांक 29.09.2008 द्वारा दिनांक 30/09/2008 से 15/01/2009 तक विलोपित किया गया

[8] विज्ञप्ति संख्या 2758 दिनांक 29.09.2008 द्वारा दिनांक 30/09/2008 से 15/01/2009 तक विलोपित किया गया

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	आरोपणीय/ आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
			2009-10[9] (फरवरी–2013)	बिस्कुट (V)	5.00	12.5/4	0.43
				ट्रैक्टर एसेसरीज (V)	4.55	12.5/4	0.39
40	डि0कमि0 खण्ड–6 मेरठ	1	2009-10 (दिसम्बर-2013)	ट्रैक्टर बम्फर (V)	7.98	12.5/4	0.68
					24.78	13.5/4.5	2.22
					5.21	13.5/5	0.44
		1	2009-10 (फरवरी-2013)	ट्रैक्टर बम्फर (V)	0.54	12.5/4	0.05
					7.06	13.5/4.5	0.64
					0.42	13.5/5	0.04
41	डि0कमि0 खण्ड–12 मेरठ	1	2008-09[10] (दिसम्बर 2011)	बाइन्डिंग वायर एवं स्ट्रीप (V)	118.76	12.5/4	10.09
		1	2009-10 (फरवरी-2013)	ट्रैक्टर हुड (V)	13.69	12.5/4	1.23
42	डि0कमि0 खण्ड–1 मुज़फ्फर नगर	1	2008-09 (जून-2012)	कार (V)	4.45	12.5/0	0.56
43	असि0कमि0 खण्ड–1 नजीबाबाद	1	2007-08 (सितम्बर 2010)	साइकिल एसेसरीज (V)	13.73	12.5/4	1.17
44	डि0कमि0 खण्ड–6 नोएडा	1	2009-10 (नवम्बर-2013)	कन्सट्रक्शन केमिकल (V)	10.34	12.5/4	0.88
					70.04	13.5/4.5	6.30
					14.50	13.5/5	1.23
45	असि0कमि0 खण्ड–4 सहारनपुर	1	2008-09 (फरवरी 2012)	लेदर बोर्ड (V)	16.18	12.5/4	1.38
			2009-10 (जून 2013)	लेदर बोर्ड (V)	3.41	12.5/4	0.29
					20.09	13.5/4.5	1.80
					0.54	13.5/5	0.05
		1	2010-11 (अगस्त-2012)	इलेक्ट्रानिक टयूब एवं बल्ब (V)	27.43	13.5/5	2.33
46	डि0कमि0 खण्ड–3 सोनभद्र	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	मशीनरी स्पेयर्स पार्टस (V)	14.84	12.5/4	1.26
47	डि0कमि0 खण्ड–3 सुल्तानपुर	1	2008-09 (जनवरी 2012)	मशीनरी स्पेयर्स पार्टस (V)	77.07	12.5/4	6.55
48	असि0कमि0 खण्ड–2 उरई	1	2007-08(फरवरी 2011)	टाफी (V)	13.26	12.5/4	1.13
			2008-09(जनवरी 2011		31.59	12.5/4	2.69
			2009-10(मार्च 2012)		24.51	12.5/4	2.21
49	डि0कमि0 खण्ड–11 वाराणसी	1	2008-09 (फरवरी 2012)	डोर/डोर क्लोजर व फेवीकोल (V)	7.63	12.5/4	0.65
50	असि0कमि0 खण्ड–20 वाराणसी	1	2008-09 (जनवरी 2012)	फिनायल (V)	6.93	12.5/4	0.59
	योग	**65**			**10056.41**		**810.58**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

[9] न्यूनतम 13.5 प्रतिशत के स्थान पर 12.5 प्रतिशत कर आरोपित किया गया है

[10] विज्ञप्ति संख्या 2758 दिनांक 29.09.2008 द्वारा दिनांक 30/09/2008 से 15/01/2009 तक विलोपित किया गया

परिशिष्ट -XI
टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.5.1.2)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम (अनुसूची)	माल का मूल्य	आरोपणीय / आरोपित कर की दर *(प्रतिशत में)*	आरोपणीय कर	टिप्पणी
	डि0कमि0 खण्ड–18 आगरा	1	2007-08 (दिसम्बर-2012)	प्लान्ट एवं मशीनरी	62.15	4/0	2.49	फार्म 23 के अनुसार कैपिटल गुड्स पर कर का अनारोपण
				फर्नीचर	0.21	12.5/0	0.03	
				व्हीकल	8.71	4/0	0.35	
				व्हीकल	13.71	4/0	0.55	
	डि0कमि0 खण्ड–2 हरदोई	1	2009-10 (मार्च 2013)	गेहूँ	136.05	4/0	5.44	ट्रेडिंग एकाउन्ट के अनुसार
	डि0कमि0 खण्ड–10 कानपुर	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	लाइसेन्स (इनटैन्जिबल गुड्स)	28.22	4/0	1.13	ट्रेडिंग एकाउन्ट के अनुसार
	डि0कमि0 खण्ड–4 लखनऊ	1	2008-09 (मई 2012)	रोयल्टी	17.31	4/0	0.69	ट्रेडिंग एकाउन्ट के अनुसार
	डि0कमि0 खण्ड–8 लखनऊ	1	2008-09 (फरवरी 2012)	स्पेयर्स पार्टस (V)	138.79	12.5/0	17.35	फार्म 38 के विवरण के अनुसार (वारन्टी के तहत बदलने वाली वस्तुए)
	डि0कमि0 खण्ड–3 पीलीभीत	1	2008-09 (जनवरी 2012)	माइक्रो न्यूट्रीऐन्ट्स (V)	35.82	4/0	1.43	क0नि0प्रा0 द्वारा कर मुक्त
	डि0कमि0 खण्ड–1 सुल्तानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	सीमेन्ट (V)	69.81	12.5/0	8.72	फार्म 23 के अनुसार
	योग	**7**			**510.78**		**38.18**	

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट -XII
विलम्ब से कर जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.6.1.1)

(₹लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि दिनों में	अर्थदण्ड आरोपणीय	ब्याज की स्थिति
1	डि0कमि0 खण्ड–13 आगरा	1	2010-11 (मार्च 2013)	41.76	5 से 64	8.35	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2009-10 (फरवरी 2013)	20.62	6	4.12	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2008-09 (जून 2012)	7.68	6 से 17	1.53	ब्याज आरोपित नही किया गया
2	डि0कमि0 खण्ड–17 आगरा	1	2007-08(1.1.08-31.03.08) (मार्च 2011)	12.18	164 से 223	2.44	ब्याज आरोपित नही किया गया
3	ज्वा0 कमि0 (कार्पो0स0) अलीगढ़	1	2008-09 (फरवरी 2012)	17.53	1124 से 1170	3.51	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2008-09 (मार्च 2012)	8.00	14	1.60	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2008-09 (मार्च 2012)	5.25	8	1.05	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2008-09(मार्च 2012)	3.36	31 से 93	0.67	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2009-10 (सितम्बर 2012)	21.74	5 से 128	4.34	ब्याज आरोपित किया गया
		1	2009-10 (मई 2012)	25.28	9 से 31	5.06	ब्याज आरोपित किया गया
		1	2008-09 (नवम्बर 2012)	11.13	1435 से 1439	2.23	ब्याज आरोपित किया गया
4	डि0कमि0 खण्ड–1 अलीगढ़	1	2009-10 (फरवरी 2013)	3.16	160 से 222	0.63	ब्याज आरोपित नही किया गया
5	असि00कमि0 खण्ड–9 अलीगढ़	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	3.85	133	0.77	ब्याज आरोपित नही किया गया
6	डि0कमि0 खण्ड–2 अम्बेडकर नगर	1	2008-09 (जून 2012)	51.74	24 से 28	10.35	ब्याज आरोपित नही किया गया
7	डि0कमि0 खण्ड–3 बाराबंकी	1	2009-10 (अगस्त 2012)	3.10	65 से 130	0.62	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2008-09 (जून 2012)	10.00	6	2.00	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2008-09 (जून 2012)	2.72	32	0.54	ब्याज आरोपित नही किया गया
8	असि0कमि0 खण्ड–4 बाराबंकी	1	2011-12 (जून 2012)	6.84	5 से 87	1.37	ब्याज आरोपित नही किया गया
9	ज्वा0कमि0 (कार्पो सं0) बरेली	1	2008-09(जून 2012)	50.00	770 से 780	10.00	ब्याज आरोपित नही किया गया
			2009-10 (मार्च 2013)	113.54	423 से 450	22.71	ब्याज आरोपित नही किया गया
				100.85	10 से 40	20.16	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2008-09 (जून 2012)	10.58	142 से 232	2.12	ब्याज आरोपित नही किया गया
			2009-10 (फरवरी 2013)	37.93	26	7.59	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2009-10 (मार्च 2013)	44.78	6 से 340	8.96	ब्याज आरोपित नही किया गया
10	डि0कमि0 खण्ड–2 चन्दौली	1	2008-09 (मार्च 2012)	3.10	7	0.62	ब्याज आरोपित नही किया गया
11	डि0कमि0 खण्ड–2 छ0 शा0म0 नगर	1	2008-09 (फरवरी 2012)	5.82	27 से 36	1.16	ब्याज आरोपित नही किया गया
12	डि0कमि0 डिबाई	1	2007-08 (01.01.08 to 31.03.08) (मार्च 2011)	3.13	298 से 798	0.63	ब्याज आरोपित किया गया

(₹लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि दिनों में	अर्थदण्ड आरोपणीय	ब्याज की स्थिति
		1	2008-09 (जून 2012)	2.81	192 से 376	0.56	ब्याज आरोपित नही किया गया
13	ज्वा0कमि0 (कार्पो सं0) फैजाबाद	1	2009-10 (मार्च 2013)	67.25	5 से 29	13.45	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2008-09 (मई 2012)	9.60	10 से 100	1.92	ब्याज आरोपित नही किया गया
			2009-10 (मार्च 2013)	17.76	19 से 110	3.55	ब्याज आरोपित नही किया गया
14	डि0कमि0 खण्ड–1 फिरोजाबाद	1	2009-10 (अप्रैल 2012)	4.57	8 से 11	0.92	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2009-10 (मार्च 2013)	1.19	10 से 19	0.24	ब्याज आरोपित नही किया गया
15	ज्वा0कमि0–(कार्पो0स0) रेन्ज–ए गाजियाबाद	1	2009-10 (जनवरी 2013)	3.54	6	0.71	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2009-10 (फरवरी 2013)	76.88	6	15.38	ब्याज आरोपित नही किया गया
16	ज्वा0कमि0 (कार्पो0स0) जोन II गाजियाबाद	1	2008-09 (मई 2012)	4.43	6	0.89	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2008-09 (अप्रैल 2012)	22.52	20	4.50	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	10.40	5 से 7	2.08	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2009-10 (फरवरी 2013)	12.95	8	2.59	ब्याज आरोपित नही किया गया
17	डि0कमि0 खण्ड–5 गाजियाबाद	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	18.49	6	3.70	ब्याज आरोपित नही किया गया
18	डि0कमि0 खण्ड–17 गाजियाबाद	1	2008-09 (जून 2012)	35.30	9 से 13	7.06	ब्याज आरोपित नही किया गया
19	डि0कमि0 खण्ड–5 गोरखपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	2.52	11 से 63	0.50	ब्याज आरोपित नही किया गया
20	डि0कमि0 खण्ड–10 गोरखपुर	1	2008-09 (मार्च 2013)	4.24	7 से 14	0.85	ब्याज आरोपित नही किया गया
21	डि0कमि0 खण्ड–5 जैनपुर	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	10.06	20 से 92	2.01	ब्याज आरोपित किया गया
22	डि0कमि0 खण्ड–1 झांसी	1	2008-09 (मार्च 2012)	2.02	340 से 552	0.40	ब्याज आरोपित किया गया
23	ज्वा0कमि0–(कार्पो)-2 कानपुर	1	2009-10 (मई 2013)	50.15	833	10.03	ब्याज आरोपित नही किया गया
24	डि0कमि0 खण्ड–3 कानपुर	1	2008-09 (जून 2012)	2.92	1268	0.58	ब्याज आरोपित नही किया गया
25	डि0कमि0 खण्ड–7 कानपुर	1	2010-11 (मई 2012)	53.68	8 से 41	10.74	ब्याज आरोपित नही किया गया
			2011-12 (मार्च 2013)	105.85	6 से 137	21.17	ब्याज आरोपित नही किया गया
26	डि0कमि0 खण्ड–2 लखीमपुरखीरी	1	2008-09 (जुलाई 2011)	1.53	16 से 947	0.31	ब्याज आरोपित नही किया गया
27	डि0कमि0 खण्ड–5 लखनऊ	1	2009-10 (मई 2012)	6.50	57 से 61	1.30	ब्याज आरोपित नही किया गया
28	डि0कमि0 खण्ड–11 लखनऊ	1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	5.39	6	1.08	ब्याज आरोपित नही किया गया
29	डि0कमि0 खण्ड–21 लखनऊ	1	2009-10 (मार्च 2012)	47.18	5 से 65	9.44	ब्याज आरोपित नही किया गया
30	डि0कमि0 खण्ड–5 मथुरा	1	2007-08 (01.01.08 to 31.03.08) (जनवरी 2013)	2.38	14 से 30	0.48	ब्याज आरोपित किया गया

(₹लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि दिनों में	अर्थदण्ड आरोपणीय	ब्याज की स्थिति
			2008-09 (अप्रैल 2012)	13.21	7 से 16	2.64	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2007-08 (01.01.08 to 31.03.08) (जनवरी 2013)	3.28	5 से 30	0.66	ब्याज आरोपित किया गया
		1	2011-12 (जनवरी 2013)	4.51	35 से 66	0.90	ब्याज आरोपित किया गया
31	ज्वा0कमि0–(कार्पो) मेरठ	1	2010-11 (जून 2012)	31.15	9	6.23	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2009-10 (नवम्बर 2012)	96.90	5 से 913	19.38	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2009-10 (मार्च 2013)	8.95	840	1.79	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2009-10 (फरवरी 2013)	10.83	1328	2.17	ब्याज आरोपित नही किया गया
		1	2009-10 (अक्टूबर 2012)	4.08	411	0.82	ब्याज आरोपित नही किया गया
32	डि0कमि0 खण्ड–10 मेरठ	1	2009-10 (नवम्बर 2012)	25.65	7 से 564	5.13	ब्याज आरोपित नही किया गया
33	डि0कमि0 खण्ड–3 मिर्जापुर	1	2009-10 (फरवरी 2013)	6.24	892	1.25	ब्याज आरोपित किया गया
34	असि0कमि0 खण्ड–4 मिर्जापुर	1	2009-10 (जून 2012)	5.57	62 से 86	1.11	ब्याज आरोपित नही किया गया
35	डि0कमि0 खण्ड–3 मुरादाबाद	1	2008-09 (फरवरी 2012)	9.58	39 से 101	1.92	ब्याज आरोपित किया गया
36	डि0कमि0 खण्ड–1 नोएडा	1	2009-10 (जनवरी 2013)	12.17	6	2.43	ब्याज आरोपित नही किया गया
37	डि0कमि0 खण्ड–2 नोएडा	1	2009-10 (जनवरी 2013)	25.75	6	5.15	ब्याज आरोपित नही किया गया
38	डि0कमि0 खण्ड–9 नोएडा	1	2009-10 (मार्च 2012)	7.25	18	1.45	ब्याज आरोपित नही किया गया
39	डि0कमि0 खण्ड–14 नोएडा	1	2008-09 (जनवरी 2012)	14.18	5 से 8	2.83	ब्याज आरोपित नही किया गया
40	डि0कमि0 खण्ड–2 पीलीभीत	1	2008-09 (फरवरी 2012)	5.45	14	1.09	ब्याज आरोपित किया गया
41	डि0कमि0 खण्ड–2 सोनभद्र	1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	4.14	46 से 96	0.83	ब्याज आरोपित नही किया गया
42	डि0कमि0 खण्ड–3 सोनभद्र	1	2008-09 (मार्च 2012	5.57	4 से 14	1.11	ब्याज आरोपित नही किया गया
43	डि0कमि0 खण्ड–10 वाराणसी	1	2008-09 (जून 2012)	7.88	6 से 25	1.58	ब्याज आरोपित नही किया गया
44	असि0कमि0 खण्ड–19 वाराणसी	1	2011-12 (मार्च 2013)	5.25	17 से 30	1.05	ब्याज आरोपित नही किया गया
	योग	**69**		**2476.47**		**495.32**	

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट -XIII
टर्नओवर के छिपाये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.6.1.2)

(₹लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	छिपाया गया टर्नओवर			छिपाये गये टर्नओवर पर आरोपित कर	अर्थदण्ड आरोपणीय
					खरीद	बिक्री	योग		
1.	असि0कमि0 खण्ड–3 आगरा	1	2009-10 (जनवरी 2012)	रिफाइन्ड/वनस्पति	0.00	16.00	16.00	0.72	2.16
		1	2009-10 (मई 2012)	सोया रिफाइन्ड/मस्टर्ड आयल /वनस्पति	2.70	3.00	5.70	0.26	0.77
2.	डि0कमि0 खण्ड–14 आगरा	1	2008-09 (जून 2012)	टाइल्स, ब्रिक्स सैन्ड (बालू) एवं गिट्टी	76.37	0.00	76.37	6.33	18.98
		1	2011-12 (जनवरी 2013)	मेटल कापर	4.00	5.00	9.00	0.45	1.35
3.	डि0कमि0 खण्ड–15 आगरा	1	2008-09 (जून 2012)	एम0एस0 स्क्रैप, हैन्ड पम्प पाटर्स, सरिया	8.00	10.00	18.00	0.72	2.16
4.	डि0कमि0 खण्ड–16 आगरा	1	2010-11 (जनवरी 2013)	लेदर	0.00	10.00	10.00	0.40	1.20
5.	डि0कमि0 खण्ड–1 अलीगढ़	1	2009-10 (जनवरी 2013)	सीमेन्ट	22.22	0.00	22.22	0.44	1.32
6.	डि0कमि0 खण्ड–4 अलीगढ़	1	2007-08 (जुलाई 2010)	वनस्पति घी एवं रिफाइन्ड आयल	6.00	7.20	13.20	0.53	1.58
			2008-09 (अगस्त 2010)		4.00	4.80	8.80	0.35	1.06
7.	असि0कमि0 खण्ड–9 अलीगढ़	1	2007-08 (मार्च 2011)	इलेक्ट्रिक गुड्स	0.75	0.84	1.59	0.20	0.60
8.	असि0कमि0 खण्ड–8 इलाहाबाद	1	2009-10 (अगस्त 2011)	फुटवियर	1.50	2.00	3.50	0.18	0.53
9.	डि0कमि0 खण्ड–1 बदायूं	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	मेडिसिन	135.00	150.00	285.00	11.40	34.20
10.	असि0कमि0 खण्ड–2 बांदा	1	2008-09 (मार्च 2012)	गिट्टी	0.00	21.00	21.00	0.84	2.52
		1	2008-09 (जुलाई 2011)	दलहन एवं तिलहन	12.50	14.50	27.00	0.44	1.31
11.	ज्वा0कमि0–(कार्पो) बरेली	1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	गेहूँ	0.00	28.00	28.00	1.12	3.36
12.	असि0कमि0 खण्ड–2 बुलन्दशहर	1	2009-10 (फरवरी 2012)	पैडी एवं गेहूँ	0.00	14.00	14.00	0.56	1.68
		1	2008-09 (मार्च 2012)	बैटरी	1.25	1.50	2.75	0.34	1.03
		1	2008-09 (मार्च 2012)	आयरन स्टील हार्डवेयर एवं वेल्डिंग	0.00	5.00	5.00	0.20	0.60
		1	2008-09 (मार्च 2012)	आयरन एवं स्टील	0.00	4.75	4.75	0.19	0.57
				इलेक्ट्रिक गुड्स	0.00	0.25	0.25	0.03	0.09
		1	2009-10 (मार्च 2012)	एलमुनियम जिन्क ब्रास एवं कापर स्क्रैप	5.40	6.00	11.40	0.57	1.37
		1	2008-09 (नवम्बर 2011)	लोहे के दरवाजा/ खिड़की का कच्चा माल	3.50	0.00	3.50	0.16	0.47
				दरवाजा और खिड़की	0.00	4.50	4.50	0.56	1.69
			2009-10 (नवम्बर 2011)	लोहे के दरवाजा/ खिड़की का कच्चा माल	5.00	0.00	5.00	0.20	0.60
				दरवाजा और खिड़की	0.00	6.00	6.00	0.78	2.33

(₹लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	छिपाया गया टर्नओवर			छिपाये गये टर्नओवर पर आरोपित कर	अर्थदण्ड आरोपणीय
					खरीद	बिक्री	योग		
13.	डि0कमि0 खण्ड–3 चन्दौली	1	2008-09 (जून 2012)	सरिया	0.00	14.80	14.80	0.59	1.78
				टिम्बर	0.00	19.74	19.74	2.47	7.41
14.	ज्वा0कमि0–(कार्पो) रेन्ज–ए गाजियाबाद	1	2008-09 (मई 2012)	फूड सप्लीमेन्ट्स	0.00	5.29	5.29	0.66	1.98
15.	डि0कमि0 खण्ड–6 गाजियाबाद	1	2008-09 (दिसम्बर 2012)	एसिड एवं केमिकल्स	8.00	10.00	18.00	0.72	2.16
16.	डि0कमि0 खण्ड–4 गोरखपुर	1	2010-11 (अक्टूबर 2012)	ए0सी0 शीट्स	5.00	6.00	11.00	1.49	4.46
17.	डि0कमि0 खण्ड–12 गोरखपुर	1	2009-10 (सितम्बर 2011)	मस्टर्ड आयल, वनस्पति रिफाइन्ड	12.50	13.00	25.50	1.15	3.44
				सोप, डिटार्जेन्ट	1.50	1.63	3.13	0.39	1.17
				सोप डिटार्जेन्ट	1.25	1.38	2.63	0.35	1.06
18.	असि0कमि0 गुलावटी	1	2008-09 (जनवरी 2012)	मेडिसिन	7.00	8.00	15.00	0.60	1.80
19.	डि0कमि0 खण्ड–1 झांसी	1	2007-08 (मार्च 2011)	लुब्रीकेन्ट	0.75	1.10	1.85	0.23	0.69
20.	असि0कमि0 खण्ड–3 झांसी	1	2009-10 (मार्च 2011)	पी0वी0सी पाइप	0.00	1.50	1.50	0.07	0.20
				मार्बल	0.00	1.00	1.00	0.14	0.40
21.	असि0कमि0 खण्ड–24 कानपुर	1	2009-10 (मई 2012)	आयरन स्क्रैप	0.00	7.50	7.50	0.30	0.90
22.	डि0कमि0 खण्ड–1 खुर्जा	1	2008-09 (जून 2012)	टाइल्स का रॉ मैटेरियल	0.75	0.00	0.75	0.03	0.09
				टाइल्स	0.00	2.00	2.00	0.25	0.75
23.	डि0कमि0 खण्ड–2 खुर्जा	1	2008-09 (जून 2012)	आयरन एवं स्टील	10.00	12.00	22.00	0.88	2.64
24.	डि0कमि0 खण्ड–1 लखीमपुर खीरी	1	2010-11 (नवम्बर 2012)	पैडी, राइस, राईस ब्रान	10.00	16.00	26.00	1.08	3.23
		1	2010-11 (जून 2013)	पैडी, राइस, राईस ब्रान एवं बारदाना	5.20	6.50	11.70	0.48	1.44
25.	डि0कमि0 खण्ड–2 लखीमपुर खीरी	1	2008-09 (जून 2012)	सीमेन्ट	20.60	0.00	20.60	0.41	1.24
26.	डि0कमि0 खण्ड–3 लखनऊ	1	2009-10 (नवम्बर 2011)	मिर्चा	2.50	3.00	5.50	0.28	0.83
27.	डि0कमि0 खण्ड–9 लखनऊ	1	2008-09 (अक्टूबर 2011)	मेडिसिन	0.00	31.00	31.00	1.24	3.72
28.	डि0कमि0 खण्ड–1 मथुरा	1	2010-11 (नवम्बर 2012)	डिस्पोसबल ग्लास	0.00	8.02	8.02	0.40	1.20
		1	2011-12 (दिसम्बर 2012)	इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रिनिक्स गुड्स	0.00	4.50	4.50	0.44	1.31
29.	डि0कमि0 खण्ड–5 मथुरा	1	2010-11 (नवम्बर 2012)	पैडी एवं राइस (चावल)	7.00	10.00	17.00	0.71	2.13
30.	वा0क0अधि0 खण्ड–2 मऊ	1	2008-09 (नवम्बर 2009)	पैडी गेहूँ, राइस एण्ड ब्रान	4.00	4.30	8.30	0.33	1.00
31.	डि0कमि0 खण्ड–1 मिर्जापुर	1	2011-12 (जनवरी 2013)	लुब्रीकेन्ट	5.59	5.68	11.27	1.52	4.56
32.	ज्वा0कमि0–(कार्पो) नोएडा	1	2009-10 (मार्च 2013)	व्हीकल्स एसेसारीज	0.00	7.00	7.00	0.95	2.84
33.	डि0कमि0 खण्ड–8 नोएडा	1	2008-09 (जुलाई 2012)	रेडिमेड गारमेन्ट	10.00	25.00	35.00	1.40	4.20
		1	2008-09 (मई 2012)	ए0सी0, पेन्टस, ट्रान्सफार्मर फैन	0.00	17.70	17.70	2.21	6.64
34.	डि0कमि0 खण्ड–9 नोएडा	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	स्टील बार	0.00	40.00	40.00	1.60	4.80
		1	2008-09 (मई 2012)	रेडिमेड गारमेन्ट	0.00	10.00	10.00	0.40	1.20
35.	डि0कमि0 खण्ड–5 सहारनपुर	1	2009-10 (फरवरी 2013)	रॉ मैटेरियाल/रबर	1.65	2.20	3.85	0.19	0.58
				डीजल	0.22	0.00	0.22	0.04	0.11

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	छिपाया गया टर्नओवर			छिपाये गये टर्नओवर पर आरोपित कर	अर्थदण्ड आरोपणीय
					खरीद	बिक्री	योग		
36.	डि0कमि0 खण्ड–8 सहारनपुर	1	2009-10 (नवम्बर 2012)	दाल, मसाला, किराना, और पका हुआ भोजन चाय व काफी	1.00	2.00	3.00	0.25	0.74
		1	2008-09 (अप्रैल 2012)	सीमेन्ट	0.00	2.50	2.50	0.31	0.94
		1	2010-11 (दिसम्बर 2012)	आयरन सीट एवं इससे बना माल	0.50	10.00	10.50	0.46	1.38
37.	डि0कमि0 खण्ड–11 सहारनपुर	1	2008-09 (जनवरी 2013)	सिन्थेटिक वायर क्लोथ	0.00	1.00	1.00	0.08	0.24
		1	2008-09 (अगस्त 2011)	राइस एवं पैडी	0.00	1.65	1.65	0.07	0.20
		1	2008-09 (मार्च 2012)	मशीनरी एवं पार्ट्स	0.00	0.60	0.60	0.07	0.20
38.	डि0कमि0 खण्ड–2 सम्भल	1	2008-09 (मई 2010)	मेन्था तेल	7.30	8.00	15.30	0.61	1.83
39.	डि0कमि0 खण्ड–2 सीतापुर	1	2008-09 (नवम्बर 2010)	गेहूँ	50.00	0.00	50.00	2.00	6.00
40.	डि0कमि0 खण्ड–2 सोनभद्र	1	2011-12 (मार्च 2013)	बालू	0.00	29.99	29.99	1.50	4.50
		1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	गिट्टी	0.00	11.72	11.72	0.62	1.87
41.	डि0कमि0 खण्ड–2 वाराणसी	1	2008-09 (मई 2012)	आयरन ओर	0.00	81.43	81.43	3.26	9.78
42.	असि0कमि0 खण्ड–19 वाराणसी	1	2011-12 (मार्च 2013)	कोयला	0.00	106.27	106.27	4.25	12.75
		1	2008-09 (मार्च 2013)	कोयला	0.00	4.77	4.77	0.19	0.57
		1	2008-09 (अप्रैल 2013)	राइस, पैडी	0.00	12.57	12.57	0.50	1.51
				पैडी	0.00	2.69	2.69	0.05	0.16
	योग	**61**			**460.5**	**885.37**	**1345.87**	**66.19**	**198.16**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट -XIV
प्रवेश कर का अनारोपण
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.7.1)

(₹लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	माल का नाम	माल का मूल्य	आरोपणीय प्रवेश कर की दर	अनारोपित प्रवेश कर की धनराशि
1.	डि0कमि0 खण्ड–1 बांदा	1	2009-10 (मार्च 2013)	आयरन एवं स्टील	50.30	1	0.50
		1	2008-09 (जून 2012)	स्टील वायर	43.31	1	0.43
2.	डि0कमि0 खण्ड–1 बस्ती	1	2009-10 (अक्टूबर 2012)	टायर ट्यूब	167.62	2	3.35
3.	ज्वा0कमि0–(कार्पो) गौ0बु0 नगर	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	केबिल लैपटाप	31.01	2	0.62
				एलम्युनियम वायर	3.04		0.06
		1	2008-09 (अप्रैल 2012)	केबिल	542.13	2	10.84
4.	ज्वा0कमि0–(कार्पो) I गाजियाबाद	1	2008-09 (मई 2012)	डीजल एवं फर्नेस आयल	21.45	5	1.07
			2009-10 (मार्च 2013)	डीजल एवं फर्नेस आयल	14.98	5	0.75
5.	डि0कमि0 खण्ड–10 गाजियाबाद	1	2008-09 (मई 2012)	एलम्युनियम फ्वायल	164.33	2	3.28
			2009-10 (जनवरी 2013)	एल सीलिंग	38.44	2	0.77
6.	डि0कमि0 खण्ड–14 गाजियाबाद	1	2008-09 (अप्रैल 2013)	फिश प्लेट रेल	36.20	1	0.36
			2009-10 (जनवरी 2013)	फिश प्लेट रेल	1190	1	11.90
7.	डि0कमि0 खण्ड–18 गाजियाबाद	1	2008-09 (जून 2012)	एम0एस0 इनगट	196.50	1	1.97
8.	ज्वा0कमि0–(कार्पो) I कानपुर	1	2009-10 (मार्च 2013)	आयरन एवं स्टील	732.73	1	3.39
9.	डि0कमि0 खण्ड–2 कानपुर	1	2008-09 (जून 2012)	केबिल	87.39	2	1.75
10.	डि0कमि0 खण्ड–8 कानपुर	1	2008-09 (जून 2012)	क्लिंकर	128.62	5	6.43
		1	2008-09 (मई 2012)	आयरन एवं स्टील	217.43	1	2.17
11.	डि0कमि0 खण्ड–14 कानपुर	1	2008-09 (नवम्बर 2012)	कलर टी0वी0	53.33	2	1.06
				ए0सी0 एवं रेफ्रिजरेटर	8.37	5	0.42
				ए0सी0 एवं रेफ्रिजरेटर	31.72	1	0.31
			2009-10 (सितम्बर 2012)	कलर टी0वी0	23.29	2	0.46
				ए0सी0 एवं रेफ्रिजरेटर	37.60	1	0.38
		1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	ए0सी0	53.08	1	0.53
12.	डि0कमि0 खण्ड–24 कानपुर	1	2009-10 (अप्रैल 2012)	आयरन एवं स्टील	379.65	1	3.80
			2010-11 (जून 2012)	आयरन एवं स्टील	240.60	1	2.41
		1	2009-10 (मई 2012)	आयरन एवं स्टील	255.45	1	2.55
13.	डि0कमि0 खण्ड–25 कानपुर	1	2009-10 (जुलाई 2012)	आयरन एवं स्टील	2542.25	1	25.42
14.	डि0कमि0 खण्ड–27 कानपुर	1	2008-09 (जून 2012)	एलुम्युनियम प्रोडक्ट्स	209.65	2	4.19
				लैपटाप	1.61	2	0.03
				केबिल	11.15	2	0.22
				ए0सी0	5.94	1	0.06
15.	डि0कमि0 खण्ड–28 कानपुर	1	2008-09 (जून 2012)	आयरन एवं स्टील	87.23	1	0.87
		1	2008-09 (मार्च 2012)	आयरन एवं स्टील	36.89	1	0.37
			2009-10 (जून 2012)	आयरन एवं स्टील	190.92	1	1.91

(₹लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	माल का नाम	माल का मूल्य	आरोपणीय प्रवेश कर की दर	अनारोपित प्रवेश कर की धनराशि
16.	डि0कमि0 खण्ड–1 लखनऊ	1	2008-09 (जून 2012)	सीमेन्ट	77.82	2	1.56
			2009-10 (मार्च 2013)	सीमेन्ट	962.87	2	19.25
17.	डि0कमि0 खण्ड–6 लखनऊ	1	2008-09 (फरवरी 2012)	एलुम्युनियम कम्पोजिट पैनल	66.46	2	1.33
			2009-10 (फरवरी 2012)	एलुम्युनियम कम्पोजिट पैनल	39.99	2	0.80
18.	डि0कमि0 खण्ड–3 नोएडा	1	2008-09 (जनवरी 2012)	एलुम्युनियम कम्पोजिट पैनल	59.45	2	1.19
		1	2009-10 (जनवरी 2012)	स्टील टयूब	388.32	1	3.88
19.	डि0कमि0 खण्ड–6 नोएडा	1	2008-09 (मई 2012)	केबिल	225.90	2	4.52
				आयरन एवं स्टील	74.55	1	0.75
20.	डि0कमि0 खण्ड–14 नोएडा	1	2008-09 (जनवरी 2012)	एलुम्युनियम प्रोड्क्ट	181.10	2	3.62
21.	डि0कमि0 खण्ड–1 रायबरेली	1	2009-10 (जुलाई 2012)	मोटर साइकिल	108.04	1	1.08
22.	ज्वा0कमि0–(कार्पो) I वाराणसी	1	2008-09 (जून 2012)	सीमेन्ट	144.57	2	2.89
				आयरन प्लेट	80.96	1	0.81
		1	2009-10 (जून 2012)	आयरन एवं स्टील	71.02	1	0.71
			2010-11(जुलाई 2012)	आयरन एवं स्टील	219.49	1	2.19
		1	2009-10 (मई 2012)	आयरन एवं स्टील	3.51	1	0.04
			2010-11(जुलाई 2012)	आयरन एवं स्टील	73.02	1	0.73
योग		**31**			**10611.28**		**139.98**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट -XV
निर्माता द्वारा माल की कीमत में मू0सं0क0 को शामिल न किये जाने के फलस्वरूप प्रवेश कर का कम वसूल किया जाना
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.7.2)

(₹लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	कर की दर (प्रतिशत में)	माल का मूल्य बिना मू0सं0क0 के	मू0सं0क0	माल का मूल्य मू0सं0क0 सहित	वसूल किये जाने वाला प्रवेश कर	वसूल की गयी प्रवेश कर	कम वसूल की गयी प्रवेश कर की धनराशि
1.	डि0कमि0 खण्ड–2 बिजनौर	1	2009-10 (मार्च 2013)	एम0एस0 बार	1	8435.97	337.41	8773.41	87.73	84.36	3.37
2.	ज्वा0कमि0 (कार्पो0स0) झांसी	1	2008-09 (जनवरी 2012)	सरिया	1	1491.86	59.68	1551.54	15.52	14.92	0.60
			2009-10 (मार्च 2013)	सरिया	1	2364.26	94.57	2458.83	24.59	23.64	0.95
3.	ज्वा0कमि0–(कार्पो0स0) II कानपुर	1	2009-10 (मई 2012)	सी0टी0डी0 बार (ऐगिल एवं चैनल)	1	5378.93	215.16	5594.08	55.94	53.79	2.15
		1	2008-09 (अगस्त 2012)	आयरन एवं स्टील	1	2957.75	118.31	3076.06	30.76	29.58	1.18
			2009-10 (मार्च 2012)	आयरन एवं स्टील	1	6362.34	254.49	6616.83	66.17	63.62	2.55
		1	2009-10 (मई 2012)	सी0टी0डी0 बार/राड	1	5250.88	210.03	5460.92	54.61	52.51	2.10
4.	डि0कमि0 खण्ड–8 कानपुर	1	2008-09 (जून 2012)	सीमेन्ट	2	356.58	44.57	401.16	8.02	7.13	0.89
5.	डि0कमि0 खण्ड–25 कानपुर	1	2008-09 (जनवरी 2012)	गुटखा	5	266.07	33.26	299.32	14.97	13.30	1.66
6.	ज्वा0कमि0–(कार्पो0स0) मुरादाबाद	1	2009-10 (मार्च 2013)	पेपर	2	1386.69	62.21	1448.9	28.98	27.73	1.24
7.	डि0कमि0 खण्ड–1 उन्नाव	1	2009-10 (मई 2012)	पेपर	2	424.29	16.70	440.38	8.87	8.49	0.38
		1	2010-11 (मार्च 2013)	पेपर	2	574.34	28.72	603.05	12.06	11.49	0.57
8.	ज्वा0कमि0–(कार्पो0स0) I वाराणसी	1	2008-09 (मई 2012)	सीमेन्ट	2	1056.11	132.01	1188.13	23.76	21.12	2.64
		1	2008-09 (मई 2012)	सीमेन्ट	2	1505.02	188.13	1693.15	33.86	30.10	3.76
			2009-10 (जुलाई 2012)			2024.88	268.55	2293.43	45.87	40.50	5.37
	योग	**12**				**39835.97**	**2063.8**	**41899.19**	**511.71**	**482.28**	**29.41**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट -XVI
केन्द्रीय बिक्री कर का कम आरोपण
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.8.2)

(₹लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	माल का मूल्य	आरोपणीय/आरोपित कर *(प्रतिशत में)*	अन्तर कर की दर	कम आरोपित कर
1	डि0कमि0 खण्ड–3 एटा	1	2008-09 (मार्च 2012)	चिकोरी	17.23	12.5/4	8.5	1.46
2	डि0कमि0 खण्ड–2 कानपुर	1	2007-08 (फरवरी 2011)	सी0एफ0एम0 मीटर	21.38	12.5/4	8.5	1.82
			2008-09 (जून 2012)	सी0एफ0एम0 मीटर	42.20	12.5/4	8.5	3.59
			2009-10 (मार्च 2013)	सी0एफ0एम0 मीटर	9.85	12.5/4	8.5	0.84
3	डि0कमि0 खण्ड–7 वा0 क0 कानपुर	1	2008-09 (जनवरी 2012)	एडहेसिव/वाटर प्रूफिंग कम्पाउन्ड को केमिकल्स माना गया (V)	82.81	12.5/4	8.5	7.03
			2009-10 (अप्रैल 2012)		21.63	12.5/4	8.5	1.84
					88.04	13.5/4.5	9	7.92
					19.1	13.5/5	8.5	1.62
4	डि0कमि0 खण्ड–17 कानपुर	1	2009-10 (मार्च 2013)	लाउन्ड्री सोप (V)	2.25	12.5/4	8.5	0.19
					4.67	13.5/4.5	9	0.42
					2.25	13.5/5	8.5	0.19
5	डि0कमि0 खण्ड–20 कानपुर	1	2007-08 (मार्च 2011)	डाग चिव	8.24	12.5/4	8.5	0.70
6	डि0कमि0 खण्ड–30 कानपुर	1	2009-10 (मार्च 2013)	सोप मैकिंग मशीन	20.00	12.5/4	8.5	1.70
					15.00	13.5/4.5	9	1.35
					14.80	13.5/5	8.5	1.26
7	ज्वा0कमि0 (कार्पो0स0) I, लखनऊ	1	2008-09 (मई 2012)	इलेक्ट्रानिक टोनर (V)	31.94	12.5/4	8.5	2.71
			2009-10 (मार्च 2013)		10.32	12.5/4	8.5	0.88
					15.86	13.5/4.5	9	1.43
					0.86	13.5/5	8.5	0.07
8	डि0कमि0 खण्ड–1 लखनऊ	1	2008-09 (मार्च 2013)	मेडिकल गुडस[11]	339.87	12.5/4	8.5	28.89
9	डि0कमि0 खण्ड–12 मेरठ	1	2009-10 (फरवरी 2013)	ट्रैक्टर हुड	0.65	12.5/4	8.5	0.06
					4.04	13.5/4.5	9	0.36
					1.18	13.5/5	8.5	0.10
		1	2009-10 (फरवरी 2013)	ट्रैक्टर हुड	5.79	12.5/4	8.5	0.49
					19.74	13.5/4.5	9	1.78
					1.99	13.5/5	8.5	0.17
10	असि0कमि0 खण्ड–4 सहारनपुर	1	2009-10 (जून 2012)	लेदर बोर्ड	0.36	12.5/4	8.5	0.03
					4.77	13.5/4.5	9	0.43
					0.43	13.5/5	8.5	0.04
	योग	**11**			**807.25**			**69.37**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

[11] विज्ञप्ति संख्या 2758 दिनांक 29.09.2008 द्वारा दिनांक 30/09/2008 से 15/01/2009 तक मेडिकल गुड्स की प्रविष्टि विलोपित की गयी

परिशिष्ट -XVII

केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.8.3)

(₹लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	पंजीयन प्रमाण पत्र से न आच्छादित वस्तुएं	खरीद की गयी धनराशि	कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपणीय अर्थदण्ड की दर (प्रतिशत में)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि0कमि0 खण्ड–13 आगरा	1	2009-10 (मार्च 2013)	वर्कशॉप इक्यूमेन्ट, टाइल्स फर्नीचर	8.23	12.5	18.75	1.54
2	डि0कमि0 खण्ड–2 इलाहाबाद	1	2006-07 (फरवरी 2009)	प्रिन्टेड मैटेरियल	1.08	10.0	15.00	0.16
				एम0आर0 बैग	0.97	12.0	18.00	0.18
			2009-10 (अक्टूबर 2011)	फ्लोरिंग मैटिरियल एवं प्रोपेगन्डा	5.19	12.5	18.75	0.97
				प्रिन्टेड मैटेरियल	6.32	4.0	6.00	0.38
3	डि0कमि0 खण्ड–1 इटावा	1	2008-09 (जून 2012)	जे0सी0बी0 एक्सकीवेटर	18.34	12.50	18.75	3.44
				रोलर मशीन	20.80	4.0	6.00	1.25
4	असि0कमि0 खण्ड–3 इटावा	1	2008-09 (जून 2012)	बिटूविन, फ्रीजर बिटूविन सेपरेटर	6.29	12.50	18.75	1.18
				अस्फैटिक टैन्क ए0सी0/डी0सी0 कन्ट्रोल पैनल बोर्ड सहित	5.54	4.0	6.00	0.33
5	डि0कमि0 खण्ड–5 झांसी	1	2009-10 (मार्च 2013)	हायड्रोलिक प्रेस मशीन एवं मशीनरी पार्टस	3.57	13.50	20.25	0.72
6	डि0कमि0 खण्ड–26 कानपुर	1	2004-05 (मार्च 2008)	एडहेसिव	1.82	10.0	15.00	0.27
			2008-09 (मार्च 2012)	ट्रेवेल बैग एवं एडहेसिव	22.30	12.50	18.75	4.18
7	डि0कमि0 खण्ड–5 नोएडा	1	2008-09 (मार्च 2012)	स्टैबलाइजर एवं इलेक्ट्रिक गुड्स	6.53	12.50	18.75	1.22
8	डि0कमि0 खण्ड–6 नोएडा	1	2008-09 (मई 2012)	पी0वी0सी0 पाइप	69.83	4.0	6.00	4.19
योग		**8**			**176.81**			**20.01**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट -XVIII
ब्याज का कम/न प्रभारित किया जाना
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.9.1)

(₹लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	जमा की गयी धनराशि	ब्याज की दर प्रतिवर्ष	विलम्ब की अवधि दिनों में	कुल आरोपणीय ब्याज	व्यापारी द्वारा जमा की गयी ब्याज	कम/न प्रभारित किया गया ब्याज
1.	डि0कमि0 खण्ड–14 आगरा	1	2008-09 (जनवरी 2011)	5.19	15	852	1.82	0	1.82
			2009-10 (मई 2012)	14.18	15	958	5.58	0	5.58
2.	डि0कमि0 खण्ड–17 आगरा	1	2007-08 (मार्च 2011)	12.18	15	164 से 224	0.97	0	0.97
3.	ज्वा0कमि0–(कार्पो) बरेली	1	2009-10 (फरवरी 2013)	9.69	15	1246	4.96	0	4.96
4.	डि0कमि0 खण्ड–12 गाजियाबाद	1	2002-03 (दिसम्बर 2011)	5.41	24/14	280 से 1146	4.00	1.16	2.84
			2002-03 (दिसम्बर 2011)	5.09	24/14	125 से 1070	2.40	2.23	0.17
5.	ज्वा0कमि0–(कार्पो) II लखनऊ	1	2009-10 (मार्च 2012)	33.51	15	498	6.86	0	6.86
6.	ज्वा0कमि0–(कार्पो) मेरठ	1	2009-10 (मार्च 2012)	4.24	15	1087	1.89	0	1.89
7.	डि0कमि0 खण्ड–13 मेरठ	1	2008-09 (मई 2012)	15.96	15	102 से 496	2.25	0	2.25
8.	डि0कमि0 खण्ड–1 वाराणसी	1	2008-09 (जून 2012)	0.89	15	1549	0.56	0	0.56
9.	डि0कमि0 खण्ड–9 वाराणसी	1	2009-10 (जून 2012)	1.63	15	987	0.66	0	0.66
		1	2008-09 (जून 2012)	1.46	15	1350	0.81	0	0.81
		1	2010-11 (मई 2012)	1.65	15	601	0.41	0	0.41
		1	2009-10 (जून 2012)	0.19	15	971	0.07	0	0.07
			2010-11 (मई 2012)	0.44	15	659	0.12	0	0.12
		1	2009-10 (जून 2012)	0.88	15	971	0.35	0	0.35
	योग	**13**		**112.59**			**33.71**	**3.39**	**30.32**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट -XIX
कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा संज्ञान में न लिये जाने वाले गलत/मिथ्या आई0टी0सी0 के दावे के मामले
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.10.1)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारीं की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	मिथ्या एवं कपटपूर्ण से ली गयी आई0टी0सी0 की राशि (कारण)	क0नि0 प्रा0 द्वारा न की गयी आर0 आई0टी0सी0	आरोपणीय ब्याज[12]	आरोपणीय अर्थदण्ड
1.	डि0कमि0 खण्ड–10 इलाहाबाद	1	2010-11 (मार्च 2013)	1.04 (विगत वर्ष से लायी गयी गलत आई0टी0सी0)	1.04	0.42	5.20
2.	डि0कमि0 खण्ड–5 आजमगढ	1	2009-10 (मार्च 2013)	0.44 (फर्जी खरीद)	0.44	0.20	2.19
3.	ज्वा0कमि0– (कार्पो0स0) फैजाबाद	1	2010-11 (फरवरी 2013)	107.21 (छूट पर आई0टी0सी0)	107.21	37.67	530.05
4.	डि0कमि0 खण्ड–1 गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	30.50 (छूट पर आई0टी0सी0)	30.50	14.07	152.50
5.	डि0कमि0 खण्ड–2 गाजियाबाद	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	4.35 (क्षतिग्रस्त माल)	4.35	2.73	21.77
6.	डि0कमि0 खण्ड–4 गाजियाबाद	1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	3.32 (प्रयोग के अधिकार पर आई0टी0सी0 का दावा)	3.32	1.57	16.60
7.	डि0कमि0 खण्ड–17 गाजियाबाद	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.79 (आई0टी0सी0 क्रेडिट नोट/ छूट पर)	0.79	0.45	3.97
8.	डि0कमि0 खण्ड–1 गोण्डा	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.95 (असत्य विवरण दाखिल करना)	0.95	0.56	4.74
9.	ज्वा0कमि0– (कार्पो)I, कानपुर	1	2008-09 (जून 2012)	12.93 (आई0टी0सी0 छूट पर)	12.93	9.16	64.65
10.	डि0कमि0 खण्ड–5 कानपुर	1	2010-11 (जून 2012)	4.77 (पूजीगत माल पर आई0टी0सी0)	4.77	1.67	23.85
				6.32 (फर्जी आई0टी0सी0)	6.32	2.22	31.60
11.	डि0कमि0 खण्ड–10 कानपुर	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	5.63 (आई0टी0सी0 क्रेडिट नोट पर)	5.63	3.69	28.15
12.	डि0कमि0 खण्ड–15 कानपुर	1	2009-10 (फरवरी 2013)	2.14 (आई0टी0सी0 स्टाक अन्तरण)	2.14	1.10	10.72
13.	डि0कमि0 खण्ड–6 लखनऊ	1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	7.95 (आई0टी0सी0 क्रेडिट नोट पर)	7.95	3.87	39.75
14.	डि0कमि0 खण्ड–12 मेरठ	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	2.14 (आई0टी0सी0 छूट/प्रोत्साहन)	2.14	1.17	10.71
15.	डि0कमि0 खण्ड–1 सुल्तानपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	3.52 (आई0टी0सी0 क्रेडिट नोट पर)	3.52	2.03	17.58
	योग	**15**		**194.00**	**194.00**	**82.58**	**964.03**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

[12] कर निर्धारण वर्ष के अगले वर्ष के 1 अप्रैल से लेखापरीक्षा की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर गणना की गयी

परिशिष्ट -XX

क0नि0प्रा0 द्वारा संज्ञान में लिये जाने वाले मामले पर अर्थदण्ड का अनारोपण

(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.10.2)

(₹ लाख में)

क्र0सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	मिथ्या एवं कपटपूर्ण तरीके से ली गयी आई0टी0सी0	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि0कमि0 खण्ड–4 वा0 क0 अलीगढ़	1	2008-09 (मार्च 2012)	5.43	27.14
		1	2008-09 (मई 2012)	3.48	17.42
2	असि0कमि0 खण्ड–12 वा0 क0 अलीगढ़	1	2008-09 (मार्च 2012)	0.28	1.42
3	डि0कमि0 खण्ड–1 वा0 क0 अम्बेडकर नगर	1	2010-11 (जनवरी 2013)	0.14	0.70
4	डि0कमि0 खण्ड–8 वा0 क0 बरेली	1	2008-09 (मार्च 2012)	4.30	21.50
5	असि0कमि0 खण्ड–1 वा0 क0 गाजीपुर	1	2008-09 (दिसम्बर 2011)	1.00	4.98
6	ज्वा0कमि0– (कार्पो0स0) रेन्ज–ए वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (जून एवं जुलाई 2012)	22.25	111.25
7	डि0कमि0 खण्ड–1 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2009-10 (दिसम्बर 2012)	5.17	25.85
8	डि0कमि0 खण्ड–3 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (अप्रैल 2012)	1.10	5.49
		1	2008-09 (जून 2012)	6.26	31.32
		1	2008-09 (अप्रैल 2012)	4.13	20.65
		1	2008-09 (अप्रैल 2012)	4.12	20.59
		1	2008-09 (अप्रैल 2012)	14.38	71.90
		1	2008-09 (जून 2012)	3.33	16.67
9	डि0कमि0 खण्ड–6 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2010-11 (मार्च 2013)	2.21	11.05
10	डि0कमि0 खण्ड–8 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (जून 2012)	0.95	4.76
11	डि0कमि0 खण्ड–10 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2009-10 (अगस्त 2011)	2.68	13.39
12	डि0कमि0 खण्ड–17 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2008-09 (मई 2012)	1.11	5.56
		1	2008-09 (मई 2012)	6.09	30.43
		1	2008-09 (अप्रैल 2012)	4.70	23.48
		1	2008-09 (जून 2012)	32.54	162.68
13	डि0कमि0 खण्ड–18 वा0 क0 गाजियाबाद	1	2009-10 (जनवरी 2012)	1.07	5.36
14	डि0कमि0 खण्ड–2 वा0 क0 हरदोई	1	2009-10 (मार्च 2013)	1.29	6.45
		1	2009-10 (मार्च 2013)	0.31	1.53
15	डि0कमि0 खण्ड–20 वा0 क0 कानपुर	1	2008-09 (मई 2012)	0.25	1.24
16	डि0कमि0 खण्ड–8 वा0 क0 नोएडा	1	2008-09 (जून 2012)	40.38	201.88
		1	2008-09 (मई 2012)	2.90	14.51
17	डि0कमि0 खण्ड–9 वा0 क0 सहारनपुर	1	2007-08 (मू0सं0क0) (मार्च 2011)	0.25	1.23
			2008-09 (मार्च 2012)	0.37	1.87
	योग	**28**		**172.47**	**862.30**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट -XXI

स्टाक अन्तरण पर गैर–अनुमन्य आई0टी0सी0 का कम उत्क्रमित किया जाना तथा ब्याज का प्रभारित न किया जाना

(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.10.4)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	क0नि0प्रा0 द्वारा की गयी आर0आई0टी0सी0	क0नि0प्रा0 द्वारा ना की गयी आर0आई0टी0सी0	आरोपणीय ब्याज[13]
1.	डि0कमि0 खण्ड–14 आगरा	1	2009-10 (मई 2012)	9.19	9.19 (स्टाक अन्तरण पर कम आर0आई0टी0सी0 किया जाना)	4.93
2.	ज्वा0कमि0–(कार्पो0स0) II गाजियाबाद	1	2008-09 (जून 2012)	5.36	5.32 (स्टाक अन्तरण पर कम आर0आई0टी0सी0 किया जाना)	3.69
3.	ज्वा0कमि0–(कार्पो0स0) झांसी	1	2008-09 (जून 2012)	13.24	2.06 (स्टाक अन्तरण पर कम आर0आई0टी0सी0 किया जाना)	1.38
4.	ज्वा0कमि0–(कार्पो0स0) I कानपुर	1	2008-09 (जून 2012)	6.46	5.57 (स्टाक अन्तरण पर कम आर0आई0टी0सी0 किया जाना)	3.94
5.	ज्वा0कमि0–(कार्पो0स0) II कानपुर	1	2009-10 (जुलाई 2012)	36.33	24.53 (स्टाक अन्तरण पर कम आर0आई0टी0सी0 किया जाना)	11.62
6.	डि0कमि0 खण्ड–8 कानपुर	1	2008-09 (जून 2012)	0.67	0.67 (स्टाक अन्तरण पर कम आर0आई0टी0सी0 किया जाना)	0.41
7.	डि0कमि0 खण्ड–4 सहारनपुर	1	2009-10 (जुलाई 2012)	0.00	0.69 (स्टाक अन्तरण पर कोई आर0आई0टी0सी0 नही की गयी)	0.35
	योग	**7**		**71.25**	**48.03**	**26.32**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

[13] कर निर्धारण वर्ष के अगले वर्ष के 01 अप्रैल से लेखापरीक्षा की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर गणना की गयी

परिशिष्ट -XXII
विलम्ब से जमा सकर्म संविदा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 2.13)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारी की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण आदेश का माह व वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि दिनों में	अर्थदण्ड आरोपणीय
1.	असि0कमि0 खण्ड–9 आगरा	1	2009-10 (फरवरी 2013)	5.03	12 से 20 दिन	10.05
		1	2008-09 (जुलाई 2011)	35.16	08 से 164 दिन	70.33
2.	असि0कमि0 खण्ड–8 अलीगढ़	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.50	51 से 174 दिन	2.99
3.	असि0कमि0 खण्ड–2 औरैया	1	2009-10 (फरवरी 2013)	2.72	6 से 28 दिन	5.44
			2008-09 (जून 2012)	1.49	09 से 250 दिन	2.98
4.	असि0कमि0 खण्ड–3 आजमगढ	1	2008-09 (नवम्बर 2011)	1.41	6 से 15 दिन	2.82
5.	डि0कमि0 खण्ड–5 आजमगढ	1	2008-09 (मई 2012)	1.63	13 से 14 दिन	3.26
6.	असि0कमि0 खण्ड–1 बहराइच	1	2009-10 (मार्च 2013)	11.13	11 से 101 दिन	22.26
7.	डि0कमि0 खण्ड–1बादा	1	2008-09 (जून 2012)	53.64	6 से 72 दिन	107.30
		1	2008-09 (जून 2012)	3.12	7 से 45 दिन	6.24
8.	असि0कमि0 खण्ड–1चित्रकूट(कर्वी)	1	2008-09 (जुलाई 2011)	0.52	11 दिन	1.04
		1	2008-09 (मार्च 2012)	3.39	17 दिन	6.77
9.	ज्वा0कमि0– (कार्पो0स0) फिरोजाबाद	1	2008-09 (जून 2012)	1.26	11 दिन	2.52
			2009-10 (फरवरी 2013)	8.56	22 दिन	17.12
10.	ज्वा0कमि0– (कार्पो0स0)-II गाजियाबाद	1	2009-10 (मई -2012)	15.78	24 दिन	31.55
			2010-11 (मई 2012)	0.76	49 दिन	1.53
11.	डि0कमि0 खण्ड–18 गाजियाबाद	1	2009-10 (फरवरी 2013)	1.65	20 दिन	3.29
12.	असि0कमि0 खण्ड–1 हरदोई	1	2009-10 (मार्च 2013)	19.31	10 से 17 दिन	38.62
13.	डि0कमि0 कोसीकला	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.87	124 से 488 दिन	3.74
14.	ज्वा0कमि0– (कार्पो0स0) II लखनऊ	1	2008-09 (सितम्बर 2012)	28.43	59 से 119 दिन	56.86
15.	डि0कमि0 खण्ड–3 लखनऊ	1	2010-11(नवम्बर 2011)	51.72	8 दिन	103.43
16.	असि0कमि0 खण्ड–10 लखनऊ	1	2008-09(मार्च 2012)	5.11	7 से 13 दिन	10.23
17.	ज्वा0कमि0– (कार्पो0स0) मेरठ	1	2008-09 (जून 2012)	23.23	11 से 90 दिन	46.46
			2009-10 (फरवरी 2013)	92.65	5 से 115 दिन	185.30
18.	डि0कमि0 खण्ड–9 मुरादाबाद	1	2009-10 (मार्च 2012)	1.39	10 से 60 दिन	2.78
19.	असि0कमि0 खण्ड–1 नजीबाबाद	1	2007-08 (मई 2010)	7.19	84 से 157 दिन	14.38
			2007-08 (फरवरी 2011)	3.13	15 से 75 दिन	6.26
			2008-09 (अक्टूबर 2011)	11.97	9 से 191 दिन	23.94
20.	डि0कमि0 खण्ड–3 नोएडा	1	2008-09 (जून 2012)	14.64	9 से 101 दिन	29.29
		1	2008-09 (मई 2012)	10.58	8 दिन	21.16
21.	डि0कमि0 खण्ड–9 नोएडा	1	2009-10(फरवरी 2013)	4.61	6 दिन	9.22
22.	डि0कमि0 खण्ड–3 शाहजहांपुर	1	2008-09 (मार्च 2012)	1.25	22 दिन	2.50
23.	असि0कमि0 खण्ड–2 वाराणसी	1	2008-09 (जून 2012)	2.38	7 से 67 दिन	4.75
			2009-10 (मार्च 2013)	0.78	9 से 80 दिन	1.56
24.	असि0कमि0 खण्ड–19 वाराणसी	1	2008-09 (मार्च 2012)	7.76	12 से 13 दिन	15.53
	योग	**28**		**436.75**		**873.50**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट - XXIII

देशी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में कम दर से वृद्धि किया जाना

(संदर्भित प्रस्तर संख्या 3.4)

(₹ मे)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	विगत वर्ष का निर्धारित एम जी क्यू (2011–12) (बी एल में)	विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित एम जी क्यू (बी एल में)	वर्ष 2012–13 की आबकारी नीति के अनुसार विगत वर्ष (2011–12) के वास्तविक उठान पर छः प्रतिशत वृद्धि के पश्चात् न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (बी एल में)	कम व्यवस्थित मात्रा (बी एल में)	कम व्यवस्थित मात्रा में सन्निहित बेसिक लाईसेन्स फीस	कम व्यवस्थित मात्रा में सन्निहित लाईसेन्स फीस	योग
1	जि0 आ0 का0 आजमगढ़	50,51,810	53,49,672	53,54,919	5,247	1,15,434	8,34,273	9,49,707
2	जि0 आ0 का0 एटा	21,63,050	22,69,391	22,92,833	23,442	5,15,724	37,27,278	42,43,002
3	जि0 आ0 का0 इटावा	23,28,860	24,47,614	24,68,592	20,978	4,61,516	33,35,502	37,97,018
4	जि0 आ0 का0 कुशीनगर	32,66,710	34,12,751	34,62,713	49,962	10,99,164	79,43,958	90,43,122
5	जि0 आ0 का0 लखीमपुर खीरी	17,80,330	18,79,565	18,87,150	7,585	1,66,870	12,06,015	13,72,885
6	जि0 आ0 का0 प्रतापगढ़	16,58,426	17,55,800	17,57,932	2,132	46,904	3,38,988	3,85,892
	योग	**1,62,49,186**	**1,71,14,793**	**1,72,24,139**	**1,09,346**	**24,05,612**	**1,73,86,014**	**1,97,91,626**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXIV
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन
(सन्दर्भित प्रस्तर संख्या 5.5.1.1)

(₹ में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि वर्ग मी0 में	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
1	आगरा	उ नि I	657/11.02.13	569/05.02.13	1/3	3961	3960000	2200	8714200	8715000	7	610050	10000	620050	277500	10000	287500	332550
2	आगरा	उ नि I	5837/08.11.12	5450/25.10.11	146	2002	2010000	4000	8008000	8008000	7	560560	10000	570560	141000	10000	151000	419560
3	आगरा	उ नि III	6576/03.06.13	6073/22.05.13	1	2730.0	2184000	2000	5460000	5460000	7	382200	10000	392200	153000	10000	163000	229200
4	इलाहाबाद	उ नि II	633/28.01.13	580/24.01.13	1157	910	1070000	4000	3640000	3640000	7	254800	10000	264800	75000	10000	85000	179800
5	इलाहाबाद	उ नि II	7441/17.11.12	7423/16.11.12	325	588	554000	3500	2058000	2058000	7	134060	10000	144060	33300	10000	43300	100760
6	इलाहाबाद	उ नि II	8058/12.12.12	7904/05.12.12	325	4902	2322000	3500	17157000	17157000	7	1200990	10000	1210990	163100	10000	173100	1037890
7	इलाहाबाद	उ नि I	5633/28.09.12	5329/11.09.12	51	4560	1742000	2400	10944000	10944000	7	766080	10000	776080	121950	10000	131950	644130
8	इलाहाबाद	उ नि I	3928/16.07.13	407/24.01.13	59	1140	914000	2400	2736000	2736000	7	191520	10000	201520	64000	10000	74000	127520
9	इलाहाबाद	उ नि I	1152/02.03.13	361/12.07.12	80	1710	1052000	2400	4104000	4104000	7	287280	10000	297280	73700	10000	83700	213580
10	अम्बेदकर नगर	उ नि आलापुर	2347/23.11.2012	426/1-5-12	18	1580	261000	1800	2844000	2844000	4 एवं 5	132200	10000	142200	10450	5220	15670	126530
11	औरय्या	उ नि सदर	7973/15.10.13	7863/10.10.13	1055	1010	859000	6000	6060000	6060000	6 एवं 7	414200	10000	424200	51550	10000	61550	362650
12	आजमगढ़	उ नि सगड़ी	1586/15.04.13	4040/28.09.12	66	680	300000	5400	3672000	3672000	6 एवं 7	247040	10000	257040	18000	6000	24000	233040
13	आजमगढ़	उ नि मेहनगर	343 21.02.13	198/04.02.13	2327	13591	3945000	4350	59120850	59121000	5	2956042	20000	2976042	198000	20000	218000	2758042
14	आजमगढ़	उ नि मेहनगर	1781 22.10.12	221/09.02.12	2368/4	1777	1565000	4350	7729950	7730000	5	386497	10000	396497	78250	10000	88250	308247
15	आजमगढ़	उ नि सदर	4129/12.09.12	4133/12.09.12	377	955.8	1912000	4000	3823200	3824000	7	267680	10000	277680	133840	10000	143840	133840
16	बदांयूँ	उ नि सदर	6475/02.07.13	6468/02.07.13	66	3637.0	472875	1400	5091800	5092000	4 एवं 5	244600	10000	254600	19000	10000	29000	225600
17	बहराईच	उ नि कैसरगंज	9224/04.12.12	8599/06.11.12	421	1980.0	231220	1000	1980000	1980000	4 एवं 5	92900	20000	112900	11000	2320	13320	99580
18	बलरामपुर	उ नि सदर	997/28.0213	882/22.01.13	86	2430	800000	3600	8748000	8748000	5	437400	10000	447400	40000	10000	50000	397400
19	बलरामपुर	उ नि सदर	3689/27.08.13	3653/24.08.12	368	830	113000	1050	871500	872000	4	34880	10000	44880	4520	1130	5650	39230
20	बांदा	उ नि सदर	1370/07.03.13	7200/29.12.12	1248	1720	430000	3000	5160000	5160000	7	361200	10000	371200	30100	8600	38700	332500
21	बांदा	उ नि सदर	5011/30.07.13	6735/07.12.12	108	2760	134000	1200	3312000	3312000	4 एवं 5	155600	10000	165600	5400	1340	6740	158860
22	बांदा	उ नि अत्तर्रा	1870/26.06.13	1365/04.06.13	2634	1620	140000	2500	4050000	4050000	5	202500	10000	212500	7000	1400	8400	204100
23	बांदा	उ नि अत्तर्रा	1474/10.06.13	825/16.03.13	7535	660	323000	6200	4092000	4092000	6	245520	10000	255520	19380	6460	25840	229680
24	बांदा	उ नि नरैनी	1252/01.11.12	1098/03.09.12	379	2660	426000	11000	29260000	29260000	4 एवं 5	1453000	10000	1463000	17040	8540	25580	1437420
25	बांदा	उ नि नरैनी	717/1.1.13	1098/3.9.12	379	5326	851000	11000	58586000	58586000	5	2929300	10000	2939300	42550	10000	52550	2886750
26	बाराबंकी	उ नि सिरौली गौसपुर	2038/1.10.2012	1961/20-9-12	115	2313	625000	2500	5782500	5783000	5	289150	10000	299150	31250	10000	41250	257900
27	बाराबंकी	उ नि सदर	19212/08.11.13	1088/23.01.13	1838,	2605	5447000	5500	14327500	14328000	7	1002960	10000	1012960	384100	10000	394100	618860

(₹ में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि वर्ग मी0 में	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
					1839													
28	बाराबंकी	उ नि हैदरगढ़	2262/31.5.13	324/23.1.13	297	1900	396000	4000	7600000	7600000	5	380000	10000	390000	19800	7920	27720	362280
29	बाराबंकी	उ नि रामसनेही घाट	1916 04.06.13	1490/29.04.13	1681	1020	510000	7000	7140000	7140000	4 एवं 5	347000	10000	357000	20400	10000	30400	326600
30	बरेली	उ नि I	13193/23.11.12	12980/20.11.12	558	1383	1010000	2500	3457500	3458000	7	242060	10000	252060	71000	10000	81000	171060
31	बरेली	उ नि I	10533/14.09.12	10253/10.09.12	819	789.0	403000	2000	1578000	1578000	6 एवं 7	100460	10000	110460	24200	8060	32260	78200
32	बरेली	उ नि नवाबगंज	4207/07.06.13	2497/18.05.13	60	3770.0	189000	2500	9425000	9425000	4 एवं 5	461250	10000	471250	7570	1890	9460	461790
33	बस्ती	उ नि भानपुर	2167/30.09.13	2169/30.09.13	1693	4720.0	1835446	3000	14160000	14160000	4 एवं 5	698000	10000	708000	87000	10000	97000	611000
34	बुलन्दशहर	उ नि. सयाना	3924/16.04.13	951/24.01.13	108	760	391000	6600	5016000	5016000	5	250800	10000	260800	19550	7820	27370	233430
35	बुलन्दशहर	उ नि डिबाई	4204/26.06.12	3169/09.05.12	548	1884	745000	3500	6594000	6594000	5	329700	10000	339700	37250	10000	47250	292450
36	बुलन्दशहर	उ नि I	4111/05.07.13	1033/19.02.13	533	518	660000	5500	2849000	2849000	6 एवं 7	189430	10000	199430	39600	10000	49600	149830
37	चन्दौली	उ नि चकिया	727/26.03.12	729/26.03.12	251	9510.0	2118000	1000	9510000	9510000	4 एवं 5	465500	10000	475500	106000	10000	116000	359500
38	चित्रकूट	उ नि कर्वी	121/10.01.13	1302/20.04.12	232	700	275000	2600	1820000	1820000	6 एवं 7	117400	10000	127400	16500	5500	22000	105400
39	देवरिया	उ नि सदर	2410/25.3.13	2451/25.3.13	58	1135.0	1362000	3200	3632000	3632000	6 एवं 7	244240	10000	254240	85500	10000	95500	158740
40	फरूखाबाद	उ नि सदर	9576/23.10.13	4093/13.5.2013	38	880	616000	3000	2640000	2640000	6 एवं 7	174800	10000	184800	37000	10000	47000	137800
41	फिरोजाबाद	उ नि टुण्डला	2376/18.04.13 2378/18.04.13	1029/15.02.13	458	4246	2104000	3900	16559400	16560000	7	1159200	20000	1179200	148000	20000	168000	1011200
42	फिरोजाबाद	उ नि टुण्डला	1629/11.03.13	833/6.02.13	113	1540	252000	2000	3080000	3080000	5	154000	20000	174000	12600	20000	32600	141400
43	फिरोजाबाद	उ नि शिकोहाबाद	9488/23.09.13	6940/15.07.13	226	1620	681000	3300	5346000	5346000	7	374220	10000	384220	47700	10000	57700	326520
44	फिरोजाबाद	उ नि II	4381/24.07.13	3938/03.07.13	203	1783	951000	1600	2852800	2853000	6 एवं 7	189710	10000	199710	57100	10000	67100	132610
45	फिरोजाबाद	उ नि I	5284/16.05.13	4819/4.5.13	95	1044	619000	2000	2088000	2088000	7	146160	10000	156160	43400	10000	53400	102760
46	फिरोजाबाद	उ नि शिकोहाबाद	880/22.01.14	8311/12.08.13	1361	4047	1053000	3300	13355100	13356000	7	934920	10000	944920	74000	10000	84000	860920
47	जी बी नगर	उ नि III नोयडा	4289/19.09.13	3994/30.08.13	299 &300	1160	1624000	10000	11600000	11600000	5	580000	10000	590000	81500	10000	91500	498500
48	जी बी नगर	उ नि सदर	11779/22.05.13	5239/9313	57/4	28328	14448000	1700	48157600	48158000	5	2407900	10000	2417900	723000	10000	733000	1684900
49	जी बी नगर	उ नि नोयडा I	5714/22.11.12	2937/27.4.12	398	1333	1000000	8000	10664000	10664000	5	533200	10000	543200	50000	10000	60000	483200
50	जी बी नगर	उ नि नोयडा I	4530/13.09.13	3064/25.06.13	113	1256	1005000	10000	12560000	12560000	5	628000	10000	638000	50250	10000	60250	577750
51	जी बी नगर	उ नि I नोयडा	6013/15.12.12	6019/15.12.12	882	2949.0	2300000	8000	23592000	23592000	5	1179600	10000	1189600	115000	10000	125000	1064600
52	जी बी नगर	उ नि दादरी	13116/27.06.13	12982/27.06.13	501	3624.0	1812000	2500	9060000	9060000	4 एवं 5	443000	10000	453000	80700	10000	90700	362300
53	जी बी नगर	उ नि दादरी	13118/27.06.13	12982/27.06.13	501	3457.0	1729000	2500	8642500	8643000	5	432150	10000	442150	86500	10000	96500	345650
54	जी बी नगर	उ नि दादरी	13217/28.06.13	13232/28.06.13	246	960.0	1056000	5500	5280000	5280000	5	264000	10000	274000	53000	10000	63000	211000
55	गाजियाबाद	उ नि IV	45443/29.11.13	33178/23.07.13	962	2588	3067000	6500	16822000	16822000	5	841100	10000	851100	155600	10000	165600	685500
56	गाजियाबाद	उ नि V	7632/06.09.13	7635/06.09.2013	442	844.0	1270000	6500	5486000	5486000	7	384020	10000	394020	89000	10000	99000	295020

(₹ में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि वर्ग मी0 में	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
57	गोरखपुर	उ नि सहजनवा	1686/28.05.13	1524/13.05.13	650	1510.5	758000	2000	3021000	3021000	5	151050	10000	161050	38000	10000	48000	113050
58	गोरखपुर	उ नि सहजनवा	3730/24.12.12	3435/27.11.12	328	2020.0	566000	1500	3030000	3030000	5	151500	10000	161500	28300	10000	38300	123200
59	हाथरस	उ नि सदर	9900/31.12.13	8665/01.08.13	231	3660	1904000	2000	7320000	7320000	5	366000	10000	376000	95200	10000	105200	270800
60	हाथरस	उ नि सदर	7989/19.10.13	3538/01.08.13	57	2331	653000	2000	4662000	4662000	4 एवं 5	223150	20000	243150	27300	11130	38430	204720
61	हाथरस	उ नि सदर	7838/11.10.13	6337/22.09.13	773	1900	380000	700	1330000	1330000	4 एवं 5	56500	10000	66500	15200	7600	22800	43700
62	जौनपुर	SR केराकत	2142/9.07.12	1678/15.05.12	1329	850	340000	5000	4250000	4250000	5	212500	10000	222500	17000	6800	23800	198700
63	झाँसी	उ नि I	3280/29.05.13	702/28.01.13	295	7140	5832000	4000	28560000	28560000	7	1999200	10000	2009200	408500	10000	418500	1590700
64	झाँसी	उ नि मउरानीपुर	4961/9.7.13	303/17.1.13	409	320	40000	3500	1120000	1120000	5	56000	10000	66000	2000	400	2400	63600
65	झाँसी	उ नि मउरानीपुर	4962/9.7.13	303/17.1.13	409	650	80000	3500	2275000	2275000	5	113750	10000	123750	4000	800	4800	118950
66	झाँसी	उ नि मउरानीपुर	4963/9.7.13	303/17.1.13	409	1010	122000	3500	3535000	3535000	5	176750	10000	186750	6100	1220	7320	179430
67	झाँसी	उ नि मउरानीपुर	7217/21.09.13	50/03.01.13	474	1890.0	3404000	3500	6615000	6615000	5	330750	10000	340750	161300	10000	171300	169450
68	कन्नौज	उ नि सदर	4863/20.10.12	1494/12/04/12	1037	1073	530000	5600	6008800	6009000	7	420630	10000	430630	37100	10000	47100	383530
69	कानपुर देहात	उ नि सिकन्दरा	2313/04.10.12	729/04.10.12	14 & 16	10580.0	1640000	2800	29624000	29624000	5	1481200	10000	1491200	82000	10000	92000	1399200
70	कांशीराम नगर	उ नि सदर	3958/25.05.13	3905/23.05.13	70	1540	432000	4200	6468000	6468000	7	452760	10000	462760	30300	4360	34660	428100
71	कांशीराम नगर	उ नि पटियाली	84/04.01.13	77/03.01.13	333	1460.0	243000	2500	3650000	3650000	4 एवं 5	172500	10000	182500	9720	2450	12170	170330
72	कौशाम्बी	उ नि मझंनपुर	1937/22.06.13	1797/12.06.13	155	1090	158000	4300	4687000	4687000	4 एवं 5	224350	10000	234350	6358	1580	7938	226412
73	कौशाम्बी	उ नि. सिराथू	2534/27.11.12	1717/28.08.12	1942	5050	2412000	5500	27775000	27775000	4 एवं 5	1378750	10000	1388750	110600	10000	120600	1268150
74	लखनऊ	उ नि I	15462/21.08.12	14990/07.08.12	2/2	1000	2853000	1100	14424850	14425000	5	721250	10000	731250	142700	10000	152700	578550
	लखनऊ	उ नि I	15462/21.08.12	14990/07.08.12		17305	0	770	0	0		0	0	0	0	0	0	0
75	लखनऊ	उ नि मलिहाबाद	1530/24.04.13	26/04.01.13	465/2	775.0	240000	3000	2325000	2325000	5	116250	10000	126250	12000	2400	14400	111850
76	लखनऊ	उ नि V	14391/26.12.12	14419/26.12.22	153	2796.0	4194000	4000	11184000	11184000	7	782880	10000	792880	293600	10000	303600	489280
77	महोबा	उ नि कुलपहाड़	1056/19.04.12	168/24.01.12	780	2520	353000	1500	3780000	3780000	4 एवं 5	179000	10000	189000	14120	7060	21180	167820
78	मेरठ	उ नि सरधना	5968/16.4.13	5976/16.4.13	859	1330.0	1250000	6000	7980000	7980000	7	558600	10000	568600	87500	10000	97500	471100
79	मुज्जफरनगर	उ नि II	580/15.01.13	13261/20.11.12	161	1370.0	246600	2000	2740000	2740000	5	137000	10000	147000	12350	2470	14820	132180
80	प्रतापगढ़	उ नि सदर	3313/3.9.2013	4540/9.11.2012	144	1730	1068000	3500	6055000	6055000	7	423850	10000	433850	75000	10000	85000	348850
81	रायबरेली	उ नि सदर	8939/26.12.13	8634/13.12.13	517	2150	658000	5200	11180000	11180000	7	782600	10000	792600	90500	10000	100500	692100
82	रामपुर	उ नि सदर	610/30.01.13	7500/13.12.12	227	737.4	282000	4000	2949600	2950000	7	206500	10000	216500	19750	5640	25390	191110
83	रामपुर	उ नि टाण्डा	3546/9.10.13	7687/18.10.12	375	20085.0	6600000	1300	26110500	26111000	5	1305550	10000	1315550	330100	10000	340100	975450
84	रामपुर	उ नि टाण्डा	137/9.1.13	136/9.1.13	386	7300.0	2481000	7000	51100000	51100000	5	2555000	10000	2565000	124150	10000	134150	2430850
85	सीतापुर	उ नि लहरपुर	8213/28.11.13	6658/21.09.13	431	2590	570000	3500	9065000	9065000	5	453250	10000	463250	28500	10000	38500	424750
86	सीतापुर	उ नि लहरपुर	8572/11.12.13	6658/21.09.13	431	1300	286716	3500	4550000	4550000	5	227500	10000	237500	14300	5720	20020	217480

(₹ में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख की संख्या तथा निष्पादन तिथि	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि वर्ग मी0 में	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	आरोपणीय निबंधन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबंधन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	अन्तर
87	सोनभद्र	उ नि दुद्धी	1138/12.06.13	344/21.02.13	577	2709	1667400	4600	12461400	12462000	7	872340	10000	882340	117000	10000	127000	755340
88	सोनभद्र	उ नि घोरावल	2342/4.9.2013	2341/4.09.2013	247	7620	899000	1100	8382000	8382000	4 एवं 5	409100	10000	419100	36000	10000	46000	373100
89	सोनभद्र	उ नि सदर	642/28.01.14	639/28.01.14	242	2530.0	1775000	2400	6072000	6072000	4 एवं 5	293600	10000	303600	79000	10000	89000	214600
90	उन्नाव	उ नि बीघापुर	965/6.5.2013	1093/25-6-12	47	2530	381000	1400	3542000	3542000	5	177100	10000	187100	19050	7620	26670	160430
91	उन्नाव	उ नि सफीपुर	2819/24.6.2013	2779/25-6-13	548	2280	479000	2500	5700000	5700000	5	285000	10000	295000	24000	9580	33580	261420
92	उन्नाव	उ नि पुरवा	2736/06.09.12	2684/01.09.12	548	3030	967000	1800	5670000	5670000	5	283500	10000	293500	48500	10000	58500	235000
93	उन्नाव	उ नि सदर	3312/8.03.13	3247/7.03.13	2905	660	1254000	5600	3696000	3696000	7	258720	10000	268720	87900	10000	97900	170820
94	वाराणसी	उ नि IV	6186/09.11.12	6166/08.11.12	116	1010.0	1455000	3100	3131000	3131000	7	219170	10000	229170	102000	10000	112000	117170
95	वाराणसी	उ नि पिण्डरा	3169/03.10.12	2691/24.08.12	1160	1260	2772000	6960	8769600	8770000	4 एवं 5	428500	10000	438500	128600	10000	138600	299900
96	वाराणसी	उ नि II	7686/18.10.12	7687/18.10.12	1130	1000.0	1910000	5000	5000000	5000000	7	350000	10000	360000	133700	10000	143700	216300
97	वाराणसी	उ नि I	506/28.01.13	490/28.01.13	245	1050.0	945000	3300	3465000	3465000	6 एवं 7	232550	10000	242550	56700	10000	66700	175850
						293127.7	**135205257**		**921163150**	**921172000**		**51118179**	**1020000**	**52138179**	**7798698**	**849030**	**8647728**	**43490451**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

सूचनाः उप निबंधक पुरवा सम्पत्ति के मूल्य में ₹ 6,000 प्रति पेड़ की दर से 36 पेड़ का मूल्य शामिल है।
सूचनाः उप निबंधक सगड़ी आजमगढ में लेखपत्र संख्या 1,337 की भूमि कार्नर में होने के कारण 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी।

परिशिष्ट–XXV

बिना खनिज योजना के उपखनिजों का उत्खनन (पत्थर के पट्टे)

(संदर्भ प्रस्तर सं0 6.4.1.1 प्रथम बुलेट)

(₹ में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	खनिजों का नाम	प्रकरणों की संख्या	पट्टा अवधि	उत्खनन की अवधि	उत्खनित/परिवहित मात्रा घन मी0 में	अदा रायल्टी	खनिज मूल्य
1	चित्रकूट	पत्थर	4	29.12.11 से 28.12.21 24.12.11 से 23.12.21 24.09.11 से 23.09.21 29.12.11 से 28.12.16	जनवरी 2012 से दिसम्बर 2013	18,504	11,19,456	55,97,280
		ग्रेनाइट गिट्टी एवं पटिया	4	02.02.05 से 01.02.15 08.03.06 से 07.03.16 05.01.17 से 04.01.17 22.10.11 से 21.10.21	जनवरी 2005 से सितम्बर 2013	48,968	28,02,710	1,40,13,550
2	मिर्जापुर	गिट्टी, बोल्डर एवं पटिया	7	05.01.10 से 04.01.15 02.02.10 से 01.02.15 01.11.11 से 31.10.21 21.07.09 से 20.07.14 26.05.11 से 25.05.21 26.08.11 से 25.08.21 23.03.10 से 22.03.15	नवम्बर 2012 से मार्च 2014	52,457	37,72,914	1,88,64,570
		सैण्ड स्टोन, बोल्डर एवं साइज्ड डायमन्शनल स्टोन	4	14.11.11 से 13.11.21 26.05.11 से 25.05.21 21.11.09 से 20.11.14 14.03.12 से 13.03.22	नवम्बर 2012 से अक्टूबर 2013	62,055	43,42,464	2,17,12,320
3	झाँसी	गिट्टी	5	02.12.08 से 01.12.18 28.03.05 से 27.03.15 11.12.07 से 10.12.17 14.02.07 से 13.02.17 09.12.07 से 08.12.17	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	4,23,797	3,49,99,396	17,49,96,980
		पत्थर	10	15.05.10 से 14.05.20 14.12.09 से 13.12.19 14.12.09 से 13.12.19 14.12.09 से 13.12.19 31.05.10 से 30.05.20	अक्टूबर 2009 से जून 2013	2,39,950	1,82,83,500	9,14,17,500

(₹ में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	खनिजों का नाम	प्रकरणों की संख्या	पट्टा अवधि	उत्खनन की अवधि	उत्खनित/परिवहित मात्रा घन मी0 में	अदा रायल्टी	खनिज मूल्य
				15.05.10 से 14.05.20 16.10.09 से 15.10.19 22.11.03 से 21.11.13 18.06.08 से 17.06.18 22.11.03 से 21.11.13				
4	ललितपुर	ग्रेनाइट, साइज्ड डायमन्शनल स्टोन एवं सैण्ड पत्थर	5	04.05.11 से 03.05.26 15.02.01 से 14.02.16 14.12.11 से 13.12.21 14.12.11 से 13.12.21 01.12.11 से 30.11.21	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	5,835	71,65,285	3,58,26,425
5	सोनभद्र	सैण्ड स्टोन	1	08.02.10 से 07.02.20	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	1,12,325	87,38,850	4,36,94,250
योग			**40**			**9,63,891**	**8,12,24,575**	**40,61,22,875**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXVI

बिना खनिज योजना के उपखनिजों का उत्खनन (बालू के पट्टे)

(संदर्भ प्रस्तर सं0 6.4.1.1 द्वितीय बुलेट)

(₹ में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	खनिजों के नाम	प्रकरणो की संख्या	अवधि	उत्खनन/परिवहन की मात्रा घन मी0 में	अदा रायल्टी	खनिज मूल्य
1	बॉदा	बालू/मोरम	2	अप्रैल 2013 से मार्च 2014	42,900	32,17,500	1,60,87,500
2	चित्रकूट	बालू/मोरम	4	अप्रैल 2013 से मार्च 2014	1,49,428	1,12,07,100	5,60,35,500
3	जालौन	बालू/मोरम	16	अप्रैल 2013 से मार्च 2014	12,59,523	9,44,64,225	47,23,21,125
4	झॉसी	बालू/मोरम	2	अप्रैल 2013 से मार्च 2014	55,350	41,51,250	2,07,56,250
5	ललितपुर	बालू/मोरम	4	अप्रैल 2013 से मार्च 2014	5,600	4,20,000	21,00,000
6	मिर्जापुर	बालू/मोरम	6	अप्रैल 2013 से मार्च 2014	18,070	5,96,310	29,81,550
7	सोनभद्र	बालू/मोरम	10	अप्रैल 2013 से मार्च 2014	9,15,050	6,86,28,750	34,31,43,750
योग			**44**		**24,45,921**	**18,26,85,135**	**91,34,25,675**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXVII
खनन योजना के नवीनीकरण के बिना खनिजो का उत्खनन
(संदर्भ प्रस्तर सं0 6.4.1.2)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	खनिज का नाम	प्रकरणों की संख्या	पट्टा अवधि	खनिज योजना के नवीनीकरण की नियत तिथि	उत्खनन की अवधि	खनिज योजना के नवीनीकरण के बिना कुल उत्खनन (घन मी0 में)	दरों के पुनरीक्षण के पूर्व* उत्खनन की मात्रा (घन मी0 में)	दरों के पुनरीक्षण के पश्चात** उत्खनन की मात्रा (घन मी0 में)	अदा रायल्टी	खनिज का मूल्य
1	बॉदा	गिट्टी / मोरम	6	27.06.08 से 26.06.18 22.10.09 से 21.10.19 01.08.06 से 31.07.16 03.02.07 से 02.02.17 23.06.06 से 22.06.16 23.08.08 से 22.08.18	09.07.11 21.10.12 18.12.12 15.02.10 29.06.09 20.04.12	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	48,975	30,150	18,825	21.11	105.56
2	चित्रकूट	गिट्टी	5	05.01.07 से 04.01.17 27.03.10 से 26.03.20 10.01.08 से 09.01.18 22.12.09 से 21.12.19 16.11.09 से 15.11.19	13.01.14 09.07.13 25.06.12 09.06.13 09.06.13	जुलाई 2012 से मार्च 2014	39,774	2,853	37,821	28.60	143.00
3	जालौन	गिट्टी	2	13.12.06 से 12.12.16 13.12.06 से 12.12.16	08.04.12 08.04.12	जून 2013 से मार्च 2014	3,300	0	3,300	0.34	1.68
4	झॉसी	गिट्टी	8	17.06.15 से 16.06.15 07.02.06 से 06.02.16 31.07.06 से 30.07.16 05.12.06 से 04.12.16 10.05.05 से 09.05.15 31.05.04 से 30.05.14 18.01.06 से 17.01.16 25.01.07 से 24.01.17	12.08.08 29.06.09 28.09.09 01.03.10 12.08.08 13.02.09 27.06.09 28.06.10	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	2,59,936	1,20,045	1,39,891	224.32	1,121.60
5	महोबा	गिट्टी	6	17.12.07 से 16.12.17 28.08.09 से 27.08.19 07.05.10 से 06.05.20 25.09.05 से 24.09.15 03.01.07 से 02.01.17 23.11.05 से 22.11.15	01.03.11 08.01.13 29.09.13 20.04.12 29.09.13 07.08.13	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	2,30,700	20,700	2,10,000	228.28	1,141.38

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	खनिज का नाम	प्रकरणों की संख्या	पट्टा अवधि	खनिज योजना के नवीनीकरण की नियत तिथि	उत्खनन की अवधि	खनिज योजना के नवीनीकरण के बिना कुल उत्खनन (घन मी0 में)	दरों के पुनरीक्षण के पूर्व* उत्खनन की मात्रा (घन मी0 में)	दरों के पुनरीक्षण के पश्चात** उत्खनन की मात्रा (घन मी0 में)	अदा रायल्टी	खनिज का मूल्य
6	सोनभद्र	गिट्टी	12	26.02.07 से 25.02.17 04.01.07 से 03.01.17 30.08.07 से 29.08.17 05.02.07 से 04.02.17 20.02.07 से 19.02.17 03.03.07 से 02.03.17 19.05.07 से 18.05.17 04.01.07 से 03.01.17 21.02.07 से 20.02.17 28.11.06 से 27.11.16 25.08.07 से 24.08.17 15.05.07 से 14.05.17	30.07.10 15.02.10 31.12.10 05.07.10 17.05.10 09.07.10 01.01.14 31.05.13 01.10.13 31.12.13 01.01.14 22.02.12	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	9,75,787	4,65,875	5,09,912	836.91	4,184.53
	योग	**गिट्टी/ मोरम**	**39**			**अप्रैल 2011 से मार्च 2014**	**1558472**	**639623**	**919749**	**1,339.56**	**6,697.75**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

* बालू पत्थर गिट्टी ₹ 48/– प्रति घन मीटर की दर से, बोल्डर ₹ 45/– प्रति घन मीटर की दर से, पटिया ₹ 270/– प्रति घन मीटर की दर से मिर्जापुर के लिये, ग्रेनाइट गिट्टी ₹ 68/– प्रति घन मीटर की दर से, लाल मोरम ₹ 24/– प्रति घन मीटर की दर से, बॉदा, झॉसी, ललितपुर, महोबा व सोनभद्र के लिये

** बालू पत्थर गिट्टी ₹ 72/ प्रति घन मीटर की दर से, बोल्डर ₹ 68/– प्रति घन मीटर की दर से, पटिया ₹ 405/– प्रति घन मीटर की दर से मिर्जापुर के लिये ग्रेनाइट गिट्टी ₹ 102/– प्रति घन मीटर की दर से, लाल मोरम ₹ 36/– प्रति घन मीटर की दर से, बॉदा, झॉसी, ललितपुर, महोबा व सोनभद्र के लिये

परिशिष्ट–XXVIII

अतिरिक्त उत्खनन

(संदर्भ प्रस्तर सं0 6.4.1.3)

(₹ लाख मे)

क्र0 सं0	जिले का नाम	पट्टा धारक का नाम	पट्टे की अवधि	खनन योजना की वैधता	खनन योजना के अनुसार कुल संरक्षित खनिज (घन मी0 में)	खनन योजना की अवधि जिसमें खनिजों का उत्खनन किया गया	खनन योजना की अवधि में कुल उत्खनन (घन मी0में)	खनन योजना की अवधि में अनुमोदित उत्खनन (घन मी0 में)	अनुमन्य खनन योजना के अतिरिक्त उत्खनन (घन मी0 में)	दरों के पुनरीक्षण के पूर्व* उत्खनन की मात्रा (घन मी0 में)	दरों के पुनरीक्षण के पश्चात** उत्खनन की मात्रा (घन मी0 में)	खनिज मूल्य
1	बाँदा	शैलेन्द्र सिंह	17/8/09 से 16/8/19	06/10/09 से 05/10/12	1,31,928 (26 वर्ष) 5,000 प्रति वर्ष	06.04.11 से 26.09.11	31,954	5,000	26,954	26,954	0	91.64
						14.10.11 से 19.09.12	1,14,968	5,000	1,09,968	1,09,968	0	373.89
2	झाँसी	तेज सिंह	01.10.09 से 30.09.19	25.10.11 से 24.10.14	9,18,111(30 वर्ष) प्रतिवर्ष 30,000 घन मी0	08.11.11 से 08.10.12	50,900	30,000	20,900	20,900	0	71.06
						30.10.12 से 11.10.13	77,500	30,000	47,500	0	47,500	242.25
						03.12.13 से 31.03.14	34,350	30,000	4,350	0	4,350	22.19
3		श्रीमती देव वती	15.05.10 से 14.05.20	11.11.11से 10.11.14	25,943(10 वर्ष) प्रति वर्ष 2,500 घन मी0	14.11.11 से 20.03.12	8,100	2,500	5,600	5,600	0	19.04
						23.02.13 से 19.10.13	8,250	2,500	5,750	0	5,750	29.33
						30.01.14 से 31.03.14	9,900	2,500	7,400	0	7,400	37.74
4		संजय कुमार गुप्ता	16.10.2009 से 15.10.2019	14.11.2011 से 13.11.2014	81,480 (10 वर्ष) प्रति वर्ष 12,000 घन मी0	14.11.2011 से 13.11.2012	20,400	12,000	8,400	8,400	0	28.56
5		एस0के0 सिंह	22.11.2003 से 21.11.2013	17.02.2010 से 16.02.2013	2,05,056 (10 वर्ष) प्रतिवर्ष 8,000 घन मी0	17-02-2010 से 16-02-2011	26,300	8,000	18,300	18,300	0	62.22
			22.11.2003 से 21.11.2013	17-02-2010 से 16-02-2013		17-02-2011 से 16-02-2012	22,200	8,000	14,200	14,200	0	48.28
			22.11.2003 से 21.11.2013	17-02-2010 से 16.02.2013		17-02-2012 से 16.02.2013	12,550	8,000	2,600	1,,950	4,550	18.79
6		ए0के0 आनंदानी	18.06..2008 से 17.06.2018	25.10.2011 से 24.10.2014	2,20,517 (10 वर्ष) 20,000 प्रति	25.10.2011 से 24.10.2012	53,350	20,000	33,350	33,350	0	113.39
			18.06.2008 से	25.10.2011 से		25.10.2012	28,150	20,000	8,150	0	8,150	41.57

(₹ लाख मे)

क्र0 सं0	जिले का नाम	पट्टा धारक का नाम	पट्टे की अवधि	खनन योजना की वैधता	खनन योजना के अनुसार कुल संरक्षित खनिज (घन मी0 में)	खनन योजना की अवधि जिसमें खनिजों का उत्खनन किया गया	खनन योजना की अवधि में कुल उत्खनन (घन मी0में)	खनन योजना की अवधि में अनुमोदित उत्खनन (घन मी0 में)	अनुमन्य खनन योजना के अतिरिक्त उत्खनन (घन मी0 में)	दरों के पुनरीक्षण के पूर्व* उत्खनन की मात्रा (घन मी0 में)	दरों के पुनरीक्षण के पश्चात** उत्खनन की मात्रा (घन मी0 में)	खनिज मूल्य
			17.06.2018	24.10.2014	वर्ष	लेखापरीक्षा तिथि तक						
7		अमित सिंह	22.11.2003 से 21.11.2013	17.02.2010 से 16.02.2013	2,41,961 (10 वर्ष) 15,000 प्रति वर्ष	17-02-2010 से 16-02-2011	23,050	15,000	8,050	8,050	0	27.37
			22.11.2003 से 21.11.2013	17.02.2010 से 16.02.2013		17-02-2011 से 16-02-2012	32,350	15,000	17,350	17,350	0	58.99
			22.11.2003 से 21.11.2013	17.02.2010 से 16.02.2013		17-02-2012 से 16-02-2013	53,300	15,000	38,300	21,400	16,900	158.95
8	महोबा	अरविंद सिंह प्रो0 समता ग्रेनाइट	18/08/2006 से 17/08/2016	26.03.2012 से 25.03.2015	75,099 (10 वर्ष) 7,000 प्रति वर्ष	15.04.13 से 27.11.13	12,300	7,000	5,300	0	5,300	27.03
9	मिर्जापुर	श्रीमी पूनम मिश्रा	28.02.12 से 27.02.22	27.06.12 से 26.06.15	13,554 (6.8 वर्ष) 2,000 प्रति वर्ष	26.07.13 से 29.03.14	11,457	2,000	9,457	0	9,457	34.61
10		श्रीमती गायत्री देवी	23.02.12 से 22.02.22	22.06.12 से 21.06.15	20,129 (10 वर्ष) 2,000 प्रति वर्ष	03.10.12 से 19.06.13	8,730	2,000	6,730	292	6,438	31.25
						26.06.13 से 21.03.14	3,880	2,000	1,880	0	1,880	10.76
11		श्री तुषार श्रीवास्तव	29.12.11 से 28.12.16	05.03.12 से 04.03.15	57,801 (7.2 वर्ष) 8,000 प्रति वर्ष	12.06.13 से 07.02.14	24,980	8,000	16,980	0	16,980	89.74
12	ललितपुर	अतुल शर्मा	04.10.2009 से 03.10.2024	16.09.2010 से 15.09.2013	2,314 (23 वर्ष)	01.04.11 से 30.09.11	679	100	579	579	0	54.37
						01.10.11 से 30.09.12	709	100	609	609	0	10.45
						01.10.12 से 30.09.13	3,219	100	3,119	155	2,964	330.98
13		श्रीमती नेहा शर्मा	28.03.2010 से 27.03.2020	16.09.2010 से 15.09.2013	16,836 (16 वर्ष)	01.10.11 से 30.09.12	3,615	1,050	2,565	2,565	0	207.13
						01.10.12 से 30.09.13	3,683	1,050	2,633	0	2,633	296.61

(₹ लाख मे)

क्र0 सं0	जिले का नाम	पट्टा धारक का नाम	पट्टे की अवधि	खनन योजना की वैधता	खनन योजना के अनुसार कुल संरक्षित खनिज (घन मी0 में)	खनन योजना की अवधि जिसमें खनिजों का उत्खनन किया गया	खनन योजना की अवधि में कुल उत्खनन (घन मी0में)	खनन योजना की अवधि में अनुमोदित उत्खनन (घन मी0 में)	अनुमन्य खनन योजना के अतिरिक्त उत्खनन (घन मी0 में)	दरों के पुनरीक्षण के पूर्व* उत्खनन की मात्रा (घन मी0 में)	दरों के पुनरीक्षण के पश्चात** उत्खनन की मात्रा (घन मी0 में)	खनिज मूल्य
14	सोनभद्र	उस्मान अली	13.12.10 से 12.12.20	28.01.11से 27.01.14	47,442(9 वर्ष)	25.05.11 से 31.12.11	32,500	5,000	27,500	27,500	0	93.50
						19.10.12 से 16.01.13	6,700	5,000	1,700	0	1,700	8.67
						01.02.13 से 30.12.13	20,875	5,000	15,875	0	15,875	80.96
15		इम्तियाज अहमद	13.12.10 से 12.12.20	28.01.11से 27.01.14	31,322 (5 वर्ष)	31.12.11	6,700	6,000	700	700	0	2.38
						13.02.13 से 30.12.13	22,725	6,000	16,725	0	16,725	85.30
16		मैसर्स शारदा कन्सट्रक्शन	17.12.11 से 16.12.21	21.01.12 से 20.02.15	59,892 (12 वर्ष)	15.05.12 से 11.01.13	9,775	5,000	4,775	0	4,775	24.35
						22.01.13 से 13.01.14	2,24,213	5,000	2,19,213	0	2,19,213	1,117.99
						31.01.14	9,750	5,000	4,750	0	4,750	24.23
17		मैसर्स ओबरा स्टोन	05.02.11 से 04.02.21	09.03.11 से 08.03.14	30,949 (7 वर्ष)	31.03.11 से 31.10.11	32,500	4,000	28,500	28,500	0	96.90
18		सी0एस0 इन्फ्रा कन्सट्रक्शन	13.03.10 से 12.03.20	16.07.2010 से 15.07.2013	44,778 (10 वर्ष)	04.05.11 से 28.05.11	52,000	4,500	47,500	47,500	0	161.50
						04.08.11 से 23.05.13	92,300	4,500	87,800	72,200	15,600	325.04
						23.07.13 से 13.01.14	28,325	4,500	23,825	0	23,825	121.51
		योग					**12,19,187**	**3,11,400**	**9,05,837**	**4,67,022**	**4,42,715**	**4,680.52**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

* बालू पत्थर गिट्टी ₹ 48/– प्रति घन मीटर की दर से, बोल्डर ₹ 45– प्रति घन मीटर की दर से, पटिया ₹ 270/– प्रति घन मीटर की दर से मिर्जापुर के लिये ग्रेनाइट गिट्टी ₹ 68/– प्रति घन मीटर की दर से बॉदा, झासी, ललितपुर ,महोबा एवं सोनभद्र के लिये

** बालू पत्थर गिट्टी ₹ 72/– प्रति घन मीटर की दर से, बोल्डर ₹ 68– प्रति घन मीटर की दर से, पटिया ₹ 405/– प्रति घन मीटर की दर से मिर्जापुर के लिये ग्रेनाइट गिट्टी ₹ 102/– प्रति घन मीटर की दर से बॉदा, झॉसी, ललितपुर ,महोबा व सोनभद्र के लिये

* ग्रेनाइट ब्लाक ₹ 1800/– प्रति घन मीटर की दर से एवं ग्रेनाइट खन्डा ₹ 1200/– प्रति घन मीटर की दर से, ललितपुर जिले के लिये

** ग्रेनाइट ब्लाक ₹ 2700/– प्रति घन मीटर की दर से एवं ग्रेनाइट खन्डा ₹ 1800/– प्रति घन मीटर की दर से, ललितपुर जिले के लिये

परिशिष्ट–XXIX

ईट भट्टा मालिको से रायल्टी, अनुज्ञापत्र फीस एवं ब्याज की वसूली न किया जाना

(संदर्भ प्रस्तर सं0 6.6)

(₹ में)

क्र0 सं0	जिले का नाम	श्रेणी	ईट भट्टों की संख्या	रायल्टी	देय परमिट शुल्क	ब्याज की देय तिथि	लेखापरीक्षा की तिथि	दिनों की संख्या	08.12.2012 से लेखापरीक्षा तिथि तक ब्याज	कुल धनराशि
1	अलीगढ़	अ	22	16,68,600	44,000	12/08/2012	15/02/2014	552	6,05,633	23,18,233
2	बदायूँ	अ	6	4,40,100	12,000	12/08/2012	05/08/2013	358	1,03,598	5,55,698
3	बाराबंकी	ब	65	39,27,150	1,30,000	12/08/2012	17/01/2014	523	13,50,509	54,07,659
4	बरेली	अ	14	10,77,300	28,000	12/08/2012	18/06/2013	310	2,19,592	13,24,892
5	बिजनौर	अ	37	27,25,650	74,000	12/08/2012	13/11/2013	458	8,20,831	36,20,481
6	बुलन्दशहर	अ	50	38,47,500	10,0,000	12/08/2012	29/05/2013	290	7,33,660	46,81,160
7	जालौन	ब	3	1,68,750	6,000	12/08/2012	06/08/2013	359	39,834	2,14,584
8	कानपुर नगर	अ	28	21,16,800	56,000	12/08/2012	23/08/2013	376	5,23,343	26,96,143
9	कौशाम्बी	ब	23	13,54,050	46,000	12/08/2012	15/07/2013	337	3,00,043	17,00,093
10	लखनऊ	अ	17	13,08,150	34,000	12/08/2012	15/07/2013	337	2,89,872	16,32,022
11	मुरादाबाद	अ	63	49,72,050	12,6,000	12/08/2012	13/06/2013	305	9,97,134	60,95,184
12	मुजफ्फ्रनगर	अ	31	25,44,750	62,000	12/08/2012	29/05/2013	290	4,85,245	30,91,995
13	रामपुर	अ	45	35,84,250	90,000	12/08/2012	25/11/2013	470	11,07,681	47,81,931
14	उन्नाव	ब	8	4,77,900	16,000	12/08/2012	15/07/2013	337	1,05,897	5,99,797
योग			**412**	**3,02,13,000**	**8,24,000**				**76,82,874**	**3,87,19,874**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXX

शासनादेश का अधिनियम/नियमो के अनुरूप न होना

(संदर्भ प्रस्तर सं0 6.11)

(₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	रायल्टी अदा करने की अवधि	अदा रायल्टी	खनिज का देय मूल्य	देय अर्थदण्ड
1	जि0खा0का0 अलीगढ़	51	जुलाई 2013	40,03,027	2,00,15,135	12,75,000
2	जि0खा0का0 इलाहाबाद	8	दिसम्बर 2013	3,80,480	19,02,400	2,00,000
3	जि0खा0का0 बागपत	22	मार्च 2013	7,63,299	38,16,495	5,50,000
4	जि0खा0का0 बॉदा	25	सितम्बर 2013	34,97,302	1,74,86,510	6,25,000
5	जि0खा0का0 गौतम बुद्व नगर	6	मई 2013 से जून 2013	15,70,645	78,53,225	1,50,000
6	जि0खा0का0 जालौन	41	जनवरी 2013	16,98,171	84,90,855	10,25,000
7	जि0खा0का0 झॉसी	24	फरवरी 2013	18,24,323	91,21,615	6,00,000
8	जि0खा0का0 लखनऊ	2	जून 2013	30,22,000	1,51,10,000	50,000
9	जि0खा0का0 सहारनपुर	9	ज्नवरी 2013 से अगस्त 2013	17,24,417	86,22,085	2,25,000
10	जि0खा0का0 सिद्वार्थ नगर	33	अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2013	82,50,299	4,12,51,495	8,25,000
	योग	**221**		**2,67,33,963**	**13,36,69,815**	**55,25,000**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट–XXXI

अनुदान स्कीम की शर्तों के उल्लंघन पर राजस्व की वसूली न किया जाना

(संन्दर्भ प्रस्तर सं0 6.16.2)

								(₹ में)
जि0 म0 क0 का0 मैनपुरी								
क्र0सं0	माह का नाम	देय ब्याज (माह तक)	दर्शकों की संख्या	सिनेमा मालिक द्वारा वसूल किया गया मनोरंजन कर	माहों की संख्या जिसका ब्याज देय है (जून 2014 तक)	आरोपणीय ब्याज (प्रथम तीन माह 1.5 प्रतिशत एवं आगे 2 प्रतिशत)	जून 2014 तक आरोपणीय ब्याज	वसूली होने योग्य देय कुल धनराशि
1	अक्टूबर–05	जून 2014	2,862	10,089	106	210.5	21,,237	31,,326
2	नवम्बर–05	जून 2014	2,930	10,460	105	208.5	21,809	32,269
3	दिसंम्बर–05	जून 2014	2,694	9,618	104	206.5	19,861	29,479
4	जनवरी–06	जून 2014	2,630	9,389	103	204.5	19,201	28,590
5	फरवरी–06	जून 2014	2,524	9,011	102	202.5	18,247	27,258
6	मार्च–06	जून 2014	2,570	9,175	101	200.5	18,396	27,571
7	अप्रैल–06	जून 2014	2,472	8,825	100	198.5	17,518	26,343
8	मई–06	जून 2014	5,748	20,521	99	196.5	40,324	60,845
9	जून–06	जून 2014	3,312	11,824	98	194.5	22,998	34,822
10	जुलाई–06	जून 2014	3,094	11,046	97	192.5	21,264	32,310
11	अगस्त–06	जून 2014	3,044	10,867	96	190.5	20,702	31,569
12	सितंम्बर–06	जून 2014	2,660	9,497	95	188.5	17,902	27,399
13	अक्टूबर –06	जून 2014	2,342	8,361	94	186.5	15,593	23,954
14	नवंम्बर–06	जून 2014	2,316	8,269	93	184.5	15,256	23,525
15	दिसम्बर–06	जून 2014	2,184	7,797	92	182.5	14,230	22,027
16	जनवरी–07	जून 2014	1,950	6,962	91	180.5	12,566	19,528
17	फरवरी–07	जून 2014	2,350	8,390	90	178.5	14,976	23,366
18	मार्च–07	जून 2014	2,100	7,497	89	176.5	13,232	20,729
19	अप्रैल–07	जून 2014	1,820	6,498	88	174.5	11,339	17,837
20	मई–07	जून 2014	2,070	7,763	87	172.5	13,391	21,154

								(₹ में)
जि0 म0 क0 का0 मैनपुरी								
क्र0सं0	माह का नाम	देय ब्याज (माह तक)	दर्शकों की संख्या	सिनेमा मालिक द्वारा वसूल किया गया मनोरंजन कर	माहों की संख्या जिसका ब्याज देय है (जून 2014 तक)	आरोपणीय ब्याज (प्रथम तीन माह 1.5 प्रतिशत एवं आगे 2 प्रतिशत)	जून 2014 तक आरोपणीय ब्याज	वसूली होने योग्य देय कुल धनराशि
21	जून–07	जून 2014	2,480	9,300	86	170.5	15,857	25,157
22	जुलाई–07	जून 2014	2,690	10,088	85	168.5	16,998	27,086
23	अगस्त–07	जून 2014	2,204	7,869	84	166.5	13,102	20,971
24	सितंम्बर–07	जून 2014	2,470	8,818	83	164.5	14,506	23,324
25	अक्टूबर –07	जून 2014	1,790	6,391	82	162.5	10,385	16,776
26	नवंम्बर–07	जून 2014	2,380	8,497	81	160.5	13,638	22,135
27	दिसम्बर–07	जून 2014	2,030	7,248	80	158.5	11,488	18,736
28	जनवरी–08	जून 2014	2,180	7,,783	79	156.5	12,180	19,963
29	फरवरी–08	जून 2014	1,800	6,426	78	154.5	9,928	16,354
30	मार्च–08	जून 2014	2,082	7,433	77	152.5	11,335	18,768
31	अप्रैल–08	जून 2014	2,320	8,283	76	150.5	12,466	20,749
32	मई–08	जून 2014	2,250	8,038	75	148.5	11,936	19,974
33	जून–08	जून 2014	2,254	8,047	74	146.5	11,789	19,836
34	जुलाई–08	जून 2014	1,710	6,105	73	1445	8,822	14,927
35	अगस्त–08	जून 2014	2,130	7,604	71	140.5	10,684	18,288
36	सितंम्बर–08	जून 2014	1,845	6,587	70	138.5	9,123	15,710
37	अक्टूबर –08	जून 2014	1,252	4,470	69	136.5	6,102	10,572
38	नवंम्बर–08	जून 2014	1,170	4,177	68	134.5	5,618	9,795
39	दिसंम्बर–08	जून 2014	1,456	5,198	67	132.5	6,887	12,085
40	जनवरी–09	जून 2014	1,235	4,409	66	130.5	5,754	10,163
41	फरवरी–09	जून 2014	1,346	4,948	65	128.5	6,358	11,306
42	मार्च–09	जून 2014	1,303	4,652	64	126.5	5,885	10,537

(₹ में)

जि0 म0 क0 का0 मैनपुरी

क्र0सं0	माह का नाम	देय ब्याज (माह तक)	दर्शकों की संख्या	सिनेमा मालिक द्वारा वसूल किया गया मनोरंजन कर	माहों की संख्या जिसका ब्याज देय है (जून 2014 तक)	आरोपणीय ब्याज (प्रथम तीन माह 1.5 प्रतिशत एवं आगे 2 प्रतिशत)	जून 2014 तक आरोपणीय ब्याज	वसूली होने योग्य देय कुल धनराशि
43	अप्रैल–09	जून 2014	1,025	3,660	63	124.5	4,557	8,217
44	मई–09	जून 2014	1,240	4,427	62	122.5	5,423	9,850
45	जून–09	जून 2014	1,400	5,045	61	120.5	6,079	11,124
46	जुलाई–09	जून 2014	1,063	3,987	60	118.5	4,725	8,712
47	अगस्त–09	जून 2014	1,250	4,688	59	116.5	5,462	10,150
48	सितंम्बर–09	जून 2014	1,329	4,077	58	114.5	4,668	8,745
49	अक्टूबर–09	जून 2014	1,018	3,054	57	112.5	3,436	6,490
50	नवंम्बर–09	जून 2014	1,010	3,030	56	110.5	3,348	6,378
51	दिसंम्बर–09	जून 2014	833	2,499	55	108.5	2,711	5,210
52	जनवरी–10	जून 2014	675	2,025	54	106.5	2,157	4,182
53	फरवरी–10	जून 2014	575	1,725	53	104.5	1,803	3,528
54	मार्च–10	जून 2014	610	1,830	52	102.5	1,876	3,706
55	अप्रैल–10	जून 2014	563	1,689	51	100.5	1,697	3,386
56	मई–10	जून 2014	537	1,611	50	98.5	1,587	3,198
57	जून–10	जून 2014	776	2,328	49	96.5	2,247	4,575
58	जुलाई–10	जून 2014	997	2,991	48	94.5	2,826	5,817
59	अगस्त–10	जून 2014	1,157	3,471	47	92.5	3,211	6,682
60	सितंम्बर–10	जून 2014	854	2,562	46	90.5	2,319	4,881
योग			**1,12,961**	**3,98,929**			**6,61,012**	**10,59,941**

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना

शब्द एवं संक्षेपण की शब्दावली

क0नि0प्रा0	कर निर्धारण प्राधिकारी
असि0क0	असिस्टेन्ट कमिश्नर
अ0म0नि0	अतिरिक्त महानिरीक्षक, (निबंधन)
स0म0नि0	सहायक महानिरीक्षक (निबंधन)
स0सं0प0अ0	सहायक संम्भागीय परिवहन अधिकारी
बै0ग0	बैंक गारण्टी
भूमिधर	ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी फ्रीहोल्ड भूमि हो तथा उसको अन्तरित करने का पूरा अधिकार हो।
पूँजीगत माल	पूँजीगत माल का तात्पर्य व्यापारी द्वारा विक्रय के लिये किसी माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त किसी संयंत्र, मशीन, मशीनरी, उपस्करों, यंत्रों, औजारों, साधनों या विद्युत व्यवस्थापन से है।
क0वा0क0	कमिश्नर वाणिज्य कर
चौहद्दी	प्रश्नगत भूमि के सीमा में स्थित सम्पत्ति
दे0 म0	देशी मदिरा का तात्पर्य सादी अथवा मसाले दार मदिरा से है जिसका निर्माण भारत में हुआ हो तथा जो कि महुआ, चावल, गुड़ अथवा शीरा से बने अल्कोहल से बना हो।
के0 मो0 या0 अ0	मोटर यान अधिनियम, 1988
के0 मो0 या0 नि0	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
के0प0प्र0प0	केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र
के0 बि0 क0	केन्द्रीय बिक्री कर
वा0क0अ0	वाणिज्य कर अधिकारी
डि0क0	डिप्टी कमिश्नर
जि0 आ0 अ0	जिला आबकारी अधिकारी
जि0 म0 क0 अ0	जिला मनोरंजन कर अधिकारी
उ0म0नि0	उप महानिरीक्षक (निबंधन)
जि0अ0	जिलाधिकारी
जि0ख0अ0	जिला खान अधिकारी
उ0प0आ0	उप परिवहन आयुक्त
वि0 म0	विदेशी मदिरा
एफ0ओ0आर0	फ्री आन रेल
एम0एम0–11 प्रपत्र	खनन पट्टा अथवा क्रशर प्लान्ट धारक द्वारा उप खनिज के परिवहन के लिए निर्गत किये जाने वाला परिवहन पास।

प्रपत्र–सी	उप खनिज भण्डारण के अनुज्ञापी द्वारा परिवहन के लिए निर्गत किये जाने वाला परिवहन पास।
जी 12	व्यवस्थित दुकानों का विवरण
जी 6	आबकारी कार्यालयों द्वारा रखा जाने वाला ऐसा रजिस्टर, जिसमें आबकारी विभाग की समस्त प्राप्तियों का इन्द्राज होता है।
शा0आ0	शासकीय आदेश
स0 या0 भा0	सकल यान भार
आ0 ले0	आन्तरिक लेखापरीक्षा
आ0 ले0 शा0	आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा
म0नि0नि0	महानिरीक्षक (निबन्धन)
भा0 नि0 वि0 म0	भारत निर्मित विदेशी मदिरा से तात्पर्य ऐसी मदिरा से है जो कि भारत में बनी हो तथा रंग मिश्रण अथवा परिष्कृत करने के पश्चात् रंग अथवा रंजक में भारत में आयातित मदिरा से मिलती हो।
भा0 नि0 अधिनियम	भारतीय निबन्धन अधिनियम, 1908
भा0 स्टा0 अधिनियम	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899
आई0टी0सी0	इनपुट टैक्स क्रेडिट
ज्वा0क0	ज्वाइन्ट कमिश्नर
ज्वा0क0 (का0स0)	ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल)
ज्वा0क0	ज्वाइन्ट कमिश्नरों
जे0एन0एन0यू0आर0एम0	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन
ख0प0नि0	खनिज परिहार नियमावली, 1960
एम0एफ–4	चीनी मिल से आसवनी को भेजे जाने वाले शीरे के परिवहन हेतु गेट पास का प्रपत्र।
न्यू0 प्र0 मा0	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा
खनन पट्टा	खनन पट्टा का तात्पर्य खनन संक्रिया के लिए दिये जाने वाले पट्टे से है जिसमें ऐसे कार्य के लिए दिया गया उप पट्टा भी सम्मिलित होता है।
खनन अनुज्ञा पत्र	खनन अनुज्ञा–पत्र का तात्पर्य उस अनुज्ञा–पत्र से है जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा–पत्र में नियत अवधि के भीतर उप–खनिज की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिए दिया गया होता है।
उप खनिज	उप खनिज का तात्पर्य इमारती पत्थर, बजरी, मामली मृदा एवं मामूली बालू से है।
खान अधिनियम	खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

माडल शाप	पालिका, शहर अथवा निगम क्षेत्र के 600 वर्ग फीट के व्यावसायिक क्षेत्र में ऐसी दुकान जहाँ पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा बीयर के पीने की सुविधा उपलब्ध हो।
मो0 या0 अ0	मोटर यान अधिनियम, 1988
मो0 या0 नि0	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
ओ0टी0एस0एस0	एक मुश्त समाधान योजना
लो0ले0स0	लोक लेखा समिति
व0प्र0	वसूली प्रमाण पत्र
व0प्र0पत्रों	वसूली प्रमाण पत्रों
आर0आई0टी0सी0	इनपुट टैक्स क्रेडिट का उत्क्रमण
सं0प0आ0	सम्भागीय परिवहन अधिकारियों
उ0जि0अ0	उप जिला अधिकारी
रा0वि0क0	राज्य विकास कर
सेक	सेक्टर
वि0आ0जो0	विशेष आर्थिक जोन
एस आर ओ	उप निबन्धक कार्यालय
एस आर्स	उप निबन्धकों
एस0यू0ओ0पी	उ0प्र0 स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997
कराधान अधिकारी	उ0प्र0 मो0या0क0 नियम, 1998 के अधीन अपने सम्भाग अथवा उप सम्भाग के स्थानीय क्षेत्र सं0प0आ0 एवं स0सं0प0आ0, कराधान अधिकारी के रूप में परिभाषित है।
प0आ0	परिवहन आयुक्त
टी डी एस	स्रोत से कर की कटौती
टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेन्सी	टेलीविजन सिग्नल रिसीवर की एजेन्सी का तात्पर्य ऐसे किसी मनोरंजन स्थल, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है जहाँ टेलीविजन सिग्नल रिसीवर के बेचने, किराये पर देने, वितरण करने या विनिमय करने या किसी रुप में परिचालन का व्यवसाय होता हो।
टिन	करदाता पहचान संख्या
व्या0 क0	व्यापार कर
ल0 र0 भा0	लदान रहित भार
उ0प्र0	उत्तर प्रदेश
उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली	उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963
उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम	उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997

उ0प्र0 मो0या0क0 नियमावली	उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998
उ0प्र0 रा0स0प0नि0	उत्तर प्रदेश प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
उ0प्र0 व्या0क0	उत्तर प्रदेश व्यापार कर
यूपीयूपीडी एक्ट	उत्तर प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973
उ0प्र0 मू0सं0क0	उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर
उ0प्र0 ज0उ0 और भू0सु0अ0	उत्तर प्रदेश जमीन्दारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950
वाहन साफ्टवेयर	पंजीयन प्रमाण–पत्र, परमिट एवं कर आदि के विवरणों के रखे जाने हेतु प्रकल्पित वाहन साफ्टवेयर
स0सं0क0	संकर्म संविदा कर

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
डब्लूडब्लूडब्लू.सीएजी.जीओवी.इन